सामर्थ्य

वृक्षारोपण तकनीकी मार्गदर्शिका

पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के साथ ग्रामीणों को स्थायी आजीविका की उपलब्धता

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

ब्लॉक–1, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

मुख्य कार्यालय–59, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल

सामर्थ्य

वृक्षारोपण तकनीकी मार्गदर्शिका

बंजर भूमि सुधार

उद्यानिकी मिशन

बांस मिशन

रेशम मिशन

आजीविका सुदृणीकरण

ग्रामीणों की सहभागिता

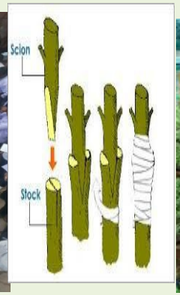

पौध उत्पादन में आत्मनिर्भरता

ग्रीन इंडिया मिशन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल

Map
Google

वृक्षारोपण तकनीकी मार्गदर्शिका

सघन सहभागी(IPPE) नियोजन के माध्यम से आजीविका सुदृढीकरण हेतु योजना का निर्माण

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल

वृक्षारोपण तकनीकी मार्गदर्शिका

प्रेरणा स्रोत	–	डॉ. अरूणा शर्मा, अपर मुख्य सचिव
निर्देशन	–	स्मिता भारद्वाज, आयुक्त मनरेगा
समन्वय	–	अतीत कुमार चौधरी, मुख्य अभियंता
मार्गदर्शन	–	महेन्द्र कुमार जैन, अधीक्षण यंत्री
सहयोगी मार्गदर्शन	–	राजेन्द्र कुमार गुप्ता, कार्यपालन यंत्री

तकनीकी संकलन एवं लेखन	–	महेश प्रताप सिंह बुन्देला उपसंचालक कृषि/उद्यान स्टेट नोडल ऑफीसर वृक्षारोपण, उद्यानिकी, रेशम एवं बांस मिशन
सहयोग	–	अनिल कुमार गुप्ता मीडिया प्रभारी, महेश कुमार सोनी, के. के. मोर, योगेन्द्र गिरि सहायक यंत्री

कंपोजिंग (टंकन)	–	मंगल सिंह परमार , कम्प्यूटर ऑपरेटर

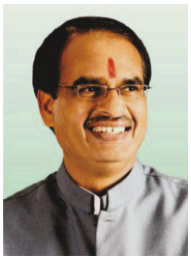

मध्यप्रदेश शासन
भोपाल – 462004

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा वृक्षारोपण तकनीकी मार्गदर्शिका **सामर्थ्य** का प्रकाशन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस वर्ष ग्रीन इण्डिया मिशन लागू किया गया है। इस मिशन के उद्देश्यों को सफल बनाने और सुदूर अंचलों तक पौध रोपण कार्यों से आजीविका के अवसर मुहैया कराने में सफलता मिलेगी।

आज इस बात की आवश्यकता है कि प्रदेश में पर्यावरण संतुलन के साथ–साथ ग्रामीणों को वृक्षारोपण के माध्यम से स्व–रोजगार विकसित हों, जिससे परंपरागत खेती को लाभ का धंधा बनाया जावे। वृक्षारोपण तकनीकी मार्गदर्शिका प्रकाशन के माध्यम से मनरेगा के अंतर्गत फलोद्यान विकसित करने के वैज्ञानिक तरीकों को सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुँचाया जा सकेगा। ग्राम पंचायतों और मैदानी अमले को पौध रोपण और पौध संरक्षण संबंधी जानकारियॉ हासिल होने से पौधों को जीवन सुरक्षित होगा व किसानों को लाभ प्राप्त होगा।

सामर्थ्य मार्गदर्शिका के प्रकाशन के लिए शुभकामनाएँ।

(शिवराज सिंह चौहान)

गोपाल भार्गव

मंत्री

पंचायत एवं ग्रामीण विकास,
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन
कल्याण, सहकारिता विभाग
मध्यप्रदेश.

निवास : बी-1, स्वामी दयानंद नगर,
(74 बंगला), भोपाल, (म.प्र.)

दूरभाष
0755-2441017 (मंत्रालय)
0755-2661271 (नि.)
0755-2441156 (नि.)फैक्स
07585-258401 (का.)

E-mail : gopal_bha@rediffmail.com

:: संदेश ::

यह हर्ष का विषय है कि मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा ग्रामीण अंचलों में पौध रोपण कार्यों से जरूरतमंद श्रमिकों को बड़े पैमाने पर आजीविका के अवसर सफलतापूर्वक उपलब्ध कराये जा रहे हैं । भौगोलिक विशेषताओं से परिपूर्ण मध्यप्रदेश को प्रकृति ने घने जंगल, नदी, पहाड़, तालाब जैसी अमूल्य संपदायें सौंपी हैं । इस प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा के साथ–साथ प्रदेश को और हरा–भरा बनाये रखना हमारा कर्त्तव्य है ।

इसी उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा पौध रोपण की सही तकनीक और फलोद्यान विकसित करने के वैज्ञानिक तरीकों को ग्रामीणों और मैदानी अमले तक पहुंचाकर इन कार्यों में उन्हें सक्षम बनाये जाने की आवश्यकता को देखते हुये वृक्षारोपण तकनीकी मार्गदर्शिका **''सामर्थ्य''** का प्रकाशन कराया जा रहा है ।

इस पुस्तिका से बांस उत्पादन, वृक्षविहीन पहाड़ियों को हरा–भरा करना, रेशम उत्पादन और फलोद्योन के विकास कार्य सफलतापूर्वक आसानी से किये जा सकेंगे । इन कार्यों में आने वाली दिक्कतों के समाधान के बारे में तकनीकी मार्गदर्शिका **''सामर्थ्य''** में सभी जरूरी तथ्यों का समावेश किया गया है, जो हितग्राहियों व क्रियान्वयन में संलग्न मैदानी अमले के लिए मददगार होगा ।

इस अनूठे प्रयास से पौधों की सुरक्षा के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण व ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुदृढ़ करने में भी मदद मिलेगी ।

''सामर्थ्य'' मार्गदर्शिका के प्रकाशन के लिए हार्दिक शुभकानाएं।

(गोपाल भार्गव)

अरूणा शर्मा
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

संदेश

प्रसन्नता है कि मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति ग्रामीणों में जन चेतना लाने के साथ–साथ वृक्षारोपण कार्य से रोजगार और आजीविका के अवसर ग्रामीण श्रमिकों को उपलब्ध कराने के सफल प्रयास किये जा रहे हैं।

ग्रामीण अंचलों के विकास के साथ–साथ प्रदेश को हरा–भरा बनाने के उद्देश्य से वृक्षारोपण के महत्व और तकनीकी मापदण्ड की समझ लोगों में पैदा किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित हुयी है ताकि रोपित पौधों की उत्तरजीविता सुनिश्चित हो सके।

मनरेगा के वन, उद्यानिकी, कृषि एवं कुटीर व ग्रामोद्योग विभाग की योजनाओं के अभिसरण से रेशम उत्पादन, बांस उत्पादन, वृक्षविहीन पहाडियों का विकास तथा फलोद्यान विकास योजनाओं का लाभ ग्रामीण हितग्राहियों तक सही तरीकों से पहुंचाकर उनकी आजीविका सुदृढ़ करने के अवसर प्रदान किये जाने की सरकार की मंशा है।

फलोद्यान विकसित करने के वैज्ञानिक तरीकों और पौध संरक्षण की नवीनतम तकनीकों को पंचायतों और मैदानी अमले तक पहुंचाने की दिशा में मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा वृक्षारोपण तकनीकी मार्गदर्शिका "सामर्थ्य" के प्रकाशन का प्रयास सराहनीय है।

"सामर्थ्य" मार्गदर्शिका के प्रकाशन पर शुभकामनाऐं।

(अरूणा शर्मा)

स्मिता भारद्वाज
आयुक्त
म.प्र.रा.रो.गा.परिषद् भोपाल

प्रस्तावना

महात्मा गॉधी नरेगा अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कृषि व कृषि आधारित कार्यो पर न्यूनतम 60 प्रतिशत व्यय किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इन कार्यो में प्रमुख रूप से भूमि विकास, भू–जल संरक्षण व संवर्धन तथा वृक्षारोपण से संबंधित कार्य शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा ग्रीन इण्डिया मिशन अंतर्गत उद्यानिकी, कृषि वानिकी, रेशम उत्पादन, बॉस मिशन, सड़क किनारे वृक्षारोपण के कार्य विभिन्न विभागो के कार्यक्रमों के अभिसरण से लिये जाकर 50 लाख हेक्टेयर भूमि पर मनरेगा में लक्षित वर्ग के 30 लाख परिवारों को आगामी 10 वर्षो में स्थायी आजीविका से जोड़े जाने का पूरे देश का लक्ष्य रखा गया है।

वृक्षारोपण की सफलता लगाये गये पौधों की जीवित्ता पर निर्भर करती है, जिसमें तकनीकी विषय की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। कृषि, उद्यानिकी, वन, कुटीर व ग्रामोद्योग अन्तर्गत रेशम की परियोजनाओं के प्रोजेक्ट तैयार करने से लेकर उनके क्रियान्वयन हेतु तकनीकी मापदण्डो का एकजाई संकंलन नहीं होने से "वृक्षारोपण तकनीकी मार्गदर्शिका" मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा तैयार करायी गयी हैं। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि प्रकाशित पुस्तक जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी जन प्रतिनिधियों के लिये बेहद उपयोगी साबित होगी।

प्रकाशित पुस्तिका वृक्षारोपण तकनीकी मार्गदर्शिका **"सामर्थ्य"** प्रदेश के वनीकरण – उद्यानिकी के विकास के लिये शुभकामनाओं सहित समर्पित।

(स्मिता भारद्वाज)

वृक्षारोपण तकनीकी मार्गदर्शिका

विषय सूची

अध्याय	विषय का नाम	पृष्ठ सूची कमांक
अध्याय–1	मनरेगा में वृक्षारोपण का प्रावधान एवं लक्ष्यों का निर्धारण, महत्व एवं उद्देश्य	1–10
	1.1 वृक्षारोपण का ग्लोबल वार्मिंग(विश्वव्यापी तापकम)में महत्व	
	1.2 वृक्षारोपण का वातावरणीय महत्व	
	1.3 वृक्षारोपण का भू व जल संरक्षण में महत्व	
	1.4 वृक्षों का धार्मिक महत्व	
	1.5 वृक्षारोपण का आर्थिक महत्व	
	1.6 मनरेगा योजना में वृक्षारोपण का प्रमुख उद्देश्य	
अध्याय–2	देश व प्रदेश में वृक्षारोपण का क्षेत्रफल व प्रतिशत	11–12
	2.1 वृक्षारोपण की स्थिति	
	2.2 वृक्षारोपण का मानचित्र पर चित्रण	
अध्याय–3	वृक्षारोपण की श्रेणियॉ, योजना का निर्माण, प्रकार, पात्र हितग्राही एवं अन्य घटक	13–16
	3.1 श्रेणी(केटेगिरी) ए	
	3.2 श्रेणी(केटेगिरी) बी	
	3.3 पौधरोपण गतिविधि की योजना का निर्माण	
	3.4 उपभोग का अधिकार किन भूमियों पर होगा	
	3.5 मनरेगा पात्र हितग्राहियों का प्राथमिकता कम	
	3.6 वृक्षारोपण कहॉ–कहॉ किया जा सकेगा	
	3.6.1 खेतों के मेड़ों पर पौधरोपण	
	3.6.2 रोड के किनारों/एवेन्यु पौधरोपण	
	3.6.3 नहरों के किनारे पौधरोपण	
	3.6.4 रेलवे ट्रेक के किनारे पौधरोपण	
	3.6.5 संस्थागत पौधरोपण	
	3.6.6 ब्लॉक पौधरोपण	

	3.7 मनरेगा योजना में पूर्व से प्रचलित निम्न योजनाओं में पौधे लगाये जा सकेंगे	
अध्याय–4	प्रजातियों का चयन, पौधों का चयन, लगाने की विधि एवं पौधरोपण का समय	17–22
	4.1 प्रजातियों का चयन	
	4.1.1 अनुपयोगी, बंजर, पहाड़ी मुरम वाली मिट्टी होने पर	
	4.1.2 उपयुक्त समतल मिट्टी वाली भूमि होने पर	
	4.1.3 जल भराव वाले मिट्टी होने पर	
	4.2 रोपण हेतु पौधों का चयन	
	4.3 सड़कों के किनारे लगाये जाने वाले वृक्षों के गुण अथवा लक्षण	
	4.4 मेड़ों में लगाये जाने वाले पौधों के गुण अथवा लक्षण	
	4.5 पौधा लगाने की विधि	
	4.6 पौधरोपण का समय	
	4.7 प्लांटिंग बोर्ड की सहायता से पौधों का रोपण एवं लेआउट	
अध्याय–5	वृक्षारोपण हेतु भूमि का सर्वे, मिट्टी परीक्षण एवं रेखांकन	23–26
	5.1 भूमि का सर्वेक्षण	
	5.2 मिट्टी परीक्षण	
	5.2.1 मिट्टी परोक्षण हेतु मिट्टी का नमूना लेने की विधि	
	5.3 लेआउट प्लान	
	5.3.1 वर्गाकार पद्धति(**Square system)**	
	5.3.2 आयताकार पद्धति(**Rectengular System)**	
	5.3.3 त्रिभुजाकार या षटभुजाकार पद्धति(**Tringular or Hexagonal system)**	
	5.3.4 पॅचवृक्षी या पूरक पद्धति(**Quincunx system)**	
	5.3.5 समोच्य रेखा या कंटूर पद्धति(**Contour system)**	
	5.4 विभिन्न दूरी पर विभिन्न पद्धतियों में पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर	
	5.5 रेखांकन करने का तरीका	

	5.6 रेखांकन हेतु आवश्यक उपकरण	
अध्याय–6	विभिन्न प्रजातियों के पौध रोपण का अंतर, गड्ढो का आकार, खाद उर्वरक की मात्रा एवं हाई डेन्सिटी प्लांटेशन	27–28
	6.1 प्रथम वर्ष गड्ढों के साथ दी जाने वाली खाद व उर्वरक की मात्रा	
	6.2 पौधरोपण के एक वर्ष उपरांत वर्षवार दी जाने वाली खाद् उर्वरक की मात्रा	
	6.3 मेडोऑर्चड्स(**Meadoworchard**)/हाईडेन्सिटी प्लांटेंशन	
अध्याय–7	मध्यप्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र, अनुशंसित उद्यानिकी–वृक्षारोण की प्रजातियॉ एवं उपयुक्त किस्मे	29–34
	7.1 मध्यप्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र एवं उद्यानिकी फसलें	
	7.2 सामाजिक वानिकी संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुशासित जलाऊ लकड़ी व चारा उत्पादन की प्रजातियॉ	
	7.3 सामाजिक वानिकी अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों हेतु चयनित की जाने वाली विभिन्न प्रजातियॉ	
	7.4 विभिन्न फलदार पौधों का चयन एवं उपयुक्त किस्मों का विवरण	
अध्याय–8	वृक्षारोपण प्रबंधन कार्य	35–46
	8.1 भूमि का प्रकार	
	8.2 सिचाई के लिये जल की उपलब्धता	
	8.3 अन्य आवश्यक सावधानियॉ	
	8.4 भूमि की सफाई	
	8.5 शासकीय भूमि होने पर सुरक्षा व्यवस्था	
	8.6 निजी भूमि होने पर सुरक्षा व्यवस्था	
	8.7 गड्ढों की तैयारी व भराई	
	8.8 रोपित पौधों की सिचाई की पद्धतियॉ	
	8.8.1 थाला पद्धति(**Basin System**)	
	8.8.1 अगूँठी पद्धति(**Ring System**)	
	8.8.2 अन्य पद्धतिया(**Other System**)	
	8.9 कम पानी होने पर प्लांट जेल का उपयोग	

	8.10 पौधों को खाद व उर्वरक देने की विधियाँ एवं नवीन रोपित उद्यानों का प्रबंधन	
	8.10.1 पौधों को छाया देना	
	8.10.2 पौधों को सहारा देना	
	8.10.3 वृक्षो की सधाई या ट्रेनिंग	
	8.11 काट छांट के अन्य आवश्यक नियम	
	8.12 बोर्डो मिश्रण(**Bordeaux Mixture**)का निर्माण	
	8.12.1 तैयार करने की विधि	
	8.13 चौबटिया पेस्ट का निर्माण	
	8.14 धूप–तापरोधी पेस्ट	
अध्याय–9	कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी	47–51
	9.1 कृषि वानिकी(**Agro Forestry**)	
	9.1.1 कृषि वानिकी पद्धति	
	9.1.2 एक साथ या समकालिक(**Simultanous**)	
	9.1.3 कमवार या कमिक पद्धति(**Sequential system**)	
	9.1.4 कृषि वानिकी हेतु वृक्षों का चुनाव	
	9.2 सामाजिक वानिकी (**Social Forestry**)	
अध्याय–10	पौध उत्पादन हेतु नर्सरियों की स्थापना	52–56
	10.1 उद्देश्य	
	10.2 नर्सरी में पौधों का उत्पादन	
	10.3.1 बीज के माध्यम से	
	10.3.2 वानस्पतिक प्रसारण के माध्यम से	
	10.4 पौध उत्पादन में पादप वृद्धि(हार्मोन) नियामक एवं उनका उपयोग	
	10.5 पादप वृद्धि(हामोंन) नियामक एवं उनका अन्य उपयोग	
अध्याय–11	वृक्षारोपण हेतु विभिन्न विभागों से अभिसरण	57
अध्याय–12	उद्यानिकी, रेशम, बांस मिशन, रोड साइड प्लांटेशन में अभिसरण	58–61
	12.1 बागवानी मिशन(**MIDH**) के प्रावधान अनुसार उद्यान विभाग से अभिसरण	
	12.2 उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजना के	

	प्रावधान अनुसार अभिसरण अंतर्गत तैयार डी.पी.आर	
	12.3 स्टेट बंबू मिशन अंतर्गत बांस मिशन अभिसरण	
	12.4 बांस मिशन अभिसरण अंर्तगत तैयार डी.पी.आर.	
	12.5 रेशम विभाग से रेशम उपयोजना अंतर्गत अभिसरण एवं तैयार डीपोआर	
	12.6 रोडसाइड प्लांटेशन अंतर्गत पीएमजीएसवॉय एवं एनएचएआई से अभिसरण एवं तैयार डीपीआर	
अध्याय–13	पौधे/अन्य आदान सामग्री क्रय, एवं म.प्र. भंडार क्रय नियमों का पालन व रिकोर्ड संधारण	62–64
	13.1 पौधे व अन्य आदान सामग्री क्रय	
	13.2 हितग्राही के माध्यम से साामग्री का क्रय	
	13.3 सामग्री क्रय हेतु म.प्र. भण्डार क्रय नियम का पालन	
	13.4 वृक्षारोपण कार्यों का जिला स्तर पर दरों का निर्धारण	
अध्याय–14	वृक्षारोपण से पात्र हितग्राही को होने वाली अनुमानित आय–आउटकम	65–66
	14.1 उद्यानिकी योजनान्तर्गत हितग्राही को प्राप्त होने वाली आय योजना के प्रावधान अनुसार विभिन्न प्रजातियों से अनुमानित आय प्रतिवर्ष प्रतिएकड़	
	14.2 बांस मिशन अंतर्गत बांस पौधरोपण योजना के प्रावधान अनुसार अनुमानित आय प्रतिवर्ष	
	14.3 रेशम उपयोजना अंतर्गत योजना के प्रावधान अनुसार अनुमानित आय प्रतिवर्ष प्रति एकड़	
	14.4 रोडसाइड प्लांटेशन अंतर्गत योजना के प्रावधान अनुसार विभिन्न प्रजातियों से अनुमानित आय प्रतिवर्ष प्रति 100 पौधे से	
अध्याय–15	प्रबंधन कार्य हेतु मनरेगा मेट(सर्विस प्रोवाईडर), अन्य संस्थाओं की सहायता एवं मॉनीटरिंग रिपोर्टिंग	67–68
	15.1 प्रबंधन व मॉनीटरिंग हेतु उद्यानिकी/वृक्षारोपण कार्यों में ग्राम पंचायत में पूर्व से नामांकित मेटो की सहायता प्राप्त करना	
	15.2 मॉनीटरिंग व रिपोर्टिंग	
अध्याय–16	फल वृक्षों में लगने वाले रोग–कीट व उनका	69–73

	नियंत्रण	
अध्याय–17	मनरेगा अंतर्गत पुराने वृक्षारोपणों का प्रबंध एवं अन्य योजनाओं से संबंध एवं लाभ प्राप्त करना	74–75
	17.1 मनरेगा योजना में पूर्व से स्थापित वृक्षारोपण का प्रबंधन कार्य	
	17.2 फल फूल सब्जी संग्रहण कक्ष का निर्माण	
	17.3 उद्यानिकी आधारित लघु उद्योग इकाइयों की एनआरएलए अभिसरण से स्थापना	
	17.4 बाजार अनुबधं, मार्केट लिंकेज करने के संबंध	
	17.5 मनरेगा फेस फल कॉर्नर के माध्यम से विकय	
	17.6 ऑर्गनिक फल उत्पादन	
	17.7 कार्बन केडिट से जोड़ना	
अध्याय–18	रेशम उत्पादन के संबंध में तकनीकी जानकारी	76–81
	18.1.1 भूमि का चयन	
	18.1.2 भूमि की तैयारी	
	18.1.3 प्रजातियों का चयन व पौधरोपण का तरीका	
	18.1.4 टॉप ड्रेसिंग के रूप मं नत्रजन एवं उर्वरकों का प्रयोग	
	18.2 रेशमकीट पालन में नई तकनीकी का प्रयोग	
	18.3 वयस्क(Adult) रेशम कीट पालन	
	18.4 प्ररोह(Shoot) कीट पालन विधि	
	18.5 वयस्क(Adult) रेशमकीट पालन के दौरान तापमान तथा आर्द्रता	
	18.6 वयस्क(Adult) रेशमकीट पालन में आवश्यक जगह का लेखा	
	18.7 समृद्धि का प्रयोग	
	18.8 संपूर्णा का प्रयोग	
	18.9 परिपक्व कीटों को पत्तों से अलग करनाः–	
	18.10 कोसा निर्माण और चंद्रिक	
अध्याय–19	लगाये गये पौधों की 90 प्रतिशत जीवितता नियंत्रण	82–88
	19.1 वृक्षारोपण अंतर्गत आने वाली प्रमुख समस्यायों का निराकरण एवं 90 प्रतिशत जीवितता नियंत्रण रखना	

	19.1.1 तकनीकी समस्या के उपाय	
	19.1.2 प्रबंधन हेतु संलग्न हितग्राही/जॉबकार्डधारी/ उपभोग का अधिकार प्राप्तकर्ता को टॉस्क आधार पर 90 प्रतिशत जीवितता सुनिश्चित होने के उपरांत भुगतान	
	19.1.3 उद्यान विभाग के साथ अभिसरण अंतर्गत प्रति एकड़(0.40 हेक्ट) विभिन्न अंतर पर लगाये गये फलदार पौधो की 90 प्रतिशत जीवितता व लगातार प्रबंधन कार्य करने पर, प्रति पौधा प्रतिमाह किया जाने वाला भुगतान	
	19.1.4 वन विभाग के साथ बांस मिशन अभिसरण अंतर्गत विभिन्न अंतर पर लगाये गये फलदार पौधों की 90 प्रतिशत जीवितता व लगातार प्रबंधन कार्य करने पर, प्रति पौधा प्रतिमाह किया जाने वाला भुगतान	
	19.1.5 रेशम विभाग के साथ अभिसरण अंतर्गत विभिन्न अंतर पर लगाये गये फलदार पौधों की 90 प्रतिशत जीवितता व लगातार प्रबंधन कार्य करने पर, प्रति पौधा प्रतिमाह किया जाने वाला भुगतान	
	19.1.6 रोडसाइड प्लांटेशन अंतर्गत लगाये गये फलदार पौधों की 90 प्रतिशत जीवितता व लगातार प्रबंधन कार्य करने पर, प्रति पौधा प्रतिमाह किया जाने वाला भुगतान	
	19.2 पाला अधिक ठंड से उपाय	
	19.3 तेज गर्मी व लू से बचाव के उपाय	
	19.4 कीट बीमारियों से बचाव के उपाय	
	19.5 तने व जड़ों के पास सड़न व गलन पैदा होने के कारण	
अध्याय–20	तकनीकी कार्यों का माहवार कैलेंडर एवं कार्य योजना कियान्वयन हेतु वार्षिक कैलेंडर	89–96
अध्याय–21	डीपीआर फीजिंग हेतु ऑनलाईन एक्टीविटी कोड	97–105
अध्याय–22	विभिन्न प्रकार की तकनीकी स्वीकृति हेतु मार्गदर्शी डीपीआर	106–210

वृक्षारोपण तकनीकी मार्गदर्शिका पुस्तिका

अध्याय–1

मनरेगा में वृक्षारोपण का प्रावधान एवं लक्ष्यों का निर्धारण, महत्व एवं उद्देश्य

- मनरेगा योजना का प्रमुख उद्देश्य भू–जल संरक्षण व संग्रहण होने के कारण योजना में वॉटरशेड एवं वृक्षारोपण गतिविधियों को प्रमुखतः शामिल किया गया है।
- भारत सरकार ने मनरेगा एक्ट 2005 में 21.07.2014 को मनेरगा के कुल बजट का 60 प्रतिशत व्यय कृषि एवं उससे संबंधित कार्य भूमि विकास, जल संग्रहण एवं पौध रोपण में करने हेतु एक्ट में संशोधन किया है।
- भारत सरकार ने 03.03.2015 को ग्रीन इंडिया मिशन लागू करके आगामी 10 वर्षो में 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पूरे देश में पौधरोपण करने का लक्ष्य निर्धारण किया है।
- मनरेगा योजना में देश में अभिसरण(कन्वर्जेन्स) के माध्यम से 50 लाख हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण करते हुये 30 लाख मनरेगा में पात्र हितग्राहियों को उनकी आजीविका से जोड़कर आय में वृद्धि करना है।
- म.प्र. में आगामी 10 वर्षों में मनरेगा योजना में भारत सरकार से प्राप्त बजट 12.5 प्रतिशत के अनुपात में 6.25 लाख हेक्टेयर भूमि पर 3.75 लाख हितग्राहियों के खेतों पर पौधरोपण किये जाने का लक्ष्य है।

उक्त उद्दश्यों की पूर्ती हेतु वृक्षारोपण के पूर्व उसके महत्व व तकनीकी नियमावली को समझना नितांत आवश्यक है, विभिन्न दृष्टिकोण से वृक्षारोपण का महत्व व तकनीकी नियमावली निम्नानुसार है।

1.1 वृक्षारोपण का ग्लोबल वार्मिंग (विश्वव्यापी तापक्रम) में महत्वः–

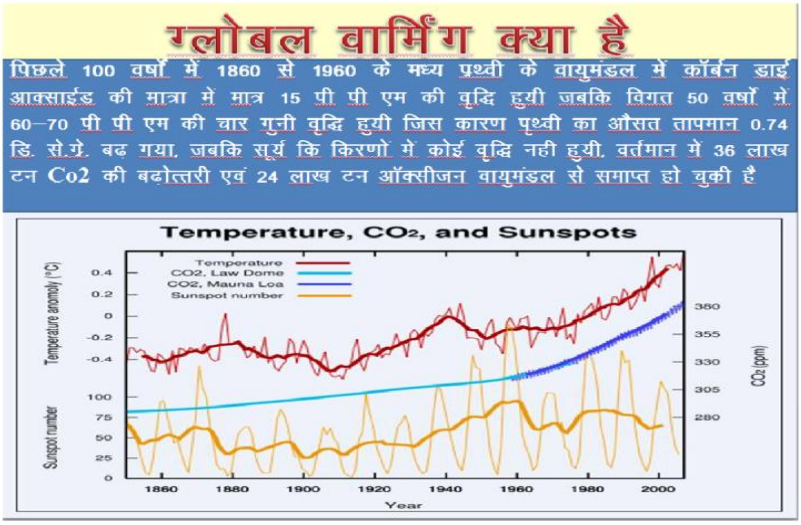

ग्लोबल वार्मिंग का इतिहास व अन्य जानकारियाँ

- हजारों वर्षो में पृथ्वी का औसत तापमान एक डिग्री से. ग्रे. बढा है।
- Co_2 के अलावा पृथ्वी के तापमान बढाने में नाइट्रस आक्साइड व मीथेन गैस का भी योगदान है, जोकि तुलनात्मक काफी कम है।
- Co_2 की पृथ्वी पर उम्र 500 वर्ष है, जबकि नाइट्रस आक्साइड की 20 वर्ष व मीथेन की 5–7 वर्ष है।
- समुद्र का सतही पीएच 2004 में 8.14 है, जोकि 19 वीं सदी में 8.25 था वह 21 वीं सदी 0.14 से 0.5 तक कम हो सकता है, जिस कारण अनेकों समुद्री जीव विलुप्त हो जावेंगे।
- पृथ्वी का औसत तापक्रम मानव व अन्य जीव जंतुओं के रहने के लिये 15.5 डि. से. ग्रे. उचित माना गया है।
- 21 वीं सदी में जोकि 3–5 डि. से. ग्रे. बढकर 18 से 20 डि. से. ग्रे. होने की सम्भावना है, गर्मियों में तापक्रम 55 डि. से. ग्रे हो जावेगा।
- लगभग एक लाख वर्ष पहले वर्फ/हिमयुग के समय पृथ्वी का औसत तापक्रम 5 डि. से. ग्रे. था।
- जोरासिक काल लगभग डेढ सौ करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर किसी उल्का के टकराने से ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण 5 डि. से. ग्रे. पृथ्वी का तापमान बढने पर पृथ्वी से अनेकों जीव जंतु नष्ट हो गये जिसमें की डायनासौर शामिल थे।

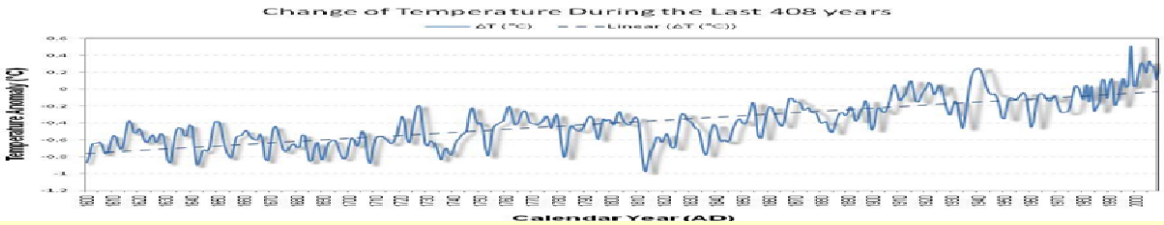

ग्लोबल वार्मिंग का 21 वीं सदी पर प्रभाव

यदि बढती हुयी कॉर्बन डाई आक्साइड का उत्सर्जन रोका नही गया एवं वायुमंडल में उपलब्ध कॉर्बन डाई आक्साइड का उपयोग नही किया गया, तब वातावरण में 2050 में CO_2 की मात्रा 570 पी पी एम एवं 2080 में 900 पी पी एम होकर कमशः पृथ्वी का तापमान 2050 में 1.5 से 2.0 व 2100 में 5 डि. से. ग्रे. बढ जावेगा।

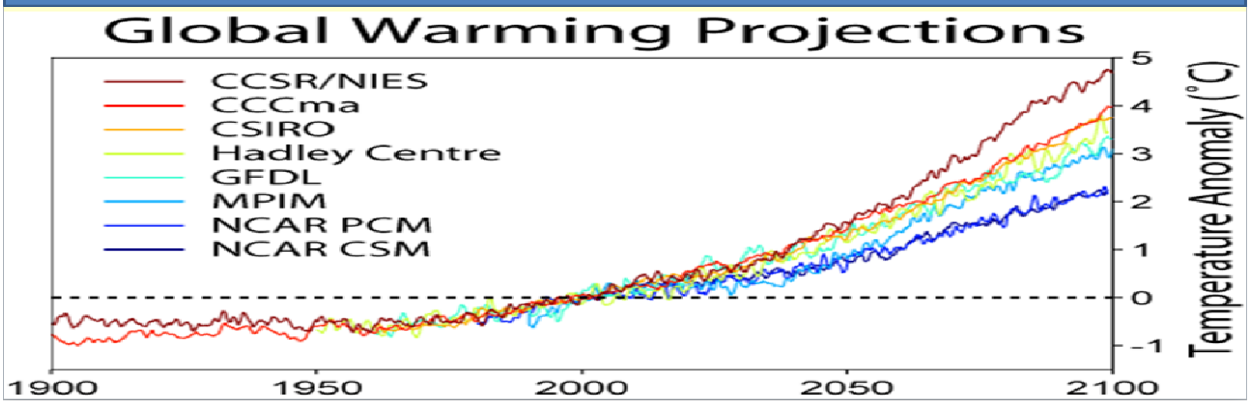

ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीनहाउस प्रभाव

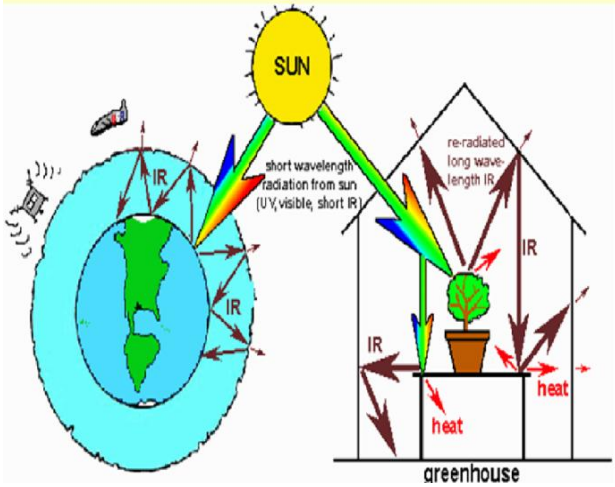

ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है

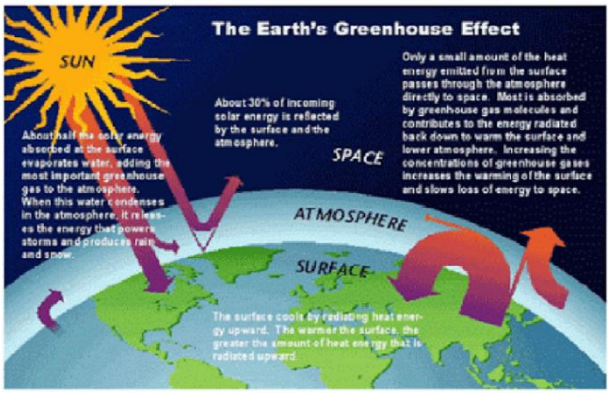

- सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर टकराती है, तब 70 प्रतिशत पृथ्वी पर रह जाती है, शेष 30 प्रतिशत वापस वायुमंडल में चली जाती है, जो 70 प्रतिशत बची है, समुद्र के द्वारा व पृथ्वी पर उपलब्ध अन्य वस्तुओं द्वारा शोषित कर ली जाती है, वायुमंडल में कार्बन डाई आक्साइड की मात्रा बढने से सूर्य की किरणें रिफलेक्ट होकर वायुमंडल में नही जा पाती है, व पृथ्वी पर रहकर उसका तापक्रम बढाती है, जिसे ग्रीनहाउस प्रभाव कहते है।

ग्लोबल वार्मिंग हेतु कौन जबाबदार

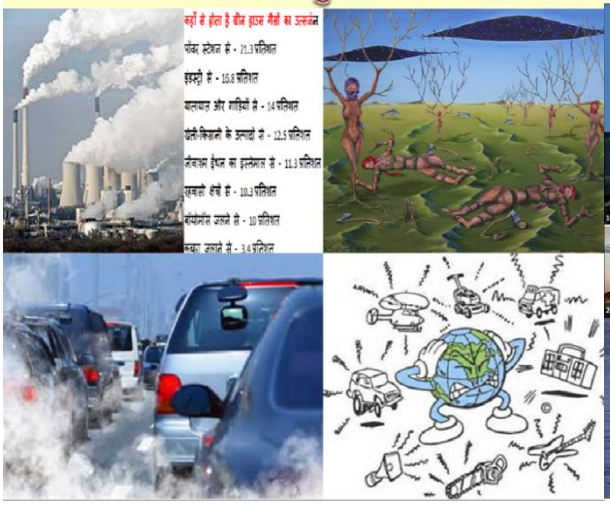

ग्लोबल वार्मिंग का ग्लेशियर पर प्रभाव

तापक्रम बढने पर ग्लेशियर पिघलेंगे व दुनिया देश में गर्मियों में बाढ की स्थितियाँ बनेगी व समुद्र के किनारे के अनेकों देश पानी में डूब जायेंगे, साथ ही बर्फ में रहने वाली प्रजातियाँ जैसे पोलर बियर, पिंगियंस पृथ्वी से समाप्त हो जावेंगे।

SCIENCE CONNECTIONS

SEA LEVEL RISE & GLOBAL WARMING

Sea levels in the U.S. are rising fastest along the East Coast and Gulf of Mexico.

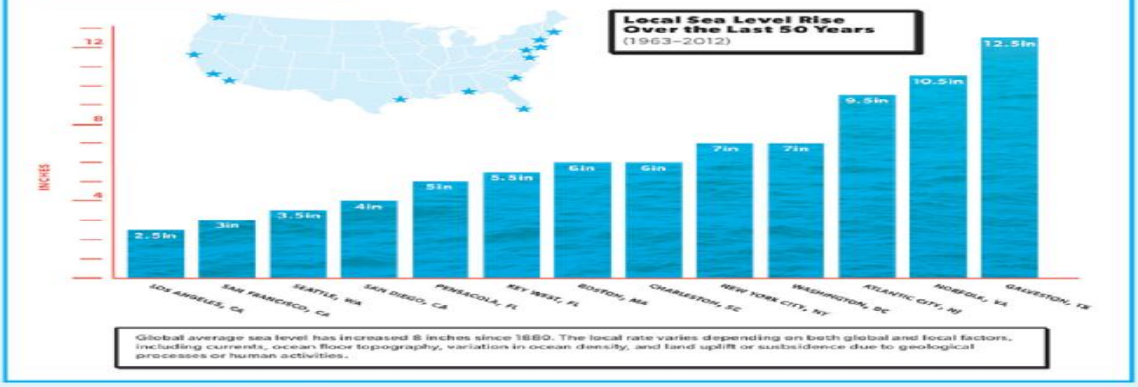

© Union of Concerned Scientists 2014 www.ucsusa.org/sealevelrise

ग्लोबल वार्मिंग का ग्लेशियर पर प्रभाव

तापक्रम बढने पर ग्लेशियर पिघलेंगे व दुनिया देश में गर्मियों में बाढ की स्थितियाँ बनेगी व समुद्र के किनारे के अनेकों देश पानी में डूब जायेंगे, साथ ही बर्फ में रहने वाली प्रजातियाँ जैसे पोलर बियर, पिंगियंस पृथ्वी से समाप्त हो जावेंगे।

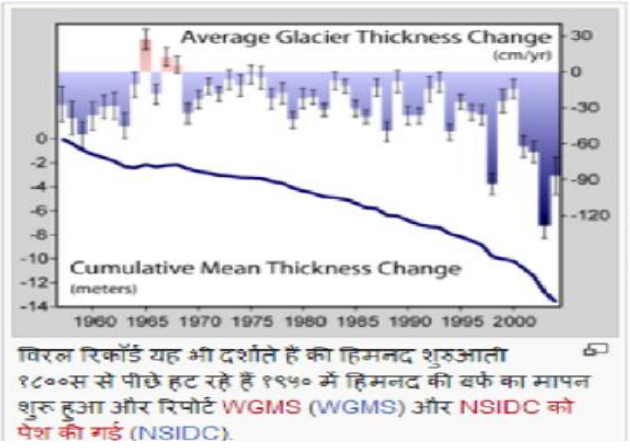

विरल रिकॉर्ड यह भी दर्शाते हैं की हिमनद शुरुआती १८००स से पीछे हट रहे हैं १९५० में हिमनद की बर्फ का मापन शुरू हुआ और रिपोर्ट WGMS (WGMS) और NSIDC को पेश की गई (NSIDC).

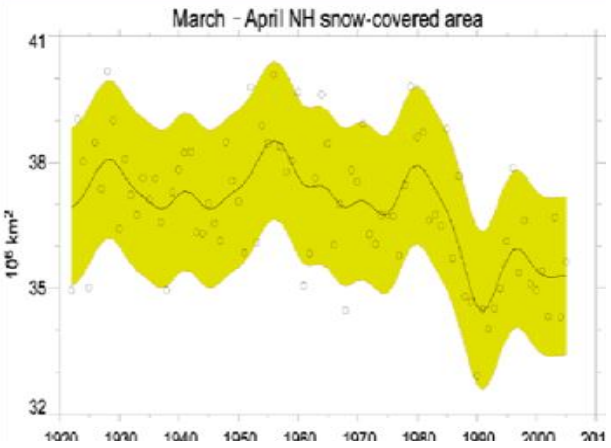

ग्लोबल वार्मिंग का फसल उत्पादन पर प्रभाव

तापकम वृद्धि को देखते हुये अनेकों फसलों का उत्पादन 50 प्रतिशत तक कम हो जावेगा, जबकि 2050 तक देश की 150 सौ करोड़ व्यक्तियों के लिये खाद्यान उपलब्ध नही होगा, अकाल की स्थितियॉं निर्मित होकर भूख से लोगों की मृत्यु होगी

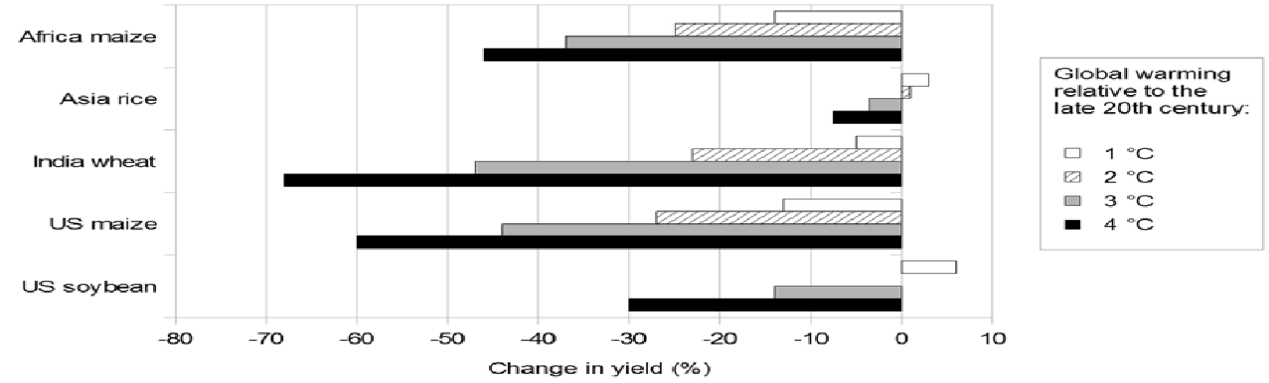

ग्लोबल वार्मिंग का फसल उत्पादन पर प्रभाव

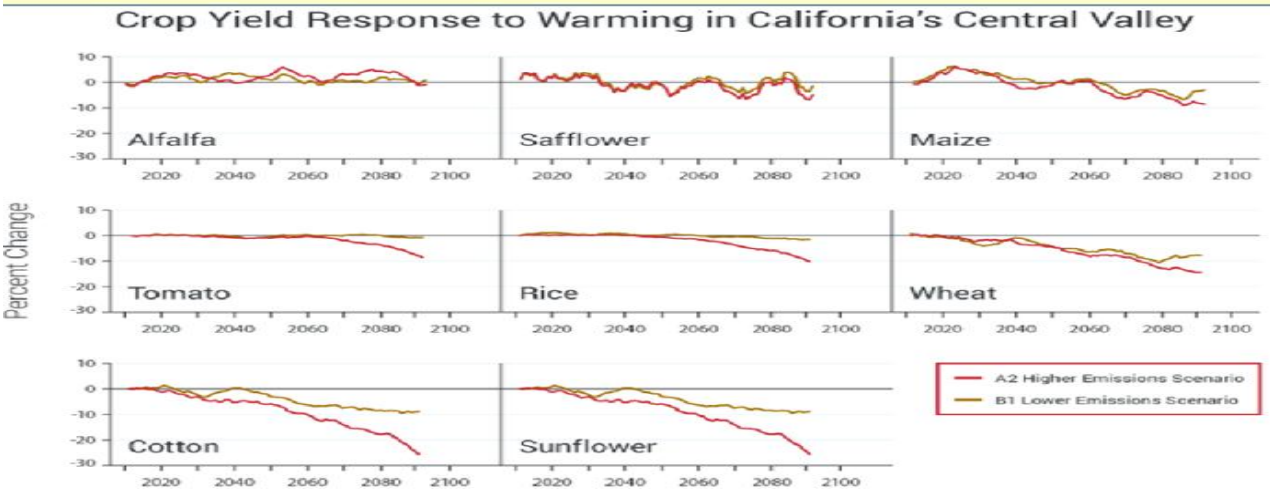

ग्लोबल वार्मिंग का अन्य पर प्रभाव

- स्वास्थ्य संबंधी समस्याः– वायु प्रदुषित होने से फेंफड़े जनित गंभीर बीमारी, कैंसर, टी. बी., दमा के साथ डेंगु, बुखार, मलेरिया, एलो फीवर जैसी कई नई बीमारियॉं स्वाइन फ्लु, इबोला वॉयरस की तरह विकसित होंगी जिनका इलाज संभव नही हो सकेगा, मृत्युदर में वृद्धि होगी।

ग्लोबल वार्मिंग का अन्य पर प्रभाव

- खादयान संबंधी समस्याः– खादयान , फल, व सब्जी उत्पादन पर आने वाले 50 वर्षों में 2–3 डि. से. ग्रे. तापकम बढ़ने पर 30 प्रतिशत तक की कमी होना संभावित है, जबकि बढती आबादी 1914 में लगभग 150 करोड़ थी जोकि 2014 में लगभग 700 करोड़ है, आने वाले 50 वर्षों में 1000 करोड़ होने की संभावना है, तब उदर पूर्ती हेतु वर्तमान उत्पादन से 40 प्रतिशत अधिक खाद्यान की आवश्यकता होगी, ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में विकराल समस्या उत्पन्न होगी।

ग्लोबल वार्मिंग का अन्य पर प्रभाव

21 वी सदी में मानव व अन्य जीव जंतुओं का जीवन

ग्लोबल वार्मिंग का अन्य पर प्रभाव

- जल संबंधी समस्याऐः– तापकम बढ़ने पर 2050 तक पीने योग्य जल व खेती हेतु पानी में 50 प्रतिशत तक की कमी हो जावेगी, अधिकांश कुये, तालाब, नलकूपों में पानी खत्म हो जावेगा, सूखा व अकाल पड़ेगा।

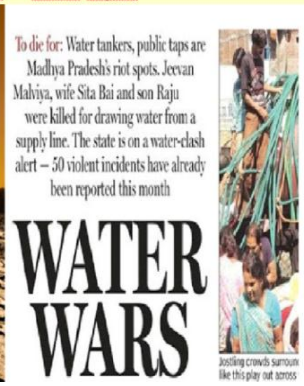

ग्लोबल वार्मिंग का अन्य पर प्रभाव

- जीवन संबंधी संमस्यायेः– सन् 2050 तक पृथ्वी से 17 प्रतिशत से 37 प्रतिशत तक पशुओं, जीव जंतुओ, पौधों की प्रजातियाँ खत्म हो जाऐंगी।

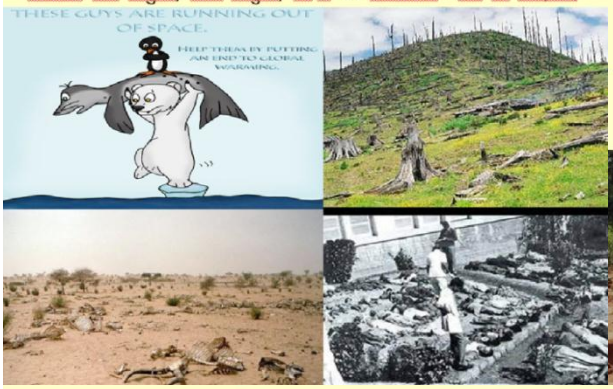

ग्लोबल वार्मिंग का अन्य पर प्रभाव

- वृक्षारोपण संबंधी समस्याऐः– 21 वीं सदी में गर्मियों में तापकम 53–55 डि. से. ग्रे. होने पर पृथ्वी पर जो वन/वृक्षारोपण पूर्व से है वह भी अत्याधिक गर्मी व लपट से जल जायेंगे व सूख जायेंगे, ऐसी स्थिति में वायुमंडल में कॉर्बन डाईआक्साइड की मात्रा द्रीव गति से बढ़ेगी व पृथ्वी और अधिक गर्म होगी।
- भूमिक्षरण संबंधी समस्याऐः– अधिक तापकम वृद्धि होने पर चट्टानें टूटेंगी, अपक्षरण होगा मिटटी की उर्वरा शक्ति धूल बनकर एवं अनियामित तेज बारिश से बहकर नष्ट होगी।

ग्लोबल वार्मिंग का अन्य पर प्रभाव

- जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याऐः– असमय वर्षा, ओला व तूफान निर्मित होंगे। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के कुछ हिस्सों में बारिश ज्यादा होगी, जबकि भूमध्य व दक्षिण अफ्रिका में सूखा पड़ेगा। अटलांटिक क्षेत्रों में तुफान की तीव्रता में वृद्धि होगी।

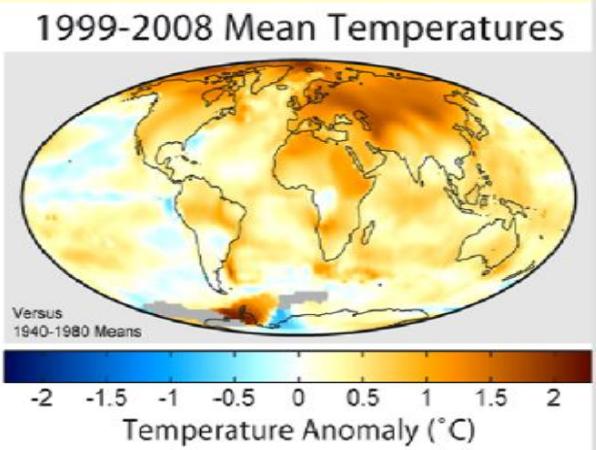

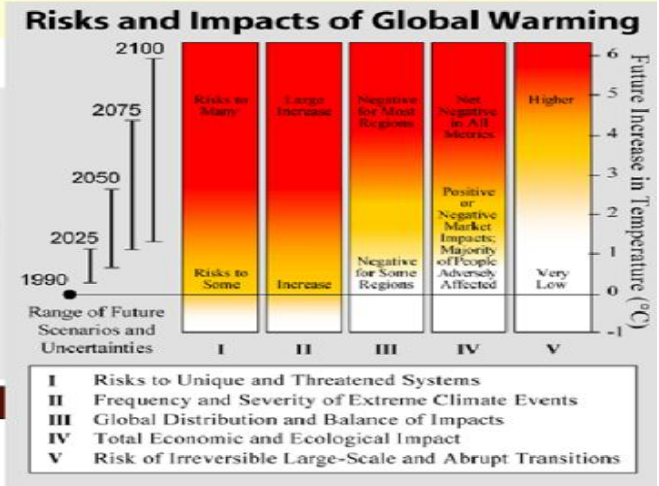

–:सोचना जरूरी है:–

क्या? 21 वीं सदी के अंत तक पृथ्वी से मानव जीवन खत्म हो जायेगा

कौन जबाबदार ?

–:सोचना जरूरी है:–

जो कुछ करना है, तत्काल निर्णय लेना होगा

पृथ्वी माता को बचाना होगा

–:सोचना जरूरी है:–

हम सब संकल्प लेते है कि सभी लोग मिलजुल कर पृथ्वी माता की रक्षा करते हुये आने वाली पीढ़ी को जीवित रखेंगे

ग्लोबल वार्मिंग से बचने के उपाय

मात्र दो उपाय

- वायुमंडल में आने वाली कॉर्बनडाई आक्साइड उत्सर्जन को रोकना होगा–क्योटो प्रोटोकॉल संधि का पालन करना होगा।
- वायुमंडल में उपलब्ध कॉर्बनडाई ऑक्साइड का उपयोग करना होगा–संपूर्ण पृथ्वी पर व्यापक पैमाने,युद्ध स्तर पर पौध रोपण करना होगा।

1.2 वृक्षारोपण का वातावरणीय महत्वः— विभिन्न वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर पौधों का वातावरणीय महत्व निम्नानुसार है।

- वृक्ष मनुष्य के फेफड़ों की तरह पृथ्वी के फेफड़े है, जोकि वायुमंडल से कॉर्बनडाई ऑक्साइड गृहण करते है व हमें ऑक्सीजन प्रदाय करते है।
- वृक्ष पृथ्वी के नलकूप है जोकि भूमिगत जल को जड़ों द्वारा खींचकर वाष्पोत्सृजन क्रिया द्वारा वातावरण में नमी फेलाकर वायुमंडल की सिचाई करते है।
- एक हेक्टयर क्षेत्र के वृक्ष लगभग एक वर्ष में 30 टन ऑक्सीजन देते है, जोकि 90 व्यक्तियों को एक वर्ष हेतु पर्याप्त होती है, साथ ही 935 टन कॉर्बन डाई ऑक्साइड सोख लेते है।
- एक एकड़ के वृक्ष वर्ष भर में एक कार के 26 हजार मील चलने के बाद उत्पन्न कॉर्बन डाई ऑक्साइड को शोषित कर लेते है एवं 18 व्यक्तियों को पर्याप्त ऑक्सीजन एक वर्ष में प्रदाय करते हैं।
- एक 162 वर्ग मीटर आकार वाला पीपल का वृक्ष वायुमंडल से 2252 किलो कॉर्बनडाई ऑक्साइड प्रति घंटे अवशोषित करता है, साथ ही 1712 किलो ऑक्सीजन प्रति घंटा उत्पन्न करता है।
- सड़को के किनारे लगे वृक्ष मोटर वाहनों से निकले सीसे की 30 प्रतिशत मात्रा अवशोषित कर लेते है।
- 500 मीटर लंबी वृक्षो की पट्टियॉ 70 प्रतिशत सल्फरडाई ऑक्साइड एवं 67 प्रतिशत नाइट्रिक एसिड को शोषित कर लेती है।
- वृक्षों की कतारें 10—30 डेसिबिल तक ध्वनि को कम करती है।
- एक हेक्टेयर में यदि वृक्ष लगे हों और यदि एक हेक्टेयर क्षेत्र में पानी या जलाशय हो तो वृक्षों वाला स्थल 10 गुना अधिक शीतल होता है, साथ ही वहॉ पर 15—50 प्रतिशत आद्रता अधिक होती है।
- उपरोक्त के अलावा वृक्षों के माध्यम से मनरेगा में पात्र हितग्राहियों की आय में वृद्धि करने व उनकी आजीविका सुनिश्चत करने में विशेष महत्व है।
- 100 लीटर पेट्रोल जलने से एक व्यक्ति की एक वर्ष की ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल से खत्म हो जाती है।
- एक लीटर पेट्रोल के इस्तेमाल से वातावरण में 4 कि. ग्रा. कॉर्बन डाई ऑक्साइड पहुॅचती है।
- एक पूर्ण परिपक्व वृक्ष 48 एलबीएस कॉर्बनडाई ऑक्साइड एक वर्ष में शोषित करता है एवं 2 व्यक्तियों के लिये भरपूर ऑक्सीजन प्रदाय करता है।
- एक टन का हरा वृक्ष अपने सपूर्ण जीवन काल में लगभग 50 लाख रू की प्राणवायु(ऑक्सीजन) देता है।

- एक आदमी एक दिन में इतना ऑक्सीजन लेता है जितने में तीन ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे जा सकते है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत होती है 700 रूपये इस तरह हम देखते है कि एक आदमी एक दिन में 2100 रूपये की ऑक्सीजन लेता है और एक साल में 766500 की और अपने पूरे जीवन काल लगभग 65 वर्ष में लगभग 5 करोड़ रूपये की ऑक्सीजन लेता है जोकि हमें पेड़ पौधों से फ्री में प्राप्त होती है।

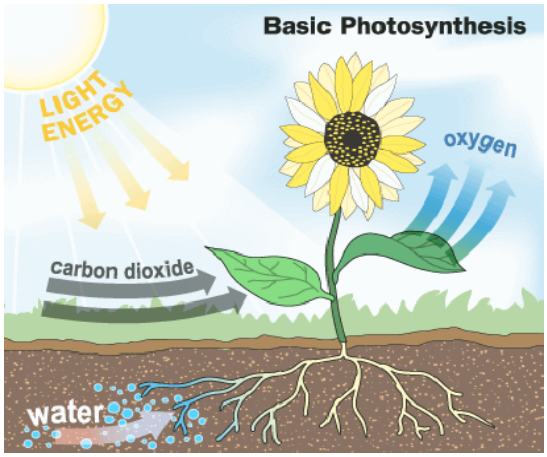

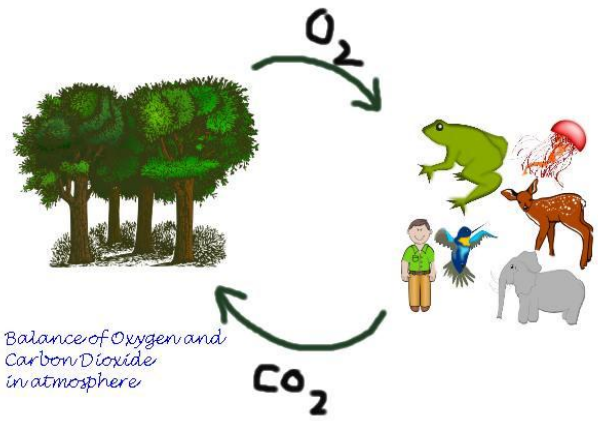

1.3 वृक्षारोपण का भू व जल संरक्षण में महत्वः—

- प्रकृति को भूमि की 10 मि. मी. ऊपरी परत बनाने में 300—400 वर्ष लग जाते है।
- भारत में भूमिक्षरण से प्रतिवर्ष 6 अरब टन मिट्टी नष्ट होती है, जिससे 60 लाख टन पोषक तत्व नष्ट हो जाते है।
- भारत में कुल भूमि का आधा भाग भूमिक्षरण समस्या से ग्रसित हैं।
- वृक्षहीन हिमालय क्षेत्र से भूक्षरण होकर बंगाल की खाड़ी में 40 हजार वर्ग किलोमीटर का द्वीप समूह बन गया है।
- जहॉ पर वर्षा 1672 मिमी. होती है, उस भूमि में यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाये जायें तो जल का फालतू बहाव 30—70 प्रतिशत कम हो जाता है।
- भारत में तलछटीकरण(सेडीमेंटेशन) के कारण प्रतिवर्ष 60 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता कम हो रही है।

1.4 वृक्षों का धार्मिक महत्वः–

- भगवान का वृक्षो से सीधा संबंध है, श्रीकृष्ण का कदंब से, भगवान बुद्ध का पीपल व अशोक से, भगवान शिव का बेल और धतूरा से, भगवान विष्णु का कमल से सान्निध्यता स्थापित की गयी है।
- हिन्दु धर्म में पीपल, बरगद, अशोक, कदंब, ऑवला, गूलर, बेल, तुलसी, ईसाइ धर्म में क्रिसमस, बौद्ध धर्म में पीपल व अशोक, इस्लाम धर्म में खजूर तथा पीलू, जैन धर्म में अशोक, यहूदी धर्म में खजूर को जीवन का वृक्ष मानते है।
- वृक्षों का गृहों से भी संबंध है, सूर्य–सफेद आक या मदार , सोम या चन्द्र–पलाश, मंगल– खैर, बुध– उत्तरानी(चिरचिट्ठा), गुरू– पीपल, शुक– गूलर, शनि– सोन खैर, राहु– दूब, केत का कांस से आध्यात्मिक संबंध स्थापित किया गया है,
- पीपल को धनाढ्यता, अशोक–शोक निवारण, नीम– अति प्रसन्नता, जामुन– स्वर्गीय आर्शीवाद, अनार– श्रेष्ठ जीवन, पलाश–ईश्वर से सुरक्षा, गूलर– रोग विनाशक, बेल– शिव की प्रसन्नता, मंदार– सूर्यदेव, कमल– शांति, बरगद– इच्छाओं को पूरा करने वाला माना जाता है।

1.5 वृक्षारोपण का आर्थिक महत्वः–

- वृक्षारोपण के माध्यम से मनरेगा में पात्र हितग्राहियों की आय में वृद्धि कर आजीविका सुनिश्चित की जा सकती है।

- पौधे हमें पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ फल–फूल पत्ती के माध्यम से आर्थिक मदद भी प्रदान करते है, जोकि विभिन्न प्रजातियों से अनुमानित आय प्रतिवर्ष प्रति 100 पौधे से निम्नानुसार है।

प्रजाति का नाम	5–8 वर्ष से प्राप्त औसत उत्पादन किलो में प्रतिपौधा	100 पौधों से प्राप्त कुल औसत उत्पादन क्वींटल में	भाव औसत प्रति क्वींटल (रूपये में)	कुल आय रूपये वर्ष में (रूपये में)	ट्री पट्टाधारी को प्रतिमाह के हिसाब से प्राप्त आय (रूपये में)	रिमार्क
आम	100–200	150	1000	150000	12500	प्राप्त आय में कमशः 20–25 वर्ष तक वृद्धि होगी जोकि अधिकतम 30–40 वर्षों तक हितग्राही को प्राप्त होती रहेगी
इमली	80–100	90	2000	180000	15000	
कटहल	500–800	650	500	325000	27083	
सहजन	50–60	55	1500	82500	6875	
अमरूद	80–100	90	700	63000	5250	
चीकू	40–50	45	1000	45000	3750	
जामुन	60–80	70	1000	70000	58333	
कैंथा	60–80	70	600	42000	3500	
बेल	50–60	55	1000	55000	4583	
महुआ	80–100	90	2000	180000	15000	
नीम	50–60	55	500	27500	2291	
करंज	40–50	45	1000	45000	3750	

पौधे हमें मृत्यु के बाद भी जलाऊ/इमारती लकड़ी प्रदान करते है। एक टन का सूखा वृक्ष लगभग 3000–5000 रूपये की जलाऊ लकड़ी/20000–25000 रूपये की इमारती लकड़ी प्रदाय करता है।

1.6 मनरेगा योजना में वृक्षारोपण का प्रमुख उद्देश्यः– मनरेगा गाइडलाइन 2013 के अनुसार योजना का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण व पारिस्थितिक संतुलन के साथ मनरेगा में पात्र हितग्राहियों को उद्यानिकी, रेशम, कृषि वानिकी, खेत वानिकी, एवं वन पौधों के माध्यम से आय में वृद्धि कर उनकी आजीविका से जोड़ा जाना है, ताकि वह मनरेगा योजना में कार्य मॉगने को विवश न होकर स्वयं का रोजगार निर्मित कर परिवार का पालन पोषण कर सकें।

उक्त कार्य के माध्यम से ऐसा वातावरण निर्मित करना है, कि मनरेगा में पात्र हितग्राहियों के खेतों पर ऐसे संसाधन निर्मित हो जाये कि ग्राम वासियों को स्वमेय उनके खेतों पर रोजगार मिल सके व उन्हे पर्याप्त आमदनी प्राप्त हो सके, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकें।

उपरोक्तानुसार यह स्पष्ट है कि हमें मनरेगा योजना में मजदूरों को मजदूरी की श्रेणी से निकालकर बंजर/परत व निजी भूमि का उपयोग सद्पयोग करते हुये स्व–रोजगार निर्मित कर आत्मनिर्भर बनाना है।

अध्याय–2

देश व प्रदेश में वृक्षारोपण का क्षेत्रफल व प्रतिशत

2.1 वृक्षारोपण की स्थितिः–

- एक आकलन के अनुसार विश्व का वन क्षेत्र 11 मिलियन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से घट रहा है, व वनों के विनाश से लगभग 2–10 मिलियन टन कॉर्बन डाई ऑक्साइड वायुमंडल में आ रही है।
- ऊष्णवन अनुसंधान संस्थान जबलपुर के अनुसार भारत में देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 22.44 प्रतिशत भाग(68 मिलियन हेक्टेयर) मे ही वास्तविक रूप से वन वृक्ष है, जबकि पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत भाग में वृक्षों का होना आवश्यक है।
- जबकि मध्यप्रदेश में वास्तविक वनवृक्ष 24.79 प्रतिशत है, जोकि 33 प्रतिशत होना चाहिये अर्थात 8–9 प्रतिशत वन क्षेत्र में वृद्धि करना आवश्यक है।

उपयोग	भारत एवं प्रदेश का क्षेत्रफल मिलियन हेक्टेयर में			
	भारत		मध्यप्रदेश	
	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत
कृषि क्षेत्र	142.10	46.6	19.91	44.9
वन क्षेत्र	68.42	22.4	14.60	32.9 (वास्तविक 24.79)
वर्तमान परती	14.33	4.7	0.72	1.6
अन्य परती	9.70	3.2	0.77	1.7
कृषि परती	14.47	4.8	1.47	3.3
अन्य वृक्ष निकुंज	3.66	1.2	0.02	0.1
चरनोई	11.18	3.7	2.64	6.0
बंजर व अनुपयोगी भूमि	18.97	6.2	1.73	3.9
अन्य क्षेत्र (जिसमें कृषि नही)	22.03	7.2	2.48	5.6
कुल क्षेत्रफल	**304.86**	**100**	**44.34**	**100**

2.2 वृक्षारोपण का मानचित्र पर चित्रण

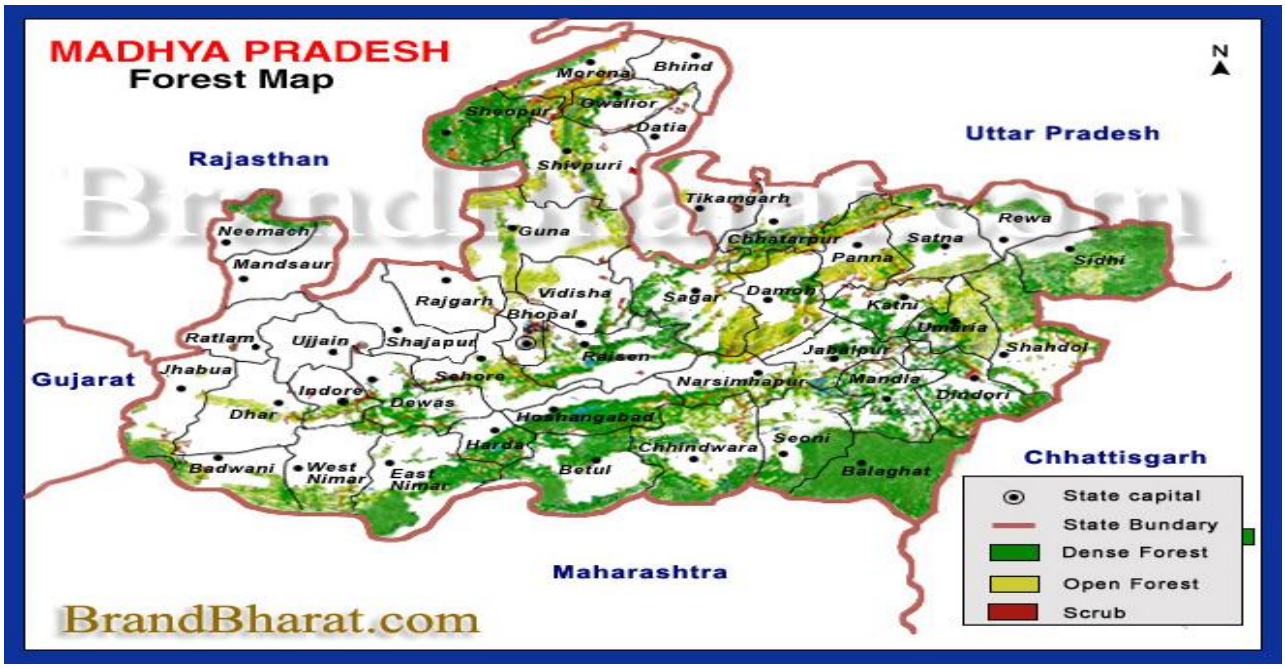

अध्याय–3
वृक्षारोपण की श्रेणियॉं, योजना का निर्माण, प्रकार, पात्र हितग्राही एवं अन्य घटक

3.1 श्रेणी(केटेगिरी) एः– शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण, राजस्व, वन, सड़कों के किनारे, नहरों के किनारें, तालाबों के बंधानो, तटीय क्षेत्रों में मनरेगा के पात्र हितग्राहियों को उपभोग के अधिकार के साथ जोड़कर वृक्षारोपण कार्य कराया जाना है। अर्थात शासकीय भूमि पर भी प्रबंधन कार्य उपभोग के अधिकार के साथ मनरेगा के पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता क्रम में भूमिहीन व अति गरीब व्यक्ति को जोड़कर ही प्रबंधन कार्य का भुगतान 90 प्रतिशत जीवितता प्रबंधन के साथ टॉस्क आधार पर किया जाएगा।

3.2 श्रेणी(केटेगिरी) बीः– निजी भूमि पर उनके स्वामित्व वाली भूमि पर मनरेगा में पात्र हितग्राहियों के यहॉं वृक्षारोपण कार्य उद्यानिकी/वानिकी/कृषि वानिकी /मलबरी पौधरोपण के माध्यम से संपादित कराया जावेगा इसके अंतर्गत भी प्रबंधन कार्य का भुगतान 90 प्रतिशत जीवितता प्रबंधन के साथ टॉस्क आधार पर किया जाएगा।

3.3 पौधरोपण गतिविधि की योजना का निर्माणः–

- आईपीपीई के माध्यम से ग्राम वासियों के साथ मिलकर ग्राम में उपलब्ध संसाधनो, सोसियल मेपिंग, रिसोर्स मेपिंग, सीजनल मेपिंग के आधार पर ट्रॉजिट वॉक करते हुए विस्तृत विचार विमर्श उपरांत मनरेगा में पात्र हितग्राहियों, ग्राम सभा की सहमति से ग्राम में उपलब्ध शासकीय राजस्व/वन भूमि/निजी भूमि पर वृक्षारोपण/उद्यानिकी कार्यो के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों की योजना का निर्माण किया जाना है।
- वृक्षारोपण के संबंध में स्थल का चयन, प्रजातियों का चयन, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का निर्माण उसमें जोड़े जाने वाले, उपभोग का अधिकार प्राप्त करने वाले मनरेगा पात्र हितग्राहियों की सहमति उपरांत ही किया जाना अनिवार्य होगा।
- उनकी सहमति उपरांत ही ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिये।

ग्रामीणों की सहभागिता से आईपीपीई के माध्यम से योजना का निर्माण

3.4 उपभोग का अधिकार किन भूमियों पर होगाः— सामुदायिक, राजस्व भूमि, सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे, तालाबों के किनारे, तटीय क्षेत्रों के साथ ही फॉरेस्ट भूमि पर भी उपभोग का अधिकार प्रदाय किया जावेगा, उक्त अधिकार संबंधित विभाग द्वारा जिसका भू–स्वामित्व/आधिपत्य है उसी के द्वारा प्रदाय किया जावेगा।

3.5 मनरेगा पात्र हितग्राहियों का प्राथमिकता कमः— प्राथमिकता कम निम्नानुसार होगा–

3.5.1 अनुसूचित जाति परिवार

3.5.2 अनुसूचित जनजाति परिवार

3.5.3 आदिम जनजाति परिवार

3.5.4 अधिसूचित अनुसूचित जनजाति परिवार

3.5.5 अन्य गरीबी रेखा वाले परिवार

3.5.6 ऐसे परिवार जिनके मुखिया विकलांग

3.5.7 ऐसे परिवार जिनके मुखिया महिला

3.5.8 भूमि सुधार के लाभार्थी परिवार

3.5.9 इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी परिवार

3.5.10 वन अधिकार अधिनियम 2006,(2 ऑफ 2007) अंतर्गत लाभान्वित हक प्रमाण–पत्र धारक

3.5.11 लघु व सीमान्त कृषक (कृषि श्रण माफी एवं राहत योजना 2008 में यथा परिभाषित)

उपरोक्त कम में भी सबसे अधिक गरीब, भूमिहीन, अत्यधिक जरूरतमंद व्यक्तियों को उपभोग के अधिकार से जोड़ा जाना चाहिये।

3.6 वृक्षारोपण कहॉ–कहॉ किया जा सकेगाः— विभिन्न उद्देश्यों एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर महात्मा गॉधी नरेगा अंतर्गत निम्नानुसार प्रकार से पौधरोपण किये जा सकते है।

3.6.1 खेतों के मेड़ों पर पौधरोपणः— इस विधि से खेतों के मेड़ो में पौधरोपण हेतु स्थानीय परिस्थतियों के आधार पर फलदार पौधे ,जलाऊ लकड़ी हेतु पौधे, पशुओं के घास के रूप में उपयोगी, रेशे युक्त पौधे एवं तेल उत्पादक पौध का रोपण मेड़ों के आधार एवं ढाल के आधार पर स्थानीय परिस्थितियों के लिये उपयुक्त पौधों का रोपण किया जावेगा।

डिंडोरी जिले में सड़कों एवं मेढों के किनारे पौधरोपण

3.6.2 रोड के किनारों/एवेन्यु पौधरोपणः— ऐसे वृक्षों का रोपण जिन्हे रोड के किनारे, नहरों के किनारे एवं रेलवे ट्रेक में सुंदरता, छाया, मृदाक्षरण रोकने, पानी के संरक्षण, धूल, ध्वनि एवं आर्थिक लाभ के लिये पौध रोपण किया जाना है, जिसमें स्थानीय स्तर पर स्थाई रोजगार का सृजन हो सके।

3.6.3 नहरों के किनारे पौधरोपणः— नहरों के किनारे वृक्षारोपण से नहरों में मेड़ों को कटने से बचाना एवं जल के वाष्पीकरण(Water Evoparation) को रोकना।

3.6.4 रेलवे ट्रेक के किनारे पौधरोपणः— रेलवे ट्रेक के किनारे पौधरोपण से मृदा के कटाव एवं यूके लिप्टस प्रजाति के पौधरोपण से जल भराव को रोकना।

3.6.5 संस्थागत पौधरोपणः— संस्थागत पौधरोपण अंतर्गत ऐसे शासकीय संस्थान जैसे स्कूल, ऑगनवाड़ी, हॉस्पिटल, कॉलेज, ग्राम पंचायत भवन , अन्य शासकीय भवन खाली मैदान, मंदिर आदि ऐसे संस्थाओं में पौधरोपण का उद्देश्य जैसे स्कूल में यदि आम का रोपण किया जावे तो बच्चों को पोषण आहार मिले, हास्पिटल में फूलोंवाले पौधों का रोपण से मानसिक तनाव में कमी, इस प्रकार अलग–अलग उद्देश्यों के संस्थानों में पौधरोपण किया जा सकेगा।

रेलवे लाईन के किनारे पौधरोपण

हितग्राहियों के खेतों पर ब्लॉक पौधरोपण

3.6.6 ब्लॉक पौधरोपणः— जब पौधों का रोपण एक निश्चित दूरी पर, निश्चित स्थल पर सघनता के साथ ब्लॉक के रूप में किया जाता है वह वृक्षारोपण सघन अथवा ब्लॉक पौधरोपण कहलाता है। व्यवसायिक उद्देश्य से ब्लॉक के रूप में पौधरोपण किया जाता है ताकि एक निश्चित स्थल से पर्याप्त उत्पादन लेकर आय प्राप्त की जा सके। उक्त प्लांटेशन शासकीय/निजी भूमि पर स्थल उपलब्ध होने की स्थिति में किया जाता है।

3.7 मनरेगा योजना में पूर्व से प्रचलित निम्न योजनाओं में पौधे लगाये जा सकेंगेः—

- ग्रामवन योजना अंतर्गत
- शैलपर्ण योजना अंतर्गत
- सड़कों के किनारे पौधरोपण अंतर्गत
- हरियाली चुनरी योजना अंतर्गत
- नर्मदा परिक्रमा पथ योजना अंतर्गत
- नंदन फलोद्यान योजना अंतर्गत
- रेशम उपयोजना अंतर्गत

अध्याय–4

प्रजातियों का चयन, पौधों का चयन, लगाने की विधि एवं पौधरोपण का समय

4.1 प्रजातियों का चयनः– स्थानीय जलवायु एग्रो क्लाईमेटिक जोन के आधार पर, बाजार की आवश्यकता के आधार पर, जल की आवश्यकता के आधार पर, उपलब्ध भूमि के प्रकार व सिंचाई की सुविधा अनुसार सभी प्रकार की बहुवर्षीय प्रजातियों में से उचित प्रजाति का चयन किया जाना चाहिये।

4.1.1 अनुपयोगी, बंजर, पहाड़ी मुरम वाली मिट्टी होने परः– नीम, शीशम, करंज सागौन, बांस, मुनगा, सीताफल, बेर, ऑवला, अमरूद, ग्वारपाठा का रोपण किया जाना चाहिये।

4.1.2 उपयुक्त समतल मिट्टी वाली भूमि होने परः– आम, जामुन, कटहल, अनार, नीबु, संतरा, मौसम्मी के साथ अनपयोगी बंजर भूमि वाले वानिकी/उद्यानिकी सभी प्रकार के पौधे लगाये जा सकते है।

4.1.3 जल भराव वाले मिट्टी होने परः– अर्जुन, यूकेलिप्टस के पौधे लगाये जा सकते है।

4.2 रोपण हेतु पौधों का चयनः–

- न्यूनतम 2 वर्ष उम्र का पूर्ण परिपक्व पौधा जिसकी उचाई फलदार व कलमी पौधों की न्यूनतम 2.5 फिट व वानिकी पौधों की न्यूनतम उचाई 3.5 फिट होना आवश्यक है।
- शीघ्र बढने वाले पौधे मुनगा, सुबबूल की उम्र 6 माह से अधिक नही होना चाहिये, जिनकी उचाई 1–1.5 फिट हो यदि संभव हो तो गड्ढों में सीधे बीज बुवाई के माध्यम से भी रोपण किया जा सकता है। प्रति गड्ढा 3–4 बीज बोना चाहिये।
- पपीता, केला, व अन्य टिशु कल्चर पौधों की उचाई 6–9 इंच होना चाहिये।
- पौधे पॉलीथिन बैग वाले पूर्णरूपेण शिफ्टेड होना चाहिये, पालीथिन बैग से जड़े बिल्कुल बाहर नही होनी चाहिये न ही कटी हुई होनी चाहिये, पालीथिन बैग का आकार 6x9/9x12 इंच 2.5 फिट उचाई के पौधों का एवं 9x12 इंच 3.5 फिट से अधिक उचाई के पौधे होने चाहिये।
- रोडसाइड हेतु टॉल प्लांट लगाने पर उनकी उम्र न्यनतम 3 वर्ष उचाई 6–7 फिट होना चाहिये व पालीथिन बैग का साइज 12x15 इंच होना चाहिये यदि जमीन में उगाकर व पिंड वाले पौधों का रोपण किया जाना है, ऐसी स्थिति में 6 माह पूर्व के पिंड के रूप में शिफ्टेड पालीबैग अथवा जूट से बंधे हुये पौधे उपयोग में लाना चाहिये, न्यूनतम 6 माह का रेस्ट पीरियड होना आवश्यक होगा, जूट से पौधे की जड़े बाहर निकली व कटी हुई नही होनी चाहिये।

- यदि पौधों का परिवहन अधिक दूरी से किया जा रहा है ऐसी स्थिति में पौधे प्राप्त होने की स्थिति में 7–10 दिन छायादार स्थान में क्यारियों में रखकर भरपूर सिंचाई करनी चाहिये, 10 दिन उपरांत जो पौधे पूर्ण स्वस्थ्य हो जिनकी पत्तियॉ मुरझाई न हो उन्हे रोपण करना चाहिये।

- आमतौर पर पौधों को नर्सरी से लाकर तत्काल 1–2 दिन के भीतर रोपण कर देना चाहिये, व रोपणी पर ही पौधे पूर्व से शिफ्टेड हों तभी लाना चाहिये।
- पौधे किसी भी प्रकार से रोग व कीटों से प्रभावित नही होना चाहिये, पौधा औजस्वी(Vigrous) तेजी से बढ़ता हुआ होना चाहिये।
- एक तने वाले सीधी उचाई वाले ऊपर की ओर फैले हुए पौधे उत्तम रहते है।
- फलदार पौधे गुणवत्ता नियंत्रण के हिसाब से कलमी पौधों का चयन किया जाना चाहिये जोकि शीघ्र फलन देने वाले होते है, यथासंभव गूटी विधि या बडिंग या ग्राफ्टिंग विधि से तैयार होना चाहिये।
- कलमी पौधे क्रय करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि जिस नर्सरी पर उक्त पौधे उत्पादित किये गये है, उनमें उच्च गुणवत्ता वाले मातृ वृक्ष उपलब्ध हों, जिनका सत्यापन करा लिया जावेगा, अन्यथा मातृ वृक्ष उपलब्ध न होने की स्थिति में पौधों का क्रय नही किया जाना चाहिये।
- कलमी पौधों में मिलन बिंदु भूमि से 6–9 इंच ऊपर होनी चाहिये, न ही 6 इंच से नीचे न ही 12 इंच से ऊपर मिलन बिंदु होना चाहिये, साथ ही मिलन बिंदु(Graft Union) अच्छी तरह से जुड़ा हुआ एक वर्ष पुराना होना चाहिये।

4.3 सड़कों के किनारे लगाये जाने वाले वृक्षों में निम्न गुण होने चाहिये:–

- वास्तविक रूप से सदाबहार हों जैसे– आम, शीसम, इमली आदि।
- आकार छतरीनुमा हो जैसे– नीम, महुआ, जामुन।
- रेखीय छत्र वाले नही होने चाहिये जैसे– अशोक पेंडुला, आकाश नीम।
- शाखाओं की वृद्धि करने वाले वृक्षों को प्रधानता देनी चाहिये जो ऊपर की ओर बढ़ सकें।
- खुली हुई तथा परिवर्तित भूमियों में उगने की क्षमता होनी चाहिये।

- कठोर, दीर्घजीवी, सहनशील तथा शीघ्र बढने वाले वृक्षों को प्रधानता देनी चाहिये।
- कम से कम 2–3 मीटर की उचाई तक स्पष्ट तनें वाले होना चाहिये।
- आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायी होने चाहिये।

- जिन वृक्षों की शाखाएँ मुख्य तने से 90 अंश का कोण बनाते हुये निकलती है तथा भूमि के समानांतर फैलती है उन्हे सड़कों के किनारे नही लगाना चाहिये इनसे छाया कम मिलती है तथा सड़कों के आवागमन में बॉधा उत्पन्न होती है।

4.4 मेड़ों में पौधरोपण हेतु पौधों के गुणः–

1. ऐसे पौधे, प्रजातियॉ जो सीधे वृद्धि करने एवं कम छायादार हों ऐसे पौधों प्रजातियों का चयन किया जावे, ताकि फसल उत्पादन प्रभावित न हो।
2. ऐसे पौधों का चयन किया जावे जो किसान के लिये आर्थिक उपयोगी हो एवं फसलों के उत्पादन में किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव पैदा न करें।
3. ऐसे पौधो का चयन किया जावे जो खेत की फसल को प्रभावित न करें, सामान्यतः दलहनी प्रजातियों का चयन हो।
4. ऐसे पौधों का चयन न किया जावे जो फसलों के लिये कीट एवं रोगों में पोषक पौधे हो।
5. ऐसे पौधों का चयन किया जावे जो सूखा रोधी हो एवं फसलों को ठंडी एवं गर्म हवाओं से बचाने हेतु बिन्ड–ब्रेक वायु अवरोधक का कार्य करें।

4.5 पौधा लगाने की विधिः– यह अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि अधिकांश पौधे लापरवाही व कम तकनीकी जानकारी होने के कारण लगाते समय ही मृत हो जाते है। अतः निम्न सॉवधानियॉ अपनाई जानी चाहिये।

- सर्वप्रथम पौधे को लगाते समय पालीथिन बैग से प्रथक करना होता है, यही अत्यधिक सॉवधानी का समय होता है, पालीथिन बैग को ब्लेड की सहायता से काटकर धीरे से हल्के हाथ से अलग करना चाहिये यह सावधानी बरतनी चाहिये कि जड़ों के पास लगी हुई मिट्टी व पिंड फूटने न पायें, अन्यथा यदि पिंड फूट जाता है व जड़ों से मिट्टी अलग हो जाती है तब 50 प्रतिशत तक पौधों के मृत होने की संभावना हो जाती है, यदि पौधा क्रय करते समय पूर्व से शिफ्टेड पौधे प्राप्त नही किये ऐसी स्थिति में भी नवीन पालीथिन बैग भरे जाने के कारण जड़े पूर्णरूपेण से मिट्टी को पकड़ नही पाती है, और पालीथिन अलग करते ही झड़ जाती है।

- यदि पालीथिन बैग काटते समय अधिक मिट्टी झड़ रही हो तब पालीथिन बैग के पौधों को 2–3 दिन पानी न दे व मिट्टी सूखने दें ऐसी स्थिति में पौधों से मिट्टी झड़ना बंद हो जाती है।

- यदि उसके बाद भी मिट्टी झड़ रही हो तब मात्र नीचे की पालीथिन बैग हटायें अथवा नीचे की व आधी पालीथिन हटायें शेष ऊपर की आधी पालीथिन लगी रहने दें, कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि पौधा लगाते समय मिट्टी का पिंडा बिल्कुल भी न टूट पाये।

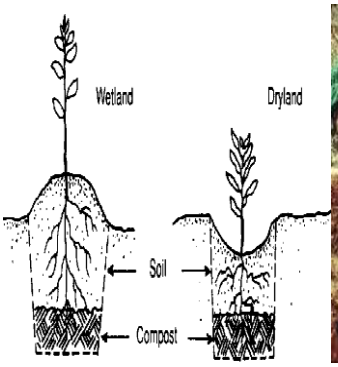

जल भराव वाली ढालदार वाल जमीन पर

पौधा लगाने की विधि

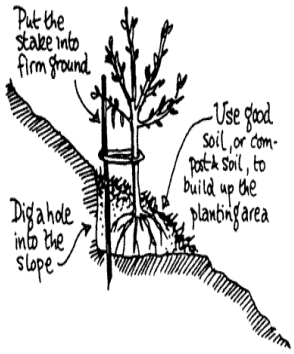

पहाडी पर पौध रोपण विधि

- ढालदार पहाड़ी भूमि पर गड्ढों में पौधा जमीन के लेवल से 3–4 इंच गहरा लगायें व समतल भूमि पर जमीन के लेवल से बराबर अथवा 1–2 इंच ऊपर लगायें साथ ही पौधे के चारों तरफ 1 फिट मिट्टी चढ़ाते हुये थाले का निर्माण कर दें ताकि अधिक वर्षा होने पर व अधिक पानी जमने पर पौधे का तना पानी के संपर्क से दूर रहे, व पानी थाले में जमा न होने पावे, अन्यथा तना व जड़े सड़ जावेगीं व पौधा लगाते ही मृत हो जावेगा।

- पौधा गड्ढे में उतनी गहराई में लगाना चाहिये, जितनी गहराई तक वह पालीथिन की थैली में था, अधिक गहराई में लगाने से तने को हानि पहुॅचती है, कम गहराई में लगाने से जड़े मिट्टी के बाहर आ जाती है, जिससे उनकों क्षति पहुॅचती है।

- पौधा लगाने के पूर्व उसकी अधिकांश पत्तियों को तोड़ देना चाहिये लेकिन ऊपरी भाग की चार –पॉच पत्तियॉ लगी रहने देना चाहिये। पौधों में अधिक पत्तियॉ रहने से वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, अर्थात पौधा पानी अधिक लेता है, पौधा उतने परिमाप में भूमि से पानी नही खींच पाता क्योंकि जड़े क्रियाशील नही हो पाती है, अतः पौधे के अंदर जल की कमी हो जाती है, और पौधा मर भी सकता है।

- पौधे का कलम किया हुआ स्थान अर्थात मूलवृन्त(Rootstock) और सांकुर डाली(Buds) का मिलन बिंदु(Graft union) भूमि से ऊपर रहना चाहिये, इसके मिट्टी में दब जाने से वह स्थान पानी के संपर्क में आ जाने से वह स्थान सड़ जाता है और पौधा मर सकता है।

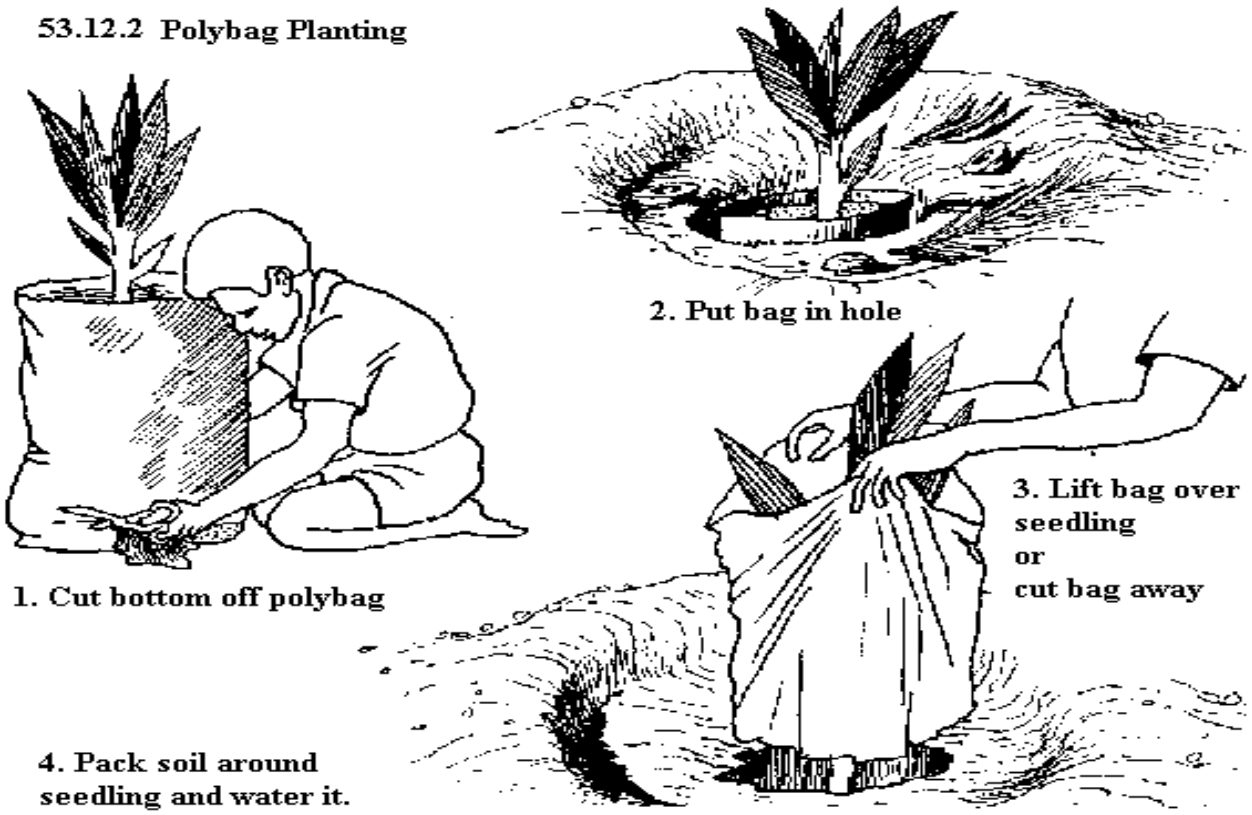

पौधों से पॉलीथिन बैग अलग कर पौधरोपण

- जोड़ की दिशा दक्षिण–पश्चिम दिशा की ओर रहना चाहिये। ऐसा करने से तेज हवा से जोड़ टूटता नहीं है।
- पौधा लगाने के पश्चात् उसके आस–पास की मिट्टी अच्छी दबा देनी चाहिये, जिससे सिंचाई करने में पौधा टेढ़ा न हो जाए, साथ ही मिट्टी जड़ो से चिपक जाये।
- पौधा लगाने के तुरंत बाद ही सिंचाई करनी चाहिए, ताकि जड़ों के पास की हवा बाहर निकलकर मिट्टी जड़ो से भलीभांति चिपक जाये।
- जहॉ तक संभव हो पौधे सायंकाल लगाये जाने चाहिये, साथ ही जिस दिन बादल छाये हों धूप कम हो वर्षा होने की संभावना हो, पौधे लगाना उत्तम रहता है।

गड्ढे की खुदाई | खाद व उर्वरक डालना | मिश्रण बनाना | गड्ढों की भराई

पौधों का रोपण

तत्काल सिचाई व्यवस्था

पौधे को सहारा देना

थाला निर्माण करना

4.6 पौधरोपण का समयः— सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर वर्ष में दो बार प्रथम वर्षा आरंभ होने पर जून—जुलाई माह एवं द्वितीय फरवरी—मार्च माह में पौध रोपण किया जा सकेगा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल भराव वाली भूमि पर वर्षा ऋतु समाप्त होने पर सितंबर माह में पौधरोपण किया जा सकेगा(मनरेगा योजना में कोई भी वृक्षारोपण बगैर सिंचाई सुविधा के नही किया जावेगा)

4.7 प्लांटिंग बोर्ड की सहायता से पौधों का रोपण एवं लेआउटः—

प्लांटिग बोर्ड या रोपण फलक 1.5 मीटर लंबा 15 से. मी. चौड़ा और 2.5 से. मी. मोटा लकड़ी का तख्ता होता है, जिसके मध्य भाग में और दोनों सिरो पर कोण के आकार के कटाव होते है, लकड़ी सीधी व मजबूत होनी चाहिये, उपयोग रेखांकन के समय पौधे के स्थान पर खूँटी लगा दी जाती हैं। इस खूँटी पर तख्ते का मध्य कटा भाग मिलाकर तख्ते के दोनो सिरों के कटाव पर खूँटियॉ लगा दी जाती है, और तख्ता अलग कर दिया जाता है, मध्य खूँटी उखाड़ कर गड्ढा तैयार किया जाता है। गड्ढे में मिट्टी आदि भरकर पौधा लगाने के पूर्व तख्ता पूर्व की स्थिति में रखना चाहिये, तख्ते के दोनों सिरों के कटाव में लगाई गई खूटियॉ मार्गदर्शन का कार्य करती है, पौधे का स्थान तख्ता के मध्य स्थान पर बने हुये कटाव पर होना चाहिये। फलक का उपयोग इस दृष्टि से किया जाता है कि पौधा अपने निश्चित स्थान पर ही लगे जहॉ पर प्रथम खूँटी लगाई गई थी। अतः लेआउट के समय गड्ढा खुदाई के पूर्व यह प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये।

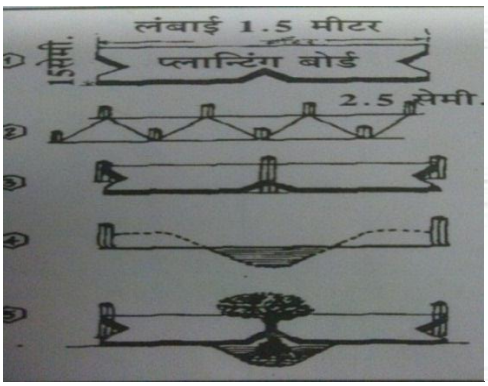

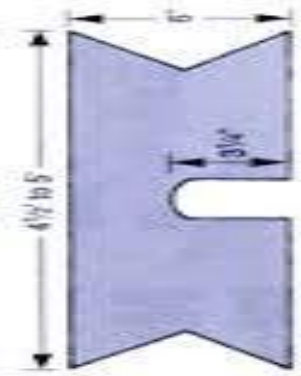

प्लांटिंग बोर्ड की सहायता से पौधरोपण

अध्याय–5
वृक्षारोपण हेतु भूमि का सर्वे, मिट्टी परीक्षण एवं रेखांकन

5.1 भूमि का सर्वेक्षणः– भूमि का ढलाव उचाई आदि ज्ञात करने के लिये भूमि सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है। भूमि सर्वेक्षण से स्थलाकृति(Topography) ज्ञात हो जाती है। इस हेतु टॉपोग्राफी कंटूर मेप तैयार किया जाता है।

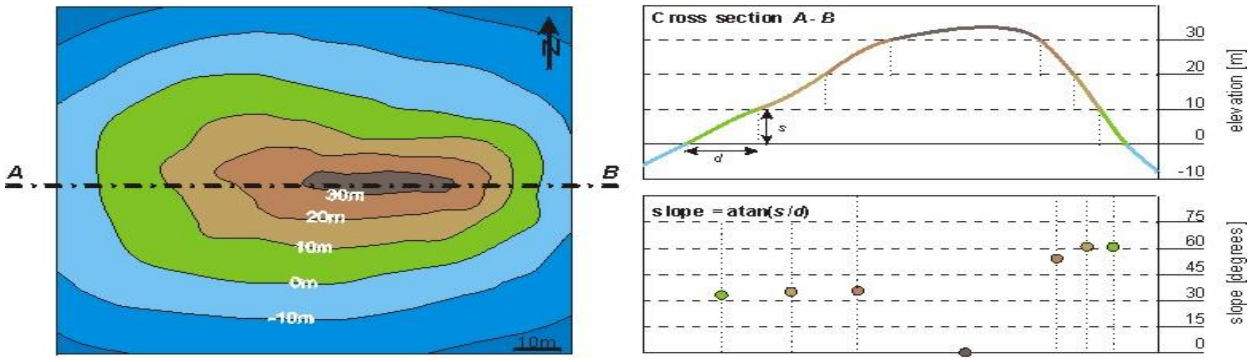

5.2 मिट्टी परोक्षणः– भूमि सर्वेक्षण के साथ ही मिट्टी परिक्षण कराया जाना भी आवश्यक है, जिससे की भूमि की भौतिक तथा रसायनिक स्थिति और उर्वरा शक्ति ज्ञात हो जाती है साथ ही भूमि का पीएच जीवांश, पोषक तत्वों की मात्रा, घुलनशील लवण की मात्रा ज्ञात हो जाती है।

5.2.1 मिट्टी परोक्षण हेतु मिट्टी का नमूना लेने की विधिः–

- नमूने भूमि के क्षेत्र के अनुसार कम से कम 10–15 स्थानों से एकत्रित करें।
- जिस स्थान से नमूने लेना हो वहॉ के ऊपर की घॉस आदि साफ कर दें, जिससे कि वह मिट्टी के साथ न मिल पाये।
- भूमि के चुने हुये स्थानों पर गड्ढा खोदकर उनमें से भूमि की सतह से लेकर 15 से. मी. की गहराई तक की मिट्टी एकत्रित करें।
- सभी स्थानों की मिट्टी को मिलाकर तथा महीन पीसकर कपड़े की थैली में भरकर प्रयोगशाला में भेज दें।

5.3 लेआउट प्लानः– पौधरोपण हेतु लेआउट की निम्नानुसार पॉच पद्धतियॉ अपनाई जाती है।

5.3.1 वर्गाकार पद्धति(Square system):- इस विधि में पौधे वर्ग के प्रत्येक कौने पर लगाये जाते है, वर्गाकार विधि से लगाये गये पौधों में उद्यानिकी क्रियायें संपन्न करने में सरलता होती है।

5.3.2 आयताकार पद्धति(Rectengular System):- इस विधि में कतार व पौधे की दूरी अलग–अलग होती है, निश्चित दूरी पर आयत बना कर उसके चारों कौनों पर पौधे लगाये जाते है।

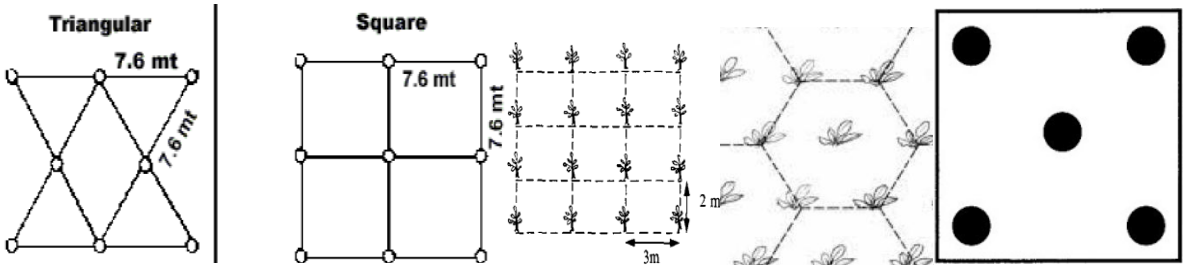

त्रिभुजाकार वर्गाकार आयताकार षटभुजाकार पंचवृक्षी

5.3.3 त्रिभुजाकार या षटभुजाकार पद्धति(Tringular or Hexagonal system):- इस विधि में खेत में समित्रबाहु त्रिभुज बनाकर उसके कोनों पर पौधे लगाये जाते है, त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतर समान होता है। षटभुजाकार विधि में षटभुज बनाकर षटभुज के छः कोनों पर तथा मध्य में एक अतिरिक्त पौधा लगाया जाता है। इस विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक पौधे लगाये जा सकते है।

5.3.4 पॅचवृक्षी या पूरक पद्धति(Quincunx system):- यह वर्गाकार विधि का परिवर्तित रूप है, वर्ग में मध्य स्थान पर पॉचवां पौधा लगाया जाता है, इस विधि द्वारा वर्गाकार विधि की तुलना में 72 से 92 प्रतिशत अधिक पौधे लगाये जा सकते है। इस विधि में जुताई आदि कियाओं में कठिनाई उत्पन्न होती है।

5.3.5 समोच्य रेखा या कंटूर पद्धति(Contour system):- यह विधि अधिक ढलावदार भूमि पर अपनाई जाती है, पौधों की कतारें समान ढाल पर लगायी जाती है, जोकि ढाल के समकोण पर होती है, पौधे वर्गाकार या आयताकार विधि से ढाल के अनुसार लगाये जा सकते है, पौधरोपण में पहले पीढ़ियॉ या टिरेसेस बनाई जाती है।

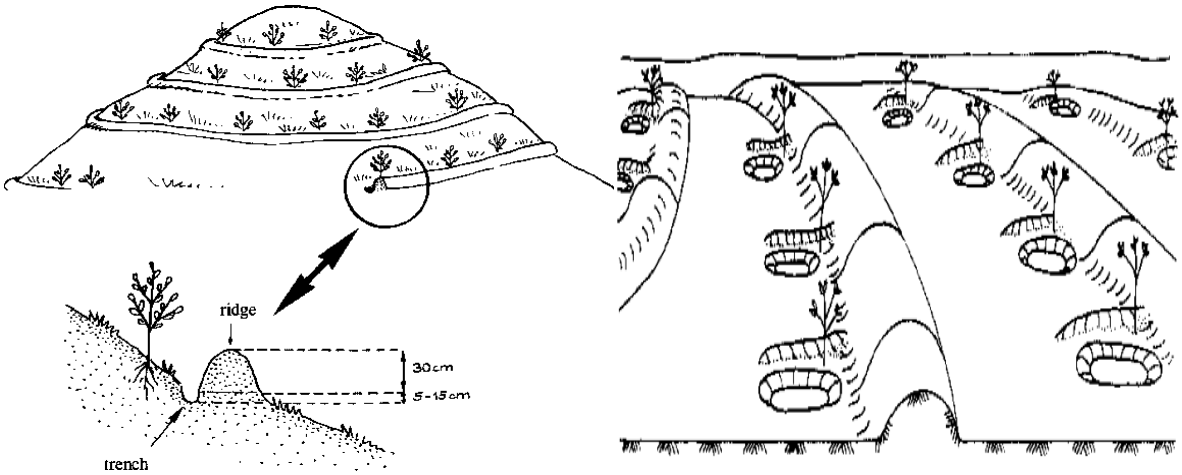

5.4 विभिन्न दूरी पर विभिन्न पद्धतियों में पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयरः—

विभिन्न दूरी पर विभिन्न पद्धतियों में पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर			
पौधों की दूरी(मी.)	प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या		
	वर्गाकार पद्धति	त्रिभुजाकार/षटभुजाकार पद्धति	पंचवृक्षी पद्धति
2X2	2500	2875	4901
3X3	1111	1276	2135
4X4	625	718	1201
5X5	400	460	761
6X6	277	319	502
7X7	204	234	373
8X8	156	179	300
9X9	123	141	223
10X10	100	115	181
11X11	83	95	147
12X12	69	79	125

5.5 रेखांकन करने का तरीकाः— किन्ही दो पद्धतियों से रेखांकन करने के लिये एक आधार रेखा निश्चित की जाती है, यह रेखा मुख्य सड़क, सहायक सड़क निवास या अन्य बगीचों के समांतर होनी चाहिये। सर्वप्रथम उचित दूरी छोड़कर आधार रेखा के दोनों सिरों पर समकोण बनाकर सीधी रेखा बनाई जाती है, आधार रेखा पर समकोण 3,4,5 मी. के अनुपात में बनाया जाता है। इस प्रकार तीन रेखायें निश्चित हो जाती है। अन्य रेखाएँ दूरी की आवश्यकता अनुसार आधार के समांतर बनाई जाती है, इन रेखाओं पर निश्चित दूरी पर खूटियॉ लगा दी जाती है।

5.6 रेखांकन हेतु आवश्यक उपकरणः—

- **रैजिंग रॉड(Ranging Rod)**:— लकड़ी बॉस या स्टील का बना हुआ खम्भे के आकार का 2 से 3 मीटर ऊॅचा होता है। सीधी रेखा प्रक्षेत्र में बनाने के लिये उपयोग किया जाता है।
- **कास स्टॉफ(Cross Staff)**:— धातु का बना हुआ चार भुजाओं वाला होता है, जिसमें लमबवत् स्लिट लगी होती है। यह स्लिट देखने के काम में आती है। यह स्टैंड पर रखा हुआ स्थिर रहता है। एक निश्चित स्थान से 10 अंश का कोण बनाते हुए रेखाएँ बनाने के उपयोग में आता है।

सब्बल

कॉस स्टॉप

खूँटियां

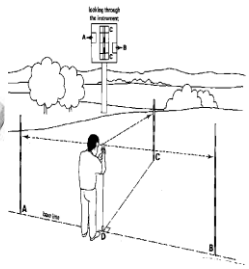
रेखांकन तरीका

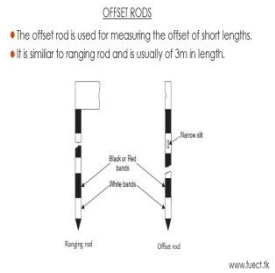

रैजिंग रॉड

- **फीता या टेप(Tape)**:– धातु, प्लास्टिक या रेशे का बना हुआ होता है, जिसमें मीटर, सेन्टीमीटर, फीट तथा इंच के निशान होते है। लम्बाई नापने के काम में आता है।
- **सब्बल या कोबार(Crow bar)**:– यह ठोस लोहे का बना होता है। विभिन्न लम्बाई तथा मोटाई में बनाया जा सकता है। यह आधा मीटर से दो मीटर लम्बा होता है।
- **खूटियॉ या पेग्स(Pegs)**:– लकड़ी, बॉस या लोहे से तैयार की जाती है। ये आधा मीटर से एक मीटर लम्बी हो सकती है। क्षेत्र में निशान बनाने के काम में आती है।
- **रस्सी(Rope)**:– यह नारियल के रेशे या नायलॉन की बनी हुई होती है। सीधी रेखा बनाने और बॉधने के काम आती है।

उपरोक्त उपकरण के अलावा रेखांकन में चूने की आवश्यकता भी निशान अंकित करने हेतु होती है।

अध्याय–6
विभिन्न प्रजातियों के पौध रोपण का अंतर, गड्ढो का आकार, खाद उर्वरक की मात्रा एवं हाई डेन्सिटी प्लांटेशन

6.1 विभिन्न फल वृक्षों के रोपण का अंतर तथा गड्ढों का आकार एवं गड्ढों में भरने हेतु खाद उर्वरक की मात्राः–

विभिन्न फल वृक्षों के रोपण का अंतर तथा गड्ढों का आकार एवं खाद उर्वरक की मात्रा								
फलों का नाम	दूरी (मीटर)	गड्ढों का आकार (मीटर)	गोबर की खाद किलो में (कि. में) गड्ढों के साथे	सिंगल सुपर फॉस्फेट (कि. में) गड्ढों के साथ	म्यूरेट पोटास (किलो में) गड्ढों के साथ	क्लोरोपाइरी फॉस डस्ट या एल्ड्रिक्स चूर्ण 5 प्रतिशत (किलो में) गड्ढों के साथ	डीएपी (किलो में) सितंबर व फरवरी माह में	यूरिया (किलो में) सितंबर व फरवरी माह में
आम, कटहल, ऑवला, जामुन, खिरनी, इमली	8X8 या 10X10	1X1X1	30–40	1.000	0.500	0.100	0.100	0.050
,अमरूद, नीबु, चीकू संतरा, मौसम्मी, बेर,बेल	6X6	0.6X0.6X0.6	20–30	0.500	0.250	0.050	0.100	0.050
सीताफल, मुनगा, अनार, अंजीर, बांस, फालसा, करोंदा	4X4	0.5X0.5X0.5	20–30	0.400	0.200	0.050	0.100	0.050
अंगूर	2X3	0.5X0.5X0.5	20	0.250	0.125	0.025	0.050	0.025
पपीता, केला	2X2	0.4X0.4X0.4	10	0.250	0.125	0.025	0.050	0.025
नीम, शीशम करंज, व अन्य वानिकी पौधे	6X6	0.6X0.6X0.6	20–30	0.500	0.250	0.050	0.050	0.025

6.2 पौधरोपण के एक वर्ष उपरांत वर्षवार दी जाने वाली खाद् उर्वरक की मात्राः–

फलों का नाम	वर्ष	गोबर की खाद किलो में (कि. में) जून–जुलाई माह में	डीएपी (किलो में) जून–जुलाई व फरवरी माह में दो भागों में बांटकर	म्यूरेट पोटास (किलो में) जून–जुलाई व फरवरी माह में दो भागों में बांटकर	यूरिया सितंबर व फरवरी माह में (किलो में) जून–जुलाई व फरवरी माह में दो भागों में बांटकर	क्लोरोपाइरी फॉस डस्ट या एल्ड्रिक्स चूर्ण 5 प्रतिशत (किलो में) फरवरी या मई या दीमक का प्रकोप होने पर
फलदार पौधों में	द्वितीय	10	0.100	0.150	0.050	0.025
	तृतीय	20	0.150	0.200	0.075	0.050
	चतुर्थ एवं पंचम	30	0.200	0.250	0.100	0.050
वानिकी पौधों में	द्वितीय	10	0.050	0.075	0.025	0.025
	तृतीय	15	0.075	0.100	0.050	0.050
	चतुर्थ एवं पंचम	20	0.100	0.150	0.050	0.050

6.3 मेडोऑर्चड्स(Meadoworchard)/हाईडेन्सिटी प्लांटेंशनः–

इस पद्धति के अंतर्गत पौधों को कम दूरी पर 2x2, 3x3, 3x2, 2x1, 4x4 मीटर पर लगाया जाता है, इसमें पति हेक्टेयर पौध संख्या अधिक होने पर प्रारंभ के वर्षों में अधिक फल प्राप्त होने पर भरपूर आमदनी प्राप्त की जाती है इसके तहत पौधों को प्रारंभ से ही उचित कटाई–छटाई करते हुये नियंत्रण में रखा जाता है। वानिकी पौधों में भी उक्त विधि से शीघ्र अतिशीघ्र वनों का आच्छादन किया जा सकता है साथ ही कुछ प्रतिशत में पौधे मृत होने पर भी बंजर व अनुपयोग भूमि को हरा–भरा रखा जा सकता है। इस विधि में आम के पौधों को 2x2, 2.5x2.5, 3x3 मीटर एवं अमरूद के पौधों को भी 3x3, 3x2, 3x1 मीटर व अन्य वानिकी पौधों को 2x2, 2.5x2.5, 3x3, 4x4 मीटर पर लगाया जा सकता है।

अध्याय–7

मध्यप्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र, अनुशंसित उद्यानिकी–वृक्षारोण की प्रजातियॉ एवं उपयुक्त किस्म

7.1 मध्यप्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र एवं उद्यानिकी फसलें:–

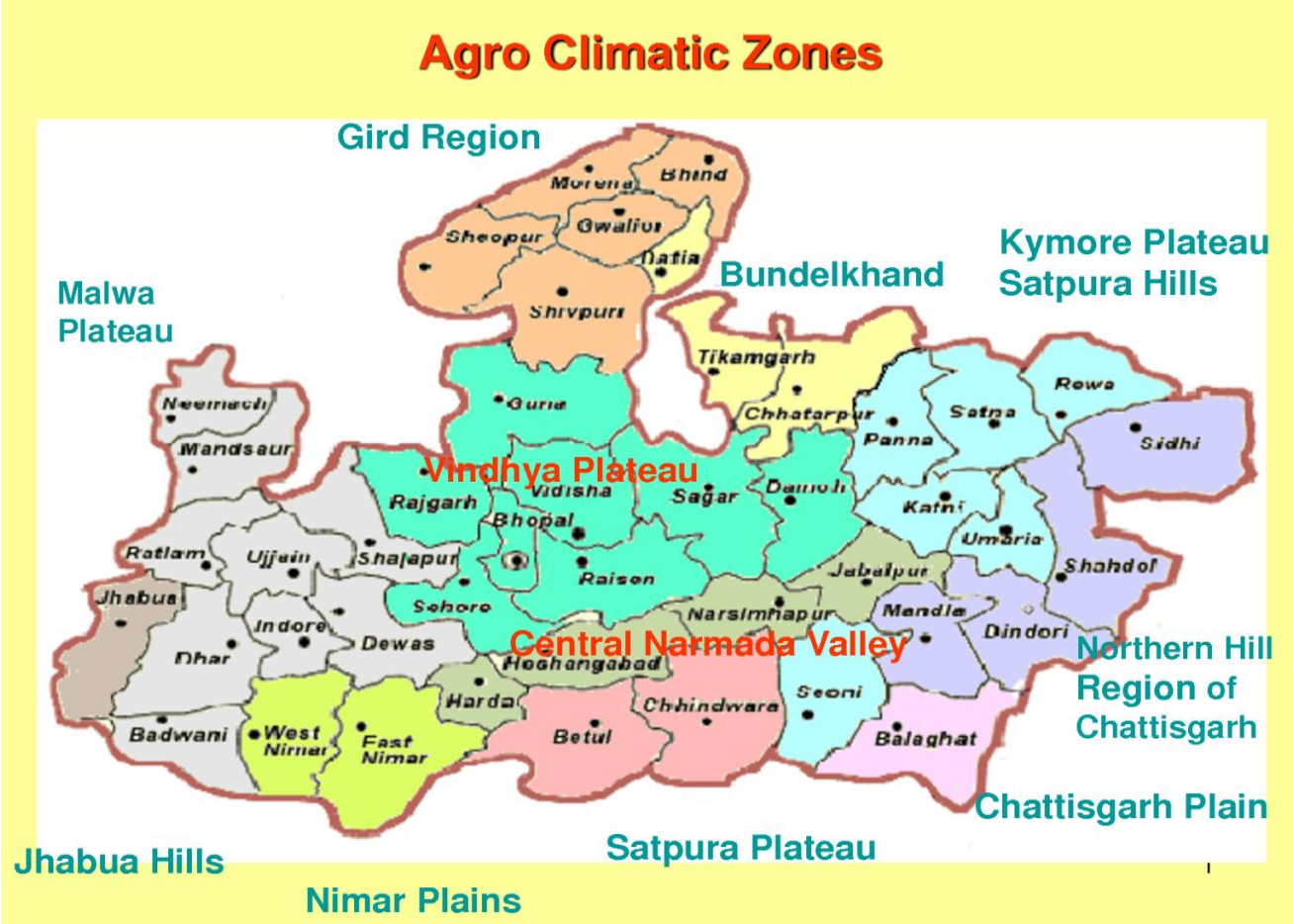

क.	कृषि जलवायु क्षेत्र का नाम	औसत वर्षा	मृदा का प्रकार	जिलों का नाम	अनुशंसित फसलें
1	छत्तीसगढ का मैदानी क्षेत्र	1200 से 1600	बलुई दोमट एवं हल्की काली	बालाघाट	आम, चीकू, अमरूद, नीबू, वंशीय फल, केला, पपीता, अनानास, ऑवला, कटहल, बेर
2	छत्तीसगढ का उत्तरी पहाड़ी	1200 से 1600	लाल एवं पीली,	शहडोल, सीधी एवं मण्डला डिंडोरी	नासपाती, आडू, लीची, आम, कटहल

	क्षेत्र		मध्यम काली		
3	केमूल का पठार एवं सतपुड़ा	1100 से 1400	हल्की काली संग लाल मिट्टी	रीवा, सतना, पन्ना, सिवनी, उमरिया, कटनी	आम, अमरूद, नीबू, वंशीय फल, बेर, ऑवला
4	मध्य नर्मदा घाटी	1200 से 1600	गहरी काली एवं बलुई दोमट	जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा	आम, नीबू, वंशीय फल, अमरूद, ऑवला, पपीता
5	विंध्य का पठार	1200 से 1400	मध्यम काली एवं कणाकार	भोपाल, सीहोर, रायसेन, गुना, विदिशा, सागर, एवं दमोह	आम, चीकू, अमरूद, नीबू, वंशीय फल, केला, पपीता, अनानास, ऑवला, कटहल, बेर
6	गिर्द क्षेत्र	800 से 1000	एल्युबियल हल्की दोमट	भिण्ड, मुरेना, ग्वालियर, शिवपुरी	नीबू, वंशीय फल, अमरूद, सीताफल, ऑवला, बेर
7	बुन्देलखण्ड का क्षेत्र	800 से 1400	मिश्रित लाल एवं काली	छतरपुर, दतिया, टीकमगढ, पन्ना	नीबू वंशीय फल, अमरूद, बेर, मुनगा ऑवला, कटहल,आम, चीकू, अनार, करोंदा, पपीता
8	सतपुड़ा का पठार	1000 से 1200	हल्की काली कणाकार	बैतूल एवं छिंदवाड़ा	नीबू, वंशीय फल, आम, अमरूद, बेर
9	मालवा का पठार	1000 से 1200	मध्यम काली कणाकार	शिवपुरी, गुना, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, इंदौर, एवं देवास	नीबू, वंशीय फल, अंगूर, चीकू अमरूद, अनानास
10	निमाड़ का मैदानी क्षेत्र	800 से 1000	मध्यम काली	खण्डवा, खरगोन, कुक्षी, मनावर, धार	आम, केला, अंगूर, पपीता, चीकू, नीबू, वंशीय फल, अमरूद, अनानास
11	झाबुआ की पहाड़ी	800 से 1000	मध्यम काली, कणाकार एवं हल्की मध्यम	झाबुआ	नीबु, वंशीय फल, बेर, अमरूद, ऑवला, सीताफल, अनानास

7.2 सामाजिक वानिकी संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुशासित जलाऊ लकड़ी व चारा उत्पादन की प्रजातियॉः–

श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोक नगर टीकमगढ			
क.	मिट्टी का प्रकार	जलाऊ लकड़ी की प्रजातियॉ	पशुओं हेतु चारे की प्रजातियॉ
1	ऊसर भूमि	सुबबूल, बबूल, बेर नीम , करंज, नीलगिरी, विलायती बबूल	सुबबूल, स्टायलो, बबूल, अगस्त, घास–हेज, लुसन
2	कंकड़ नोडयुक्त भूमि	नीम	सुबबलूल, शेवरी, घास–सैन
3	बीहड़ क्षेत्र की भूमि	बबूल, अकेशिया, टॉटालीस, सिस्सु, खैर,	स्टॉयलो, घास–पीला अंजन, सैन
4	चट्टानों के ऊपर की उथली भूमि (1–2 फिट गहरी)	खैर, विलायती बबूल, रऊॅझा, बेर, अंकेशिया, टाटीलीस, लेंडियॉ	स्टायलो घास–सैन छोटीमारवेल
5	मुरम मिट्टी	सिसु, केसिया, आकाशमोनो, धावड़ा, काला सिरस, नीम, नीलागिरी	स्टायलो, सुबबूल, घास–दीनानाथ, पीला अंजन, सैन
धार, देवास, राजगढ एवं झाबुआ			
1	लाल मिट्टी गहरी मुरम जमीन	आकाशमोनो, नीलगिरी, नीम, कालासिरस, कोसिया, सयामिया, सिस्सु, रांदेसरा, कस्टार, सुबबूल	सुबबूल, शेवरी, अगस्त, स्टायलो घास– दीनानाथ, सैन, घास–मुशन
2	उथली मुरूमी जमीन	आकाशमोनो, विलायती बबूल, नीलगिरी, सिस्सु, खैर	स्टायलों, मुनगा घास–पीला, अंजन, सैन
3	सख्त मुरूमी पथरीली जमीन	विलायती बबूल, रेउंझा, बेर, खैर	घास–सैन, पीला, अंजन
सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, दमोह, पन्ना, छतरपुर			
1	लाल मिट्टी गहरी मुरम जमीन	आकाशमोनो, खमेर, धावड़ा, नीलगिरी, नीम, कालासिरस, सफेदसिरिस, सिस्सु, सुबबूल	सुबबूल, शेवरी, अगस्त, स्टायलो घास–पीला, अंजन, सैन, दीनानाथ
2	उथली मुरूमी जमीन	आकाशमोनो, विलायती बबूल, सिस्सु, संदेसरा, नीलगिरी, केसिया, खैर	स्टायलों, मुनगा घास–पीला, अंजन, सैन
3	सख्त मुरूमी पथरीली जमीन	विलायती बबूल, रेउंझा, बेर, खैर	घास–सैन
मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, हरदा, बैतूल, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, डिण्डोरी			
1	मुरूमीली जमीन(उथली)	आकाशमोनो, विलायती बबूल ,सिस्सु, नीलगिरी, खैर	स्टायलों–घास–पीला, अंजन, सैन
2	सख्त मुरूम पथरीली जमीन	विलायती बबूल, रेउंझा, बेर, खैर	घास–सैन
बालाघाट			
1	सख्त मुरूमी एवं गहरी मिट्टी	गरारी, आकाशमोनो, यूकेलिप्टस, नीम ,सिस्सु, नीलगिरी, खैर	सुबबूल, स्टायलों, मुनगा घास–सैन, पोनिया

7.3 सामाजिक वानिकी अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों हेतु चयनित की जाने वाली विभिन्न प्रजातियॉः–

वृक्षारोपण के प्रकार	चयनित की जाने वाली प्रजातियों
रोड के किनारे	आम, शीशम, इमली, नीम, महुआ, जामुन, कचनार, अमलताश, किल–बिली, नीलीगुलमोहर, यूकेलिप्टस, कमरख, रायल पाम, अशोक, कटहल,
औद्योगिक क्षेत्रों	पार्किनसोनिया, सुबबूल, अगस्त, करंज, अर्जुन, गुलमोहर,ऑवला, युकेलिप्टस, शीशम, सागौन, आम, इमली, कटहल, महुआ, बांस
खनन क्षेत्रों	बबूल, हल्दु, बेल, महानीम, सिरिस, महुआ, नीम, कचनार, सेमल, अमलतास, सरू, कपोक, सिस्सु, पंगारा, यूकेलिप्टस
मरूस्थलीय क्षेत्रों	जरबेरी, बेर, खैर, कैथा, लसौरा, बबूल, खजूर, ताड़, सीताफल, विलायती इमली, पीलु, जोजोबा, कुंभी, सिरिस, महानीम, नीम, बांस, केजुराइना,गुग्गुल,
कालोनियों	गुलमोहर, कचनार, अमलताश, जैकेरैन्डा, पीली गुलमोहर, प्राइड ऑफ इंडिया, यूकेलिप्टस आकाश नीम, पार्किया, नीम, आम, चम्पा, कैजुआरीना, आशोक, वकुल, वर्षा वृक्ष वरूण तथा सरू आदि
चिकित्सालय	नीम, आकाश नीम वकुल, गुल–ए चीन, सुल्तान चंपा, गंधराज, चितयन, चाल्ता, कनकचंपा, करूआ, हिम चंपा, मेसुआ फेरिया आदि
रेलवे स्टेशन एवं बसस्टैंड	अशोक, सीता अशोक, पुत्रंजीव, वर्षा वृक्ष, बरगद, पीपल, पाखड़, आकाशनीम, वकुल, मौलश्री, भिंडी वृक्ष, झॉड़ फनूस, महानीम, ऑस्ट्रेलियन बबूल, बकायन, आम , नीम, सिरिस तथा कदम्ब आदि
चौक स्थल	बरगद, आम, अर्जुन, सीमा अशोक, सामान्य अशोक , ऑस्ट्रेलियन बबूल, अमलतास, पंगारापेल्टाफोरम, गुलमोहर, नीम
स्मारक तथा ऐतिहासिक स्थल	मॉखन कटोरी(फाइकस कृष्णा), वायोबाब, ट्रेवलसट्री, झॉड़ फानुस, कदम्ब, तोपगोला(कोराउ पिटा ग्यानेनसिस),
सुरक्षा पट्टियॉ (Shelter Belts)	बबूल, सिरिस, नीम, केजुराइना, सिस्सु, बेर, जामुन, देशी आम, कमरख, विलायती इमली, गूलर, शहतूत, शीशम,
धार्मिक स्थलों व मंदिर	बड़ी चंपा, चंपा, मौलश्री, आकाशनीम, सीता अशोक, नीम, कदम्ब, गुल– ए चीन, बरगद,पीपल, आम, मॉखन कटोरी, बेल, ऑवला, पुत्रंजीवा, सिंदूर, गुड़हल, चॉदनी, गुलाब।
मस्जिद	समी, अशोक, करंज, पुत्रंजीवा, खजूरताड़, थूजा, पीलु (सैलबेडोरा ओलिआइडीज)

चर्च,	क्रिसमस ट्री, अर्महस्टिया, बाटलब्रश, क्यूप्रेसिस पुत्रंजीवा, सीता अशोक
शासकीय कार्यालय	मौलश्री, खिरनी, चंपा, आलस्टोनिया, अमलतास गुलाबी कचनार, गुलमोहर, कदम्ब, आम, प्राइड ऑफ इंडिया
शैक्षणिक संस्थान	नीम, बरगद, सीता अशोक, पीली गुलमोहर, आम, बादाम, जूनीपेरस
आवास भूमि	आम्रपाली, मल्लिका आम, नीबु अनार, अमरूद, मीठी नीम, मुनगा, संतरा, मोसम्मी, सीताफल, चीकु, कमरख,
नदी, नाले तथा तालाब के किनारों पर	आकाश नीम, अर्जुन, प्राइड ऑफ इंडिया, कदम्ब, कचनार, आम, जामुन, कमरख, अमरूद, बरगद, पीपल, यूकेलिप्टस, बेल, बरगद।
जलमग्न क्षेत्रों में	अर्जुन(कोहा), यूकेलिप्टस, डीजल(बेरिंगटोनियाएकुटेंगुला), पनयाला (बिसफिया जवानिका), अकेशिया टॉर्टटलिश, नीलोटिका, प्रोसोपिस ज्यूली फ्लोरा, एजेडिरेक्टा इंडिका
सार्वजनिक पशुचारा	सुबबूल, सिरिस, जामुन, गूलर, आम, बेर, खेजरी, कदम्ब, सेमल, मुनगा, करोंदा, पीपल, बकायन, पाखड़, ऊमर, नेपियर घॉस, अंजन घॉस, दूब घॉस,

उपरोक्त के अलावा अनुपयोगी बंजर भूमि पर उपभोग के अधिकार के साथ आय प्राप्त करने हेतु अन्य बहुवर्षीय औषधि पौधे सतावर, गुग्गुल, ग्वारपाठा, सनाय, कोंच, कलिहारी, हर्र, बहेड़ा का वृक्षारोपण किया जा सकता है, साथ ही भूक्षरण कटाव को रोकने के साथ उक्त भूमि पर लेमनग्रास, सिट्रेनला, पामोरोजा, चारा प्रजातियों का रोपण किया जा सकेगा। मनरेगा योजना में वृक्ष प्रजातियों के चयन में यह आवश्यक होगा कि बहुवर्षीय सभी प्रकार के पौधे उक्त भूमि व जलवायु की अनुशंसा व स्थानीय मॉग व सफलता अनुसार शामिल किये जा सकतें है।

7.4 विभिन्न फलदार पौधों का चयन एवं उपयुक्त किस्मों का विवरणः—

क्र	प्रजातियों का नाम	उपयुक्त किस्में
1	आम	दशहरी, लंगड़ा, सफेदा, तोतापरी, बॉम्बे ग्रीन, चौसा, सुंदरजा, गाजरिया, आम्रपाली, मल्लिका, अरका अनमोल, करेला, दहियर,
2	अमरूद	इलाहाबादी सफेदा, लखनउ 49 , सीड्स लेस, एप्पल अमरूद, थाइलैंड अमरूद
3	नीबू	कागजी , सीडलेस,
4	संतरा	नागपुरी संतरा, कुर्ग, किन्नो
5	मोसम्मी	न्यूसेलर, चौवन्नी छाप
6	पपीता	रेडलेडी, ताईवानी 786, सी ओ 3, सी ओ 7, माधुरी(बाजार मे मात्र

		ताईतानी पपीता की मॉग है)
7	केला	बसराई बोना या भुसावली, पुवन या चंपा या मेसूर, रसथैली, मुथैली, नेन्द्रिन/रजैली, रोबस्टा लेक्टीन, बत्तीसा अथवा टिशु कल्चर की प्रजातियॉ
8	अंगूर	परलेट, अनावेशाही, थॉमशन सीड्स लेस/बेदाना, पूसा सीड्स लेस, ब्यूटी सीड्सलेस, थॉमसन गनेश
9	कटहल	रूद्राक्षी, खाजा, सिंगापुर, मुत्तम बारिखा
10	बेर	उमरान, कैथली, सैनूर, सेव, बनारसी कड़ाका, नरमा, गोला, दन्दान, जोगिया, नाजुक, देशी अलवर, मूलिया एवं एप्पल बेर
11	ऑवला	बनारसी, चकैया, फ्रॉन्सिस, कृष्णा, कंचन, नरेन्द्र 7
12	अनार	गनेश, बेदाना, ढोलका, कंधारी, ज्योति, लालिमा, एवं टिशु कल्चर
13	सीताफल	मेमाथ, बालानगर, बिट्रिश ग्वाइना, हैदराबादी हाईब्रिड
14	बेल	कागजी, देशी, नरेन्द्र बेल 5, एवं 9
15	चीकू	काली पट्टी, छतरी, क्रिकेट बाल, पाला,
16	मुनगा	जापना, चाबकचेरी, हैदराबादी हाईब्रिड

अध्याय–8
वृक्षारोपण प्रबंधन कार्य

8.1 भूमि का प्रकारः– ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध बंजर व वृक्षहीन अनुपयोगी राजस्व/वन भूमि का चयन वृक्षारोपण हेतु किया जावेगा, स्थल चयन में यह ध्यान रखा जावे कि 30 प्रतिशत से अधिक ढाल वाली भूमि का चयन न किया जावे, मध्यम ढाल वाली जहॉ की आसानी से सिंचाई हेतु ट्रेक्टर टेंकर पहुॅच सके अथवा पानी की व्यवस्था संभव हो सके भूमि का चयन किया जाना चाहिये।

8.2 सिचाई के लिये जल की उपलब्धताः– सिंचाई व्यवस्था हेतु समीप में ही पानी उपलब्ध हो, प्राथमिकता तालाब के किनारे, नहरों के किनारे, बारहमासी नालों के किनारे, स्टॉप डेम इत्यादि के किनारे की भूमि का चयन किया जावे, यदि जल स्त्रोत उपलब्ध नही है, ऐसी स्थिति में कपिल धारा कूप के माध्यम से वहॉ पर सिंचाई सुविधा का विकास किया जाये, अर्थात कूप में पानी उपलब्ध हो सके, यदि कूप सफल होने की स्थिति में न हो तब किसी अन्य योजना गौड़ खनिज, परफॉरमेन्स ग्रांट, ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध 13–14 वां वित्त, विधायक, सांसद निधि व जनभागीदारी मद से कनवर्जेन्स करके नलकूप खनन किया जावे, नलकूप खनन के पूर्व भू–जल सर्वे रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्राप्त करने के उपरांत ही खनन किया जावे, पौधरोपण के पूर्व अप्रैल–मई माह के पूर्व स्थल पर सिंचाई व्यवस्था कर ली जावे, स्थल पर सिंचाई व्यवस्था न होने की स्थिति में समीप में ही जल स्त्रोत उपलब्ध हो जहॉ से पानी का परिवहन किया जाकर स्थल पर निर्मित पानी संग्रहण टेंक भरा जा सके। बगैर सिचाई सुविधा सुनिश्चित किये पौधरोपण कार्य नही किया जावेगा।

सिचाई के साधन व स्त्रोत

8.3 अन्य आवश्यक सावधानियॉः–

- उपरोक्त के अलावा चयनित स्थल में जलमग्न क्षेत्र तो नही है या उक्त स्थल वर्षाकाल इत्यादि में अधिक पानी में डूब तो नही जाता है, ध्यान रखना चाहिये।

- उकरोक्त के अलावा चयनित स्थल पर आवागमन की सुविधा, लगाये जाने वाले पौधों के हिसाब से बाजार व्यवस्था के साथ उक्त स्थल/ग्राम पंचायत में पर्याप्त श्रमिक कार्य करने के लिये उपलब्ध है या नही यह भी पता करना चाहिये कि उपभोग का अधिकार प्राप्त करने हेतु जॉबकार्ड धारी/मनरेगा पात्र हितग्राही की उपलब्धता है अथवा नही।
- **शासकीय भूमि पर किये जाने वाले वृक्षारोपण में प्रबंधन हेतु अनिवार्यतः मनरेगा में पात्र हितग्राहियों को उपभोग के अधिकार के साथ जोड़ा जाना है। बगैर उपभोग अधिकार के साथ प्रबंधन कार्य संलग्न** किये **वृक्षारोपण कार्य नही किया जाना है। उपभोग का अधिकार उनके द्वारा निर्मित स्व–सहायता समूहों को भी प्रदाय किया जा सकेगा, ताकि कार्य पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी होने के बाद भी पौधों को जीवन पर्यन्त जीवित रखा जा सके।**

8.4 भूमि की सफाईः– सर्वप्रथम चुने हुये स्थल में उगी हुई झाड़िया आदि को काटकर अलग कर देना चाहिये अनावश्यक वस्तुएँ पत्थर आदि को अलग कर देना चाहिये। यदि भूमि को समतल कराया जाना आवश्यक है। उसकी पृथक से डीपीआर तैयार किया जाना चाहिये, पृथक से तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर कार्य कराना चाहिये। भूमि पर यदि दीमक के टीले है तो उन्हे 500 ग्राम से 1 किलो तक क्लोरोपाइरीफास डस्ट दवा का प्रयोग कर मिट्टी में मिलाकर दीमक को नष्ट कर देना चाहिये। साथ ही टीले नष्ट कर देना चाहिये।

8.5 शासकीय भूमि होने पर सुरक्षा व्यवस्थाः– स्थानीय स्तर पर उपलब्धता के आधार पर सीपीडब्लु, सीपीटी, लाइवफैन्सिग पौधरोपण के पूर्व किया जाना चाहिये। लाइवफैन्सिग में कटीली झाड़ियों की दोहरी पंक्ति लगाई जाती है। इस हेतु करोंदा, विलायती इमली, दोरंटा, नागफनी, केतकी, बांस, मेहदी, बबूल, जंगल जलेबी, केजुराइना, नागफनी, गुग्गुल, बेर, मकोइ, खैर, जट्रोफा आदि झाड़िया लगाई जा सकती है। झाड़ियों को थोड़ा बढ़ने पर ऊपर से कटाई–छटाई कर देना चाहिये जिससे वे अधिक घनी बनी रहें और अधिक ऊँची न हो। **शासकीय भूमि पर 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि होने पर वायब्रिड वायर फैन्सिंग की जा सकती है।** रोडसाइड प्लांटेशन में पौधे के चारों तरफ सीपीटी गोल घेरा अथवा बांस/स्थानीय स्तर पर उपलब्ध लेंटाना आदि के ट्रीगार्ड उपयोग किये जा सकते है।

पशु अवरोधक खंती का निर्माण

बांस ट्री गार्ड का निर्माण

8.6 निजो भूमि होने पर सुरक्षा व्यवस्थाः— निजी भूमि पर स्थल चयन में चयनित हितग्राही के पास स्वयं का सिचाई साधन व फैन्सिंग व्यवस्था होना अनिवार्य है, निजी भूमि पर सीपीटी, सीपीडब्लु, जीवित फैन्सिंग का प्रावधान किया जा सकता है। उक्त फैन्सिग में हितग्राही के अंश के साथ सीमेंट पोल/बांस/बल्ली इत्यादि की व्यवस्था स्वयं की जानी चाहिये सपोर्टिंग सिर्फ बाईब्रिड वायर व्यवस्था योजना से की जा सकती है। हितग्राहियों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, अन्यथा जो भी हितग्राही वृक्षारोपण हेतु आवेदन देते है उनका प्रमुख उद्देश्य पौध रोपण न होकर निजी खेत की फैन्सिंग होता है, जिस कारण से वृक्षारोपण असफल हो जाता है।

8.7 गड्ढों की तैयारी व भराईः— जून–जुलाई में पौधरोपण हेतु अप्रैल–मई माह में गड्ढों की खुदाई की जाना चाहिये, कुछ समय तक गड्ढों को खुला छोड़ना चाहिये, गड्ढों की खुदाई में यह ध्यान रखना चाहिये कि ऊपर की एक फिट तक मिट्टी एक तरफ डाली जानी चाहिये नीचे कि मिट्टी दूसरी तरफ डाली जाना चाहिये, क्योंकि ऊपर की मिट्टी उपजाऊ जीवांश युक्त होती है। अतः वापस गड्ढा भरते समय गोबर की खाद व अन्य रसायनिक उर्वरकों को संपूर्ण मिट्टी पर बिखेरकर अच्छी तरह से फवड़े की सहायता से (सिमेंट–बालू के मिश्रण की तरह) मिलाकर नीचे की मिट्टी नीचे व ऊपर की मिट्टी ऊपर मई अंतिम सप्ताह से 15 जून के पूर्व गड्ढों की भराई की जाना चाहिये। ढालदार व पहाड़ी क्षेत्र होने पर गड्ढों की भराई समान भाग अथवा 2–3 इंच नीचे तक करना चाहिये व समतल भूमि पर 6 इंच ऊपर तक गड्ढों को भरना चाहिये, गड्ढों के मध्य में प्लांटिंग बोर्ड की सहायता से पौधों का रोपण करना चाहिये।

8.8 रोपित पौधों की सिचाई की पद्धतियॉः—

8.8.1 थाला पद्धति(Basin System) के माध्यम से की जानी चाहिये, इस विधि के अंतर्गत वृक्ष के चारों ओर थाला बना दिया जाता है, वह वृक्ष की उम्र के अनुसार बनाया जाता है, वृक्षो की दो कतारों के मध्य एक नाली बनाई जाती है, और थालों को इस वितरण नाली से जोड़ दिया जाता है, इस पद्धति से जल का वितरण समान रूप से होता है।

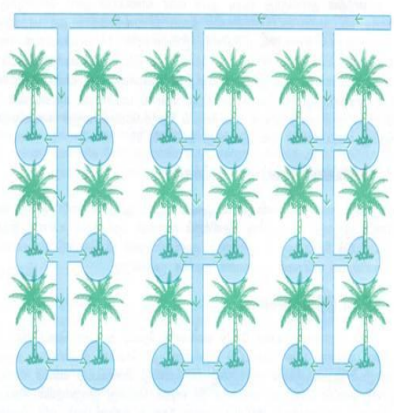

थाला पद्धति

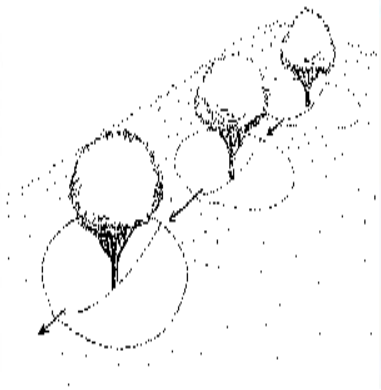

अगूँठी पद्धति

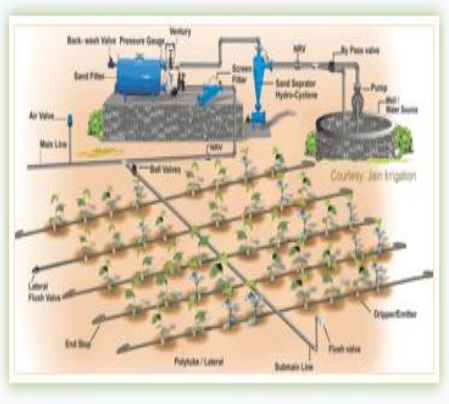

ड्रिप पद्धति

8.8.1 अगूँठी पद्धति(Ring System) के माध्यम से जब वृक्ष छोटा होता है, तब यह विधि अपनाई जाती है, पौधों के चारों ओर अगूँठीनुमा आकार बना दिया जाता है, इस प्रकार एक कतार में सभी वृक्षों के घेरे एक नाली से जुड़े रहते है, इस विधि में पानी सीमित क्षेत्र में लगता है, लेकिन ढाल अधिक होने पर शुरू के पौधों की मिट्टी कट जाती है, व खाद् उर्वरक भी बह कर दूसरे पौधों में चले जाते है।

8.8.2 अन्य पद्धतिया(Other System):–

- कम पानी व अधिक ढाल होने की स्थिति में प्रत्येक पौधे–पौधे को मजदूरों के द्वारा घड़े अथवा बाल्टी से पानी दिया जाता है, इस हेतु जल संगृहण के लिये ऊपरी स्तर पर एक टंकी का निर्माण किया जाता है, जिसे किसी अन्य साधन से भरकर अथवा टेक्टर टेंकर के माध्यम से भरकर पानी एकत्रित कर लिया जाता है, टंकी से साइफन सिस्टम से एक इंची अथवा पौन इंची पाइप की सहायता से प्रत्येक पौधे को पृथक–पृथक पानी दिया जाता है, पाइप से पानी न पहुॅचने की स्थिति में मजदूरों की सहायता से घड़े से प्रत्येक पौधे को पृथक–पृथक पानी दिया जाता है।
- कम पानी होने की स्थिति में प्रत्येक पौधे के पास 5–7 लीटर मिट्टी का घड़ा पौधे के रोपण के समय जड़ो के समीप गाड़ दिया जाता है, एवं उन घड़ो को नियमित रूप से पानी से भर दिया जाता है, ऑस्मेटिक प्रेसर के माध्यम से जड़े अपने आप घड़ों से पानी प्राप्त कर लेती है। उक्त मिट्टी के घड़ों क निर्माण उसी ग्राम पंचायत अथवा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कुम्हार जाति के मनरेगा में पात्र हितग्राहियों के यहॉ पृथक से डीपीआर निर्मित कर किया जा सकता है।
- रोडसाईड प्लांटेशन में पानी परिवहन हेतु साइकिल व्यवस्था/हाथ ठेला व्यवस्था/रिक्सा टंकी व्यवस्था मय लेजम व बाल्टी की जा सकती है।

- ग्राम पंचायत स्तर पर 60:40 अनुपात नियंत्रण होने की स्थिति में उपलब्ध जल सिचाई स्त्रोत अथवा निर्मित जल संग्रहण टंकी के माध्यम से उच्च दाब/निम्न दाब वाली ड्रिप सिचाई पद्धति का उपयोग भी किया जा सकता है, उक्त सिचाई पद्धति से अतयंत ही कम पानी उपलब्ध होने पर भी लगाये गये पौधों को समुचित सिचाई करते हुये जीवित रखा जा सकता है।
- भूमि व मौसम को देखते हुये ठंड के दिनों में 15–15 दिनों में/10–10 दिनों में एवं गर्मियों के दिनों में 7–7 दिनों में /5–5 दिनों के अंतराल में पौधों को पानी दिया जाना चाहिये। अत्यधिक हल्की मिट्टी में व तापक्रम 44–48 डि. से. ग्रे. होने पर 3–3 दिनों में पानी दिया जाना चाहिये। गर्मियों के दिनों में सुबह–शाम पानी दिया जाना चाहिये, तेज धूप दोपहर में पानी देने से पौधा मरने की संभावना होती है।

8.9 प्लांट जेल का उपयोगः— कम पानी में पौधों को जीवित बनाये रखने हेतु पौधों को लगाते समय जड़ों के पास 10–20 ग्राम प्रतिपौधा प्लांट जेल का उपयोग करने से पानी दिये जाने के अंतराल को 4–6 सप्ताह तक बढाया जा सकता है, प्लांट जेल अपने बजन से 300–400 गुना अधिक पानी का अवशोषण कर लेता है, जमीन में नमी कम होने पर धीरे–धीरे ऑसमोसिस क्रिया के माध्यम से पौधे पानी को लेते रहते है। प्लांट जेल का एक बार प्रयोग करने पर 5–7 वर्ष तक नमी को शोषित किया जाता है। प्लांट जेल का प्रमुखतः उपयोग असिंचित/कम पानी होने पर पहाड़ीनुमा, मुरम युक्त, शासकीय भूमि में किया जा सकता है, जहॉ की कम पानी में भी पौधों को जीवित रखा जा सकता है। गर्मियों के दिनों में भी अचानक पानी कम हो जाने पर खड़े पौधों में पोले पाईप की सहायता से अथवा गहरी गुड़ाई कर 5–10 ग्राम प्रतिपौधा प्लांट जेल दिया जाकर पौधों को जीवित रखा जा सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के अनुसंधान अनुसार प्लांट जेल का उपयोग 40–50 प्रतिशत पानी की आवश्यकता को कम कर देता है।

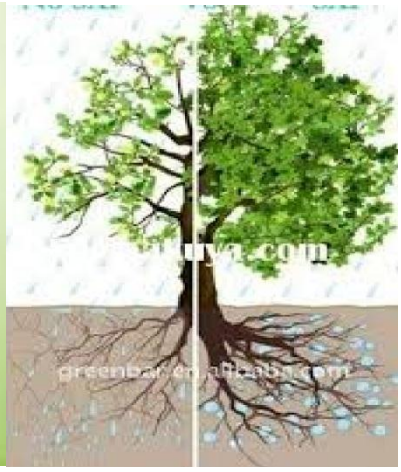

8.10 पौधों को खाद व उर्वरक देने की विधियॉः–

- **आधार पोषण(Based Nutrition)**ः– गड्ढों की भराई के समय दिये जाने वाली खाद् व उर्वरक विधि को आधार पोषण कहा जाता है।
- **खडी फसल में उर्वरक देना(Top Dressing)**ः– जब **पौधे** रोपित कर दिये जाते है, उसके बाद उर्वरक पौधों की पत्तियों के बीच या चारों और फैला कर दिये जाते है, जिसे टॉप ड्रेसिंग कहते है, इस विधि से अधिकांशतः नाइट्रोजन युक्त उर्वरक विशेषकर यूरिया दिया जाता है। पौधों की वृद्धि शीघ्रता से हो सके, यही उद्देश्य रहता है।

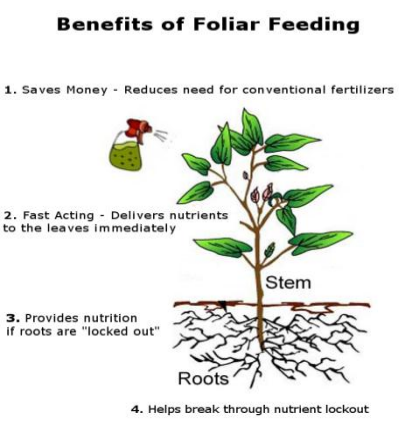

गोबर की खाद व उर्वरक देने की विधि एवं तत्काल गुड़ाई कार्य

- **पर्ण पोषण(Foliar Nutrition)**ः– फल वृक्षो के पौधे में भी पोषक तत्वों के घोल का छिड़काव किया जा सकता है। यूरिया 1–2 प्रतिशत घोल का छिड़काव विशेष रूप से लाभकारी रहता है। दलहनी सब्जियों में डॉय–एमोनियम फॉस्फेट का छिडकाव भी उपयोगी रहता है, पौधों को आवश्यक सूक्ष्म तत्व की कमी होने पर केल्सियम, बोरोन, मोलीविडिनम, मेग्निशियम, जिंक, ऑयरन, कॉपर आदि की पूर्ती हेतु भी पर्ण पोषण के माध्यम से की जाती है।

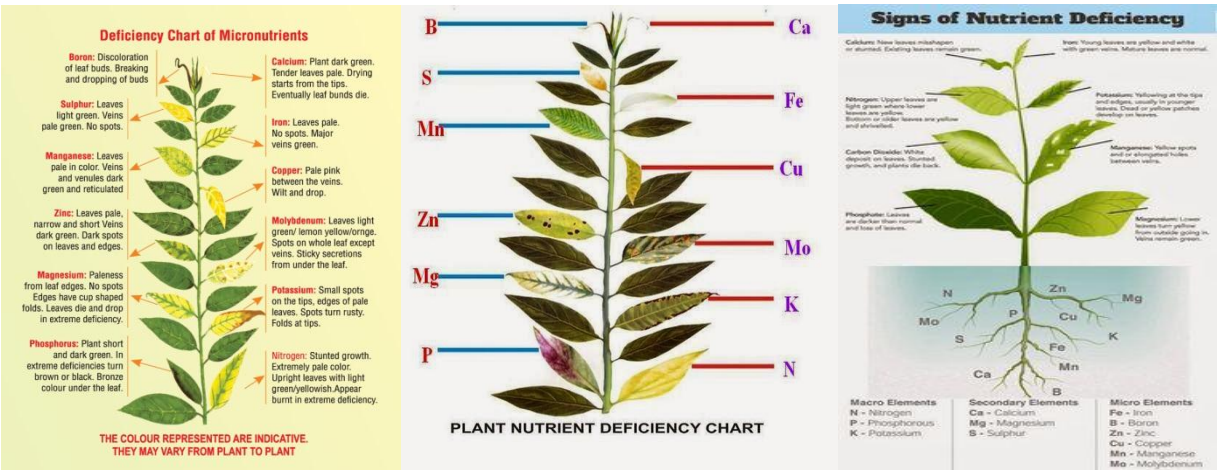

पौधों में आवश्यक तत्वों की कमी के लक्षण

- पौधों को आधार पोषण के रूप में या खड़ी फसल के रूप में जो भी गोबर की खाद प्रयोग की जावे वह पूर्णतः सड़ी हुई होना चाहिये, कच्ची गोबर की खाद प्रयोग करने से दीमक का प्रकोप की संभावना होगी साथ ही कच्ची खाद पौधे के पास गर्मी उत्पन्न करेगी, जिससे विभिन्न प्रकार के हानि पहुँचाने वाले बेक्टिरिया व फफूँद जनित बीमारियॉ भी पौधे में लग सकती है, अतः जो भी गोबर की खाद प्रयोग में लाई जाय वह पूर्णतः काले–भूरे कलर की

  जिसमें की सौंधी सुगंध आ रही हो एवं हाथ डालकर गहराई में देखने पर गर्म महसूस न हो पहचान कर ही 2–3 वर्ष पुरानी खाद प्रयोग में लानी चाहिये।
- रसायनिक उर्वरक देते समय यह ध्यान देना चाहिये कि वह पौधे के तने से न्यूनतम 6–9 इंच दूर देना चाहिये, जोकि पौधे की उम्र के हिसाब से और दूर फैलाकर देना चाहिये, सिद्धांत यह है कि पौधे के ऊपर का घेरा जितने वर्ग में होता है उसी वर्ग में पौधे में भी भोजन प्राप्त करने वाली जड़े उपलब्ध होती है, तने के पास मात्र आधार रूट होती है जो कि पौधे को खड़ा रखने में मदद करती है। पौधे के तने के पास खाद देने से उनमें गर्मी उत्पन्न होने से उनके जलने व बीमारी लगने का डर रहता है, खासतौर से कोई भी रसायनिक उर्वरक यूरिया, अमोनियम सल्फेट आदि पौधें के तने पर नही डालना है।
- कोई भी रसायनिक खाद जब दी जाती है, उसके तत्काल हल्की गुड़ाई करते हुये तत्काल पानी से सिचाई करनी चाहिये।
- रसायनिक खाद सुबह व शाम के समय देना चाहिये अधिक गर्मियों अप्रैल–मई के माह में रसायनिक उर्वरकों का प्रयोग नही करना चाहिये, नहीं तो पौधों के मृत होने की संभावना होती है।
- रसायनिक खाद को अनुसंशा अनुसार ही मात्रा पौधों को दी जाने चाहिये, अधिक मात्रा देने से भी पौधों को नुकसान हो सकता है, साथ ही कम मात्रा देने से पौधों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है।
- **नवोन रोपित उद्यानों का प्रबंधनः–** नवीन रोपित उद्यानों का प्रथम वर्ष अति महत्वपूर्ण होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी रक्षा कैसे की जाय ताकि नवीन रोपित

पौधों को शीघ्र अति शीघ्र बढने का अवसर मिल सके साथ ही लगाये गये पौधों की जीवितता 90 प्रतिशत तक बनी रहे, जिस हेतु आवश्यकता होने पर निम्न उद्यान प्रबंधन आवश्यक होता है।

8.10.1 पौधों को छाया देनाः— नये पौधों की ग्रीष्म ऋतु में लू या तेज गर्म हवा तथा शीत ऋतु में पाला या सर्द हवा से रक्षा करनी होती है। अतः प्रत्येक पौधे को छाया, घास की झोपड़ी, तार तथा खजूर की पत्तियॉ, चटाई आदि से की जा सकती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि पौधे गर्म या सर्द हवा के झोंके से मरते है, तेज गर्मी या सर्दी से नही , अतः हवा का बहाव या झोंके से पौधों की रक्षा करना आवश्यक होता है।

8.10.2 पौधों को सहारा देनाः— कई बार तेज हवा से कलमी पौधे मिलन बिंदु से टूट जाते है, अतः नये लगाये गये पौधों को बांस या लकड़ी का सहारा देना चाहिये, इससे पौधे सीधे भी वृद्धि करते है।

8.10.3 वृक्षो की सधाई या ट्रेनिंगः— पौधो की कटाई छटाई व ट्रेनिंग किया जाना आवश्यक होता है, जोकि जब पौधे सुसुप्ता(पौधों के सोने की अवस्था) में होते हैं तब इसके तहत पौधे के नीचे से निकलने वाली लगभग एक मीटर तक कोई भी शाखा बढ़ने नही दी जाती है, इससे पौधा मजबूत होकर सीधा व तेजी से ऊपर की ओर बढता है, फल वृक्षों को एक निश्चित आकार देने के कि क्रिया को ट्रेनिंग कहा जाता है। इसकी निम्न विधियॉ है।

- **केन्द्रीय अग्र प्ररोह प्रणाली(Central Leader System):—** इस विधि में धरातल से पहली शाखा कम से कम एक मीटर की उचाई से निकलनी चाहिये और इसके पश्चात अन्य शाखाऍ लगभग 0.5 में के अंतर से बढ़ने दी जानी चाहिये, इस प्रकार से साधे हुये वृक्ष शुण्डाकार(Pyramid) दिखलाई देते है।

Figure 6. Peach training sequence for scaffold development first growing season for open-center or quad tree form. A- Young tree in early summer of first season just before breaking or cutting developing central leader; B- Same tree shown in A after breaking over central leader; C -Same tree in A at end of first season with 4 well-developed scaffold branches.

- **रूपांतरित अग्रप्ररोह प्रणालीः—(Modifiedd Leader System):—** इस विधि से प्रारंभ में केन्द्रीय अग्र प्ररोह प्रणाली की तरह वृद्धि कराते है, तीन या चार वर्षो तक मुख्य तनें को बढने दिया जाता है, और फिर उसे काट दिया जाता है, जिससे कि इससे लगी हुई शाखाऍ बढ सके।

- **खुला केन्द्र प्रणाली(Open Centre System):–** इस विधि में मुख्य तनें को भूमि से पौन या एक मीटर की उचाई हो जाने पर काट दिया जाता है। पौधे लगाने के एक वर्ष के अंदर ही मुख्य तनें को काट दिया जाता है। जिससे कि नई शाखाएँ निकलती है, तीन या चार शाखाओं को एक साथ चारों दिशाओं में बढने दिया जाता है, अगले वर्ष इन शाखाओं को 0.5 या 0.75 मीटर पर काट दिया जाता है, और इनके बगल से शाखाएँ निकलने दी जाती है।

8.11 काट छांट के अन्य आवश्यक नियमः– वृक्षों की काट छांट करने के कुछ सामान्य नियम है, जिसके अनुसार कृन्तन किये जाने से ही उपर्युक्त उद्देश्य पूरे होते है।

- कार्बोहाइड्रेड और नाइट्रोजन का अनुपात संतुलन रखने के लिये वृक्षों में वृद्धि और फलन में सामन्जस्य लाने हेतु काट छांट की जाती है, अधिक वनस्पतिक वृद्धि से वृक्षों में फलन कम हो जाता है, तथा कम वृद्धि से भी पर्याप्त उत्पादन नही हो पाता है, कुछ फल वृक्षों में नई शाखाओं में ही फूल व फल लगते है, जैसे कि– अंगूर, फालसा, सेव, अमरूद आदि, इसलिये इनमें काट छांट एक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य क्रिया है।
- वृक्षों के एक अंग से दूसरे अंग में शक्ति स्थानांतरण हेतु भी काट–छांट की जाती है जैसे– यदि बढते हुए वृक्ष का सिरा काट देने से उसकी शक्ति जो शीर्ष की वृद्धि करने में लगी थी स्थानांतरण होकर नीचे की ओर से शाखाएँ विकसित करने में लग जाती है। कुछ वृक्षों में फूल लाने के लिये जड़ो की छटाई की जाती है। जड़ों की छटाई करने से जड़ों के विकास में लगी शक्ति स्थानांतरण होकर फूलों के विकास में लग जाती है। इसी तरह यदि फुलों के गुच्छों में से कुछ फूल तोड़ दिये जाएँ तो शक्ति स्थानांतरित होकर वनस्पतिक वृद्धि में लग जाती है। जैसे आम, अमरूद, नीबू आदि में जैसे अमरूद वर्ष में दो बार फलता है– शीत और वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु की फसल अच्छी नही होती इसलिये वृक्षों के फूल काटकर गिरा दिये जाते है, फुल गिरा देने पर वनस्पतिक वृद्धि होती है पुनः फूल आते है जो शीत ऋतु में फल देते है।
- पौध संरक्षण के रूप में कटाई–छटाई को अपनाया जाता है। जिन शाखाओं में रोग का आक्रमण हो चुका है, उन्हे काटकर अलग कर दिया जाता है जिससे कि रोग पूरे वृक्ष में न फैलने पाए। इसमें कीटों द्वारा आक्रमित शाखाओं को काट दिया जाता है।
- वृक्षों की सफाई के लिये भी कृन्तन किया जाता है। फलों की तुड़ाई के पश्चात हल्की छँटाई आवश्यक होती है, जिससे कि सूखी हुई क्षतिग्रस्त शाखाएँ निकल जाएँ और वृक्ष साफ सुथरा दिखाई देने लगे। सूखी हुई शाखाओं में रोग शीघ्र जग जाते है इसके साथ कुछ अनावश्यक शाखाएँ भी होती है जो वृक्ष को अनावश्यक रूप में घना बना देती है उनहें भी काटकर अलग कर देना आवश्यक होता है।
- कलमी पौधों में मिलन बिंदु(Graft Point) से नीचे मूलवृन्त(Root Stock) से निकलने वाली सभी शाखाओं को काटते रहना चाहिये क्योंकि मूलवृन्त निकलने वाली शाखएँ तेजी

से बढती है और कलमी शाखा की वृद्धि को रोक देती है, कभी–कभी ऐसा भी होता है कि मूलवृन्त से शाखाएँ बढ जाती है व पौधा देशी व बीजु हो जाता है, कलमी शाखा सूख जाती है खासतौर से नीबुवर्गी फसलों में विशेष सावधानी रखनी पड़ती है अन्यथा पौधरोपण नीबु, संतरा, मोसम्मी का किया जाता है लेकिन फल खटुआ नीबु के प्राप्त होते है इसी प्रकार से से आम, चीकु, ऑवला, अमरूद आदि फलों में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है।

- शाखाओं को काटते समय यह ध्यान रखे कि वह फट न जाएँ व उसकी छाल अलग न होने पाये अतः आरी अथवा सिकेटियर से कटाई–छटाई की जानी चाहिये, फटे हुये, छाल निकले हुये अवशेषों पर रोग व कीड़ो का आक्रमण शीघ्र होता है। अतः कृन्तन के पश्चात कटे हुये स्थान पर **बोर्डोपेस्ट**, **चौबटिया** पेस्ट या कोलतार लगा देना आवश्यक होता है।

8.12 बोर्डो मिश्रण(Bordeaux Mixture)**का निर्माण**:– यह एक बहुउपयोगी फफूँद जनित बीमॉरियों की रोकथाम में उपयोग में लाया जाता है, इसका निर्माण मिलाडेट और बोरडियाक्स नामक वैज्ञानिकों ने 1882 में फ्रॉस मे प्रथम बार तैयार किया गया था। यह मिश्रण कॉपर सल्फेट एवं अनबुझा चूना को मिलाकर बनाकर बनाया जाता है, जिसमें कि एक निश्चित मात्रा पानी की प्रयोग की जाती है। जोकि 5:5:50 / 3:3:50 / 2:2:50 अनुपात में बनाया जाता है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे 1:1:100 जोकि एक प्रतिशत का घोल कहलाता है इसमें कॉपर सल्फेट एक किलो, अनबुझा चूना एक किलो, 100 किलो पानी का प्रयोग किया जाता है। इस अनुपात के घोल का प्रयोग पौधों के ऊपर छिड़काव के रूप में एवं जडों में ड्रेन्चिंग के रूप में व तने पर लेप के रूप में उपयोग किया जाता है।

नीला थोता

दोनों को बराबर मात्रा में तोलना

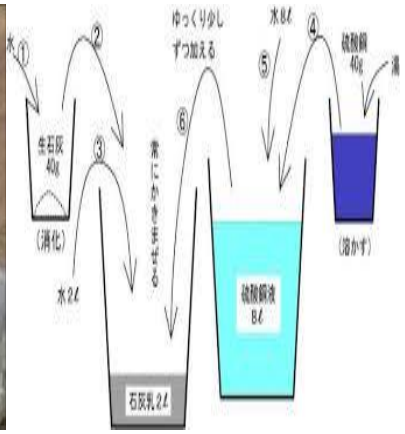

पृथक–पृथक प्लास्टिक / मिट्टी के वर्तन में गलाना

तीसरे वर्तन में एक साथ धार मिलाकर डालना व मिलाना

पौधों पर लेप करना

8.12.1 तैयार करने की विधिः–

- कॉपर सल्फेट एवं अनबुझे चूने को पृथक–पृथक मिट्टी के घड़ों अथवा प्लास्टि के बर्तनो में 12 घंटे पूर्व डुबाया जाता है। कॉपर सल्फेट को बारीक कूटकर कपड़े की पोटली में बॉधकर मिट्टी के घड़े में लटका दिया जाता है। रात भर में नीला थोता घुलकर पानी में आ जाता है।
- इसी तरह चूने का घोल भी पृथक घड़े में डालकर जोकि गर्म होता है, रातभर में ठंडा होकर घोल तैयार हो जाता है।
- उक्त दोनों घोलों को अच्छे से हिलाकर एक तीसरे मिट्टी अथवा प्लास्टिक के वर्तन में एक साथ 2 मगों में लेकर धार मिलाकर डाला जाता है जिसे कि तीसरा व्यक्ति लकड़ी की सहायता से मिलाता रहता है, आवश्यकता अनुसार प्रतिशत के हिसाब से पृथक से पानी मिलाया जाता है, यदि पौधों पर पुताई करनी है, तब 1:1:20 अथवा 1:1:10 का घोल तैयार कर लेते है।
- तैयार बोर्डो मिश्रण सही बना है या नही इसका परीक्षण करने के लिये तैयार घोल में बगैर जंग लगी लोहे की कील अथवा ब्लेड को तैयार मिश्रण में 2 मिनट तक डुबाते है, बाहर निकालने के बाद उसकी धार में हल्का सुनहरा कलर दिखाई देना चाहिये, यह उत्तम घोल निर्माण का लक्षण है यदि धार पर तॉबे का कलर दिखाई दे तब घोल में कापर सल्फेट की मात्रा ज्यादा है अतः चूने के घोल की मात्रा को अतिरिक्त मिलाना होगा, यदि धार पर कोई कलर दिखाई नही दे जैसा डुबाया था वैसा ही रहे तब चूने की मात्रा अधिक है ऐसी स्थिति में कॉपर सल्फेट की मात्रा को मिलाया जाना चाहिये।
- **बोर्डोपेस्ट का प्रयोग** – विभिन्न प्रकार के फलपौधों/वानिकी पौधों में बीमारियों की रोकथाम एवं कटे हुये भाग में लगाने के लिये जमीन के नीचे से 1–1.5 मीटर उचाई तक पुताई की जाती है।
- बोर्डोपेन्ट का प्रयोग विभिन्न प्रकार तने में लगने वाली बीमारियॉ व वृक्षों के कटे भाग जोकि कटाई–छटाई के बाद उत्पन्न होते है किया जाता है, बोर्डोपेन्ट का निर्माण कॉपर सल्फेट, अनबुझा चूना एवं अलसी के तेल को 1:2:3 के हिसाब से मिलाकर तैयार किया जाता है।

8.13 चौबटिया पेस्ट का निर्माणः— उक्त पेस्ट का प्रयोग भी बीमारी जनित भागों एवं कटाई–छटाई के पश्चात कटे हुए स्थानों पर लगाने के लिये किया जाता है। यह कॉपर कार्बोनेट, रेडलेड या सिंदूर तथा अलसी का तेल या लेनोलीन(चर्बी) को 1:1:1.25 के अनुपात में तैयार कर बनाया जाता है यह एक लाल रंग का मलहम बन जाता है यदि कॉपर कार्बोनेट मेंहगा पड़े तो इसके स्थान पर क्यूप्रस ऑक्साइड या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग भी किया जा सकता है।

8.14 धूप–तापरोधी पेस्टः— यह पेस्ट ग्रीष्म ऋतु में वृक्षों के तनों पर पोत दिया जाता है जिससे तेज धूप से तना झुलसने से बच जाता है। इसका निर्माण 10 किलो बुझा चूना, 1 किलो नमक(सोडियम क्लोराइड), 20 लीटर पानी और 250 मि. ली. अलसी का तेल को एक साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। चूना और नमक पानी में पहले अच्छी तरह घोल लें बाद में अलसी का तेल मिलाएँ।

अध्याय–9
कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी

9.1 कृषि वानिकी(Agro Forestry):– "कृषि वानिकी भूमि उपयोग की वह धारणीय पद्धति है जिसके अंतगर्त भूमि की उत्पादता बनाये रखते हुये उस भूमि पर वृक्षों तथा फसलों का उत्पादन और पशुपालन एक ही ही समय में या क्रमबद्ध रूप में अपनाया जाता है, जो जन–समुदाय की आवश्कताओं की पूर्ती तथा पारिस्थतिकीय संतुलन को बनाए रखें" कृषि वानिकी कें संबंध में फसलें, फल तथा सब्जियों को वृक्षों के साथ चाहे वो फल, जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी, औषधि एवं सुगंधित पौधों का उत्पादन तथा चारे के उद्देश्य से हो उगाया जाता है। कृषि वानिकी पद्धति 5 सिद्धांतो पर आधारित है। धारणीयता(Sustainability), उत्पादकता(Productivity), लचीलापन(Flexibility), समाजिक स्वीकार्यता(Social Acceptibility), पारिस्थतिकीय सामन्जस्यता(Ecological Integrity),

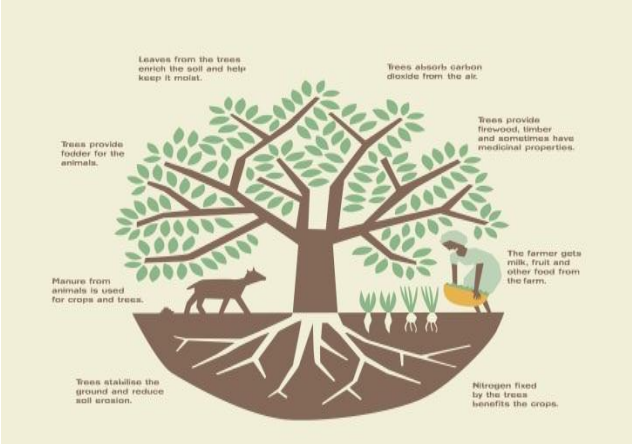

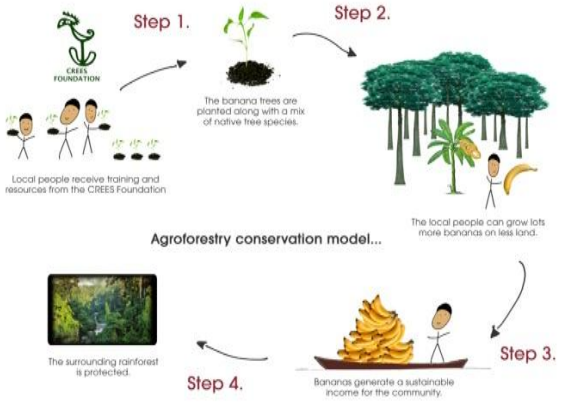

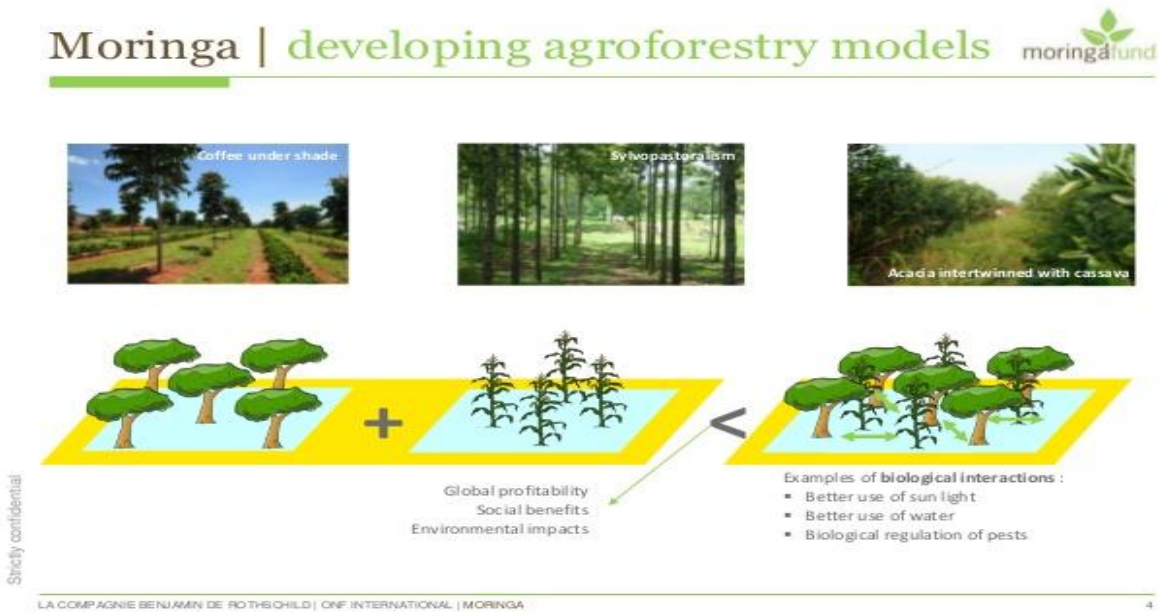

9.1.1 कृषि वानिकी पद्धतिः– अंतराष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान परिषद(ICRAF) के अनुसार कृषि वानिकी की दो पद्धतियॉ अपनाई जाती है।

9.1.2 एक साथ या समकालिक(Simultanous):– इस पद्धति में कृषि वानिकी के तीनों घटक वृक्ष, फसलें तथा पशु एक ही साथ या एक ही समय में एक साथ या एक ही भूमि पर अपनाए जाते है, इसके अंतर्गत निम्न पद्धतियॉ बनाई जाती है।

- **ऐले पद्धति**(Alley Croping):– इसमें कतारों में वृक्ष, अंतरासस्य कतारों के मध्य फसलें लगाई जाती है।
- **सीमांत वृक्षारोपण**(Boundry Plantation):– खेत के चारों ओर वृक्ष लगाना जिससे खेतों में विभाजन या अन्तर किया जा सके।
- **समोच्य झाड़ियॉ**(Contour Hedges):– भूमि क्षरण रोकने के लिये और जैविक सीढियॉ या पौढियॉ बनाने के लिये।

ऐले पद्धति

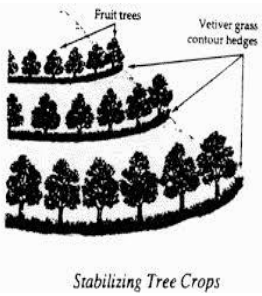

कंटूर पद्धति

जलाशय के किनारे

सुरक्षा पट्टियॉ या जैविक अवरोध

वायु अवरोध पद्धति

- **जैविक अवरोधक या सुरक्षा पट्टियॉ**(Live Hedges and fences):– झाड़ियों या झुरमुटों का लगातार रोपण पट्टी रूप में जिससे कि पशु–बाड़ा बनाया जा सके।
- **वायुअवरोध या सुरक्षा पट्टियॉ**(Wind breaks or shelter belts):– खेत के चारों ओर वायु की दिशा में कंटूर के अनुसार रोपण करना।
- **पार्कलैंड पद्धति**(Parkland system):– वृक्ष और फसलें साथ–साथ लगाना जिसमें कि वृक्ष स्थायी रूप में होते है।

- **वानकीय–चारागाही पद्धति**(Silvo-pastoral system):– बहुउद्देशीय वृक्ष जो अनियमित रूप में हों और घास नियमित या लगातार रूप में हों। चारा पशुओं द्वारा चराया जाना या काटकर खिलाया जाना उद्देश्य होता है।
- **कृषि वन**(Agro forest):– यह कृषि वानिकी की विशेष पद्धति है। यह प्राकृतिक वनों से मिलती–जुलती है। बहुमंजलीय रूप में बड़े स्थायी वृक्ष और उसके नीचे छाया चाहने वाले वृक्ष, झाड़ियॉ और पौधे लगे होते है।
- **गृह उद्यान**(Home gardens):– गृह के आसपास वृक्ष फसलें तथा पशुपालन मिश्रित रूप में अपनाया जाता है।

9.1.3 कमवार या कमिक पद्धति(Sequential system):– इस पद्धति में वृक्ष और फसलें कमवार रूप में एक ही भूमि पर उगाई जाती है।

- **उन्नतशील पड़ती**(Improved fallow):– यह स्थानांतकारी कृषि पद्धति का सुधरा हुआ रूप है जिसमें भूमि में जैव–भार और उर्वरता को पड़ती अवधि को बढाकर जमा किया जाता है।
- **टोंग्या पद्धति**(Taungya System):– इस पद्धति के अंतर्गत झॉड़ियों को साफ करके कृषकों को आवंटित कर दिया जाता है और वृक्ष लगा दिये जाते है। कृषक खेती करने के साथ ही साथ ही साथ पौधों की भी देखभाल करते है।
- **रिले या प्रसारण अंतरासस्य** (Relay Intercropping):– वर्षा आरंभ हो जाने पर वृक्ष और फसलें लगाई जाती है, फसल पकने पर काट ली जाती है और वृक्ष धीमी गति से पनपते रहते है।
- **बहुमंजलीय** फसल उत्पादन(Multistrate system):– विभिन्न प्रकार के वृक्षों को फसलों के साथ उगाना जिससे कि बहुमंजलीय रूप ले सकें।

9.1.4 कृषि वानिकी हेतु वृक्षों का चुनावः– बहुउद्देशीय वृक्ष जिन्हे एमपीटीएस (Multi purpose trees and shrubs) भी कहते है, जो मानवीय लाभ के रूप में एक से अधिक पदार्थों को देते है जैसे– ईधन, इमारती लकड़ी, गूदा, चारा, आहार, औषधि तथा तेल आदि।

- कृषि–जलवायु की परिस्थतियों के अनुसार सफलता से उगने वाले होने चाहिये।
- कम छाया देने वाले होने चाहिये, चारागाहों को छोड़कर।
- विपरीत जलवायु की परिस्थतियों को सहन करने का गुण होना चाहिये।
- कम देखरेख में बढने का गुण होना चाहिये।
- भूमि भी उत्पादकता बढाना चाहिये वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिर करके।
- फसलों के साथ उगना या उनके साथ संयोज्य(Compatible) होना चाहिये।
- कटाई–छटाई को सहन कर पुनः बढने का गुण होना चाहिये।

- शीघ्र बढने का गुण होना चाहिये।
- रोग तथा कीट के आक्रमण को सहन करने की क्षमता होनी चाहिये।
- बबूल, खैर, बेल, सिरिस, कटहल, नीम, बांस, ताड़, लसोरा, शीशम, यूकेलिप्टस, आम, बकायन, मुनगा, शहतूत, खेजरी, पापुलर, करंज, विलायती इमली, ओक, सफेद चंदन, इमली, फालसा, बेर, गुग्गुल, ग्वारपाठा के साथ बहुवर्षीय घांस नैपियर, अंजन, दूब, लेमन ग्रास, सिट्रेनेला, पामोरोजा, के साथ अन्य बहुवर्षीय औषधि पौधे का चयन किया जा सकता है।

9.2 सामाजिक वानिकी (Social Forestry):–

"सामाजिक वानिकी एक अवधारण(Concept), एक कार्यक्रम और एक मिशन है जो जन समुदाय विशेष के यहॉ ग्रामीण तथा जो गरीबी की रेखा से नीचे है को आर्थिक, सामाजिक, पारिस्थतिक संरक्षण प्रदान करता है इसमें सभी को एक भागीदार की तरह वृक्षों को लगाने से लेकर उपयोग करने तक कार्य करना होता है"

दूसरे शब्दों में सामाजिक वानिकी वृक्षारोपण की वह पद्धति है जो मानव समुदाय की मानव समुदाय द्वारा और मानव समाज के लिये अपनाई जाती है। **इसी अवधारण को पूर्ण करने के उद्देश्य से मनरेगा के पात्र हितग्राहियों को प्रबंधन कार्य व उसके उत्पादन के उपभोग हेतु उपभोग अधिकार(Providing Right to usufruct) प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है।** सामाजिक वानिकी को समुदायिक(Community Forestry), प्रक्षेत्र वानिकी(Farm Forestry), ग्रामीण वानिकी(Rural Forestry), पर्यावरण वानिकी(Enviromental Forestry), निस्तार वानिकी(Nistar Forestry), वन कृषि(Forest Forming), इत्यादि नामों से जाना जाता है।

सामाजिक वानिकी का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीणों की सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था को प्रगतिशील बनाये रखने के साथ पर्यावरण संरक्षण, वनों पर पड़ने वाले भार को कम करना, पड़त भूमि विकास के लिये माध्यम, खाद्य पदार्थो, ईधन, कॉस्ट, पशु चारा आदि की पूर्ती, ग्रामीण कुटीर उद्योगों का विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, सौन्द्रीयकरण का निर्माण किया जाना है।

सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में जन समुदाय की सहभागिता प्राप्त करने के लिये ग्रामीणों में सिद्धांतिक प्रेरणा धर्म आदि से जोड़कर प्रेरित किया जाता है, साथ ही सामूहिक रूप से स्वेच्छिक भागीदारी प्राप्त की जाती है।

सामाजिक वानिकी में रोड के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों, खनन क्षेत्रों, मरूस्थलीय क्षेत्रों , ग्रामीण क्षेत्रों, कालोनियों, चिकित्सालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चौक स्थल, आजायब घर, स्मारक तथा ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थलों, मंदिर, मस्जिद, चर्च, शासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, आवास भूमि, निजी स्वामित्त भूमि, नदी, नाले तथा तालाब के किनारों पर वृक्षारोपण कार्य किया जावेगा। समाजिक वानिकी में पौधों का चयन आईपीपीई के माध्यम से स्थानीय व्यक्तियों कि भागीदारी से उक्त भूमि व जलवायु पर उस क्षेत्र में पहले से प्राकृतिक रूप से अथवा उगाये जा रहे पौधों को प्राथमिकता के क्रम में किया जाना चाहिये।

अध्याय–10
पौध उत्पादन हेतु नर्सरियों की स्थापना

10.1 उद्देश्यः– भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में आगामी वर्ष 2016–17 हेतु जो पौधे स्थानीय परिस्थितियों में तैयार किये जा सकते है, उन्हे बाहर अथवा अन्यत्र संस्थाओं से पौधक्रय करने पर रोक लगाई गई है, योजना अंतर्गत लगने वाली विभिन्न प्रजातियों का आकलन कर स्वयं की नर्सरियॉ ग्राम पंचायत/जनपद स्तर पर विकसित की जानी है, उक्त नर्सरियॉ शासकीय भूमि पर अथवा मनरेगा में पात्र हितग्राहियों के यहॉ निजी भूमि पर अथवा उद्यानिकी विभाग अथवा वन विभाग की भूमि पर ग्राम पंचायत अथवा लाइन विभाग को कार्य एजेन्सी बनाते हुए स्थापित की जावेगी। जिसमें स्व–सहायता समूहों की सहायता व एनआरएलएम से अभिसरण भी किया जावेगा। इसका प्रमुख उद्देश्य स्थानीय स्तर पर पौधों की उपलब्धता के साथ मनरेगा में पात्र हितग्राहियों को स्व–रोजगार स्थापित करते हुये आजीविका से जोड़ा जाना है व पौध उत्पादन के क्षेत्र में आत्म–निर्भर होना है।

10.2 मनरेगा योजना में पौध उत्पादन हेतु नर्सरियों की स्थापनाः– नर्सरी हेतु जिस स्थल का चयन किया जाए उसकी भूमि सर्वोत्तम किस्म की बलोई, दोमट 6.5 से 7.5 पीएच वाली होनी चाहिये जहॉ कि सिचाई के लिये वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होना चाहिये, आवागमन का साधन होना चाहिये, सड़क से लगी हुई होना चाहिये ताकि वर्षा ऋतु में पौधों का परिवहन संभव हो सके साथ ही नर्सरी की स्थापना जिस क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है उसी क्षेत्र में किया जाना चाहिये ताकि परिवहन कम से कम हो।

10.3 नर्सरी में पौधों का उत्पादनः– दो तरीके से किया जाता है।

10.3.1 बीज के माध्यम सेः– अनेकों फलदार व वानिकी प्रजातियों जैसे आम, जामुन, अमरूद, ऑवला, करोंदा, नीबु, सीताफल, मुनगा व नीम, शीसम, करंज, गुलमोहर इत्यादि का बीज के माध्यम से पौधे तैयार किये जाते है खासतौर से वानिकी पौधों का उत्पादन बीज के माध्यम से ही किया जाता है। बीज से पौधों का उत्पादन एक सरल प्रक्रिया है इसके पौधे कठोर औजस्वी अधिक उम्र वाले होते है, कम समय, व्यय तथा परिश्रम से तैयार होते है, साथ ही बीज के तैयार पौधों में कुछ कमियॉ भी होती है। प्रमुखतः पैतृक गुणों में विभिन्नता आ जाती है, उत्तम गुणवत्ता वाले नही होते है, फल देरी से आते है लगभग 5 वर्ष उपरांत फल प्राप्त होते है। पौधे से बने वृक्ष विशाल आकृति वाले होते है। कुछ शीघ्र बढने वाली प्रजातियॉ मुनगा, कटहल, सुबबूल, गुलमोहर, केसिया सेमिया, के बीज सीधे गड्ढों में बोए जा सकते है। उक्त प्रजातियॉ 2–3 माह में ही तेजी से बढकर 1.5–2 फिट उचाई के हो जाते है, बीज द्वारा सीधे गड्ढों में बुबाई से उत्पादित पौधों की जड़े तेजी से विकसित होती है व पुनः प्रत्यारोपण न होने की स्थिति में कम प्रबंधन, विपरीत जलवायु, कम पानी में भी जीवित रखने की क्षमता रखते है, परंतु प्राथमिक 2–3 माह तक विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है, बीज के माध्यम से दो विधियों से पौधें तैयार किये जाते है।

- **प्रथम विधिः**— बीज बोने के लिये 2x1 अथवा 3x1 अथवा आवश्यकता अनुसार बरसात के दिनों में जमीन से 15—20 से. मी. ऊँची क्यारियॉ, गर्मियों के दिनों में समतल अथवा निचली क्यारियों का निर्माण किया जाता है क्यारियों में पर्याप्त मात्रा में प्रति क्यारी 20—25 किलो सड़ी हुई खाद मिलाकर गुड़ाई कर समतल कर लिया जाता है। तदोपरांत लकड़ी की सहायता से नालियों का निर्माण बीज की मोटाई के आधार पर गहराई अनुसार किया जाकर बीजों को नालियों में बोया जाता है।

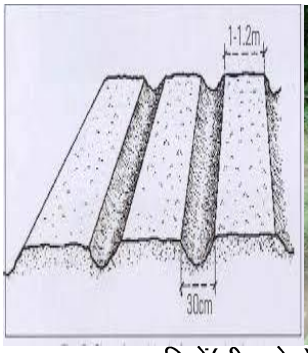

क्यारियों(सीड बेड) की तैयारी

बीज बोने हेतु नालियों का निर्माण एवं बीज की बुबाई

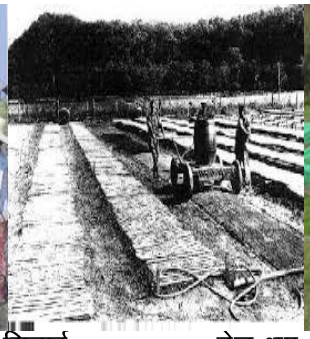

बीज बुबाई उपरांत फुहारे से सिचाई

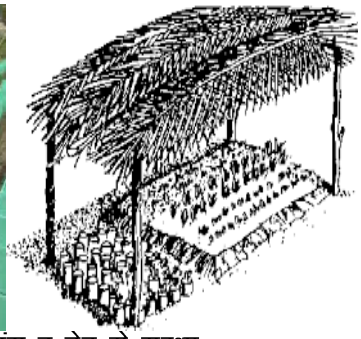

तेज धूप से बचाव हेतु क्यारियों पर घांस व नेट से सुरक्षा

बीज बोने के पूर्व रेडोमिल अथवा बाबस्टीन अथवा केप्टॉन से आवश्यकतानुसार बीजोपचार किया जाना चाहिये। बीज बोने के तत्काल बाद घांसफूस अथवा बोरे के टॉट से ढककर हजारे अथवा फव्वारे की सहायता से भरपूर पानी दिया जाना चाहिये। जैसे ही अंकुरण दिखाई दे घांसफूस टॉट अलग कर देना चाहिये व तत्काल उसी दिन रिडोमिल 3 ग्राम प्रति लीटर+क्लोरोपाइरीफॉस 2 एमएल प्रति लीटर के हिसाब से जमीन पर तर स्प्रे कर देना चाहिये। बीज उगने के बाद आवश्यकतानुसार एक टाइम अथवा दोनों टाइम सिचाई करनी चाहिये। जब पौधे 4—6 इंच हो जाएँ तब पुनः ऊपर वर्णित दवॉ का स्प्रे किया जाना चाहिये। उक्त तैयार पौधों को पूर्व से तैयार पॉलीथिन बैगों में स्थानातरण सुबह अथवा शाम के समय किया जाना चाहिये। पौधों के स्थानातरण में यह ध्यान रखें कि उनमें लगी हुई गुठली अथवा बीज पत्रक उनसे अलग न होने पावे अन्यथा पौधे स्थानातरण के समय मरने की संभावना होगी। जिन प्रजातियों में बीज पत्रक व गुठली नही होती है उन्हे बड़ी सावधानी से जड़ो को बगैर नुकसान किये हुए निकालकर गीली पॉलीथिन बैगों में लकड़ी की सहायता से छेद करते हुए स्थानांतरण किया जाना चाहिये, स्थानांतरण के तत्काल बाद सिचाई अवश्य करना चाहिये।

- **द्वितीय विधिः**— इस विधि में मिट्टी+गोबर की खाद+आवश्यकतानुसार बालु मिलाकर पूर्व से ही पॉलीथिन बैग भर लिये जाते है व सीधे बीजों की बुबाई पॉलीथिन बैग में की जाती

है। यह पूर्व विधि से उत्तम विधि है इसमें स्थानांतरण न होने से पौधों के मृत होने की संभावना नही होती है। आम, करोंदा, नीबु, कटहल, फालसा का बीज अंकुरण क्षमता अवधि शीघ्र समाप्त हो जाती है।

पॉली बैग में सीधे बीज बुबाई एवं कटिंग लगाना

प्रत्यारोपण हेतु पौधों को पिंडी में व पाली बैग में उपलब्धता

अतः ताजे बीजों की बुबाई की जाना चाहिये साथ ही अमरूद, पपीता, जंभीरी, सीताफल, ऑवला की बीज अंकुरण क्षमता एक वर्ष होती है, उन्हे एक वर्ष के भीतर बोना चाहिये। पालीथिन बैगों में 2–3 बीज प्रति बैग बोना चाहिये उगने के बाद एक स्वस्थ्य पौधा रखते हुये शेष अलग कर देना चाहिये। पॉलीथिन बैगों में पानी के निकास हेतु नीचे 4–5 जगहों पर छेद कर देना चाहिये।

बडिंग कार्य

टॉप वर्किंग कार्य

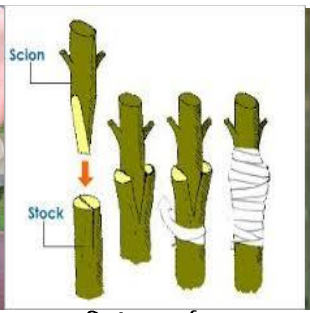

ग्राफ्टिंग कार्य

10.3.2 वानस्पतिक प्रसारण के माध्यम से:– वानस्पतिक प्रसारण में उत्तम गुणवत्ता के मातृ वृक्ष होना नितांत आवश्यक है अतः पूर्व से निर्मित/स्थित फल देने वाले नंदन फलोद्यान/शासकीय उद्यानों का चयन वानस्पतिक प्रसारण के लिये किया जा सकता है। मातृ वृक्ष से शत प्रतिशत गुण स्थिर रखने के उद्देश्य से वानस्पतिक प्रसारण कटिंग, लेयरिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग के माध्यम से बीजु पौधों के ऊपर उत्तम गुणवत्ता के बड्स का रोपण कर तैयार किये जाते है। जिन्हे आमतौर पर कलमी पौधा कहा जाता है, जोकि 3–4 वर्ष में फलन प्रारंभ कर देते है व शत प्रतिशत पैतृक गुण अनुसार फल प्रदाय करते है। अलग–अलग प्रजातियों में वानस्पतिक प्रसारण की अलग–अलग विधियॉ अपनाई जाती है। उदाहरण स्वरूप केला, बांस का प्रसारण राइजोम से, मीठी नीम, बेर, केला का शकर से, दूब, स्ट्राबेरी का रनर से, अनानास का शिखर से, अंगूर, गुलाब, अंजीर, अनार, मुनगा, जट्रोफा, गुग्गुल का कटिंग से, अमरूद अंगूर सेव नासपाती, चेरी, आम, नीबु, लीचिका, लेयरिंग से, बेर, आम, ऑवला, गुलाब, संतरा, मोसम्मी का बडिंग से, आम, सेव, चीकू, काजु का ग्राफ्टिंग विधि से पौधा तैयार किया जाता है। **"उक्त सभी विधियों का वर्णन संभव नही है अतः नर्सरी उत्पादन में संलग्न पात्र हितग्राहियों/स्व–सहायता समूहों को पृथक से उद्यानिकी विभाग के माध्यम से सिद्धांतिक व प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदाय कराया जावेगा"**

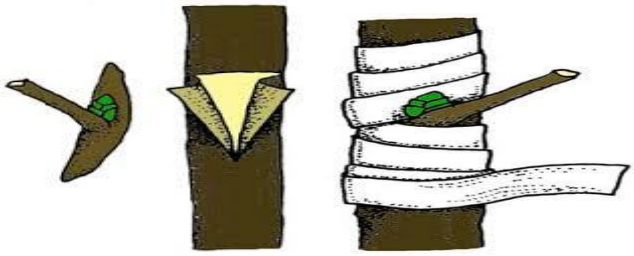

टी बडिंग

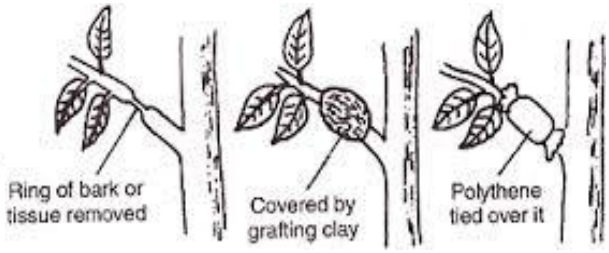

बडिंग उपरांत पॉलीट्यूब से बधाई

गूटी(लेयरिंग) के माध्यम से कलमी पौधों का उत्पादन

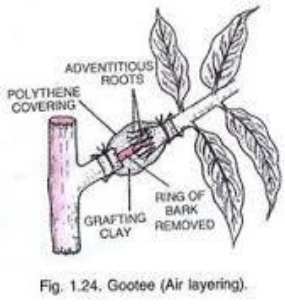

Fig. 1.24. Gootee (Air layering).

गूटी विधि

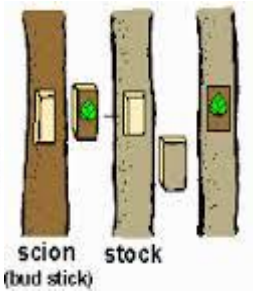

पेज बडिंग विधि

सकर्स विधि से पौधों का उत्पादन

10.4 पौध उत्पादन में पादप वृद्धि(हार्मोन) नियामक एवं उनका उपयोगः—

क	हार्मोन का नाम	प्रजाति का नाम	मात्रा(पीपीएम)	किस कार्य में उपयोग
1	इंडोल ऐसिटिक एसिड(आईएए)	अंगूर,	4000	कलम में जड़े लाने के लिये
		मीठा नीबु,	200	कलम में जड़े लाने के लिये
2	इंडोल ब्यूटिरिक एसिड(आईबीए), सेरेडिक्स	अमरूद	5000 से 10000	गूटी में जड़े लाने के लिये
		नीबु	1000 से 5000	गूटी में जड़े लाने के लिये
		लीची	50 से 100	कलम में जड़े लाने के लिये
3	इंडोल प्रोपियोनिक एसिड(आईपीए)	अंगूर	4000	कलम में जड़े लाने के लिये
4	नैफ्थैलीन एसिसिक एसिड (एनएए)	आम	20000	गूटी में जड़े लाने के लिये
		कटहल	10000	गूटी में जड़े लाने के लिये
		शोभयमान झाड़ियॉ	1000 से 5000	कटिंग में जड़े लाने के लिये
5	जिब्रेलिक एसिड (जीए)	पपीता	100	बीजों के शीघ्र अंकुरण के लिये

10.5 पादप वृद्धि(हार्मोन) नियामक एवं उनका अन्य उपयोगः–

क	कार्य का नाम	प्रजाति का नाम	वृद्धि नियामक का नाम	मात्रा पीपीएम में
1	पौधों में फूल लाने के लिये	अनानास	एनएए	10
			एथरिल	100
2	फलों को झड़ने से रोकने के लिये	आम, संतरा,	2,4–डी, 2,4 5 टी, प्लेनोफिक्स (एनएए)	8–10
		सेव तथा सीतोष्ण फल	(एनएए)	100
3	फलों की गुणवत्ता, आकार बढाने के लिये	अंगूर	जिब्रेलिक ऐसिड	35–40
4	बीज रहित फल बनाने के लिये	अमरूद, सीताफल	(आईएबी, एनएए)	10
5	फलों को पकाने के लिए	केला, आम	एथरिल, एथलीन	
6	पौधों में बोनापन लाने के लिये	सभी प्रकार के पौधों में	साइकोसिल	1 एम एल 1 लीटर पानी में
7	पौधों में उचाई बढाने के लिये	सभी प्रकार के पौधों में	जिब्रेलिक ऐसिड	50
8	तेज वृद्धि के लिये	सभी प्रकार के पौधों में	ट्रायकंट्रोनल	1 एम एल 1 लीटर पानी में

पीपीएम का तात्पर्य पार्ट पर मिलियन अर्थात 10 लाख भाग में एक भाग(1:1000000) जैसे एक पीपीएम एक ग्राम हार्मोन दस लाख मि. ली. जल या एक मि. ग्रा. हार्मोन को एक ली. पानी में घोलने से इस शक्ति का घोल तैयार हो जाता है। तुलनात्मक रूप से 1 प्रतिशत बराबर 10 हजार पीपीएम अथवा 1 पी पी एम बराबर 0.0001 प्रतिशत होता है। पीपीएम = प्रतिशत**x**10,000।

अध्याय–11

वृक्षारोपण हेतु विभिन्न विभागों से अभिसरण

क	अभिसरण मद	अभिसरण गतिविधि	अभिसरण विभाग का नाम
1	परफॉरमेन्स ग्रांट, 13–14 वां वित्त, गोड़ खनिज, पंच परमेश्वर	सिचाई हेतु, नलकूप खनन, मोटर पंप, जेनरेटर व्यवस्था	ग्रामीण विकास विभाग
2	सांसद व विधायक निधि	सिचाई हेतु, नलकूप खनन, मोटर पंप, जेनरेटर व्यवस्था	योजना एवं आर्थिक सांख्यिकीय
3	जन भागीदारी, राज्य योजना आयोग अंतर्गत नवाचार मद	, नवाचार गति विधियॉ, सौर उर्जा पंप की स्थापना	योजना एवं आर्थिक सांख्यिकीय
4	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	पौध उत्पादन हेतु नर्सरी स्थापना एवं लघु प्रशंसकरण इकाई	ग्रामीण विकास विभाग
5	राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र	चारागाह विकास/नवीन रोपण हेतु	ग्रामीण विकास विभाग
6	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	नवीन पौधरोपण योजनांतर्गत	कृषि/उद्यान विभाग
7	नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम	नवीन पौधरोपण एवं नर्सरियॉ	वन विभाग
8	लॉख डेवलॉपमेंट स्कीम	लाख उत्पादन हेतु	वन विभाग
9	सिल्क बोर्ड एंड सेरीकल्चर	रेशम उत्पादन हेतु	रेशम विभाग
10	नेशनल हॉर्टीकल्चर मिशन (एमआईडीएच)	नवीन फलदार पौधरोपण हेतु	उद्यान विभाग
11	माइक्रो ऐरिगेशन	ड्रिप सिचाई/स्प्रिंकलर हेतु	उद्यान विभाग
12	स्टेट बंबू मिशन	नवीन बांस पौधरोपण हेतु	वन विभाग
13	ग्रीन इंडिया मिशन	नवीन वृक्षारोपण हेतु	वन विभाग
14	पीएमजीएसवाय	पीएमजीएसवाय सड़को के किनारे, वृक्षारोपण हेतु स्थल उपलब्धता एवं वित्तीय सहायता	ग्रामीण विकास विभाग/पीएमजीएसवाय
15	नेशनल हाइवे अथोरिटी ऑफ इंडिया	राष्ट्रीय राजमार्गो के किनारे पौधरोपण हेतु सामग्री मद	एनएचएआई
16	नेशनल हॉर्टीकल्चर बोर्ड	वृक्षारोपण हेतु बैंक ऋण पर अनुदान	एनएचबी
17	पशु विकास योजना	चारागाह विकास हेतु	पशु चिकित्सा विभाग

वास्तविक रूप से अभिसरण तभी माना जाएगा जबकि संबंधित विभाग के द्वारा वित्तीय अभिसरण किया गया हो इस हेतु संबंधित विभागों के साथ मिलकर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मदवार तैयार कराई जाकर विभाग प्रमुखों के माध्यम से समस्त जिलों को निर्देश प्रसारित किये जाने होंगे। वित्तीय अभिसरण कार्यो की प्रशासनीय स्वीकृति जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी की जावेगी। स्टेट बंबू मिशन, संचानालय रेशम, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभागों के साथ एक्शन प्लान तैयार कर पृथक से जारी की किये जा रहे है एक्शन प्लान अनुसार योजना कियान्वित की जावेगी।

अध्याय–12

उद्यानिकी, रेशम, बांस मिशन, रोड साइड प्लांटेशन में अभिसरण

12.1 बागवानी मिशन के प्रावधान अनुसार उद्यान विभाग से अभिसरण अंतर्गत तैयार डी.पी.आर. 0.40 हेक्ट. में अंश राशि आदान सामग्री परः–

क्र	योजना का नाम	दूरी	कुल पौधे	उद्यानिकी अंश राशि	मनरेगा अंश राशि	कृषक अंश राशि	कुल योग राशि	उद्यानिकी अंश प्रतिशत	मनरेगा अंश प्रतिशत	कृषक अंश प्रतिशत	प्रजाति का नाम	ड्रिप
1	एम. आई. डी.एच.	3X3	444	13819	27681	13827	55327	25	50	25	नीबू	सहित
2	आर. के.व्ही. वाय.	5X5	160	16000	8000	8000	32000	50	25	25	अनार टिशु	सहित
3	एम. आई. डी.एच.	3X3	444	21904	19520	14420	55844	40	35	25	नीबू	सहित
4	एम. आई. डी.एच.	3X3	444	12742	11120	7894	31756	40	35	25	नीबू	रहित
5	एम. आई. डी.एच.	6X6	110	11775	10346	7390	29511	40	35	25	संतरा	सहित
6	एम. आई. डी.एच.	6X6	110	6170	3635	3870	13675	40	35	25	अमरूद	रहित
7	एम. आई. डी.एच.	2X2	1000	9865	10835	6165	26865	40	35	25	पपीता ताईवान	रहित
8	एम. आई. डी.एच.	1X1	4000	16000	65820	30000	111820	40	35	25	गुलाब बडिड	रहित

12.2 उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजना के प्रावधान अनुसार अभिसरण अंतर्गत तैयार डी.पी.आर 0.40 हेक्ट. अंश राशि मजदूरी व सामग्री सहितः—

क	योजना का नाम	दूरी	कुल पौधे	उद्यानिकी अंश राशि	मनरेगा अंश राशि	कृषक अंश राशि	कुल योग राशि	उद्यानिकी अंश प्रतिशत	मनरेगा अंश प्रतिशत	कृषक अंश प्रतिशत	प्रजाति का नाम	ड्रिप
1	एम.आई. डी.एच.	3X3	444	13819	116558	13827	144204	9.5	81.0	9.5	नीबू	सहित
2	आर.के. व्ही.वाय.	5X5	160	16000	39900	8000	63900	25.0	62.5	12.5	अनार टिशु	सहित
3	एम.आई. डी.एच.	3X3	444	21904	108397	14420	144721	15.0	75.0	10.0	नीबू	सहित
4	एम.आई. डी.एच.	3X3	444	12742	108197	7894	120433	10.5	83.0	6.5	नीबू	रहित
5	एम.आई. डी.एच.	6X6	110	11775	32449	7390	51614	23.0	62.8	14.3	संतरा	सहित
6	एम.आई. डी.एच.	6X6	110	6170	25508	3870	35548	17.5	72.0	11.5	अमरूद	रहित
7	एम.आई. डी.एच.	2X2	1000	9865	29235	6165	45265	22.0	64.5	13.5	पपीता ताईवान	रहित
8	एम.आई. डी.एच.	1X1	4000	16000	178742	30000	224742	7.0	79.5	13.5	गुलाब बडिड	रहित

उपरोक्त क्रम में निर्मित मार्गदर्शी डीपीआर परिशिष्ट 1,2,3,4,5,6,7,8 पर संलग्न है।

12.3 एमआईडीएच के निर्देशों के अनुक्रम में वित्तीय अभिसरण वन विभाग के माध्यम से बांस मिशन अंतर्गत तैयार डीपीआर मजदूरी व सामग्री सहित कार्यः—

क	योजना का नाम	दूरी	कुल पौधे	हेक्ट.	बांस मिशन अंश राशि	मनरेगा अंश राशि	कुल योग राशि	बांस मिशन अंश प्रतिशत	मनरेगा अंश प्रतिशत	ड्रिप
1	एम.आई.डी.एच.	6X6	55	0.20	2097	12562	14659	14.0	86.0	रहित
2	एम.आई.डी.एच.	6X6	110	0.40	4165	23706	27871	15.0	85.0	रहित
3	एम.आई.डी.एच.	6X6	280	1.0	10580	57927	68507	15.50	84.50	रहित

उपरोक्त क्रम में निर्मित मार्गदर्शी डीपीआर परिशिष्ट 9,10,11 एवं पौध उत्पादन संबंधी डीपीआर परिशिष्ट 12 पर संलग्न है।

12.4 एमआईडीएच के निर्देशों के अनुकम में बांस मिशन अंर्तगत 30000 रूपये प्रति हेक्टेयर 35 प्रतिशत अनुदान 3 वर्षों में 50:25:25 अनुसार तैयार डी.पी.आर.:–

क	हेक्ट.	बांस मिशन अंर्तगत स्वीकृत राशि	प्रथम वर्ष में व्यय राशि	द्वितीय वर्ष में व्यय राशि	त्रितीय वर्ष में व्यय राशि	कुल योग राशि	प्रथम वर्ष में व्यय %	द्वितीय वर्ष में व्यय %	त्रितीय वर्ष में व्यय %
1	1.00	10500	5260	2660	2660	10580	50	25	25
2	0.40	4200	2075	1045	1045	4165	50	25	25
3	0.20	2100	1097	500	500	2097	50	25	25

12.5 रेशम उपयोजना अंतर्गत तैयार डीपीआर मजदूरी व सामग्री सहित कार्यः–

क	योजना का नाम	दूरी फिट	कुल पौधे	हेक्ट.	रेशम उप योजना अंतर्गत	मनरेगा अंश राशि	कृषक अंश राशि	कुल योग राशि	रेशम अंश प्रतिशत	मनरेगा अंश प्रतिशत	कृषक अंश प्रतिशत
1	**रेशम उपयोजना अभिसरण सहित**	3X2.6	**5600**	**0.40**	**193750**	**210545**	**199250**	**603545**	**32.0**	**35.0**	**33.0**
2	**रेशम उपयोजना अभिसरण रहित**	3X2.6	**5600**	**0.40**	–	**255055 मजदूरी, 151985 सामग्री 103070**	–	**255055**	–	**100**	–

उपरोक्त कम में निर्मित मार्गदर्शी डीपीआर परिशिष्ट 13,14 एवं पौध उत्पादन संबंधी डीपीआर परिशिष्ट 15 पर संलग्न है।

12.6 रोडसाइड मार्गदर्शी प्राक्कलन(पीएमजीएसवॉय एवं एनएचएआई के अभिसरण अंतर्गत) विभिन्न पद्धति अनुसार व्यय का आंकलनः–

पौधों का विवरण	लगाये जाने वाले पौधों की संख्या	प्रबंधन वर्ष	मजदूरी पर व्यय	प्रतिशत	सामग्री पर व्यय	प्रतिशत	कुल व्यय	प्रति पौधा व्यय
1 से 1.5 मीटर (3.5–5.00 फीट) ऊॅचाई के 2 वर्ष उम्र के पौधे	100	5 वर्ष	93710	60.50	61334	39.50	155044	1550

2 मीटर से अधिक (7–9 फीट) ऊॅचाई के 3 वर्ष उम्र के पौधे	100	5 वर्ष	88351	60.50	57784	39.50	146135	1461
1 से 1.5 मीटर (3.5–5.00 फीट) ऊॅचाई के 2 वर्ष उम्र के पौधे	200	5 वर्ष	108672	36.25	190809	63.75	299481	1497
2 मीटर से अधिक (7–9 फीट) ऊॅचाई के 3 वर्ष उम्र के पौधे	200	5 वर्ष	97914	34.75	183668	65.25	281582	1407

(राशि रूपये में)

उपरोक्त क्रम में निर्मित मार्गदर्शी डीपीआर परिशिष्ट 16,17,18,19 एवं पौध उत्पादन संबंधी डीपीआर परिशिष्ट 20 पर संलग्न है। इसके साथ ही शासकीय भूमि पर 2 हेक्टेयर एवं 3 हेक्टेयर में वृक्षारोपण करने की स्थिति में मार्गदर्शी डीपीआर परिशिष्ट 21,22 एवं निजी भूमि पर बगैर अभिसरण नंदन फलोद्यान की डीपीआर परिशिष्ट 23 एवं अंर्तवर्ती पपीता के साथ परिशिष्ट 24 पर सलंग्न है।

अध्याय–13

पौधे–अन्य आदान सामग्री कय एवं म.प्र. भंडार कय नियमों का पालन एवं रिकोर्ड संधारण

13.1 पौधे व अन्य आदान सामग्री कयः– मध्यप्रदेश भंडार कय नियमों एवं मनरेगा परिषद/उद्यान विभाग(लाईन विभाग) द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो का पालन करते हुये शासकीय/अर्द्धशासकीय/ सहकारी संस्थाओं से गुणवत्तापूर्ण पौधे, व अन्य आदान सामग्री की व्यवस्था कार्य एजेन्सी, सहायक/उप संचालक उद्याान उद्यान विभाग की देखरेख में की जावेगी। यह अनिवार्यता ध्यान रखा जावेगा कि आवश्यक सामग्री हितग्राही को समय पर उपलब्ध करा दी जावे व समय पर ही मजदूरी भुगतान की जावे, जिसकी नियमित मॉनीटरिंग जिला पंचायत में पदस्थ सहायक संचालक उद्यान/उद्यानिकी सहायक/परियोजना अधिकारी मनेरगा द्वारा की जावेगी। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को लिखित में अवगत कराया जावेगा।

13.1.1 मनरेगा योजना में पौधो का कय शासन परिषद् निर्देशों के अनुकम में शासकीय उपकम उद्यान विभाग, वन विभाग, वन अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त, कृषि विज्ञान केन्द्र, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन अंतर्गत स्वीकृत रोपणियों से कय किये जावेगे। उक्त संस्थाओं में पौधे उपलब्ध न होने की स्थिति में भारत सरकार से कृषि आदान सामग्री हेतु अधिकृत व पंजीकृत सहकारी संस्थाओं(इफको, कृभको, नेफेड, नेकॉफ), नेशनल हॉर्टीकल्चर बोर्ड की रेटिंग प्राप्त नर्सरियॉ, स्टेट फॉर्म कार्पोरेशन एवं एमपीएग्रो के माध्यम से कय किये जा सकेंगे।

13.1.2 पौधों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु पौधों का कय आदेश जिला पंचायत/जनपद पंचायत स्तर से जारी किये जावेंगे, उनकी गुणवत्ता का सत्यापन जिला पंचायत स्तर से गठित कमेटी द्वारा किया जावेगा, पौधे प्राप्त होने पर अथवा ग्राम पंचायत को प्रदाय करते समय भी जिला पंचायत के नियंत्रण में सत्यापन उपरांत ही पौधे प्रदाय किये जा सकेंगे। कय पौधों का भुगतान कियान्वयन एजेन्सी द्वारा किया जावेगा।

13.2 हितग्राही के माध्यम से साामग्री का कयः– हितग्राही की सहमति होने की स्थिति में भारत सरकार के पत्र कमांक 11017/17/2008–NREGA(UN)(PART-II) दिनॉक 31.07.2014 के बिंदु कमांक 10 (C-II) के निर्देशों के अनुकम में पौधे एवं अन्य आदान सामग्री की व्यवस्था हितग्राही द्वारा स्वयं की जा सकती है। बिल प्रस्तुत करने पर मूल्यांकन व सत्यापन उपरांत राशि का भुगतान हितग्राही के बैंक एकाउन्ट में बेन्डर के रूप में किया जा सकता है। पौधे एवं अन्य सामग्री की गुणवता की जवाबदारी हितग्राही की स्वयं की होगी।

13.3 सामग्री कय हेतु म.प्र. भण्डार कय नियम का पालनः–

13.3.1 सर्वप्रथम मध्यप्रदेश भंडार कय नियमों का पालन करते हुए वृक्षारोपण हेतु आदान सामग्री(पौधे, खाद, दवा, उपकरण आदि) का कय शासकीय, अर्द्धशासकीय, मध्यप्रदेश शासन/ भारत सरकार से कृषि आदान सामग्री हेतु अधिकृत व

पंजीकृत सहकारी संस्थाओं(इफको, कृभको, नेफेड, नेकॉफ) ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध सहकारी समीतियॉ/सोसायटी के माध्यम से क्रय की जावेगी।

13.3.2 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय का राजपत्र क्र. 299 दिनांक 12.04.99 के निर्देशों के अनुक्रम में कंडिका 13 अनुसार ऐसी सामग्री जो राज्य सरकार के भण्डार क्रय नियम के अधीन कृषि उद्योग विकास निगम (एम पी एग्रो), लघु उद्योग निगम, खादी ग्रामोद्योग, चर्म विकास निगम, हस्तशिल्प विकास निगम आदि के माध्यम से क्रय की जाना है आशादित है कि, उनसे अप्राप्तता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही इन नियमों में कथित प्रकिया का पालन करते हुए खुले बाजार में क्रय की जावेगी। अर्थात् सर्वप्रथम क्रय आदेश शासन द्वारा निर्धारित सक्षम शासकीय/अर्द्धशासकीय (एम पी एग्रो व अन्य) संस्थाओं को प्रदाय किये जावेगें जब उक्त सामग्री शासकीय/अर्द्वशासकीय संस्थायें प्रदाय करने में असमर्थ हों तब उनसे अप्राप्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही खुले बाजार से सामग्री क्रय कर सकेगें।

13.3.3 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. भण्डार क्रय नियम के निर्देश 06 अनुसार जो वस्तुऍ म.प्र. विविध संहिता भाग 2, परिशिष्ट 5 के नियम 14 अनुसार लद्यु उद्योग निगम हेतु आरक्षित हैं वह सामग्री मात्र उन्हीं से क्रय की जावेगी। निर्देश 9 अनुसार खुले बाजार में क्रय हेतु लद्युउद्योग निगम से अनुउपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

13.3.4 संयुक्त आयुक्त वित्त एवं लेखा म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल के पत्र क्र. 14216/एनआर–4/03/2/09–10 भोपाल दिनांक 13.11.09 को प्राप्त निर्देशानुसार वाणिज्य कर, आयकर, सेवाकर विभागों में पंजीकृत संस्थाओं से ही सामग्री क्रय की जावेगी।

13.3.5 सीमित निविदा पद्वति द्वारा खुले बाजार से सामग्री क्रय करते समय 25000 से कम मूल्य की सामग्री क्रय करने पर न्यूनतम 03 पंजीकृत संस्थाओं से जिनका की वाणिज्य कर, आयकर, सेवाकर, आदि विभागों में पंजीयन हो कुटेशन प्राप्त कर ग्राम पंचायत स्तर पर गठित कमेटी जिसमें सरपंच, उपसरपंच, सचिव एवं उपयत्री शामिल हो के समक्ष म.प्र. क्रय भण्डार नियमों का पालन करते हुए तुलनात्मक विवरण अनुसार न्यूनतम दर स्वीकृत करते हुए ही सक्षम स्वीकृत संस्थाओं से सामग्री क्रय की जावेगी।

13.3.6 निविदा पद्वति द्वारा खुले बाजार में 25000 से अधिक मूल्य की सामग्री क्रय करने हेतु टेंडर (निविदाओं) का आमंत्रण दो स्थानीय सामाचार पत्रों एवं रोजगार एवं निर्माण में प्रकाशित करना होगा। प्राप्त निविदा आधार पर ही न्यूनतम निविदा प्राप्त सक्षम पंजीकृत संस्था से ही सामग्री क्रय की जावेगी।

13.3.7 क्रय प्रत्येक सामग्री में गुणवत्ता एवं मात्रा का पूर्ण ध्यान रखा जावेगा साथ ही सभी सामग्री विधिवत स्टॉक रजिस्टर में अंकित कर चयनित हितग्राही/जाबकार्डधारी से पावती प्राप्त कर ही प्रदाय की जावेगी।

उपरोक्तानुसार प्रदाय नियमों का पूर्णरूपेण पालन किया जावेगा अन्यथा किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमित्ताओं के लिए कियान्वयन एजेन्सी पूर्णरूपेण जबावदार होगी, उपयंत्री द्वारा मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों का पालन सुनिश्चित होने के बाद ही बिलों का मूल्यांकन, सामग्री का सत्यापन करते हुए किया जाएगा। सहायक यंत्री द्वारा भी एफटीओ

स्वीकृति के पूर्व नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जावेगा, नियमो का पालन न किये जाने की स्थिति में भुगतान रोक दिया जावेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं सहायक लेखा अधिकारी की यह जबावदारी होगी की बगैर सहायक यंत्री के सत्यापित बिलों का एफटीओ जारी नही किया जावेगा। क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों का पालन की जबाबदारी जिले में पदस्थ सहायक संचालक उद्यान/सहायक उद्यानिकी अधिकारी की भी होगी समय–समय पर भ्रमण के दौरान क्रय सामग्री का भौतिक सत्यापन के साथ नियमों के पालन संबंधी जानकारी प्राप्त की जावेगी।

13.4 वृक्षारोपण कार्यों का जिला स्तर पर दरों का निर्धारणः–

जिला स्तर पर वृक्षारोपण संबंधी समस्त कार्यों मजदूरी हेतु उद्यान विभाग/वन विभाग में स्वीकृत टॉस्क अनुसार एवं सामग्री हेतु शासकीय/अर्द्धशासकीय/सहकारी संस्थाओं में स्वीकृत दरों अथवा प्रचलित बाजार दरों के आधार पर जिला दर निर्धारण समिति द्वारा अनिवार्यतः वृक्षारोपण कार्यों का एसओआर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग में स्वीकृत एसओआर(ग्वालियर जिले में स्वीकृत वृक्षारोपण कार्यों के एसओआर) अनुसार पृथक से स्वीकृत किया जावेगा, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की यह जबावदारी होगी की वृक्षारोपण में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसाार स्वीकृत कार्यों की प्रतिवर्ष संसोधन दर सूची जारी की जाए, जिला निर्धारण दर समिति में वन विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, एमपी एग्रो, लघु उद्योग निगम, मार्केटिंग फेडरेशन, पीएचई, कृषि विज्ञान केन्द्र, के जिला प्रमुख अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिये।

अध्याय–14

वृक्षारोपण से पात्र हितग्राही को होने वाली आय–आउटकम

14.1 उद्यानिकी योजनान्तर्गत हितग्राही को प्राप्त होने वाली आय योजना के प्रावधान अनुसार विभिन्न प्रजातियों से अनुमानित आय प्रतिवर्ष प्रतिएकड़ः–

प्रजाति का नाम	कुल पौधे	3–5 वर्ष से प्राप्त औसत उत्पादन किलो में प्रतिपौधा	प्राप्त कुल औसत उत्पादन क्वींटल में	भाव औसत प्रति क्वींटल रूपये में	कुल आय रूपये वर्ष में	हितग्राही को प्रतिमाह के हिसाब से प्राप्त औसत आय रूपये में	रिमार्क
आम	110	80–150	126	1000	126000	10500	प्राप्त आय में कमशः 20–25 वर्ष तक वृद्धि होगी जोकि अधिकतम 30–40 वर्षों तक हितग्राही को प्राप्त होती रहेगी पपीता एवं केला 2–2.5 वर्ष में आय प्राप्त होगी
ऑवला	110	60–80	77	600	46200	3850	
अनार टिशु	160	30–40	56	1500	84000	7000	
नीबू	444	25–30	119	800	95200	7933	
संतरा	110	80–100	99	1000	99000	8250	
मोसम्मी	110	80–100	99	1200	118800	9900	
अमरूद	110	60–80	77	800	61600	5133	
अमरूद	444	40–60	222	800	177600	14800	
पपीता ताईवानी	1000	50–60	550	500	275000	22916	
केला	1000	30–40	350	800	280000	23333	
गुलाब बडिड	4000	20–25 नग	88000 नग	1.5 रू प्रति नग	132000	11000	

14.2 बांस मिशन अंतर्गत बांस पौधरोपण योजना के प्रावधान अनुसार अनुमानित आय प्रतिवर्षः–

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	3–5 वर्ष से प्राप्त औसत उत्पादन नग में प्रतिपौधा	100 पौधों से प्राप्त कुल औसत उत्पादन नग में	भाव औसत प्रति नग (12–15 फिट लंबाइरूपये में	कुल आय रूपये वर्ष में रूपये में	हितग्राही को प्रतिमाह के हिसाब से प्राप्त आय रूपये में	रिमार्क
बांस	55	15–20	962.5	16	15400	1283	प्राप्त आय में कमशः 20–25 वर्ष तक वृद्धि होगी जोकि अधिकतम 30–40 वर्षों तक हितग्राही को प्राप्त होती रहेगी
बांस	110	15–20	1925	16	30800	2566	
बांस	280	15–20	4900	16	78400	6533	

14.3 रेशम उपयोजना अंतर्गत योजना के प्रावधान अनुसार अनुमानित आय प्रतिवर्ष प्रति एकड़ः–

उत्पादित फसल का नाम	समय अवधि	डी.एफ.एल. एस. का प्रकार	200 डी.एफ.एल. एस. पर उत्पादन किलो में	कीमत प्रति किलो	कुल आय	रिमार्क
ग्रीष्म कालीन फसल	अप्रैल–मई	मल्टी वोल्टाइन	100	175	17500	शहतूत रोपण के 6–8 माह बाद कीट को खाने के लिये पत्तियॉ उपलब्ध होने लगती है, 8–9 माह में पृथम उत्पादन प्राप्त हो जाता है। जोकि लगातार 25–30 वर्ष लिया जा सकता है।
वर्षा कालीन फसल	जून–अगस्त	मल्टी वोल्टाइन	100	175	17500	
शरद कालीन फसल पृथम	अक्टूबर–नवंम्बर	बाइवोल्टाइन	120	275	33000	
शरद कालीन फसल द्वितीय	दिसम्बर–जनवरी	मल्टी/ बाइवोल्टाइन	100	175	17500	
बसंत कालीन फसल	फरवरी–अप्रैल	बाइवोल्टाइन	120	275	33000	
योग			540		118500	

14.4 रोडसाइड प्लांटेशन अंतर्गत योजना के प्रावधान अनुसार विभिन्न प्रजातियों से अनुमानित आय प्रतिवर्ष प्रति 100 पौधे सेः–

प्रजाति का नाम	5–8 वर्ष से प्राप्त औसत उत्पादन किलो में प्रतिपौधा	100 पौधों से प्राप्त कुल औसत उत्पादन क्वींटल में	भाव औसत प्रति क्वींटल रूपये में	कुल आय रूपये वर्ष में रूपये में	ट्री पट्टाधारी को प्रतिमाह के हिसाब से प्राप्त आय रूपये में	रिमार्क
आम	100–200	150	1000	150000	12500	प्राप्त आय में क्रमशः 20–25 वर्ष तक वृद्धि होगी जोकि अधिकतम 30–40 वर्षों तक हितग्राही को प्राप्त होती रहेगी
इमली	80–100	90	2000	180000	15000	
कटहल	500–800	650	500	325000	27083	
सहजन	50–60	55	1500	82500	6875	
अमरूद	80–100	90	700	63000	5250	
चीकू	40–50	45	1000	45000	3750	
जामुन	60–80	70	1000	70000	58333	
कैंथा	60–80	70	600	42000	3500	
बेल	50–60	55	1000	55000	4583	
महुआ	80–100	90	2000	180000	15000	
नीम	50–60	55	500	27500	2291	
करंज	40–50	45	1000	45000	3750	

अध्याय–15

प्रबंधन कार्य हेतु मनरेगा मेट(सर्विस प्रोवाईडर), अन्य संस्थाओं की सहायता एवं मॉनीटरिंग–रिपोर्टिंग

15.1 प्रबंधन व मॉनीटरिंग हेतु उद्यानिकी/वृक्षारोपण कार्यों में ग्राम पंचायत में पूर्व से नामांकित मेटो की सहायता प्राप्त करनाः–

वृक्षारोपण व उद्यानिकी कार्य क्लस्टर के रूप में लिया जाना चाहिये 50 जॉबकार्डधारी एक ही ग्राम पंचायत में कार्य करने की स्थिति में ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्व से चयनित/निर्मित मेटों की सेवाएँ प्रबंधन व मॉनीटरिंग कार्य हेतु ली जानी चाहिये। उक्त मेट को एक ही दिन में 40 श्रमिकों के कार्य करने पर सेमीस्किल्ड के रूप में 230 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जावेगा। 40 से कम मजदूर काम करने पर आनुपातिक भुगतान किया जावेगा। मेट का पौधों को जीवित रखने में मदद करना, मजदूरी भुगतान हेतु समय पर मस्टर इशु कराना उनका भुगतान सुनिश्चित करना, समय पर सामग्री उपलब्ध कराने में मदद करना, क्रियान्वयन एजेन्सी से सतत् संपर्क बनाये रखते हुये आने वाली किसी भी समस्या का तत्काल निदान करना होगा। पूर्व से नियुक्त मेट द्वारा दायित्यों का निर्वाहन सफलतापूर्वक न करने की स्थिति में उसे पृथक करते हुये, चयनित हितग्राहियों में से 8 वीं पास व्यक्ति को नवीन मेट के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

15.2 मॉनीटरिंग व रिपोर्टिंगः–

15.2.1:– मूल्यांकन कर्ता अधिकारी उपयंत्री/वनक्षेत्राधिकारी/रेशम अधिकारी/ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी/वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी द्वारा सत्त रूप से मॉनीटरिंग की जावेगी।

15.2.2:– जिला स्तर पर त्रैमासिक रूप से जिला कार्यक्रय समन्यक द्वारा बैठक का आयोजन उपयंत्री/वनक्षेत्राधिकारी/रेशम अधिकारी/उप/सहायक संचालक उद्यान विभाग/मनरेगा/वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी/ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की उपस्थिती में किया जाकर उदभूत होने वाली कठिनाइयों का निराकरण कर आवश्यक मार्गदर्शन दिया जावेगा।

15.2.3:– त्रैमासिक बैठकों के अलावा एक बैठक वर्षाकाल प्रारम्भ होने के पूर्व पर्याप्त समय रहते चयनित हितग्राहियों की उपस्थिती में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाकर वार्षिक कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जावे, जिसमें हितग्राहियों को पूर्ण रूपेण तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदाय किया जावेगा व टी.एस/ए.एस. की प्रति/तकनीकी साहित्य उपलब्ध कराया जायेगा।

15.2.4:– संभागीय प्रबंधंक मनरेगा द्वारा संभाग स्तर पर परियोजना अधिकारी मनरेगा एवं सहायक यंत्री/वनक्षेत्राधिकारी/रेशम अधिकारी/उप/सहायक संचालक उद्यान उद्यान विभाग/सहायक उद्यानिकी मनरेगा के साथ प्रत्येक माह बैठक का आयोजन किया जायेगा, संपूर्ण योजना के क्रयान्वयन में सत्त मॉनीटरिंग करते हुये योजना की सफलता हेतु पूर्ण प्रयास किये जावेंगे।

15.2.5:– जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उप/सहायक संचालक उद्यान उद्यान विभाग/रेशम विभाग/वन विभाग एवं मनरेगा, उद्यानिकी अधिकारी के संयुक्त उपस्थिती में प्रत्येक माह अधिनस्थ कर्मचारियों/सर्विस प्रोवाइडर/क्रियान्वित एजेन्सी के साथ बैठक आयोजित की जावेगी।

15.2.6:– प्रत्येक बैठक में की गई कार्यवाही के आधार पर पालन प्रतिवेदन से स्टेट नोडल अधिकारी उद्यानिकी मनरेगा परिषद भोपाल एवं संबंधित विभाग संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी/स्टेट बंबू मिशन/रेशम संचालनालय को अवगत कराया जावेगा।

15.2.7:– योजना की सफल मॉनीटरिंग हेतु राज्य स्तर, जिला स्तर, जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किये जावेंगे, जिनके नाम, पद, पदस्थापना स्थल, मोबाइल नंबर से सभी को अवगत कराया जावेगा।

प्रतिवर्ष राज्य स्तर से 5 प्रतिशत तक जिला पंचायत स्तर से कम से कम 50 प्रतिशत जनपद स्तर से 100 प्रतिशत कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्व क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग हेतु पात्र हितग्राहियों के फील्ड का भ्रमण किया जावेगा।

अध्याय–16
फल वृक्षों में लगने वाले रोग–कीट व उनका नियंत्रण

क्र.	फसल	रोग/कीट का नाम	फोटो	लक्षण	नियन्त्रण
1	आम	गुच्छा रोग (Mango mal Formation) एवं फलों का गिर जाना (माइकोप्लाजमा)		पत्तिया छोटी होकर गुच्छे का रूप ले लेती है। पुष्प क्रम का गुच्छा बन जाता है। फूल के सभी अंग मोटे हो जाते। फल नही लगते है, साथ ही झड़ जाते है।	गुच्छा रोग का नियन्त्रण के लिये रोगर 2 एमएल+सल्फेक्स 3 ग्राम+ नेफ्थलीन एसीटिक अम्ल एसिड (एनएए 200 पीपीएम का छिड़काव प्रथम बौर दिखने पर एवं द्वितीय जब आम के फल चने या मटर बराबर हो जायें छिड़काब करना चाहिए।
		Powdery Mildew (ओइडियम मेंजीफेरी)		फूलो तथा छोटे फलो एवं शाखाओं के अग्र भाग पर सफेद रंग का चूर्ण जमा हो जाता है पत्तियों पर विखरे हुए धव्वे दिखाई देते है।	बीमारी के लक्षण पौधें पर दिखाई देते ही 5 प्रतिशत गन्धक के घोल का छिडकाव करना चाहिए। इसके अलावा केराथिन या बेल्टॉन 1 ग्राम प्रति ली. घोल का छिडकाव करने से भी इस बीमारी पर नियन्त्रण किया जा सकता है।
		एन्थ्रेक्नोज (श्याम वर्ण) (कोलेटोट्राइकम जाति)		इस रोग का आक्रमण पौधो के पत्तों, शाखाओं और फूलो जैसे मुलायम भागो पर अधिक होता है। प्रभावित हिस्सों में गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई पड़ते है इसके प्रभाव से मंजरिया काली पडकर सूख जाती है। और अंततः गिर जाती है।	इसकी रोकथाम 3 ग्राम प्रति ली. पानी के हिसाब से कॉपरआक्सीक्लोराइड़ या 4:4:50 बोर्डो मिश्रण का छिडकाव करके किया जा सकता है।

		ब्लेक टिप (ईट के भट्टे से निकलने वाली so, एसीटिलीन एवं co_2 गैस।)		फल का अग्रभाग काला पडने लगता है। इसके पश्चात ऊपरी हिस्सा पीला पडने लगता है। और फिर गहरा भूरा और अंत मे काला हो जाता है।	0.8 प्रतिशत कास्टिक सोड़ा का दो बार छिडकाव करे। 0.6 प्रतिशत बोरेक्स का छिडकाव करे। साथ ही ईंट के भट्टों के पास आम का बाग नही लगाना चाहिये।
		गमोसिस (फाइटोफिथोरा)		मुख्य तने के निचले भाग से तथा कभी–कभी प्रमुख जडो से गोंद जैसा पदार्थ निकलता है। तने की छाल फट जाती है।	प्रभावित भाग को छीलकर बोर्डो पेस्ट लगाना चाहिए। एवं एक प्रतिशत बोड्रोमिश्रण या 03 ग्राम प्रति लीटर सी. ओ.सी. का पौधो पर छिड़काव करना चाहिये।
		Meely Bug (चेपा) कीट		सफेद कोमल कीड़े झुण्ड़ में रहकर पत्तियों तथा फलो का रस चूसते है।	नुवाक्रान(मोनोक्रोटोफॉस) 02 एम.एल. प्रति लीटर या नोआन 02 एम.एल. प्रति लीटर का छिड़काब करना चाहिए।
		(मैंगो हॉपर) कीट		इस कीड़े के शिशु तथा प्रोढ आम मंजरियों एवं उसके मुलायम तने का रस चूसते है। जिससे आम की मंजरिया मुरझा कर भूरी हो जाती है एवं गिर जाती है।	जनवरी के महीने से हर बीस दिन के अन्तर पर वृक्षो पर 0.25 प्रतिशत कार्बोरिल या 0.1 प्रतिशत डायजिनान या 0.2 प्रतिशत एण्डोसल्फान या 0.2 प्रतिशत मैलाथियान का छिड़काब करे।
2	अमरूद	उक्टा (Wilt) (फ्यूजेरियम)		पौधों की जड़ों में फंगस का प्रकोप होने पर शाखाए आगे के भाग से सूखना आरम्भ होकर नीचे की तरफ सूख जाती है। पूरा वृक्ष सूख जाता है।	रोगी टहनियों को काटकर कटे भाग पर रिडोमिल की लुग्दी लगाने से इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। साथ ही टॉपसीन 3 ग्राम अथवा रेडोमिल 3 ग्राम अथवा बोडोमिक्चर 1 प्रतिशत पौधों की जड़ों पर ड्रेचिंग करने से रोकथाम की जा सकती है।

		एन्थ्रेक्नोज (कोलेटोट्राइकम साइडाइ)		आरम्भ में फलो पर काली चित्तिया होना ओर बाद में पूरा फल काला हो जाना फल छोटे रह जाते है।	4:4:50 बोर्डो मिश्रण का छिडकाब करें दो से तीन ग्राम फाइटोलान(कॉपरऑक्सीक्लोराइड) एक लीटर पानी में घोल बनाकर छिडकाब करना चाहिए।
		फलमक्खी कीट		ये मक्खी बरसात वाले फलों में अण्ड़े देती है व इनसे निकली इल्लिया गूदा खाती है। परिणामस्वरूप फल सड़ जाता है।	जुलाई के प्रथम सप्ताह में 0.2 प्रतिशत मैलाथियॉन को 1 प्रतिशत को गुड के घोल में मिलाकर छिड़काब करे, जहरीला प्रपंच का प्रयोग करें।
3	नीबू/ संतरा	सिट्रसकैंकर (जैन्थोमोनास सिट्राई)		पत्तियों, टहनियों, कॉटों और फलो पर छोटे–छोटे हल्के पीले रंग के धब्बे पड जाते है। जो बाद में भूरे हो जाते है। यह कागजी नीबू में अधिक होता है।	बोर्डो मिश्रण 5:5:50 का छिडकाब करना चाहिए। कॉपरऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति ली. एवं स्ट्रेप्टोसाइक्लीन नामक रसायन 1 ग्राम को 10 लीटर पानी में घोलकर तीन या चार बार छिडकने से रोकथाम की जा सकती है। साथ ही बीमारी वाली शाखाओं को काटते–छाटते रहना चाहिये।
		डाइबैक(बेक्टिरियल बीमारी)		पौधे के पत्तों एवं टहनियों पर काले भूरे कलर के खुरदरे धब्बे अनियमित आकार के निर्मित हो जाते है। टहनियॉ सूखना प्रारंभ हो जाती है धीरे–धीरे ऊपर से शाखाऍ सूखते हुये नीचे की तरफ बढ़ती है।	बोर्डो मिश्रण 5:5:50 का छिडकाब करना चाहिए। कॉपरऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति ली. एवं स्ट्रेप्टोसाइक्लीन नामक रसायन 1 ग्राम को 10 लीटर पानी में घोलकर तीन या चार बार छिडकने से रोकथाम की जा सकती है। साथ ही बीमारी वाली शाखाओं को काटते–छाटते रहना चाहिये।

		गमोसिस (फाइटोफिथोरा)		मुख्य तने के निचले भाग से तथा कभी–कभी प्रमुख जडो से गोंद जैसा पदार्थ निकलता है। तने की छाल फट जाती है।	प्रभावित भाग को छीलकर बोर्डो पेस्ट लगाना चाहिए। प्रतिरोधी मूलवृन्त रंगपुर लाइन का उपयोग करना चाहिए, साथ ही बीमारी वाली शाखाओं को पौधे से अलग कर देना चाहिये।
		सफेद मक्खी		इस कीड़े के शिशु प्रोढ पत्तियों का रस चूसते हे। जिससे परिणामस्वरूप पत्तिया मुड़ जाती है एवं गिर जाती है।	0.5 ml कॉन्फिडोर को 1 ली0 पानी में बने घोल का छिड़काब करना चाहिए अथवा ट्राइजोफॉस 2 ml+नीम का तेल 6 ml प्रतिलीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिये।
		तनाभेदक		इस कीड़े की इल्ली तने में छेद करती है और छाल को खाकर पेड़ो को हानि पहुचाती है, छेद के पास मकड़ी सा जाला एवं इल्ली कीड़े की बीट कत्थई भूरे से कलर का लगा रहता है।	इसके नियन्त्रण के लिये रूई को प्रैट्रोल, फार्मलिन या डायक्लोरोवास में भिगोकर अथवा इंजेक्शन की सहायता से छेद के अन्दर भर देना चाहिए। फिर चिकनी मिट्टी के लेप से छेद को बन्द कर देना चाहिए।
4	ऑवला	आन्तिरिक ऊतक छय रोग (बोरोन की कमी से)		अक्टूबर के माह में फल भूरे काले पड जाते हैं।	सितम्बर–अक्टूबर के महीने में बोरेक्स 0.5 प्रतिशत का छिडकाब करना चाहिए, अथवा पौधों की जड़ो के पास 80–100 ग्राम प्रति पौधा गुड़ाई करके दिया जाना चाहिये।
		गिडार		वृक्षों के ऊपर की छाल को खाते है।	एण्डोसल्फान का 02 एम.एल. प्रति लीटर का छिडकाब करना चाहिए।

		गॉल का निर्माण		कीट द्वारा तने के अंदर अंडे रख दिये जाते है, जिसके वहॉ पर एक गॉठ/गॉल का निर्माण हो जाता है, गॉठ के ऊपर का हिस्सा सूखने लगता है।	गॉठ/गॉल को काटकर अलग कर देना चाहिये। 0.5 ml कॉन्फिडोर को 1 ली0 पानी में बने घोल का छिड़काब करना चाहिए अथवा ट्राइजोफॉस 2 ml+नीम का तेल 6 ml प्रतिलीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिये।
5	अनार	फल चित्ती रोग (सर्कोस्पोरा तथा ग्लिओसपोरिम)		पत्तियों एवं फलो पर सफेद धब्बे होना।	1 प्रतिशत बोर्डो मिश्रण का छिडकाब करना चाहिए।
		फलमक्खी कीट		ये मक्खी बरसात वाले फलों में अण्ड़े देती है व इनसे निकली इल्लिया गूदा खाती है। परिणामस्वरूप फल सड़ जाता है।	जुलाई के प्रथम सप्ताह में 0.1 प्रतिशत मैलाथियॉन को 1 प्रतिशत को गुड के घोल में मिलाकर छिड़काब करे।
		फल फटना		बोरोन नामक अल्प तत्व की कमी से एवं अनियमित रूप से ताव देकर खाद व पानी देने से फल फटने लगते है।	बोरेक्स 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से पौधे पर स्प्रे करें साथ ही अधिक समस्या होने पर प्रतिपोधा जड़ों के पास 50–60 ग्राम बोरेक्स देकर गुड़ाई करें। पौधों को नियमित रूप से पानी दें।
6	बेर	Powdery Mildew (आइडियोप्सिस)		पत्तियों पर सफेद चूर्ण जमा होना एवं फल पकने तक भूरे धब्बे होना।	जुलाई, सितम्बर, नवम्बर तथा दिसम्बर माह में केराथेन (5 ग्राम प्रति 10 ली0 पानी में) के घोल का छिडकाब करना चाहिए।
		फल बेधक		फलो को छेद करके खाते है।	3 ml एण्डोसल्फान प्रति ली0 पानी में घोल का 15 दिन के अन्तर से छिडकाब करना चाहिए।

अध्याय–17

मनरेगा अंतर्गत पुराने वृक्षारोपणों का प्रबंध एवं अन्य योजनाओं से संबंध एवं लाभ प्राप्त करना

17.1 मनरेगा योजना में पूर्व से स्थापित वृक्षारोपण का प्रबंधन कार्यः–

मनरेगा योजना में योजना प्रारंभ से जो भी वृक्षारोपण शासकीय भूमि पर स्वीकृत किये गये जिनके की 3–5 वर्ष पूर्ण होने उपरांत कार्य पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी कर दिया है, उन वृक्षारोपण को यदि सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से अतिरिक्त प्रबंधन की आवश्यकता हो ऐसी स्थिति में उनकी पुनः सरक्षा व्यवस्था/आशिंक प्रबंधन व्यवस्था/कीट ब्याधियों से बचाव हेतु पौध संरक्षण व्यवस्था हेतु पुनः तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर प्रबंधन किया जा सकता है। तकनीकी प्राक्कलन का निर्माण न्यूनतम व्यय आधारित होना आवश्यक है, अर्थात मात्र सुरक्षा व्यवस्था व आशिंक कीट ब्याधियों से बचाव हेतु दवा व खाद को ही शामिल किया जावेगा।

क्रियान्वयन एजेन्सी/जिला पंचायत प्रशासन जो भी वृक्षारोपण कार्य शासकीय भूमि पर प्रगतिरत है, उनमें कार्य करने वाले जॉबकार्ड धारी परिवारों अथवा उनके द्वारा निर्मित स्व–सहायता समूहों को उनसे प्राप्त होने वाली आय को उपभोग के अधिकार के साथ जोड़कर जीवन पर्यन्त हेतु सोंपे जा सकते है। कार्य पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी होने के बाद हस्तांतरित जॉबकार्डधारी द्वारा जीवन पर्यन्त पौधों की सुरक्षा व्यवस्था की जावेगी। उक्त पौधे पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार को हस्तांतरित होंगे एवं उनसे प्राप्त होने वाले फल–फूल पत्ती का उपयोग कर सकेंगे, ऐसी स्थिति में मनरेगा से कोई प्रबंधन स्वीकृत नही किया जावेगा।

17.2 फल फूल सब्जी संग्रहण कक्ष का निर्माणः–

ग्राम पंचायत स्तर पर फल फूल सब्जी संग्रहण हेतु स्टोरेज स्ट्रेक्चर का निर्माण मनरेगा योजना में ग्राम स्तर पर गठित समीतियों, स्व–सहायता समूहों, सहकारी संस्थानों के माध्यम से शासकीय/निजी भूमि पर प्याज संग्रहण केन्द्र, लहसुन संग्रहण केन्द्र, अदरक–हल्दी–आलू संग्रहण केन्द्र, फ्रेस सब्जी संग्रहण एवं ग्रेडिंग केन्द्र, धनिया, मिर्च संग्रहण केन्द्र का निर्माण एमजीएनआरजीएस अंतर्गत किया जा सकता है। उक्त कार्य कृषि आधारित श्रेणी 60 प्रतिशत के अंतर्गत शामिल किया गया है। नआरएलएम/डीपीआईपी के समूहों के माध्यम से वृक्षारोपण में लगने वाली सामग्री, पौधे, सीमेन्ट पोल, बांस ट्री–गार्ड, मिट्टी के घड़े, बर्मी कम्पोस्ट, तरल सूक्ष्म तत्व, ऑर्गनिक खाद व दवा इत्यादि का निर्माण पृथक से डीपीआर निर्मित कराया जा सकते है।

17.3 उद्यानिकी आधारित लघु उद्योग इकाइयों की स्थापनाः— उक्त समूहों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों की आजीविका सुनिश्चित करने हेतु उद्यानिकी आधारित लघु उद्योग इकाइयॉ जैसे— ग्वार पाठा का जेल, गुलाब इत्र, गुलकतरी, पपीते से पेपेन, पेठा व टूटी—फूटी इत्यादि की स्थापना एनआरएलएम के अभिसरण से किया जा सकता है। उद्यान विभाग द्वारा निर्मित ग्राम उद्यान समीतियों के माध्यम से भी लघु उद्योग इकाइयों के साथ उचित विपणन व्यवस्था की जा सकती है।

17.4 बाजार अनुबधं करने के संबंधः— में जो भी फलोद्यान लगाये जा रहे है उनका फसल आकलन किया जाकर फलोद्यान लगाने के साथ ही पात्र हितग्राहियों को उचित बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु पूर्व से ही मार्केट लिंकेज के साथ जोड़ा जाना चाहिये इस हेतु जिला उद्योग केन्द्र की सहायता ली जा सकती है, साथ ही कार्य एजेन्सी अपने स्तर से पारदर्शी प्रकिया के साथ बाजार अनुबंध करा सकते है। उदाहरण स्वरूप पपीते के उत्पादन से ताजे फल, पेपेन, पेठा हेतु अनुबंध अमरूद उत्पादन का ताजे फल जेम जेली का अनुबंध मैंगो आम का फ्रूटी के साथ अनुबंध इसके साथ ही उद्यान विभाग द्वारा स्थापित मेगा फूडपार्क से जोड़ा जा सकता है।

17.5 मनरेगा फ्रेस फल कॉर्नर के माध्यम से विकयः— मनरेगा योजनांतर्गत उत्पादित फलों का विकय स्थानीय स्तर पर मनरेगा ट्रेड के साथ मनरेगा फ्रेस फल कॉर्नर के साथ किये जाने से मनरेगा योजना का सकारात्मक प्रचार प्रसार होगा साथ ही हितग्राही द्वारा सीधे उत्पादित फल बगैर बिचोलियों के माध्यम से बाजार भाव से सस्ते दामों पर उपभोगताओं को प्राप्त हो सकेंगे, उक्त कार्य में हितग्राहियों के समूहों व ग्राम पंचायत उद्यानिकी समीतियॉ की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

17.6 ऑर्गनिक फल उत्पादनः— ऑर्गनिक फल की बढ़ती मॉग को देखते हुए मनरेगा योजना से नवीन ऑर्गनिक फलोद्यान स्थापित किये जा सकते है, जिनका की प्रमाणीकरण एमआईडीएच के अभिसरण से किया जाकर पात्र हितग्राहियों को दोगुनी राशि पर फल विकय कराये जा सकते है।

17.7 कार्बन केडिट से जोड़नाः— नवीन रोपित फलोद्यानो को प्रारंभ से ही कॉर्बन केडिट से जोड़कर उपभोग का अधिकार प्राप्त हितग्राहियों एवं निजी भूमि पर पौधरोपण करने वाले हितग्राहियों को कॉर्बन केडिट के रूप में आय प्राप्त करने के प्रयास किये जावेंगे।

अध्याय–18

रेशम उत्पादन के संबंध में तकनीकी जानकारी

18.1 रेशम उत्पादन के संबंध में तकनीकी जानकारीः–

वर्तमान में रेशम धागे की मॉग राष्ट्रीय स्तर पर 30 हजार मेट्रिक टन है जबकि देश में 23 हजार मेट्रिक टन धागे का उत्पादन हो रहा है।

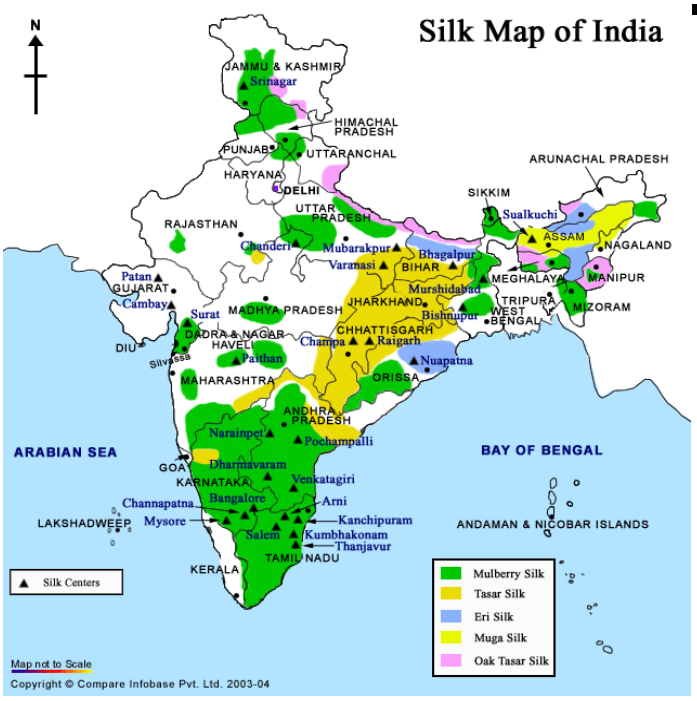

7 हजार मेट्रिक टन धागे की कमी को पूरा करने के लिये रेशम उत्पादन योजना का प्रारंभ मनरेगा अंतर्गत रेशम विभाग के अभिसरण के माध्यम से किया गया है। रेशम उत्पादन के संबंध में प्रमुख तकनीकी जानकारी निम्नानुसार है।

18.1.1 भूमि का चयनः– 15 प्रतिशत से कम ढाल वाली भमि जिसकी गहराई कम से कम 2–3 फिट उत्तम जल निकास उक्त दोमट, बलोई दोमट, लाल मुरूम उक्त मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5–7.5 के मध्य हो उपयुक्त होती है।

18.1.2 भूमि की तैयारीः– पौधरोपण के पूर्व गर्मियों के दिनों में एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से व 2–3 बार कल्टीवेटर से भूमि की 30–35 से. मी. गहरी जुताई की जानी चाहिये, वर्षा के पूर्व 3x3 फिट की दूरी पर एक फिट गहरी नालियों का निर्माण अथवा 3x2.6 फिट अथवा (5+3)x2 फिट की दूरी पर 1x1 फिट आकार के गड्ढों का निर्माण किया जाना चाहिये, नालियों में प्रति एकड़ के हिसाब से 3 ट्राली अथवा 5–6 टन(400 क्यूबिक

फिट) गोबर खाद, 300 किलो सुपर फॉस्फेट, 100 किलो डीएपी, 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास, 5 किलो माइक्रो न्यूटेन्ट का प्रयोग किया जाना चाहिये।

18.1.3 प्रजातियों का चयन व पौधरोपण का तरीकाः— सिचाई आधारित पौधरोपण के लिये एस–5, 13, 34, 36, कनवा 2, जी 2, जी 4 एवं वी–1 प्रजाति अनुशंसित है। पौधरोपण के पूर्व नालियों या गड्ढों में सिचाई कर देना चाहिये, सिचाई उपरांत नमी होने की स्थिति में 3x2.6 फिट दूरी पर हल्के हाथ से जड़ो को बगैर नुकसान पहुॅचाए कुदाली से या खुरपी से गड्ढा कर लगा देना चाहिये। नर्सरी से पौधे लाकर तत्काल लगा देना चाहिये, ज्यादा समय तक खेत में पड़े नही रहना चाहिये। उत्तम उपाय यह है कि पौधे लाकर छायादार स्थान में गड्ढा या क्यारी बनाकर एक साथ बंडल के बंडल जमीन में गाड़कर पानी लगा देना चाहिये, उसके बाद उस स्थान से खेत में अन्यत्र स्थान पर पौधे लगाना चाहिये। खेत में पौधे लगाने के तत्काल बाद सिचाई कर देना चाहिये। प्रारंभ के दिनों में जब तक पौधे लग न जाएॅ अथवा नई पत्तियॉ न आ जाएॅ तब तक नियमित रूप से सिचाई करके खेत को नम रखना चाहिये।

नर्सरी की तैयारी

पत्तियों की कटाई छटाई

शहतूत पौधरोपण

18.1.4 टॉप ड्रेसिंग के रूप में नत्रजन एवं उर्वरकों का प्रयोगः— रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों का प्रयोग कीट के भोजन के रूप में किया जाता है, अतः प्रत्येक कटाई के बाद नत्रजन की मात्रा यूरिया अथवा अमोनियम सल्फेट के माध्यम से 20–25 किलो प्रति कटाई टॉप ड्रेसिंग के रूप में दिया जाना चाहिये, वर्ष में दो बार गुड़ाई के समय डीएपी 25 किलो + 12.5 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास दिया जाना चाहिये। सूक्ष्म तत्वों की कमी होने पर 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हाईजिंक सूक्ष्म तत्व वर्ष में एक बार दिया जाना चाहिये। यह ध्यान रहे कि खाद देते समय जमीन में नमी होना आवश्यक है, अतः खाद देने के तत्काल बाद सिचाई कर देना चाहिये, साथ ही यूरिया खाद सिचाई के बाद देना चाहिये।

18.2 रेशमकीट पालन में नई तकनीकी का प्रयोगः— रेशम कीट के जीवन में पॉच अवस्थाएॅ होती है, इसके बाद यह पहले बुखार(मोल्ट) में बैठता है जो एक दिन का

होता है, दूसरी अवस्था ढाई दिन की होती है फिर दूसरा बुखार(मोल्ट) एक दिन का, तीसरी अवस्था तीन दिनों की और तीसरा बुखार (मोल्ट) एक दिन का होता है, पहली और दूसरी अवस्था को चॉकी अवस्था कहते है, इसमें कीटों को अधिक तापमान और आर्द्रता चाहिये जबकि तीसरी अवस्था परिवर्तन अवस्था कहलाती है। बुखार(मोल्ट) की अवस्था में यह खाना बंद कर अपनी पुरानी त्वचा को निकाल कर नई ढीली त्वचा धारण करता है और हर अवस्था में यह पहले की अवस्था से अधिक भोजन ग्रहण करता है और नई त्वचा के अनुरूप बडा होता जाता है।

18.3 वयस्क(Adult) रेशम कीट पालनः— तीसरे से पॉचवी अवस्था के कीट पालन को वयस्क/प्रौढ रेशम कीट पालन भी कहते है इस समय कीटों को कम तापमान और आर्द्रता चाहिये। तीसरे बुखार(मोल्ट) से निकल कर लार्वा चौथी अवस्था में चला जाता है, यह अवस्था चार दिनों की होती है, फिर यह चौथे और अंतिम बुखार(मोल्ट) में बैठता है जो डेढ से दो दिन का होता है। चौथे बुखार(मोल्ट) से निकल कर पॉचवी और अंतिम अवस्था में पहुॅच जाता है। यह अवस्था 6–7 दिनों की होती है, इसके बाद यह कोसा बनाने में जुट जाता है। परिपक्व अवस्था में एक लार्वे का वजन अण्डे से निकलने के बाद कुल 23–25 दिनों में 10,000 गुना बढ जाता है। कोसे के अन्दर दो दिनों में प्यूपा बन जाता है, जिसे तितली बनने में 10–12 दिन लगते है, वह कोसा काट कर बाहर निकल आता है। बाहर नर तथा मादा के संयोग से, मादा फिर 400–500 अण्डे देती है। तितली 3–4 दिनों तक जीवित रहती है।

18.4 प्ररोह(Shoot) कीट पालन विधिः— 20 वर्ष पहले बांस से बने गोल ट्रे पर रेशम कीटों को पालन करने का प्रचलन था, जिनका अधिक जगह लेने के अलावा ठीक से सफाई और रोगाणु मुक्त करना मुश्किल था, जिनकी जगह अब बांस से बने कम लागत के स्टेंड ने ले ली है जिससे रस्सियों के सहारे जाल के ऊपर अखबार विछाकर वयस्क रेशम कीटों का पालन करते है। कीटों के आहार में कटी पत्तियों की जगह शहतूत की शाखाओं ने ले ली है, जल्दी सूखने के कारण कटी पत्तियों का आहार चार बार दिया जाता था जबकि शहतूत की शाखाओं का आहार दिन में दो बार दिया जाता है।

पॉचवी अवस्था के 2–4 दिन तक तीन बार आहार देने से अधिक उत्पादन की आशा रहती है, क्योंकि उस समय कीट अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करता है। इसे प्ररोह कीट पालन विधि कहते है। इस विधि में कामगारों की संख्या कम लगती है। अतः लागत एवं श्रम की काफी बचत होती है। इस विधि में शयां की सफाई की आवश्यकता नही होती। द्विप्रज x द्विप्रज संकर कीटपालन के लिये 100 डीएफएलएस के लिये 3500 कि. ग्र. शहतूत शाखाओं या प्ररोहों की आवश्यकता होती है। पत्तों के हिसाब से 1600 कि. ग्रा. पत्ते लगते है।

18.5 वयस्क(Adult) रेशमकीट पालन के दौरान तापमान तथा आर्द्रता:—

तापमान और आर्द्रता थोडा कम रखा जाये (25–40 से तथा 65–70 %) तो कीट पालन और अच्छा होता है।

18.6 वयस्क(Adult) रेशमकीट पालन में आवश्यक जगह का लेखा:—

वयस्क/प्रौढ रेशमकीट पालन में लार्वे को आवश्यकतानुसार जगह देनी चाहिये जिससे उनके विकास के लिये पर्याप्त भोजन और हवा मिलें तीसरी अवस्था में 100 रोग मुक्त अण्डों को 100–200 वर्ग फुट, चौथी अवस्था में 200–400 वर्ग फुट तथा पॉचवी अवस्था में 400–800 वर्ग फुट स्थान देना चाहिये। इससे हम अच्छी गुणवत्ता वाले कोसों का उत्पादन कर सकते है।

18.7 समृद्धि का प्रयोग:—

समृद्धि एक कीट किशोर हार्मोन का तुल्य रूप है, रासायनिक अणु की संरचना अंतर्जात किशोर हार्मोन से भिन्न है, लेकिन उसका कार्य रेशम कीट किशोर के समान है, लार्वे के चर्म पर ऊपर से इसका अनुप्रयोग किया जाता है। समृद्धि का प्रयोग पॉचवे अवस्था में 2–3 दिन के अंदर ही करना पडता है। लार्वे का लक्षण अतिरिक्त आधे से एक दिन के लिये जारी रहेगा और लार्वे अधिक पत्ती खाकर रेशम उत्पादित करते है। कोसा हष्ट–पुष्ट और भारी हो जाता है। कोसा के बजन में 12–15 प्रतिशत वृद्धि होती है कोसा कवच वजन में 8–10 प्रतिशत वृद्धि होती है। कीटपालन को बाजार में कोसों का दाम लगभग प्रति किग्र. के लिये 15 रू अधिक मिलता है। उपचारित प्रत्येक 50 किग्रा. कोसे के लिये 0.7 किग्रा. अधिक रेशम प्राप्त होता है।

18.8 संपूर्णा का प्रयोगः— संपूर्णा, बुखार(मोल्ट) हार्मोन या 20 हाइड्रॉक्सी इक्डाईसॉन पादप आधारित सामग्री है और समजात/समरूप संरचना के रूप में पाया जाता है। यह प्रकृति के ध्रुवीय(पानी में घुल मिल जाता है) और इसे पानी में मिलाकर शहतूत पत्तियों के माध्यम से रेशमकीट को खिलाया जा सकता हैं। इसका अनुप्रयोग पालन अवधि को छोटा करता है, 48–72 घंटो के स्थान पर 18–24 घण्टे में कताई पूर्ण करता है। एक समान कताई मिलने हेतु लार्वे पूरे परिपक्व होने पर ही संपूर्णा का अनुप्रयोग किया जाए(तीसरे दिन से चंद्रिके कीटों का प्रतिस्थापन करने के बाद)। संपूर्णा का बहिर्जात अनुप्रयोग कताई के लिए अपेक्षित ई. सी. डी. स्तर को चरम सीमा पर लाता है। कोसा गुणवत्ता मानक कोसा के जैसा अच्छा मिलता है। यदि कृषक वर्ग रोग प्रकोप या पत्तियों की कमी के कारण शीघ्र ही परिपक्वता(पॉचवी अवस्था के 3 से 5 दिवस में) लाने हेतु संपूर्णा का उपयोग कर रहा है, तो पॉचवी अवस्था में 3 दिन खिलाने के बाद संपूर्णा का पहला छिड़काव पत्तों पर कर खिलाना चाहिये और कताई प्रारंभ होने पर दूसरा(पत्ते पर) छिड़काव कर खिलाना चाहिये। अतः संपूर्णा के दो बार पत्ते पर छिड़काव कर खिलाने की सिफारिश की जाती है। त्वरित कोसाकरण एवं प्यूपीकरण से चौथे दिन कोसों को चंद्रिका से निकालकर पॉचवे दिन बाजार ले जा सकते है। प्यूपीय दर अधिक होने के कारण कोसा उपज में न्यूनतम वृद्धि होती है। चंद्रिका पर लार्वे की मुत्युदर कम होती है। उपचार न किए गए बैच की तुलना में कोसा मूल्य अधिक मिलता है। इस तरह जब कृषक के पास शहतूत के पत्ते अधिक मात्रा में उपलब्ध हों तो वे रेशमकीट के खाने की अवधि 'समृद्धि' से बढाकर अधिक मात्रा में कोसा/रेशम प्राप्त कर सकते है, और संपूर्णा से कताई की अवधि घटाकर थोडे समय में अच्छे कोसे प्राप्त कर सकते है। दोनों हार्मोनों का प्रयोग एक साथ ही फसल में आसानी से किया जा सकता है।

18.9 परिपक्व कीटों को पत्तों से अलग करनाः— परिपक्व कीटों को पत्तों से अलग करने के लिये जोबराइ विधि का अविष्कार किया गया है। इसमें श्रम तथा समय की 20 प्रतिशत बचत होती है तथा समय से कोसा बनाने के कारण, कोसे की गुणवत्ता बनी रहती है।

18.10 कोसा निर्माण और चंद्रिकः— पॉचवी अवस्था समाप्त होते ही कीट पत्ती खाना कम कर देते हैं वे अपने शरीर के अग्र भाग को उठा लेते हैं तथा सिर को चारों तरफ घुमाकर सहारा खोजते है। इस समय इनको उठा कर उपयुक्त चंद्रिके में डाल देने से गुणवत्ता युक्त कोसे बनते है, नही तो रेशम व्यर्थ कर देते है। कई तरह के चंद्रिके होते हैं– बांस के बने स्थानीय चंद्रिके, प्लास्टिक के मुड़ने वाले चंद्रिके, कार्डबोर्ड व बांस के बने चंद्रिके, शंया पर रखे जाने वाले नए रोटरी चंद्रिके। रोटरी चंद्रिके वाले दाम अधिक प्राप्त करते है। अधिकतर किसान प्लास्टिक के मुड़ने वाले चंद्रिके नेत्रिके का प्रयोग करते है, उन किसानों को इन नेत्रिकों की सफाई के लिये 2 प्रतिशत ब्लीचिंग के घोल में 2–3 दिन डूबा कर रखना पड़ता है। इसके बाद जब सब पुराने कोसों के रेशे

गल जाते है, साफ पानी में धोया जाता है, सूखे चंद्रिाकों को एक विशेष ढंग से मोड कर रखना चाहिये, जिससे कोसों के आकार में अंतर न आये, इसके लिये एक बहुत ही साधारण सी मशीन का प्रयोग करते है। बांस के बने स्थानीय चंद्रिके भी अच्छे होते है परंतु इसकी सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिये, आग से पुराने रेशों को निकाला जाता है, नही तो बीमारी फैलती हैं।

इस प्रकार औसत पैदावार के दोहरीकरण के लिये अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों से, नई तकनीकियों से, नई गुणवत्ता वाली संकर प्रजातियों से, नई शहतूत की जातियों से काफी रेंडीटा के साथ रेशमके उत्पादन में गुणात्मक सुधार किया जा सकता है।

अध्याय–19

लगाये गये पौधों की 90 प्रतिशत जीवितता नियंत्रण

19.1 वृक्षारोपण अंतर्गत आने वाली प्रमुख समस्यायों का निराकरण एवं 90 प्रतिशत जीवितता नियंत्रण रखनाः–

वृक्षारोपण अंतर्गत प्रजाति का चयन, हितग्राही का चयन उपयुक्त न होने के कारण बगैर सिचाई व्यवस्था के पौधरोपण करने, लगातार 3–5 वर्षो तक समुचित प्रबंधन न करने, वरिष्ठ स्तर से निरंतर लगातार मॉनीटरिंग नही करने, समुचित फैन्सिंग व्यवस्था नही करने, कीट बीमारियों से, प्राकृतिक प्रकोप पाला, तेज गर्मी, लू, बाढ़ एवं कियान्वयन एजेन्सी द्वारा समुचित प्रबंधन व मॉनीटरिंग न किये जाने से लगाये गये अधिकांश पौधे मृत हो जाते है, जिनका निदान निम्नानुसार उपायों के माध्यम से किया जा सकता है।

19.1.1 तकनीकी समस्या के उपायः– उक्त समस्या के निदान हेतु ही टेक्नीकल मेन्युल जोकि ऊपर वर्णन अनुसार निर्मित किया गया है। मेन्युल में बतलाई गयी समस्त तकनीकी जॉनकारियों का फील्ड स्तर पर पदस्थ उपयंत्री, क्रियान्वयन एजेन्सी ग्राम पंचायत सरपंच सचिव एवं हितग्राही को ज्ञान होना आवश्यक है। उक्त जानकारी से लगाये गये पौधों को जीवित रखा जा सकता है।

19.1.2 प्रबंधन हेतु संलग्न हितग्राही/जॉबकार्डधारी/ उपभोग का अधिकार प्राप्तकर्ता को टॉस्क आधार पर 90 प्रतिशत जीवितता सुनिश्चित होने के उपरांत भुगतानः– पौधरोपण तक सब ठीक किया जाता है या होता है। पौधरोपण के बाद लगाये गये पौधों का समुचित प्रबंधन क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा नही किया जाता है, और पौधे मृत हो जाते है। अतः भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपणों में मनरेगा में पात्र हितग्राहियों को जोड़कर टॉस्क बेस्ड 90 प्रतिशत पौधे जीवित होने पर उपभोग के अधिकार के साथ जोकि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होगा के साथ सड़कों के किनारे लगाये जाने वाले पौधों हेतु 15 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से भुगतान किये जाने के निर्देश दिये है जिस तारतम्य में निजी भूमि पर अथवा अन्य शासकीय भूमि पर ब्लॉक प्लांटेशन होने पर 5 रू प्रति पौधा प्रतिमाह के हिसाब से लगातार 3–5 वर्षो तक भुगतान किये जाने के प्रावधान किया जा सकता है। इसके तहत मनरेगा एक्ट 2005 के अनुसार 100/150 दिवस तक सीमित मजदूरी को भी शिथिल किया है। इसमें लगातार बगैर ब्रेक किये प्रतिदिन के हिसाब से 5 वर्ष तक महिने के हिसाब से लगातार भुगतान किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये है। 100/150 दिवस से अधिक एक वर्ष के अंदर कार्य करने पर शेष दिवसों की राशि का भुगतान सेमिस्किल्ड के रूप में मस्टर रोल भरकर सामग्री मद अंतर्गत भुगतान किया जाना है। इसके साथ ही वृक्षारोपण अवधि समाप्त होने के बाद उन वृक्षों से प्राप्त होने वाले फल इत्यादि पर

उपभोग का अधिकार(ट्रीपट्टा) संलग्न जॉबकार्डधारी/मनरेगा पात्र हितग्राही का ही होगा। जोकि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होगा। 90 प्रतिशत से जीवितता कम 75 प्रतिशत तक होने पर टॉस्क में निर्धारित प्रति पौधा का आधा भुगतान किया जावेगा। 75 प्रतिशत से कम जीवितता होने पर कोई भुगतान नही किया जावेगा। ऐसी स्थिति में योजना में प्रावधान के अनुसार अथवा ट्रीपट्टाधारी द्वारा स्वयं के व्यय से कोई भी पौधा मृत होने पर तत्काल गैप फिलिंग कर पौधों को जीवित रखा जावेगा।

19.1.3 उद्यान विभाग के साथ अभिसरण अंतर्गत प्रति एकड़(0.40 हेक्ट) विभिन्न अंतर पर लगाये गये फलदार पौधो की 90 प्रतिशत जीवितता व लगातार प्रबंधन कार्य करने पर, प्रति पौधा प्रतिमाह किया जाने वाला भुगतान

क	योजना का नाम	प्रजाति का नाम	दूरी	कुल पौधे	प्रति पौधा भुगतान	प्रतिमाह भुगतान	माहों की संख्या	प्रदाय कुल भुगतान
1	एम.आई.डी.एच.	नीबू	3X3	444	5.0	2220	34	75480
2	आर.के.व्ही.वाय.	अनार टिशु	5X5	160	5.0	800	34	27200
3	एम.आई.डी.एच.	नीबू	3X3	444	5.0	2220	34	75480
4	एम.आई.डी.एच.	नीबू	3X3	444	5.0	2220	34	75480
5	एम.आई.डी.एच.	संतरा	6X6	110	5.0	550	35	18700
6	एम.आई.डी.एच.	अमरूद	6X6	110	5.0	550	10	18700
7	एम.आई.डी.एच.	पपीता ताईवानी	2X2	1000	1.5	1500	10	15000
8	एम.आई.डी.एच.	गुलाब बडिड	1X1	4000	1.0	4000	22	88000

19.1.4 वन विभाग के साथ बांस मिशन अभिसरण अंतर्गत विभिन्न अंतर पर लगाये गये फलदार पौधों की 90 प्रतिशत जीवितता व लगातार प्रबंधन कार्य करने पर, प्रति पौधा प्रतिमाह किया जाने वाला भुगतानः–

क	योजना का नाम	हेक्ट.	दूरी	कुल पौधे	प्रति पौधा भुगतान	प्रतिमाह भुगतान	कुल माह	कुल भुगतान
1	एम.आई.डी.एच.	1.00	6X6	280	5.0	1400	34	47600
2	एम.आई.डी.एच.	0.40	6X6	110	5.0	550	34	18700
3	एम.आई.डी.एच.	0.20	6X6	50	5.0	250	34	8500

19.1.5 रेशम विभाग के साथ अभिसरण अंतर्गत विभिन्न अंतर पर लगाये गये फलदार पौधों की 90 पतिशत जीवितता व लगातार प्रबंधन कार्य करने पर, प्रति पौधा प्रतिमाह किया जाने वाला भुगतानः—

क	योजना का नाम	एकड़	दूरी	कुल पौधे	प्रति पौधा भुगतान	प्रतिमाह भुगतान	माहों की संख्या	प्रदाय कुल भुगतान	वर्ष में कुल औसत भुगतान
1	रेशम उपयोजना	1.00	3X2.6 (फीट)	5600	1.00	5600	23	128800	64400

19.1.6 रोडसाइड प्लांटेशन अंतर्गत लगाये गये फलदार पौधों की 90 प्रतिशत जीवितता व लगातार प्रबंधन कार्य करने पर, प्रति पौधा प्रतिमाह किया जाने वाला भुगतानः—

क	योजना का नाम	कि. मी.	दूरी	कुल पौधे	प्रति पौधा भुगतान	प्रतिमाह भुगतान	माहों की संख्या	प्रदाय कुल भुगतान
1	रोडसाइड प्लांटेशन	0.2	4X4	100	15	1500	60	90000
2	रोडसाइड प्लांटेशन	0.4	4X4	200	15	3000	60	180000

ब्लॉक प्लांटेशन की स्थिति में अधिकतम एक हितग्राही को 280 पौधे एवं बंड मेढों—मेढों प्लांटेशन में अधिकतम 200 पौधे व रोडसाइड प्लांटेशन में 200 तक की स्वीकृति स्थायी फलदार व वानिकी पौधे लगाने पर प्रदाय की जा सकेगी। उक्त दिशा निर्देश के अनुसार यदि कोई पौधा मृत होता है तब तत्काल योजना में प्रावधान अनुसार अथवा संलग्न जॉबकार्डधारी द्वारा गैप फीलिंग करके शत प्रतिशत पौधे जीवित रखे जाना होगा। उपरोक्त अनुसार टॉस्क आधारित भुगतान सामान्य जॉबकार्डधारी को 100 दिवस एवं वन पट्टाधारी को 150 दिवस मजदूरी भुगतान के रूप में तथा शेष मजदूरी अर्द्धकुशल मजदूरी (सामग्री मद) के रूप में भुगतान की जा सकेगी। निर्धारित मात्रा से अधिक पौधें लगाये जाने पर अथवा टास्क से अधिक श्रम की आवश्यक्ता होने पर हितग्राही परिवार के व्यस्क सदस्यों के अलावा अन्य श्रमिकों की आवश्यक्ता होने पर हितग्राही द्वारा कार्य की मॉग के पत्रक में उल्लेखित जॉव कार्डधारी श्रमिकों को यथा संभव कार्य करने हेतु ई—मस्टर जारी किया जाकर कार्य पर लगाया जावेगा।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित पौध जीवितता दर 90 प्रतिशत मान्य करते हुये पौध रोपण उपरांत पौध प्रबंधन संबंधी टास्क आधारित संपूर्ण कार्य जैसे सिंचाई, निदांई, गुड़ाई, थाला निर्माण, पौध संरक्षण, सुरक्षा इत्यादि सभी कार्य हेतु स्वीकृत अवधि के लिये पौध संधारण दर राशि ब्लाक प्लानटेशन हेतु रूपये 5/— प्रति पौधा तथा मेड़ प्लांटेशन हेतु राशि रूपये 7.5/— प्रति पौधा प्रतिमाह एवं रोडसाइड प्लांटेशन में 15/— प्रतिपौधा प्रतिमाह रेशम उपयोजना

में राशि रूपये 01 /– प्रति पौधा प्रति माह प्राक्कलन में ऊपर तालिका अनुसार प्रावधानित की जा सकेगी।

अतः हितग्राही/जॉबकार्डधारी को शर्तो के अनुरूप अपने दायित्वों को निर्वाहन करने पर मासिक रूप से पौधों की जीवित्ता के परिणामों के आधार पर कलमी पौध रोपण पर 3 वर्ष एवं बीजू पौध रोपण पर 5 वर्ष तक भुगतान निर्देशों के बिन्दु क्रमांक (10–C) के आधार पर निम्नानुसार भुगतान किया जा सकेगा :–

जीवित पौधों की प्रतिशत्ता	सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन	भुगतान	भुगतान अवधि
1	2	3	4
90: से अधिक	पूर्ण करने पर*	पूर्ण भुगतान	माह आधारित
75: से अधिक व 90: से कम	पूर्ण करने पर*	आधा भुगतान	
75: से कम होने की स्थिति में	पूर्ण करने पर*	कोई भुगतान नहीं	
90: से अधिक	अंशतः करने पर#	आधा भुगतान	माह आधारित
75: से अधिक व 90: से कम	अंशतः करने पर#	एक चौथाई भुगतान	
75: से कम होने की स्थिति	अंशतः करने पर#	कोई भुगतान नहीं	
* सौंपे गये दायित्व से तात्पर्य पौध रोपण, निदांई– गुडाई, थाला निर्माण, सिंचाई इत्यादि समस्त प्रबंधन कार्य से है। # से आशय सौंप गये दायित्वों का निर्वहन न किये जाने से है।			

उक्त टॉस्क आधारित भुगतान शासकीय भूमि के अलावा निजी भूमि पर भी लागू होगा।

19.2 पाला अधिक ठंड से उपायः– पाला अधिक ठंड जबकि तापमान 3–4 डिग्री से. ग्रे. से कम होने पर कुछ प्रजातियों के पौधों की मृत्यु होने लगती है। अतः निम्न उपाय अपनाएँ जाने चाहिये।

- जिस दिन पाला पड़ने की संभावना हो उस दिन पौधों की भरपूर सिचाई कर दें।
- वृक्षारोपण के चारों तरफ अथवा जिधर से हवा चल रही हो उस तरफ से घॉस–फूस, भुसा आदि से रात्रि को 2–3 बजे धुँआ कर देना चाहिये। उससे वहॉ का तापक्रम बढ़ जाता है। और पाला नही पड़ता।
- जिस दिन पाला पड़ने की संभावना हो उस दिन सुबह 3–4 बजे प्रत्येक पौधे को पकड़कर हिला देना चाहिये, यह प्रक्रिया दो से तीन बार पॉच बजे/छः बजे सुबह करनी चाहिये, इससे पौधों की पत्तियों पर पानी स्थिर नही हो पाता है और पत्तियों पर बर्फ नही जम पाती है व पाला नही लगता है।

- पेराक्लोरो फिनॉक्सी एसिडिक एसिड(पी. सी. पी. ए.) अथवा मेलिक हाइड्रॉक्साइड(एम. एच)1500 से 2000 पीपीएम का छिड़काव भी लाभप्रद है।
- फोगिंग (धुँआ करने वाली) मशीन के माध्यम से भी सुबह 3–4 बजे हवा की दिशा से धुँआ करके पाले से बचाया जा सकता है।
- जहॉ पाला पड़ने की संभावना हो वहॉ पर मुलायम पत्ते वाले पौधे न लगाये मोटे पत्तों वाले पौधों में पाला नही लगता है, साथ ही अधिक चौड़े पत्तों में पाले की ज्यादा संभावना होती है इसलिये छोटी, बारीक पत्ती वाले वृक्षों का चयन किया जाना है।

19.3 तेज गर्मी व लू से बचाव के उपायः–

- गर्मियों के दिनों में पर्याप्त सिचाई की जानी चाहिये, जिन दिनों में लू लगने की संभावना है उनमें नियमित 2–3 दिनों में पानी दिया जाना चाहिये। पौधे के पास नमी होने से वातावरण में आद्रता निर्मित हो जाती है जिससे लू नही लगती है।
- सुबह–शाम पानी देना चाहिये, तेज धूप में पानी नही देना चहिये।
- पौधे को ताव देकर पानी नही देना चाहिये, जमीन में लगातार सिचाई करते हुये नमी बनाये रखना चाहिये।
- पौधों के ऊपर घॉस–फूस अथवा बोरे के टॉट से छाया करना चाहिये।
- उत्तर पश्चिम दिशा में टॉट इत्यादि लगाकर पौधों को लपट से बचाना चाहिये।
- एग्रो क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से ही प्रजातियों का चयन किया जाना चाहिये।

19.4 कीट बीमारियों से बचाव के उपायः– पौध संरक्षण विषय पर पृथक से विस्तृत उपाय विभिन्न फलदार व वानिकी पौधों के दिये गये है जिसका अवलोकन किया जाना चाहिये फिर भी प्रमुखतः पौधे दो कारणों से मृत होते है।

- **दीमक/कटबर्म/व्हाइट ग्रब्स के प्रकोप सेः–** खासतौर से गर्मियों के दिनों में उक्त कीटो द्वारा जड़ों के पास से पौधे को काट दिया जाता है और लगाये गये नवीन पौधे मृत हो जाते है। अतः क्लोरोपाइरीफॉस नामक दवा 2.5–3 एमएल प्रति लीटर के हिसाब से पौधे पर एवं तने के पास जड़ो पर उक्त दवा का प्रत्येक 3 माहों में छिड़काव किया जाना चाहिये, जड़ो के पास इतनी दवा का छिड़काव करें कि दवा जमीन में 1–1.5 इंच तक जमीन में चली जावे।

दीमक का प्रकोप, क्षति एवं पहचान

कटवर्म एवं व्हाइट ग्रब्स से पौधों को क्षति एवं पहचान

19.5 तने व जड़ों के पास सड़न व गलन पैदा होने के कारणः—

पौधों के पास अधिक पानी अथवा नमी रहने से, सिचाई के समय पौधे के पास मिट्टी चढ़ी हुई नही रहने से दिया गया पानी सीधा तनो में जाता है, कच्ची गोबर की खाद का उपयोग, रसायनिक उर्वरकों डीएपी/यूरिया का सीधे पौधे/तने के पास देने से, पानी नियमित न देने से, भूमि के तापक्रम व नमी में अचानक कमी व वृद्धि होने से जड़े व तनों के मिलन स्थल पर फ्यूजेरियम , बर्टीसीरियम, एफीडरनम, स्क्रेरेलोरेसिया नामक फफूँद अथवा बैक्टिरिया के कारण सड़न पैदा हो जाती है और पौधा मृत हो जाता है।

तना सड़न जड़ सड़न गमोसिस के प्रकोप से शाखाएँ सूखना

- ऊपर वर्णित कारणों का निदान किया जाना चहिये साथ ही प्रकोप होने पर रेडोमिल 3 ग्राम प्रति लीटर अथवा केप्टॉन 2.5 ग्रम प्रति लीटर अथवा बाबस्टीन 2 ग्राम प्रतिलीटर अथवा टॉपसीन 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से प्रत्येक पौधे की जड़ों में 500 ग्राम से 2 लीटर तक दवा मिश्रण दिया जाना चाहिये, बैक्टिरिया के प्रकोप होने पर कॉपर आक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर+स्ट्रेप्टो साइक्लीन 0.1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से जड़ो के पास दवा मिश्रण दिया जाना चाहिये।
- उपयुक्त यह होगा कि प्रत्येक 3 माहों में दीमक एवं पौधों की सड़न से बचाने के लिये निम्न दवाओं का प्रयोग नियमित रूप से पौधे के ऊपर एवं जड़ों पर किया जाना चाहिये।

1. क्लोरोपाइरीफॉस 3 एमएल प्रति लीटर+रेडोमिल 3 ग्राम प्रति लीटर पौधे लगाने के प्रथम 3 माह बाद।
2. क्लोरोपाइरीफॉस 3 एमएल प्रति लीटर+ कान्फीडोर 0.5 एमएल प्रति लीटर + बाबस्टीन 3 ग्राम प्रति लीटर पौधे लगाने के द्वितीय 6 माह बाद।
3. ट्रॉयजोफॉस 2 एमएल प्रति लीटर+ रेडोमिल 3 ग्राम प्रति लीटर पौधे लगाने के तृतीय 9 माह बाद।
4. क्लोरोपाइरीफॉस 3 एमएल प्रति लीटर + कॉपरऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर+ स्ट्रेप्टो साइक्लीन 0.1 ग्राम प्रति लीटर पौधे लगाने के चतुर्थ 12 माह बाद।
5. बोर्डोपेस्ट का वर्ष में दो बार जमीन के लेवल से 1.5–2 मीटर तक पुताई करना।

उपरोक्त दवा के प्रयोग से 90 प्रतिशत तक कीट बीमारियों से बचा जा सकता है अचानक कभी भी कीट व बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर उपरोक्त दवा मिश्रण का 15 दिन के अन्तर से 02 बार उपयोग करना चाहिये।

अध्याय–20
तकनीकी वार्षिक माहवार किये जाने वाले कार्यों का एवं कार्य योजना कियान्वयन वार्षिक कैलेंडर

जनवरी

(तापक्रम 26.01–9.6 डिग्री से.ग्रे. वर्षा 8.4–1.0 आर्द्रता प्रतिशत् 63–31 वायुगति 9.9 कि.मी.प्रति घंटा)

- समस्त पौधों के नीचे निदाई, गुड़ाई, सफाई, थाला निर्माण, समुचित सिचाई, मूलवृन्त के नीचे से निकलने वाली सभी शाखाओं की छटाई, मृत पौधों की तत्काल गैप फिलिंग के साथ ही जमीन के नीचे से 1 मीटर उचाई तक की सभी शाखाओं को निकालने के साथ ही यदि कोई कीट बीमारी दिखे बिंदु क्रमांक 37.5 एवं 38 अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- आम, चीकू, आवला नीबू वर्गीय, कटहल आदि नये बगीचो को पाले से बचाने के लिए सिंचाई करें।
- एक वर्ष तक छोटे पौधो के चारो ओर घास का घेरा बनाकर छाया करें। पाले से बचाने के लिए चारों तरफ धुआ करें।
- आम, चीकू, ऑवला, नीबू वर्गीय फसलों, कटहल, अमरुद, अनार इत्यादि पौधो के चारों ओर वोर्डोपेस्ट लगाये तथा वोर्डो मिक्चर का छिडकाव करें। (1 कि.ग्रा. नीला थोथा+1 कि.ग्रा. बूझा चूना 10 लीटर पानी मे घोलकर)
- अमरुद, आवला, चीकू, कटहल, आम आदि फसलों में तनाछेदक कीट नियंत्रण के लिए रुई को केरोसीन/पेट्रोल के तेल में भिगोकर छेद में डालकर बंद करें या नुवान कीटनाशक के घोल में भिगोकर छेद में डालकर बंद करें।
- आम, चीकू, आवला, नीबूवर्गीय फलों एवं कटहल आदि नये बगीचों में लगे पौधो में थाले बनाकर खाद डाले।

फरवरी

(तापक्रम 28.09–11.0 डिग्री से.ग्रे. वर्षा 1.1–0.1 आर्द्रता प्रतिशत् 47–19 वायुगति 10.1 कि.मी.प्रति घंटा)

- समस्त पौधों के नीचे निदाई, गुड़ाई, सफाई, थाला निर्माण, समुचित सिचाई, मूलवृन्त के नीचे से निकलने वाली सभी शाखाओं की छटाई, मृत पौधों की तत्काल गैप फिलिंग के साथ ही जमीन के नीचे से 1 मीटर उचाई तक की सभी शाखाओं को निकालने के साथ ही यदि कोई कीट बीमारी दिखे बिंदु क्रमांक 37.5 एवं 38 अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- नीबूवर्गीय फलों में केंकर, एवं एन्थक्नोज की रोकथाम हेतु बोर्डो मिक्चर बनाकर स्प्रे करें।
- आम, नीबू, अमरुद, कटहल आदि फसलों में गोमेसिस की रोकथाम हेतु पौधे के तने के चारों ओर बार्डो पेस्ट लगाये एवं बार्डो मिक्चर का स्प्रे करें एवं केला एवं पपीता के पौधे लगायें, आम की फसल में बौर (फूल) आने पर सिंचाई देना बन्द कर दें।
- ओला वृष्टि से सावधानी व सुरक्षा का प्रबंध करें।

- अमरुद की तुडाई करें। आम में कीड़ों के बचाव हेतु कीटनाशक का प्रयोग तथा संतरे एवं पपीते में सिंचाई करें।

मार्च

(तापक्रम 33.7–15.3 डिग्री से.ग्रे. वर्षा 3.5–0.4 आर्द्रता प्रतिशत् 31–17 वायुगति 13.0 कि.मी.प्रति घंटा)

- समस्त पौधों के नीचे निदाई, गुड़ाई, सफाई, थाला निर्माण, समुचित सिचाई, मूलवृन्त के नीचे से निकलने वाली सभी शाखाओं की छटाई, मृत पौधों की तत्काल गैप फिलिंग के साथ ही जमीन के नीचे से 1 मीटर उचाई तक की सभी शाखाओं को को निकालने के साथ ही यदि कोई कीट बीमारी दिखे बिंदु क्रमांक 37.5 एवं 38 अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- नीबूवर्गीय फलों में थाले बनाये (घाससफाई) तथा सिंचाई करे।
- पपीते की नर्सरी तैयार करें।
- कैला की मृगबहार लगाना प्रारंभ करें।
- गर्मी में पौधों की सुरक्षा की तैयारी एवं सिंचाई नालियों की मरम्मत करें।
- अमरुद में सिंचाई बंद करें। आम में कीटनाशक दवा एवं हार्मोन्स का छिडकाव करें।

अप्रेल

(तापक्रम 37.07–20.4 डिग्री से.ग्रे. वर्षा 3.5–0.4 आर्द्रता प्रतिशत् 30–15 वायुगति 15.5 कि.मी.प्रति घंटा)

- समस्त पौधों के नीचे निदाई, गुड़ाई, सफाई, थाला निर्माण, समुचित सिचाई, मूलवृन्त के नीचे से निकलने वाली सभी शाखाओं की छटाई, मृत पौधों की तत्काल गैप फिलिंग के साथ ही जमीन के नीचे से 1 मीटर उचाई तक की सभी शाखाओं को को निकालने के साथ ही यदि कोई कीट बीमारी दिखे बिंदु क्रमांक 37.5 एवं 38 अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- चयनित हितग्राहियों द्वारा लगाये जाने वाले पौधो की हेतु सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- चयनित हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया जावें।
- माह के अन्त में गड्डे खुदाई का कार्य प्रारंभ करें।
- गड्डे खुदाई पश्चात् गड्डों को खुला छोडे 20–25 दिन तक ताकि गड्डे के भीतर उपस्थित कीड़, अण्डे सूर्य की तेज धुप से नष्ट हो सके।
- आम के उपलक्ष्य (नक्रोसिस) रोग की रोकथाम के लिए 8 ग्राम बोरेक्स पानी में मिलाकर करें।
- कटहल के पिंकरोग से ग्रसित शाखाओं को काटकर अलग करें।
- बोर्डो मिक्चर का घोल बनाकर 2–3 छिडकाव 8–10 दिन के अन्तर करें।
- अंगुर की फसल में फल लगने के 15 दिन बाद थ्रीप्स (रस चूसक कीटों) की रोकथाम के लिए नुवान 2 एम एल एवं नीम आईल 6 एम एल प्रति लीटर के हिसाब से छिडकाव करें।
- आम की फसल में फलों का आकार चने के बराबर होने पर सिंचाई की कमी न होने दे।
- नये पौधों की छाया करना, वृक्षों के तने पर धूपतापरोधी पेस्ट से पुताई करें।

मइ

(तापक्रम 39.9–24.8 डिग्री से.ग्रे. वर्षा 13.2–1.0 आर्द्रता प्रतिशत् 44–18 वायुगति 24.4 कि.मी.प्रति घंटा)

- समस्त पौधों के नीचे निदाई, गुड़ाई, सफाई, थाला निर्माण, समुचित सिचाई, मूलवृन्त के नीचे से निकलने वाली सभी शाखाओं की छटाई, मृत पौधों की तत्काल गैप फिलिंग के साथ ही जमीन के नीचे से 1 मीटर उचाई तक की सभी शाखाओं को को निकालने के साथ ही यदि कोई कीट बीमारी दिखे बिंदु क्रमांक 37.5 एवं 38 अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- नंदन फलोद्यान लगाने वाली चयनित हितग्राहियों को सिंचाई व्यवस्था करने हेतु मार्गदर्शन देना यह कार्य मई अंत तक पूर्ण कर लेना चाहिए ।
- नीम आईल का घोल 6 एम एल प्रतिलीटर पानी के हिसाब से बनाकर स्प्रे करें।
- आम के फल सड़ने से रोकने के लिए फलों की समय पर तुडाई करें ।
- जहॉ पर नये फल बाग लगाये गये है वहॉ पर खेत के चारों ओर गर्म हवा की रोकथाम करने हेतु रतनजोत, गूलमेंहदी (लेन्टनाकेमरा) आदि की बागड लगाये।
- फल वाले छाटे पौधों का तेज हवाओं से बचाव करने हेतु लकड़ी का सहारा दें।
- अंगूर की फसल के बोडॉ मिक्चर का छिडकाव करें।
- चयनित हितग्राहियों को पुनः प्रशिक्षण दें।
- वृक्षों की लू से रक्षा करें। मेढ़ एवं बाढ़ की मरम्मत करें।
- आम,संतरा, बेर, फालसा आदि की तुडाई करें।

जून

(तापक्रम 35.7–24.2 डिग्री से.ग्रे. वर्षा 147.1–7.3 आर्द्रता प्रतिशत् 73–47 वायुगति 27.0 कि.मी.प्रति घंटा)

- समस्त पौधों के नीचे निदाई, गुड़ाई, सफाई, थाला निर्माण, समुचित सिचाई, मूलवृन्त के नीचे से निकलने वाली सभी शाखाओं की छटाई, मृत पौधों की तत्काल गैप फिलिंग के साथ ही जमीन के नीचे से 1 मीटर उचाई तक की सभी शाखाओं को को निकालने के साथ ही यदि कोई कीट बीमारी दिखे बिंदु क्रमांक 37.5 एवं 38 अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- अनुबंधित की गई रोपणियों से पौधें प्राप्त कर ब्लाक स्तरीय नर्सरीयों पर पहुचाना एवं नवीन व गैफफिलिंग कर पौधों का रोपण कराये।
- गडड्े खुदाई उपरान्त प्रति गड्डे सड़ी गोबर की खाद डालें।
- जहॉ पर चिकनी है वहॉ पर 2:1:1 (मिट्टी+रेत+खाद) का मिश्रण कर गड्छा भराई करें।
- नीबूवर्गीय फल तथा आम के बगीचों में थाले बनाकर सिंचाई करें।
- आम की शीघ्र पकने वाली जातियों की तुडाई करें ।
- बगीचों में गर्म हवाओं से सुरक्षा हेतु बागड तथा नियमित सिंचाई करें (3–4 दिन के अंतर पर एवं सिंचाई हमेशा पौधे में सुबह के समय करें)
- तेज धूप एवं लू से पौधों की रक्षा करें। माह के अंत में तेज हवाओं से पौधों की रक्षा करें। माह के प्रथम 15 दिवस में पौधों की सिंचाई करते हुए खाद एवं उर्वरक का प्रबंध करें।

जुलाई

(तापक्रम 29.5–22.6 डिग्री से.ग्रे. वर्षा 316.0–14.5 आर्द्रता प्रतिशत् 88–72 वायुगति 26.2 कि.मी.प्रति घंटा)

- समस्त पौधों के नीचे निदाई, गुड़ाई, सफाई, थाला निर्माण, समुचित सिचाई, मूलवृन्त के नीचे से निकलने वाली सभी शाखाओं की छटाई, मृत पौधों की तत्काल गैप फिलिंग के साथ ही जमीन के नीचे से 1 मीटर उचाई तक की सभी शाखाओं को को निकालने के साथ ही यदि कोई कीट बीमारी दिखे बिंदु क्रमांक 37.5 एवं 38 अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रथम वर्षा पश्चात हितग्राहियों के यहॉ नदंन फलोद्यान पौधे का रोपण एवं गैफफिलिंग कराये। (आम, आवला, कटहल,नीबू, संतरा, बैर, अमरुद का रोपण कराये।
- आम,चीकू, अमरुद में ग्राफ्टिंग का कार्य करें ।
- आम एवं नीबू में गूटी बंधान का कार्य करें ।
- उचित जल निकास की व्यवस्था करे ताकि फलदार पौधों को अधिक पानी के कारण सडने से बचाया जा सके।
- अन्य बीज पौधे तैयार करने के लिए बीज की बुआई करे। (कटहल, जामून, आवंला, आम, नीबू बास, बैर)
- आम की गूटली का रोपण करें।
- अंगूर की फसल में बोर्डो मिक्चर का छिडकाव करें।
- कैला की फसल में सकर पृथक करें।
- फल वाले पौधों को रोगग्रसित शाखाओं को काटकर अलग करें।
- फलदार पौधों में पदगलन की रोकथाम हेतु (जहॉ पर अधिक पानी एकत्रित होने की स्थिति में) ट्राईकोडर्मा अथवा रेडोमिल 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में मिलाकर स्प्रे करें।
- जुलाई अन्त तक फलदार पौधों का रोपण कार्य पूर्ण करें, ताकि पौधे अपनी जगह पूर्णरुप से संस्थापित हो सके।
- फलवृक्षों के तनों के चारों तरफ मिट्टी चढायें।
- हरियाली महोत्सव की तैयारी करें। पौधों का रोपण , खालों की गुडाई एवं वृक्षों हेतु उत्तम जल निकास की व्यवस्था करें।
- आम एवं जामुन की तुडाई करें।

अगस्त

(तापक्रम 28.2–22.0 डिग्री से.ग्रे. वर्षा 266.5–12.4 आर्द्रता प्रतिशत् 88–77 वायुगति 21.7 कि.मी.प्रति घंटा)

- समस्त पौधों के नीचे निदाई, गुड़ाई, सफाई, थाला निर्माण, समुचित सिचाई, मूलवृन्त के नीचे से निकलने वाली सभी शाखाओं की छटाई, मृत पौधों की तत्काल गैप फिलिंग के साथ ही जमीन के नीचे से 1 मीटर उचाई तक की सभी शाखाओं को को निकालने के साथ ही यदि कोई कीट बीमारी दिखे बिंदु क्रमांक 37.5 एवं 38 अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- नये फलदार पौधों में उचित जल निकास की व्यवस्था करें, नवीन पौध रोपण व गैफफिलिंग कराये।

- फलदार पौधों के चारों ओर घास की सफाई, निदाई–गुडाई प्रति सप्ताह करें ताकि पौधों की वृद्धि प्रभावित न हो।
- अगर विगत माह में मिट्टी चढाने का कार्य नहीं किया गया हो तो इस माह में अवश्य करें।
- मृत पौधों के स्थान पर नवीन पौधों रोपित करें।
- जुलाई में उर्वरक न दे पायें हो तो इस माह दें।

सितम्बर

(तापक्रम 29.3–21.4 डिग्री से.ग्रे. वर्षा 220.9–9.5 आर्द्रता प्रतिशत् 85–67 वायुगति 18.5 कि.मी.प्रति घंटा)

- समस्त पौधों के नीचे निदाई, गुड़ाई, सफाई, थाला निर्माण, समुचित सिचाई, मूलवृन्त के नीचे से निकलने वाली सभी शाखाओं की छटाई, मृत पौधों की तत्काल गैप फिलिंग के साथ ही जमीन के नीचे से 1 मीटर उचाई तक की सभी शाखाओं को को निकालने के साथ ही यदि कोई कीट बीमारी दिखे बिंदु कमांक 37.5 एवं 38 अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- आम, नीबू अमरुद में गमोसीस एवं एथ्रोक्नोस की रोकथाम हेतु जैविक फंफुदनाशक दवा ट्राईकोडर्मा तथा बोडॉपेस्ट पौधे के तनों के चारों बोर लगाये (बोर्डोमिक्चर) का स्प्रे करें।
- पौधों के तनों के चारों ओर घास एवं खरपतवार की सफाई एवं प्रति सप्ताह निदांई–गुडाई करे। जिससे पौधों की वृद्धि अच्छी तरह से हो सके।
- संतरा तथा बैर में सूंडी नियंत्रण(फलमक्खी) करने हेतु मेलाथियान 2 एम एल एवं नीमआईल 6 एम एल प्रति लीटर के हिसाब से छिडकाव करें।
- नींबू एवं अमरुद में केंकर एवं स्केब रोग के नियंत्रण करने हेतु रोगग्रसित शाखाओं को अलग करें।
- फल पौधों में जल निकास नालियों की व्यवस्था करें तथा खरपतवारों को फल पौधे से अलग करने का कार्य करें।
- खरपतवार नाशक का प्रयोग करें। सभी वृक्षों पर बोर्डोपेस्ट लगायें।

अक्टूबर

(तापक्रम 31.1–17.2 डिग्री से.ग्रे. वर्षा 48.4–2.2 आर्द्रता प्रतिशत् 60–42 वायुगति 9.8 कि.मी.प्रति घंटा)

- समस्त पौधों के नीचे निदाई, गुड़ाई, सफाई, थाला निर्माण, समुचित सिचाई, मूलवृन्त के नीचे से निकलने वाली सभी शाखाओं की छटाई, मृत पौधों की तत्काल गैप फिलिंग के साथ ही जमीन के नीचे से 1 मीटर उचाई तक की सभी शाखाओं को को निकालने के साथ ही यदि कोई कीट बीमारी दिखे बिंदु कमांक 37.5 एवं 38 अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- आम/नीबू/अमरुद की गोमेसिस एवं एन्थ्रेक्सनोज की रोकथाम हेतु पौधों के तनों के चारों ओर बोर्डोपेस्ट (भूमि से लगभग एक मीटर उचाई तक) लगाये तथा बोर्डो मिक्चर का घोल बनाकर छिडकाव करें।
- आम के पौधें की सिंचाई रोक दें।
- अंगूर के पौधों की सिंचाई करें तथा कटाई–छटाई करें।
- पौधों के चारों ओर खरपतवार एवं घास की सफाई करें।
- नये पौधों में जमीन से 1 मीटर तक पौधों में बगली शाखाओं को न निकलने दें। पौधों को सीधा बडनें दें।

- 2 वर्ष से अधिक बडे पौधों की कटाई–छटाई का कार्य करें।
- नवीन रोपित पौधों में से जो पौधें मर गये है उनके स्थान पर नवीन पौधें रोपित करे।
- पौधों में पौध संरक्षण उपाय करें तथा अमरुद की सिंचाई करें।

नवम्बर

(तापक्रम 28.8–12.1 डिग्री से.ग्रे. वर्षा 22.1–1.1 आर्द्रता प्रतिशत् 54–32 वायुगति 7.5 कि.मी.प्रति घंटा)

- समस्त पौधों के नीचे निदाई, गुड़ाई, सफाई, थाला निर्माण, समुचित सिचाई, मूलवृन्त के नीचे से निकलने वाली सभी शाखाओं की छटाई, मृत पौधों की तत्काल गैप फिलिंग के साथ ही जमीन के नीचे से 1 मीटर उचाई तक की सभी शाखाओं को को निकालने के साथ ही यदि कोई कीट बीमारी दिखे बिंदु क्रमांक 37.5 एवं 38 अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- आम के बगीचों में सिंचाई का कार्य बन्द करें।
- फलदार पोधौं की वृद्धि हेतु जैविक खादों का उपयोग कर दें।
- अमरुद, पपीता एवं नींबू के फल तुडाई का कर्य करें।
- फलदार पौधों के चारो ओर थाले बनानें का कार्य करें।
- फलदार पौधों के चारो ओर सफाई का कार्य करें।
- पौध के मूलवन्त (तने) से निकलने वाली शाखाओं को काट दें।
- खरपतवार नियंत्रण तथा जाडे से बचाने हेतु प्रारंभिक तैयारियां करें।
- अमरुद, पपीता, नीबू की तुडाई करें।

दिसम्बर

(तापक्रम 26.7–9.9 डिग्री से.ग्रे. वर्षा 2.7–0.4 आर्द्रता प्रतिशत् 57–32 वायुगति 7.1 कि.मी.प्रति घंटा)

- समस्त पौधों के नीचे निदाई, गुड़ाई, सफाई, थाला निर्माण, समुचित सिचाई, मूलवृन्त के नीचे से निकलने वाली सभी शाखाओं की छटाई, मृत पौधों की तत्काल गैप फिलिंग के साथ ही जमीन के नीचे से 1 मीटर उचाई तक की सभी शाखाओं को को निकालने के साथ ही यदि कोई कीट बीमारी दिखे बिंदु क्रमांक 37.5 एवं 38 अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- फलदार पौधों में गोमेसिस एवं एन्थ्रोक्सनोज की रोकथाम हेतु बोर्डोपेस्ट बनाकर पौधों के तने के चारों ओर लगाये गये बोर्डों मिक्चर का घोल बनाकर छिडकाव करें।
- अमरुद पपीता एवं नीबू के फलों की तुडाई का कार्य करें।
- फलादर पौधों को पाले से बचाने हेतु सिंचाई करें।
- अमरुद की फसल तुडाई के पश्चात् सूखी टहनियों की छटाई एवं आवश्यक कटाई–छटाई का कार्य करें।
- फलदार पौधों में मूलवृन्त (मुख्य तने से) निकलने वाली शाखाओं को काट दें।
- पाला पड़ने की संभावना में इससे बचने के प्रयास करें।

वानिकी/फल पौध रोपण कार्यकम हेतु वार्षिक कैलेंडर

क्र	गतिविधियों का विवरण	अवधि कब तक	जिम्मेदार एजेंसी
1	**वृक्षारोपण कार्य हेतु क्लस्टर एवं हितग्राहियों का चयन**		
1.1	ग्राम पंचायत/क्लस्टर क्षेत्र का चयन करना	सितम्बर	ग्राम पं./उद्यान विभाग/रेशम विभाग/वन विभाग/ज.पं/जि.पं.
1.2	हितग्राही चयन,एस.ओ.पी. में शामिल करना, प्रजातियों का चयन, आवेदन प्राप्त करना, तकनीकी स्वीकृति व प्रशासकीय स्वीकृति जारी करना।	अक्टूबर	ग्राम पं./क्रियान्वयन एजेन्सी/उद्यान विभाग/रेशम विभाग/वन विभाग/ज. पं./जि. पं./कलेक्टर
1.3	चयन अनुसार वृक्षारोपण कार्य को ग्राम पंचायत के एसओपी में शामिल किया	अक्टूबर–नवम्बर	ग्रा.पं./जं.पं./जि.पं.
2	**नर्सरी स्थापना पौध उत्पादन संबंधी कार्य**		
	नर्सरी स्थापना हेतु हितग्राही/स्वसहायता समूह/शासकीय उद्यान रोपणी/शासकीय वन रोपणी का चयन	मई–जून (फरवरी–मार्च माह में भी नवीन नर्सरी स्थापित की जा सकती है।)	ग्राम पं./उद्यान विभाग/रेशम विभाग/वन विभाग/ज.पं/जि.पं.
2.1	हितग्राही/स्वसहायता समूह द्वारा नर्सरी की तैयारी, नर्सरी स्थल का चयन, पानी की व्यवस्था, नर्सरी शेड का निर्माण व अन्य सामग्री की व्यवस्था डीपीआर अनुसार, फेंसिंग व कार्य प्रारंभ	जून–जुलाई	चयनित एसएचजी/ हितग्राही/ क्रियान्वयन एजेन्सी/मु.का. अ. ज. प. /जिला पंचायत
2.2	नर्सरी में पॉलिथिन बैगों की भराई	जुलाई–अगस्त	चयनित एसएचजी/ हितग्राही/ क्रियान्वयन एजेन्सी/ मु.का. अ. ज.प. /जिला पंचायत
2.3	पॉलिथिन बैग में बीज बुवाई सुनिश्चित करना,	जुलाई–अगस्त	चयनित एसएचजी/ हितग्राही/ क्रियान्वयन एजेन्सी/ मु.का. अ. ज.प. /जिला पंचायत

2.4	नर्सरी में निदांई गुडाई, सफाई, कीट ब्यादियों के नियंत्रण के हेतु दवॉ का छिड़काव, नियमित सिंचाई व अन्य समस्त प्रबंधन कार्य	सितंबर–अक्टूबर–नवंबर–दिसंबर–जनवरी	चयनित एसएचजी/ हितग्राही /कियान्वयन एजेन्सी/ मु.का. अ. ज.प. /जिला पंचायत
2.5	छोटी पोलेथिन बैग से बड़े पोलेथिन बैग में पौधों का हस्तांतरण करना व निदांई, गुडाई, सफाई, सिंचाई, छाया व अन्य समस्त प्रबंधन कार्य । आगामी वर्ष हेतु नवीन रोपणी स्थापना के लिये स्थल का चयन एवं अन्य प्रारंभिक तैयारियॉ(जून–जुलाई की भांति)	फरवरी मॉर्च	चयनित एसएचजी/ हितग्राही/ कियान्वयन एजेन्सी/ मु.का. अ. ज.प. /जिला पंचायत
2.6	निदांई, गुडाई, खाद, उर्वरक प्रदाय, दवा का छिडकाव, कटिंग–छटिंग, पौधों को सहारा देना, सफाई, सिंचाई, छाया व अन्य समस्त प्रबंधन कार्य।	अप्रैल–जून	चयनित एसएचजी/ हितग्राही/ कियान्वयन एजेन्सी/ मु.का. अ. ज.प. /जिला पंचायत
3	**वक्षारोपण कार्य**		
3.1	गड्डो की खुदाई	फरवरी	हितग्राही /कियान्वयन एजेन्सी/ म.का. अ. ज.प. /जिला पंचायत
3.2	गड्डो की खुदाई गड्डो में दवा का प्रयोग एवं फेंसिग व्यवस्था हेतु लोकल ईको फ्रेडली सामग्री की व्यवस्था।	मार्च	हितग्राही /कियान्वयन एजेन्सी/ मु.का. अ. ज.प. /जिला पंचायत
3.3	गोबर की खाद एवं अन्य रासायनिक उर्वरक का क्रय	अप्रैल	हितग्राही /कियान्वयन एजेन्सी/ मु.का. अ. ज.प. /जिला पंचायत
3.4	गड्डो की भराई एवं हितग्राहियों/अधिकारियों का प्रशिक्षण	मई	हितग्राही /कियान्वयन एजेन्सी/ मु.का. अ. ज.प. /जिला पंचायत
3.5	पौधों का परिवहन एवं प्रत्यारोपण व फेंसिग, निदांई गुडाई, सिंचाई व्यवस्था।	जून जुलाई अगस्त	हितग्राही /कियान्वयन एजेन्सी/ मु.का. अ. ज.प. /जिला पंचायत
4	**वृक्षारोपण अंतर्गत संधारण कार्य हितग्राही द्वारा**		
4.1	पौधरोपण उपरांत सिंचाई, निंदाई–गुड़ाई, थाला निर्माण, मिट्टी चढ़ाना	अगस्त–सितम्बर	हितग्राही/ कियान्वयन एजेन्सी
4.2	लगाये गए पौधों की सुरक्षा, निंदाई, गुंडाई, थाला बनाना, सहारा देना, दवाई, खाद उर्वरक देना, कंटाई छंटाई, फेंसिग, सिंचाई सहित समस्त प्रबंधन कार्य।	अक्टूबर से लगातार योजना कार्य अवधि तक 3 वर्ष अथवा 5 वर्ष	हितग्राही/ कियान्वयन एजेन्सी

अध्याय–21
डीपीआर फीजिंग हेतु ऑनलाईन एक्टीविटी कोड नम्बर

Activity for Plantation Work NON SOR Items in MGNREGS

S.No.	Activity code	Activity Name	Unit	Rate	Refrence	Approximate Unit Price
1	3040	Prepration of old bed for nursary -In size 10m.X1mX0.4m, including excavation of soil, filtration of soil and proper mixing with manure and sand etc complete Mandays per bed.	Mandays per bed		Item no. -1 Part-1 , Forest SOR, circle Chindwara.	0.75 Mandays
2	3041	Prepration of new bed for nursary -In size 10m.X1mX0.4m, including excavation of soil, filtration of soil and proper mixing with manure and sand etc complete Mandays per bed.	Mandays per bed		Item no. -2 Forest SOR, circle Chindwara	1.60 Mandays
3	3042	seeds sowing in line method in beds Mandays per bed.	Mandays per bed		Item no. -3 Forest SOR, circle Chindwara.	0.25 Mandays
4	3043	seeds sowing in broadcost method in beds Mandays per bed.	Mandays per bed		Item no. -3 Forest SOR, circle Chindwara.	0.08 Mandays
5	3044	Filling of 25x12 cm size polythene bags with filtration of soil and proper mixing of manure and sand etc Mandays per Hundred.	Mandays per Hundred		Item no. - 4 Forest SOR, circle Chindwara.	0.6 Mandays
6	3045	Filling of 25x15 and 30x12 cm size polythene bags with filtration of soil and proper mixing of manure and sand etc complete Mandays per Hundred.	Mandays per Hundred		Item no. - 4, Forest SOR, circle Chindwara.	0.75 Mandays
7	3046	Filling of 30x20 cm size polythene bags with filtration of soil and proper mixing of manure and sand etc complete Mandays per Hundred.	Mandays per Hundred		Item no. - 4, Forest SOR, circle Chindwara.	1 Mandays
8	3047	Diging of root shoots and prepared 9" and 1" shoot with making each bunch of 100 roots and shifting each root in polythene bags Mandays per	Mandays per Hundred		Item no. - 5, Forest SOR, circle Chindwara.	0.3 Mandays

		Hundred.				
9	3048	Uproot plant with bed and transplant in polythene bags with systematic setting. Mandays per Hundred	Mandays per Hundred		Item no. - 6, Forest SOR, circle Chindwara.	0.25 Mandays
10	3049	Filling of root tranners with mixing of soil and manure. Mandays per Hundred.	Mandays per Hundred		Item no. - 7, Forest SOR, circle Chindwara.	0.18 Mandays
11	3050	Irrigation of bed or polythene bags for growing seed/plant . bed size 10m.X1mX0.4m . Mandays per beds.	Mandays per bed		Item no. - 8, Forest SOR, circle Chindwara.	0.05 Mandays
12	3051	weeding and hoeing interculture opertion of beds. Mandays per beds.	Mandays per bed		Item no. -10, Forest SOR, circle Chindwara.	0.15 Mandays
13	3052	Grass cutting and made of bundel 8"-10" dia with storage Mandays per hundred bundels	Mandays per hundred bundels		Item no. -11 Forest SOR, circle Chindwara.	0.65 Mandays
14	3053	Security of nursury. Mandays per thousand per month	Mandays per thousand per month		Item no. -12, Forest SOR, circle Chindwara.	0.15 Mandays
15	3054	Prepration of maps for plantation work. Mandays per hect (10,000 sqm)	Mandays per hect		Item no. -1, Part-2 Forest SOR, circle Chindwara.	1 Mandays
16	3055	Prepration of drystone Cattle protection wall in size 1.5m.x0.90m.x0.75m. including stone collection and manuel transpotation range aproximate 200m Mandays per running meters.	Mandays per running meters		Item no. -5, Part-2 Forest SOR, circle Chindwara.	0.8 Mandays
17	3056	Diging of pits and fixing of pole with 5 rows barbed wire etc. complete. Mandays per running meters.	Mandays per running meters		Item no. -6, Part-2 Forest SOR, circle Chindwara.	0.13 Mandays
18	3057	Mixing of soil, FYM with insecticides in pits. Mandays per hundered pits.	Mandays per hundered pits.		Item no. -10, Part-2 Forest SOR, circle Chindwara.	1.5 Mandays

19	3058	Shifting and distrubution of plants in different pits of plantation areas Mandays per hundered	Mandays per hundered		Item no. -12, Part-2 Forest SOR, circle Chindwara.	0.4 Mandays
20	3059	Transplanting plant and preparation of thala for 30x30x30cm. pits. Mandays per hundered	Mandays per hundered		Item no. -13, Part-2 Forest SOR, circle Chindwara.	0.5 Mandays
21	3060	Transplanting plant and preparation of thala for 30x30x45cm. pits. Mandays per hundered.	Mandays per hundered		Item no. -13, Part-2 Forest SOR, circle Chindwara.	1.7 Mandays
22	3061	Transplanting plant and preparation of thala for 45x45x45cm. pits. Mandays per hundered.	Mandays per hundered		Item no. -13, Part-2 Forest SOR, circle Chindwara.	1.8 Mandays
23	3062	Transplanting plant and preparation of thala for 60x60x60cm. pits. Mandays per hundered.	Mandays per hundered		Item no. -13, Part-2 Forest SOR, circle Chindwara.	2 Mandays
24	3063	Interculture operation first weeding one squer meter. Around plant Mandays per hundered plants.	Mandays per hundered plants.		Item no. -14, Part-2 Forest SOR, circle Chindwara.	1.25 Mandays
25	3064	Interculture operation second weeding one squer meter around plants Mandays per hundred.	Mandays per hundered.		Item no. -14, Part-2 Forest SOR, circle Chindwara.	1 Mandays
26	3065	Applying chemicles in soil around plants Mandays per hundred.	Mandays per hundered.		Item no. -15, Part-2 Forest SOR, circle Chindwara.	0.5 Mandays
27	3066	Spraying of insecticids on plants Mandays per hundred.	Mandays per hundered.		Item no. -15, Part-2 Forest SOR, circle Chindwara.	0.1 Mandays
28	3067	Transportation of water mannually with in one km. distance for irrigation of hundred plants.	Mandays per hundered plants.		Item no. -16, Part-2 Forest SOR, circle Chindwara.	0.5 Mandays
29	3068	Fixing of Information board with diging pits and grout in cement concret mixture (1:2:4). Mandays per board.	Mandays per board.		Item no. -18, Part-2 Forest SOR, circle Chindwara.	1 Mandays
30	3069 (i) 3069 (ii)	Loading of polythene bags plant bag size 12x25cm. in truck or tractor mandays per thousand. Unloading of polythene bags plant bag size 12x25cm. in truck or tractor mandays per thousand.	mandays per thousand.		Item no. -19, Part-2 Forest SOR, circle Chindwara.	1.25 Mandays for loading and 0.75 Mandays for unloading

31	3070	Seeds sowing in polythene bag mandays per thousand	mandays per thousand		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.26	0.50 mandays
32	3071	Layout of Field for per digging of pits for plantation work.	R.M.		NON SOR plantation SOR Dis.Gwalior item no.1	0.20 Rs.
33	3072	Cement concrete Fancing Pole of 1.8 Meter length as per MPLUN specfication.	No.		NON SOR plantation SOR Dis.Gwalior item no.34	210.00 Rs.
34	3073	Cement concrete Fancing Pole of 1.6 Meter length as per MPLUN specfication.	No.		NON SOR plantation SOR Dis.Gwalior item no.35	229.00 Rs.
35	3074	Cement conceret Fancing Pole of 2.0 Meter length as per MPLUN specfication.	No.		NON SOR plantation SOR Dis.Gwalior item no.36	220.00 Rs.
36	3075	Transporation of cement concrete pole including loading and unloading upto 40 km. from block head quarter.	Each		NON SOR plantation SOR Dis.Gwalior item no.16	5.75 Rs.
37	3076	Barbed wire of 12 gauge as per MPLUN/ MPAGRO specification.	kg		NON SOR plantation SOR Dis.Gwalior item no.38	80.23 Rs.
38	3077	Digging of pits.for fencing pole and fitting work 0.30X0.30X0.45=0.0405 per pole	Each		NON SOR has per plantation SOR Dis.Gwalior item no.37	10 Rs.per pole
39	3078	Fencing with spick shrubes minimum 1.6m. height around the plant.	Each		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.33	50 Rs.per plant
40	3079	Preperation of pits for plantation of poly plants including mixing of soil manure fertilizer and insecticides with first watering etc. complete.	Each		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.7 and 28	10 Rs.per plant
41	3080	All maintainance of plants after transplanting work inclusive of Irrigation, Interculture operation, spray of pesticides, thala construction, earthing up etc.e with securty for first year per 675 plants.	Each		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.4, 7, 28	1.0 mandays

42	3081	All maintainance of plants after transplanting work inclusive of Irrigation, Interculture operation, spray of pesticides, thala preparation, earthing up etc. with securty for second year per 675 plants.	Each		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.4, 7, 28	1.0 mandays
43	3082	All maintainance of plants after transplanting work inclusive of Irrigation, Interculture operation, spray of pesticides, thala preparation, earthing up etc. with securty for thirdyear per 900 plants.	Each		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.4, 7, 28	1.0 mandays
44	3083	All maintainance of plants after transplanting work inclusive of Irrigation, Interculture operation, spray of pesticides, thala preparation, earthing up etc. with securty for fourth year per 1350 plants.	Each		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.4, 7, 28	1.0 mandays
45	3084	All maintainance of plants after transplanting work inclusive of Irrigation, Interculture operation, spray of pesticides, thala preparation, earthing up etc. with securty for fifth year per 2300 plants.	Each		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.4, 7, 28	1.0 mandays
46	3085	Purchasing of GI wire as per MPLUN Specification.	kg		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.39	80.00 Rs.
47	3086	Supplying of Bamboo tree guard in triangular in shape each jali size 1.65 m x 0.45 m having with horizontal and verticle cross members maximum spacing 7.5cm x 7.5 cm to protect from goat / cattles.	Each		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.68	260.00 Rs.
48	3087	Supply of farm yard mannure (FYM) to the plantation site.	kg		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.29 & 53	1.5 Rs.or 1200 Rs. Per traly.
49	3088	Transportation of fertile soil with in 5 km range from plantation site for filling in diging pits quantity will we 1/4 of pit size each pit.	Each		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item	5.89 Rs

50	3089	Transportation of fertile soil with in 5 km range from plantation site for filling in diging pits quantity will we 1/2 of pit size each pit.	Each		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item	11.78 Rs.
51	3090	Supply of vermi compost	kg		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.40	5.0 Rs.
52	3091	Supply of singal super phosphate (SSP)	kg		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.41	6.6 Rs.
53	3092	Supply of muriate of potash (MOP)	kg		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.42	17.8 Rs.
54	3093	Supply of urea.	kg		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.43	6.00 Rs.
55	3094	Supply of Neem cake	kg		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.44	20.00 Rs.
56	3095	Supply of Themate, phorate 10 G pesticites	kg		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.45	59.00 Rs.
57	3096	Supply of foresty or horticulture Plant cost prepared by seeds 1.5 to 2 feet plant height .	Each		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.73	12.8 Rs.
58	3097	Supply of graphted foresty or horticulture Plant 1.5 to 2 feet plant height	Each		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.69	17.75 Rs.
59	3098	Supply of foresty or horticulture Plant cost prepared by seeds 2 to 3 feet . height	Each		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.74	18.00 Rs
60	3099	Supply of foresty or horticulture Plant cost graffted 2 to 3 feet . height	Each		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.70	22.00 Rs.

61	3100	Supply of foresty or horticulture Plant cost 3 to5 feet . height	Each		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.83	30.00 Rs.
62	3101	Supply of foresty or horticulture Plant cost 5 to 7 feet . height	Each		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.75	50.00 Rs.
63	3102	Supply of foresty or horticulture Plant cost 7 to 9 feet .height	Each		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.85	120.00 Rs.
64	3103	Supply of foresty or horticulture Plant cost 9 to 11 feet . height	Each		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.86	150.00 Rs.
65	3104	Supply of foresty or horticulture Plant cost 11 to 13 feet . height	Each		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.87	180.00 Rs.
66	3105	Supply of Papaya plant tiwan 786 red lady variety. (1" to 15" plant height)	Each		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior MP Agro Rate	12.00 Rs.
67	3106	Supply of Alovera Plant (6"to9" plant height)	Each		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.47	2.00 Rs.
68	3107	Supply of Banana tissuculture plants (6"to12"plant height)	Each		MP AGRO	18.40 Rs.
69	3108	Transport of plants from nursury to plantation site upto 40 km. including loading and unloading	Each		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.46, 83	4.00 Rs.
70	3109	Supply of Plant protection pesticides per plant, a-foresty plant, b- fruit plant.	Each		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.10	2.5 Rs. Per foresty plant Or 5.0 Rs. Per fruit plant.
71	3110	Rent for water Tankar of capacity 5000 Litre including tractor, diesel, driver etc. complete for one day.	Each		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.54	1500.00 Rs.
72	3111	Rent for diesel generator working 6-8 hour avarge for lifting of water for Irrgation of plants per month.	Each		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.54	15000.00 Rs.

73	3112	Consumption of Diesel or monthly electic bill for Irrgation of plantation area per hect.	Each		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.54	5000.00 Rs.
74	3113	Supply of Pvc pipe line 63mmX4kg/cm2	R.M.		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.48	48.00 Rs.
75	3114	Supply of Pipeline fitting labour and material cost per 30000 sqm.	Sqm.		NON SOR item as per estimate	0.318 Rs.
76	3115	Supply of Drip irrgation system with NHM convergence per 4000 sqm. (NHM:MGNREGS-70:30)	Each		NON SOR item as per estimate	6000.00 Rs.
77	3116	Supply of 12 mm Drip pipe turbo slim 4.0 lph 40 cm class 2	R.M.		NON SOR item as per estimate	5.00 Rs.
78	3117	Supply of 63 mm pvc valve	Each		NON SOR item as per estimate	663.00 Rs.
79	3118	Supply of HDP legam pipe 1 Inch	R.M.		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior	46.50 Rs.
80	3119	Supply of farm yard mannure (FYM) and fartilizer second year per plant	Each		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.09	5.00 Rs.
81	3120	Supply of Mulching Sheet 40 micron, 1.2 m width	R.M.		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior MP Agro Rate	8.00 Rs.
82	3121	Supply of Polythin bag	kg		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.52 /LUN Rate	111.00 Rs.
83	3122	Supply of Bone meal	kg		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior MP Agro Rate	10.00 Rs.
84	3123	Supply of Chlorpyrifos (50%)	litter		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.55	214.00 Rs.
85	3124	Supply of Bavistin (Carbendazin 50% WP)	kg		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.58	391.00 Rs.
86	3125	Supply of Mancozeb 75% WP	kg		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.59	216.00 Rs.

87	3126	Supply of Cooper Oxychloride (50%)	kg		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.60	240.00 Rs.
88	3127	Supply of Ridomil (8% matelaxle + 75% mancozeb)	kg		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.61	1500.00 Rs.
89	3128	Supply of Trichoderma	kg		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.62	164.00 Rs.
90	3129	Supply of Plant growth harmones A- Tricontronal- for growth improvement. B- cycocle- for growth retardation. C- N.A.A- to protect flower and fruit dropping. D- Cytozyme - for good plant health.	lt		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.63	132.00 Rs.
91	3130	Supply of shed net 50%	Sqm.		MP AGRO	30.00 Rs.
92	3131	Supply of Neem seeds	kg		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.64	20.00 Rs.
93	3132	Supply of Shisham seeds	kg		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.65	50.00 Rs.
94	3133	Supply of Karang seeds	kg		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.66	100.00 Rs.
95	3134	Supply of Guava seeds	kg		NON SOR per plantation SOR Dis.Gwalior item no.67	2000.00 Rs.
96	3135	contingency expences as per estamite	Each		As per estamite	3.50%

अध्याय–22

विभिन्न प्रकार की तकनीकी स्वीकृति हेतु मार्गदर्शी डीपीआर

परिशिष्ट–1

मनरेगा योजना का संयोजन/अभिसरण एकीकृत बागवानी विकास मिशन/राज्यमद पर प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति एकड(0.40 हेक्टे.)

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....

हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....

चयनित पौधे– नीबू **स्वयं के व्यय पर**

पौधों से पोधों की दूरी – 3×3 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या 0.40 हेक्ट/444 पौधे नीबू **हाईडेन्सिटी ड्रिप सिचाई सहित**

कुल पौध संख्या – 444

स्वयं के व्यय पर हाईडेन्सिटी प्लांटेशन उद्यानिकी, मनरेगा, कृषक अंश के 25:50:25 निर्देशों के अनुकम में वर्षबार 50:25:25 में निर्मित डी.पी.आर.

(प्राक्कलन व्यय एम. जी. एनआरईजीएस, एन.एच.एम. एवं कृषक अंश द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता ड्रिप सिचाई सहित)

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	राज्य मद/एन.एच.एम	मनरेगा		कृषक अंश	कुल योग
					लागत मजदूरी	लागत सामग्री	लागत सामग्री	
1	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**							
	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.60×0.60× 0.60=0.216 मीटर	73.80 प्रति घन मी. 15.94प्रति गड्डा	444 गड्डे		7077	–	–	7077
2	**गोबर की खाद 10 किलो प्रति पौधा**	5 रू. प्रति पौधा	444 पौधे		–	2220		2220
3	**सिंगल सुपर फास्फेट**							
	500 ग्रम प्रति पौधा/444 पौधे	6.6 प्रति किलो	200 किलो		–	1320		1320
4	**म्यूरेट आफ पोटास**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/444 पौधे	17.8 प्रति किलो	100 किलो		–	1780		1780
5	**यूरिया**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/444 पौधे	6 प्रति किलो	100 किलो		–	600		600

6	**थीमेट, फोरेट, दीमक दवॉ**							
	25 ग्रम प्रति पौधा/444 पौधे	80 प्रति किलो	10 किला		—	800		800
7	**पौधों की कीमत**							
	नीबू 2 से 2.5 फिट उंचाई के	15 प्रति पौधा	461 पौधे	6919	—			6919
8	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग**	5 प्रति पौधा	444		2220	—		2220
9	**पौध संरक्षण दवायें**	5 प्रति पौधा	444		—	2220		2220
10	**ड्रिप सिंचाई पर व्यय**					16441	6919	23360
11	**स्थल पर सूचना पटल का निर्माण ईंट/पत्थर**					2000		2000
12	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु पौध रोपण उपरांत 5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिती में**	157 प्रति दिन	142 श्रमिक पूरे वर्ष में		22200	—		22200
13	**सिकेटियर**	300 प्रति नग	1			300		300
14	**योग**			**6919**	**31497**	**27681**	**6919**	**73016**
15	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**							
16	**20 प्रतिशत गैफ फीलिंग**	15 प्रति पौधा	82	1230	—			1230
17	**गोबर की खाद अथवा बर्मी कम्पोस्ट**	3.5 रू प्रति पौधा	444				1554	1554
18	**उर्वरक पर व्यय**	5 प्रति पौधे	444	2220	—			2220
19	**पौध संरक्षण पर व्यय**	4.3 प्रति पौधे	444		—		1900	1900
20	**सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिती में**	157 प्रति दिन	170 श्रमिक पूरे वर्ष में		26690	—		26690
	योग			**3450**	**26690**		**3454**	**33594**
21	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**							
22	**10 प्रतिशत गैफ फीलिंग**	15 प्रति पौधा	44	660	—			660

23	**गोबर की खाद, बर्मी कम्पोस्ट, माइकोन्यूटेन्ट, बोर्डोपेस्ट हेतु**	3.5 रू प्रति पौधा	444				1554	1554
24	**बोर्डोपेस्ट हेतु नीला थोथा, अनबुझा चूना, मिट्टी के घड़े आदि**	—	444	570				570
25	**खाद उर्वरक पर व्यय**	5 प्रति पौधे	444	2220	—			2220
26	**पौध संरक्षण पर व्यय**	4.3 प्रति पौधा	444		—		1900	1900
27	**सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिती में**	157 प्रति दिन	170 श्रमिक पूरे वर्ष में		26690	—		26690
28	**योग**			**3450**	**26690**	—	**3454**	**33594**
29	**महायोग**			**13819**	**84877**	**27681**	**13827**	**140204**

कुल व्यय सामग्री पर

एनएचएम/राज्यमद कन्वर्जेंस व्यय	—	13819	(योजना का 25.00 प्रतिशत)
मनरेगा कन्वर्जेंस व्यय	—	27681	(योजना का 50.00 प्रतिशत)
कृषक अंश कन्वर्जेंस व्यय	—	13827	(योजना का 25.00 प्रतिशत)
कुल योग	—	**55327**	

मनरेगा एवं एनएचएम/राज्यमद अंतर्गत कुल व्यय

मजदूरी पर व्यय	—	84877
सामग्री पर व्यय	—	41500
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	—	**126377**

एनएचएम/राज्यमद अंतर्गत व्यय

एनएचएम/राज्यमद कन्वर्जेंस अंतर्गत प्रथम वर्ष में व्यय	—	6919	(योजना का 50.00 प्रतिशत)
एनएचएम/राज्यमद कन्वर्जेंस अंतर्गत द्वितीय वर्ष में व्यय	—	3450	(योजना का 25.00 प्रतिशत)
एनएचएम/राज्यमद कन्वर्जेंस अंतर्गत तृतीय वर्ष में व्यय	—	3450	(योजना का 25.00 प्रतिशत)
कुल योग	—	**13819**	

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	—	84877	(योजना का 72.80 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	—	27681	(योजना का 23.70 प्रतिशत)
अतिरिक्त 4 प्रतिशत	—	4000	(योजना का 3.500 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	—	**11655**	

मनरेगा योजना का संयोजन/अभिसरण राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति एकड(0.40 हेक्टे.)

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....

हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....

चयनित पौधे– अनार टिशु कल्चर (आर. के. व्ही. वाय योजना)

पौधों से पोधों की दूरी – 5×5 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या 0.40 हेक्ट/160 पौधे अनार टिशु कल्चर **सामान्य अंतर पर ड्रिप सिचाई सहित**

कुल पौध संख्या – 160

आर.के.व्ही.वाय. अनार टिशु कल्चर के क्षेत्र विस्तार में उद्यानिकी, मनरेगा, कृषक अंश के 50:25:25 निर्देशों के अनुकम में वर्षबार 50:25:25 में निर्मित डी.पी.आर.

(प्राक्कलन व्यय एम. जी. एनआरईजीएस, एन एच एम एवं कृषक अंश द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता ड्रिप सिचाई सहित)

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	आर.के.व्ही. वाय	मनरेगा		कृषक अंश	कुल योग
					लागत मजदूरी	लागत सामग्री	लागत सामग्री	
1	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**							
	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.60×0.60× 0.60=0.216 मीटर	73.80 प्रति घन मी. 15.94प्रति गड्डा	160 गड्डे		2550	–	–	2550
2	**गोबर की खाद** **10 किलो प्रति पौधा**	5 रू. प्रति पौधा	160 पौधे		–		800	800
3	**सिंगल सुपर फास्फेट**							
	500 ग्रम प्रति पौधा/160 पौधे	6.6 प्रति किलो	80 किलो		–	528		528
4	**म्यूरेट आफ पोटास**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/160 पौधे	17.8 प्रति किलो	40 किलो		–	712		712
5	**यूरिया**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/160 पौधे	6 प्रति किलो	40 किलो		–		240	240
6	**थीमेट, फोरेट, दीमक दवॉ**							
	25 ग्रम प्रति पौधा/160 पौधे	80 प्रति किलो	4 किलो	320	–			320
7	**पौधों की कीमत**							
	अनार टिशु कल्चर (10 प्रतिशत गेप फिलिंग सहित)	40 प्रति पौधा	192 पौधे	7680	–			7680

	2 से 2.5 फिट उंचाई के							
8	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग**	5 प्रति पौधा	160		800	—		800
9	**पौध संरक्षण दवायें**	5 प्रति पौधा	160		—	800		800
10	**ड्रिप सिंचाई पर व्यय**					5660	6960	12620
11	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु पौध रोपण उपरांत 5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिती में**	157 प्रति दिन	51 श्रमिक पूरे वर्ष में		8000	—		8000
12	**सिकेटियर**	300 प्रति नग	1			300		300
13	**योग**			**8000**	**11350**	**8000**	**8000**	**35350**
14	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**							
15	**20 प्रतिशत गैफ फीलिंग**	40 प्रति पौधा	34	1360	—			1360
16	**गोबर की खाद अथवा बर्मी कम्पोस्ट माइक्रोन्यूटेन्ट**	6.5 रू प्रति पौधा	160	1040				1040
17	**उर्वरक पर व्यय**	5 प्रति पौधे	160	800	—			800
18	**पौध संरक्षण पर व्यय**	5 प्रति पौधे	160	800	—			800
19	**सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिती में**	157 प्रति दिन	61 श्रमिक पूरे वर्ष में		9600	—		9600
20	**योग**			**4000**	**9600**	—	—	**13600**
21	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**							
22	**10 प्रतिशत गैफ फीलिंग**	40 प्रति पौधा	14	560	—			560
23	**गोबर की खाद, बर्मी कम्पोस्ट, माइक्रोन्यूटेन्ट,**	6.5 रू प्रति पौधा	160	1040				1040
24	**बोर्डोपेस्ट हेतु नीला थोथा, अनबुझा चूना, मिट्टी के घड़े आदि**	5 रू प्रति पौधा	160	800				800

25	**खाद उर्वरक पर व्यय**	5 प्रति पौधे	160	800	—			800
26	**पौध संरक्षण पर व्यय**	5 प्रति पौधा	160	800	—			800
27	**सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिती में**	157 प्रति दिन	61 श्रमिक पूरे वर्ष में		9600	—		9600
28	**योग**			**4000**	**9600**	—	—	**13600**
29	**महायोग**			**16000**	**30550**	**8000**	**8000**	**62550**

कुल व्यय सामग्री पर

आर.के.व्ही.वाय. कन्वर्जेंस व्यय	—	16000	(योजना का 50.00 प्रतिशत)
मनरेगा कन्वर्जेंस व्यय	—	8000	(योजना का 25.00 प्रतिशत)
कृषक अंश कन्वर्जेंस व्यय	—	8000	(योजना का 25.00 प्रतिशत)
कुल योग	—	**32000**	

मनरेगा एवं आर.के.व्ही.वाय. अंतर्गत कुल व्यय

मजदूरी पर व्यय	—	30550
सामग्री पर व्यय	—	8000
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	—	**38550**

आर.के.व्ही.वाय. अंतर्गत व्यय

आर.के.व्ही.वाय. कन्वर्जेंस अंतर्गत प्रथम वर्ष में व्यय	—	8000	(योजना का 50.00 प्रतिशत)
आर.के.व्ही.वाय. कन्वर्जेंस अंतर्गत द्वितीय वर्ष में व्यय	—	4000	(योजना का 25.00 प्रतिशत)
आर.के.व्ही.वाय. कन्वर्जेंस अंतर्गत तृतीय वर्ष में व्यय	—	4000	(योजना का 25.00 प्रतिशत)
कुल योग		—	**16000**

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	—	30550	(योजना का 76.50 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	—	8000	(योजना का 20.00 प्रतिशत)
अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत	—	1350	(योजना का 3.500 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	—	**39900**	

मनरेगा योजना का संयोजन/अभिसरण एकीकृत बागवानी विकास मिशन पर प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति एकड(0.40 हेक्टे.)

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....

हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....

चयनित पौधे– नीबू

पौधों से पोधों की दूरी – 3×3 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या .40 हेक्ट/444 पौाधे नीबू **सामान्य अंतर पर ड्रिप सिचाई सहित**

कुल पौध संख्या – 444

एम.आई.डी.एच. के हाईडेन्सिटी प्लांटेशन उद्यानिकी, मनरेगा, कृषक अंश के 40:35:25 निर्देशों के अनुकम में वर्षबार 60:20:20 में निर्मित डी.पी.आर.

(प्राक्कलन व्यय एम. जी. एनआरईजीएस, एन एच एम एवं कृषक अंश द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता ड्रिप सिचाई सहित)

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	एम.आई.डी. एच.	मनरेगा		कृषक अंश	कुल योग
					लागत मजदूरी	लागत सामग्री	लागत सामग्री	
1	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**							
	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.60×0.60× 0.60=0.216 मीटर	73.80 प्रति घन मी. 15.94प्रति गड्डा	444 गड्डे		7077	–	–	7077
2	**गोबर की खाद 10 किलो प्रति पौधा**	5 रू. प्रति पौधा	444 पौधे		–		2220	2220
3	**सिंगल सुपर फास्फेट**							
	500 ग्रम प्रति पौधा/444 पौधे	6.6 प्रति किलो	200 किलो	1320	–			1320
4	**म्यूरेट आफ पोटास**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/444 पौधे	17.8 प्रति किलो	100 किलो	1780	–			1780
5	**यूरिया**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/444 पौधे	6 प्रति किलो	100 किलो		–		600	600
6	**थीमेट, फोरेट, दीमक दवॉ**							
	25 ग्रम प्रति पौधा/444 पौधे	80 प्रति किलो	10 किला	800	–			800
7	**पौधों की कीमत**							

	नीबू 2 से 2.5 फिट उंचाई के	15 प्रति पौधा	488 पौधे	6832	—			6832
8	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग**	5 प्रति पौधा	444		2220	—		2220
9	**पौध संरक्षण दवायें**	5 प्रति पौधा	444	2220	—			2220
10	**ड्रिप सिंचाई पर व्यय**					17520	5840	23360
11	**स्थल पर सूचना पटल का निर्माण ईंट/पत्थर**					2000		2000
12	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु पौध रोपण उपरांत 5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिती में**	157 प्रति दिन	142 श्रमिक पूरे वर्ष में		22290	—		22200
13	**सिकेटियर**	300 प्रति नग	1	300				300
14	**योग**			**13252**	**31497**	**19520**	**8660**	**72929**
15	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**							
16	**20 प्रतिशत गैफ फीलिंग**	15 प्रति पौधा	88	1320	—			1320
17	**गोबर की खाद अथवा बर्मी कम्पोस्ट**	3.5 रू प्रति पौधा	444				1554	1554
18	**उर्वरक पर व्यय**	5 प्रति पौधे	444	2220	—			2220
19	**पौध संरक्षण पर व्यय**	5 प्रति पौधे	444	900	—		1320	2220
20	**सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिती में**	157 प्रति दिन	170 श्रमिक पूरे वर्ष में		26690	—		26690
21	**योग**			**4440**	**26690**		**2874**	**34004**
22	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**							
23	**10 प्रतिशत गैफ फीलिंग**	15 प्रति पौधा	44	660	—			660

24	**गोबर की खाद, बर्मी कम्पोस्ट, माइकोन्यूटेन्ट, बोर्डोपेस्ट हेतु**	6.5 रू प्रति पौधा	444				2886	2886
25	**खाद उर्वरक पर व्यय**	5 प्रति पौधे	444	2220	—			2220
26	**पौध संरक्षण पर व्यय**	3 प्रति पौधा	444	1332	—			1332
27	**सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिती में**	157 प्रति दिन	170 श्रमिक पूरे वर्ष में		26690	—		26690
28	**योग**			**4212**	**26690**	—	**2886**	**33788**
29	**महायोग**			**21904**	**84877**	**19520**	**14420**	**140721**

कुल व्यय सामग्री पर

एनएचएम कन्वर्जेंस व्यय	—	21904	(योजना का 40.00 प्रतिशत)
मनरेगा कन्वर्जेंस व्यय	—	19520	(योजना का 35.00 प्रतिशत)
कृषक अंश कन्वर्जेंस व्यय	—	14420	(योजना का 25.00 प्रतिशत)
कुल योग	—	**55844**	

मनरेगा एवं एनएचएम अंतर्गत कुल व्यय

मजदूरी पर व्यय	—	84877
सामग्री पर व्यय	—	41424
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	—	**126301**

एनएचएम अंतर्गत व्यय

एनएचएम कन्वर्जेंस अंतर्गत प्रथम वर्ष में व्यय	—	13252	(योजना का 60.00 प्रतिशत)
एनएचएम कन्वर्जेंस अंतर्गत द्वितीय वर्ष में व्यय	—	4440	(योजना का 20.00 प्रतिशत)
एनएचएम कन्वर्जेंस अंतर्गत तृतीय वर्ष में व्यय	—	4212	(योजना का 20.00 प्रतिशत)
कुल योग	—	**21904**	

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	—	84877	(योजना का 77.50 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	—	19520	(योजना का 19.00 प्रतिशत)
अतिरिक्त 4 प्रतिशत	—	4000	(योजना का 3.500 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	—	**108397**	

मनरेगा योजना का संयोजन/अभिसरण एकीकृत बागवानी विकास मिशन पर प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति एकड(0.40 हेक्टे.)

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....

हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....

चयनित पौधे– नीबू

पौधों से पोधों की दूरी – 3×3 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या 0.40 हेक्ट/444 पौाधे नीबू **हाईडेन्सिटी ड्रिप सिचाई रहित**

कुल पौध संख्या – 444

एम.आई.डी.एच. के हाईडेन्सिटी प्लांटेशन उद्यानिकी, मनरेगा, कृषक अंश के 40:35:25 निर्देशों के अनुकम में वर्षबार 60:20:20 में निर्मित डी.पी.आर.

(प्राक्कलन व्यय एम. जी. एनआरईजीएस, एन एच एम एवं कृषक अंश द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता ड्रिप सिचाई रहित)

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	एम.आई.डी. एच.	मनरेगा		कृषक अंश	कुल योग
					लागत मजदूरी	लागत सामग्री	लागत सामग्री	
1	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**							
	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.60×0.60× 0.60=0.216 मीटर	73.80 प्रति घन मी. 15.94प्रति गड्डा	444 गड्डे		7077	–	–	7077
2	**गोबर की खाद 10 किलो प्रति पौधा**	5 रू. प्रति पौधा	444 पौधे		–		2220	2220
3	**सिंगल सुपर फास्फेट**							
	500 ग्रम प्रति पौधा/444 पौधे	6.6 प्रति किलो	200 किलो		–	1320		1320
4	**म्यूरेट आफ पोटास**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/444 पौधे	17.8 प्रति किलो	100 किलो		–	1780		1780
5	**यूरिया**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/444 पौधे	6 प्रति किलो	100 किलो		–	300	300	600
6	**थीमेट, फोरेट, दीमक दवॉ**							
	25 ग्रम प्रति पौधा/444 पौधे	80 प्रति किलो	10 किला	800	–			800
7	**पौधों की कीमत**							
	नीबू	15 प्रति पौधा	488 पौधे	6832	–			6832

	2 से 2.5 फिट उंचाई के							
8	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग**	5 प्रति पौधा	444		2220	—		2220
9	**पौध संरक्षण दवायें**	5 प्रति पौधा	444		—		2220	2220
10	**स्थल पर सूचना पटल का निर्माण ईट/पत्थर**					2000		2000
11	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु पौध रोपण उपरांत 5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिती में**	157 प्रति दिन	142 श्रमिक पूरे वर्ष में		22200	—		22200
12	**सिकेटियर**	300 प्रति नग	1			300		300
13	**योग**			**7632**	**31497**	**5700**	**4740**	**49569**
14	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**							
15	**20 प्रतिशत गैफ फीलिंग**	15 प्रति पौधा	88	1320	—			1320
16	**गोबर की खाद अथवा बर्मी कम्पोस्ट**	3.5 रू प्रति पौधा	444				1554	1554
17	**उर्वरक पर व्यय**	5 प्रति पौधे	444	1240	—	980		2220
18	**पौध संरक्षण पर व्यय**	5 प्रति पौधे	444		—	2220		2220
19	**सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिती में**	157 प्रति दिन	170 श्रमिक पूरे वर्ष में		26690	—		26690
20	**योग**			**2560**	**26690**	**3200**	**1554**	**34004**
21	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**							
22	**10 प्रतिशत गैफ फीलिंग**	15 प्रति पौधा	44	660	—			660

23	**गोबर की खाद, बर्मी कम्पोस्ट, माइकोन्यूटेन्ट, बोर्डोपेस्ट हेतु**	5 रू प्रति पौधा	444			2220		2220
24	**खाद उर्वरक पर व्यय**	4.25 प्रति पौधे	444	1890	–			1890
25	**पौध संरक्षण पर व्यय**	3.5 प्रति पौधा	444		–		1600	1600
26	**सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिती में**	157 प्रति दिन	170 श्रमिक पूरे वर्ष में		26690	–		26690
27	**योग**			**2550**	**26690**	**2220**	**1600**	**33060**
28	**महायोग**			**12742**	**84877**	**11120**	**7894**	**116633**

कुल व्यय सामग्री पर

एनएचएम कन्वर्जेंस व्यय	–	12742	(योजना का 40.00 प्रतिशत)
मनरेगा कन्वर्जेंस व्यय	–	11120	(योजना का 35.00 प्रतिशत)
कृषक अंश कन्वर्जेंस व्यय	–	7894	(योजना का 25.00 प्रतिशत)
कुल योग	–	**31756**	

मनरेगा एवं एनएचएम अंतर्गत कुल व्यय

मजदूरी पर व्यय	–	84877
सामग्री पर व्यय	–	23862
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	–	**108739**

एनएचएम अंतर्गत व्यय

एनएचएम कन्वर्जेंस अंतर्गत प्रथम वर्ष में व्यय	–	7632	(योजना का 60.00 प्रतिशत)
एनएचएम कन्वर्जेंस अंतर्गत द्वितीय वर्ष में व्यय	–	2560	(योजना का 20.00 प्रतिशत)
एनएचएम कन्वर्जेंस अंतर्गत तृतीय वर्ष में व्यय	–	2550	(योजना का 20.00 प्रतिशत)
कुल योग		–	**12742**

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	–	84877	(योजना का 85.50 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	–	11120	(योजना का 11.50 प्रतिशत)
अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत कन्टनजेन्सी व्यय	–	3500	(योजना का 3.50 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	–	**99497**	

मनरेगा योजना का संयोजन/अभिसरण एकीकृत बागवानी विकास मिशन पर प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति एकड(0.40 हेक्टे.)

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....

हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....

चयनित पौधे– संतरा (बागवानी मिशन अंर्तगत)

पौधों से पोधों की दूरी – 6×6 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या 0.40 हेक्ट/110 पौाधे संतरा **सामान्य अंतर ड्रिप सिचाई सहित**

कुल पौध संख्या – 110

एम.आई.डी.एच. के हाईडेन्सिटी प्लांटेशन उद्यानिकी, मनरेगा, कृषक अंश के 40:35:25 निर्देशों के अनुकम में वर्षबार 60:20:20 में निर्मित डी.पी.आर.

(प्राक्कलन व्यय एम. जी. एनआरईजीएस, एन एच एम एवं कृषक अंश द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता ड्रिप सिचाई सहित)

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	एम.आई.डी. एच.	मनरेगा		कृषक अंश	कुल योग
					लागत मजदूरी	लागत सामग्री	लागत सामग्री	
1	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**							
	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.60×0.60× 0.60=0.216 मीटर	73.80 प्रति घन मी. 15.94प्रति गड्डा	110 गड्डे		1753	–	–	1753
2	**गोबर की खाद 10 किलो प्रति पौधा**	5 रू. प्रति पौधा	110 पौधे	550	–			550
3	**सिंगल सुपर फास्फेट**							
	500 ग्रम प्रति पौधा/110 पौधे	6.6 प्रति किलो	50 किलो	330	–			330
4	**म्यूरेट आफ पोटास**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/110 पौधे	17.8 प्रति किलो	25 किलो	445	–			445
5	**यूरिया**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/110 पौधे	6 प्रति किलो	25 किलो	150	–			150
6	**थीमेट, फोरेट, दीमक दवॉ**							
	25 ग्रम प्रति पौधा/110 पौधे	80 प्रति किलो	2 किलो	160	–			160
7	**पौधों की कीमत**							

	संतरा 2 से 2.5 फिट उंचाई के	30 प्रति पौधा	132 पौधे	3960	—			3960
8	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग**	5 प्रति पौधा	110		550	—		550
9	**पौध संरक्षण दवायें**	5 प्रति पौधा	110	550	—			550
10	**स्थल पर सूचना पटल का निर्माण ईंट/पत्थर**					2000		2000
11	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु पौध रोपण उपरांत 5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिती में**	157 प्रति दिन	35 श्रमिक पूरे वर्ष में		5500	—		5500
12	**ड्रिप सिंचाई व्यवस्था**			650		8346	7390	16386
13	**सिकेटियर**	300 प्रति नग	1	300				300
14	**योग**			**7095**	**7803**	**10346**	**7390**	**32634**
15	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**							
16	**20 प्रतिशत गैफ फिलिंग**	30 प्रति पौधा	20	600	—			600
17	**गोबर की खाद अथवा बर्मी कम्पोस्ट**	6 रू प्रति पौधा	110	660				660
18	**उर्वरक पर व्यय**	5 प्रति पौधे	110	550	—			550
19	**पौध संरक्षण पर व्यय**	5 प्रति पौधे	110	550	—			550
20	**सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिती में**	157 प्रति दिन	42 श्रमिक पूरे वर्ष में		6600	—		6600
21	**योग**			**2360**	**6600**			**8960**
22	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**							
23	**10 प्रतिशत गैफ फीलिंग**	30 प्रति पौधा	15	450	—			450

24	**गोबर की खाद, बर्मी कम्पोस्ट, माइकोन्यूटेन्ट, बोर्डोपेस्ट हेतु**	6 रू प्रति पौधा	110	660				660
25	**खाद उर्वरक पर व्यय**	5 प्रति पौधे	110	550	—			550
26	**पौध संरक्षण पर व्यय**	6 प्रति पौधा	110	660	—			660
27	**सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिती में**	157 प्रति दिन	42 श्रमिक पूरे वर्ष में		6600	—		6600
28	**योग**			**2320**	**6600**	—	—	**8920**
29	**महायोग**			**11775**	**21003**	**10346**	**7390**	**50514**

कुल व्यय सामग्री पर

एनएचएम कन्वर्जेंस व्यय	—	11775	(योजना का 40.00 प्रतिशत)
मनरेगा कन्वर्जेंस व्यय	—	10346	(योजना का 35.00 प्रतिशत)
कृषक अंश कन्वर्जेंस व्यय	—	7390	(योजना का 25.00 प्रतिशत)
कुल योग	—	**29511**	

मनरेगा एवं एनएचएम अंतर्गत कुल व्यय

मजदूरी पर व्यय	—	21003
सामग्री पर व्यय	—	22121
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	—	**43124**

एनएचएम अंतर्गत व्यय

एनएचएम कन्वर्जेंस अंतर्गत प्रथम वर्ष में व्यय	—	7095	(योजना का 60.00 प्रतिशत)
एनएचएम कन्वर्जेंस अंतर्गत द्वितीय वर्ष में व्यय	—	2360	(योजना का 20.00 प्रतिशत)
एनएचएम कन्वर्जेंस अंतर्गत तृतीय वर्ष में व्यय	—	2320	(योजना का 20.00 प्रतिशत)
कुल योग	—	**11775**	

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	—	21003	(योजना का 64.70 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	—	10346	(योजना का 31.80 प्रतिशत)
अतिरिक्त 4 प्रतिशत	—	1100	(योजना का 3.500 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	—	**32449**	

मनरेगा योजना का संयोजन/अभिसरण एकीकृत बागवानी विकास मिशन पर प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति एकड(0.40 हेक्टे.)

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....

हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....

चयनित पौधे– अमरूद (बागवानी मिशन अंर्तगत)

पौधों से पोधों की दूरी – 6×6 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या 0.40 हेक्ट/110 पौाधे अमरूद **सामान्य अंतर ड्रिप सिचाई रहित**

कुल पौध संख्या – 110

एम.आई.डी.एच. के हाईडेन्सिटी प्लांटेशन उद्यानिकी, मनरेगा, कृषक अंश के 40:35:25 निर्देशों के अनुकम में वर्षबार 60:20:20 में निर्मित डी.पी.आर.

(प्राक्कलन व्यय एम. जी. एनआरईजीएस, एन एच एम एवं कृषक अंश द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता ड्रिप सिचाई रहित)

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	एम.आई.डी. एच.	मनरेगा		कृषक अंश	कुल योग
					लागत मजदूरी	लागत सामग्री	लागत सामग्री	
1	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**							
	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.60×0.60× 0.60=0.216 मीटर	73.80 प्रति घन मी. 15.94प्रति गड्डा	110 गड्डे		1753	–	–	1753
2	**गोबर की खाद 10 किलो प्रति पौधा**	5 रू. प्रति पौधा	110 पौधे		–		550	550
3	**सिंगल सुपर फास्फेट**							
	500 ग्रम प्रति पौधा/110 पौधे	6.6 प्रति किलो	50 किलो		–	330		330
4	**म्यूरेट आफ पोटास**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/110 पौधे	17.8 प्रति किलो	25 किलो		–	445		445
5	**यूरिया**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/110 पौधे	6 प्रति किलो	25 किलो		–	150		150
6	**थीमेट, फोरेट, दीमक दवॉ**							
	25 ग्रम प्रति पौधा/110 पौधे	80 प्रति किलो	2 किलो		–	160		160
7	**पौधों की कीमत**							
	संतरा	25 प्रति पौधा	135 पौधे	3375	–			3375

	2 से 2.5 फिट उंचाई के							
8	खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फिलिंग	5 प्रति पौधा	110		550	—		550
9	पौध संरक्षण दवायें	5 प्रति पौधा	110		—	550		550
10	स्थल पर सूचना पटल का निर्माण ईंट/पत्थर					2000		2000
11	सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु पौध रोपण उपरांत 5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिती में	157 प्रति दिन	35 श्रमिक पूरे वर्ष में		5500	—		5500
12	सिकेटियर	300 प्रति नग	1	300				300
13	योग			**3675**	**7803**	**3635**	**550**	**15663**
14	द्वितीय वर्ष में कुल व्यय							
15	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	25 प्रति पौधा	24	600	—			600
16	गोबर की खाद अथवा बर्मी कम्पोस्ट	6 रू प्रति पौधा	110				660	660
17	बोर्डोपेस्ट हेतु नीलाथोथा अनबुझा चूना, घड़ा का कय	5 रू	110	—	—	—	550	550
18	उर्वरक पर व्यय	5 प्रति पौधे	110		—		550	550
19	पौध संरक्षण पर व्यय	6 प्रति पौधे	110	660	—			660
20	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय, 5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिती में	157 प्रति दिन	42 श्रमिक पूरे वर्ष में		6600	—		6600
21	योग			**1260**	**6600**		**1760**	**9620**
22	तृतीय वर्ष में कुल व्यय							
23	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	25 प्रति पौधा	15	375	—			375
24	गोबर की खाद, बर्मी कम्पोस्ट, माइक्रोन्यूटेन्ट,	6 रू प्रति पौधा	110				660	660
25	बोर्डोपेस्ट हेतु नीलाथोथा अनबुझा चूना, घड़ा का कय	5 रू	110	—	—	—	550	550

26	**खाद उर्वरक पर व्यय**	5 प्रति पौधे	110	200	—		350	550
27	**पौध संरक्षण पर व्यय**	6 प्रति पौधा	110	660	—			660
28	**सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिती में**	157 प्रति दिन	42 श्रमिक पूरे वर्ष में		6600	—		6600
29	**योग**			**1235**	**6600**	—	**1560**	**9395**
30	**महायोग**			**6170**	**21003**	**3635**	**3870**	**34678**

कुल व्यय सामग्री पर

एनएचएम कन्वर्जेंस व्यय	—	6170	(योजना का 45.00 प्रतिशत)
कुल मानक 15335 अनुसार 40.00 प्रतिशत			
मनरेगा कन्वर्जेंस व्यय	—	3635	(योजना का 26.50 प्रतिशत)
कृषक अंश कन्वर्जेंस व्यय	—	3870	(योजना का 28.50 प्रतिशत)
कुल योग	—	**13675**	

मनरेगा एवं एनएचएम अंतर्गत कुल व्यय

मजदूरी पर व्यय	—	21003
सामग्री पर व्यय	—	9805
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	—	**30808**

एनएचएम अंतर्गत व्यय

एनएचएम कन्वर्जेंस अंतर्गत प्रथम वर्ष में व्यय	—	3675	(योजना का 60.00 प्रतिशत
एनएचएम कन्वर्जेंस अंतर्गत द्वितीय वर्ष में व्यय	—	1260	(योजना का 20.00 प्रतिशत)
एनएचएम कन्वर्जेंस अंतर्गत तृतीय वर्ष में व्यय	—	1235	(योजना का 20.00 प्रतिशत)
कुल योग		—	**6170**

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	—	21003	(योजना का 82.25 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	—	3635	(योजना का 14.25 प्रतिशत)
अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत	—	870	(योजना का 3.500 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	—	**25508**	

मनरेगा योजना का संयोजन/अभिसरण एकीकृत बागवानी विकास मिशन पर प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति एकड(0.40 हेक्टे.)

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....

हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....

चयनित पौधे– संकर पपीता ताईवानी 786 (बागवानी मिशन अंर्तगत)

पौधों से पोधों की दूरी – 2×2 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या 0.40 हेक्ट/1000 पौधे पपीता **सामान्य अंतर ड्रिप सिचाई रहित**

कुल पौध संख्या – 1000

एम.आई.डी.एच. के हाईडेन्सिटी प्लांटेशन उद्यानिकी, मनरेगा, कृषक अंश के 40:35:25 निर्देशों के अनुकम में वर्षबार 100:00:00 में निर्मित डी.पी.आर.

(प्राक्कलन व्यय एम. जी. एनआरईजीएस, एन एच एम एवं कृषक अंश द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता ड्रिप सिचाई रहित)

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	एम.आई.डी. एच.	मनरेगा		कृषक अंश	कुल योग
					लागत मजदूरी	लागत सामग्री	लागत सामग्री	
1	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**							
	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.30×0.30× 0.30=0.027 घन मीटर	73.80 प्रति घन मी. 2 रू प्रति गड्डा	1000 गड्डे		2000	–	–	2000
2	**गोबर की खाद 10 किलो प्रति पौधा**	2 रू. प्रति पौधा	1000 पौधे		–		2000	2000
3	**सिंगल सुपर फास्फेट**							
	500 ग्रम प्रति पौधा/1000 पौधे	6.6 प्रति किलो	250 किलो	1650	–			1650
4	**म्यूरेट आफ पोटास**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/1000 पौधे	17.8 प्रति किलो	125 किलो	2225	–			2225
5	**यूरिया**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/1000 पौधे	6 प्रति किलो	125 किलो	825	–			825
6	**थीमेट, फोरेट, दीमक दवॉ**							
	25 ग्रम प्रति पौधा/1000 पौधे	80 प्रति किलो	10 किलो	800	–			800
7	**पौधों की कीमत**							
	पपीता ताईवानी 786	15 प्रति पौधा	1000 पौधे		–	10835	4165	15000

	6 से 8 इंच उंचाई के							
8	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फिलिंग**	2 प्रति पौधा	1000		2200	—		2200
9	**पौध संरक्षण दवायें**	2 प्रति पौधा	1000	2000				2000
10	**टॉप ड्रेसिंग में डी.ए.पी कय**	25 रू	50	1475				1475
11	**टॉप ड्रेसिंग में एम. ओ. पी कय**	17.8 रू	50	890				890
12	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु पौध रोपण उपरांत 1.5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिती में**	157 प्रति दिन	100 श्रमिक पूरे वर्ष में		15700	—		15700
13	**योग**			**9865**	**19900**	**10835**	**6165**	**46765**

कुल व्यय सामग्री पर

एनएचएम कन्वर्जेंस व्यय	— 9865	(योजना का 37.00 प्रतिशत)	एन.एच.एम. मानक अनुसार 40 प्रतिशत
मनरेगा कन्वर्जेंस व्यय	— 10835	(योजना का 40.00 प्रतिशत)	
कृषक अंश कन्वर्जेंस व्यय	— 6165	(योजना का 23.00 प्रतिशत)	एन.एच.एम. मानक अनुसार 25 प्रतिशत
कुल योग	— **26865**		

मनरेगा एवं एनएचएम अंतर्गत कुल व्यय

मजदूरी पर व्यय	— 19900	
सामग्री पर व्यय	— 18200	
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	— **38100**	

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	— 19900	(योजना का 68.00 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	— 8335	(योजना का 28.50 प्रतिशत)
अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत	— 1000	(योजना का 3.500 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	— **29235**	

मनरेगा योजना का संयोजन/अभिसरण एकीकृत बागवानी विकास मिशन पर प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति एकड(0.40 हेक्टे.)

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....

हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....

चयनित पौधे– गुलाब बडिड, कट फ्लावर (बागवानी मिशन अंर्तगत) **बहुवर्षीय कट फ्लावर गुलाब**

पौधों से पोधों की दूरी – 1×1 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या 0.40 हेक्ट/4000 पौधे गुलाब **सामान्य अंतर ड्रिप सिचाई रहित**

कुल पौध संख्या – 4000

एम.आई.डी.एच. के हाईडेन्सिटी प्लांटेशन उद्यानिकी, मनरेगा, कृषक अंश के 40:35:25 निदंशों के अनुकम में वर्षबार 75:25 में निर्मित डी.पी.आर.

(प्राक्कलन व्यय एम. जी. एनआरईजीएस, एन एच एम एवं कृषक अंश द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता ड्रिप सिचाई रहित)

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	एम.आई.डी. एच.	मनरेगा		कृषक अंश	कुल योग
					लागत मजदूरी	लागत सामग्री	लागत सामग्री	
1	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**							
	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.40×0.40× 0.40=0.046 मीटर	73.80 प्रति घन मी. 4.72 प्रति गड्डा	4000 गड्डे		18880	–	–	18880
2	**गोबर की खाद** **5 किलो प्रति पौधा**	2 रू. प्रति पौधा	4000 पौधे		–	4000	4000	8000
3	**सिंगल सुपर फास्फेट**							
	100 ग्रम प्रति पौधा/4000 पौधे	6.6 प्रति किलो	400 किलो	2640	–			2640
4	**म्यूरेट आफ पोटास**							
	50 ग्रम प्रति पौधा/4000 पौधे	17.8 प्रति किलो	200 किलो	3560	–			3560
5	**यूरिया**							
	50 ग्रम प्रति पौधा/4000 पौधे	6.6 प्रति किलो	200 किलो		–	1320		1320
6	**थीमेट, फोरेट, दीमक दवॉ**							
	10 ग्रम प्रति पौधा/4000 पौधे	80 प्रति किलो	10 किलो	300	–	500		800
7	**नीम की खली 25 ग्राम प्रति पौधा/4000**	20 रू प्रति किलो	100 किलो	2000				2000
8	**हड्डी की खाद 12.5 ग्राम प्रति पौधा/4000**	20 रू प्रति किलो	50 किलो			1000		1000

9	**हेंड स्प्रे पंप कय**	1200	1	1200				1200
10	**पौधों की कीमत**							
	गुलाब बडिड (10 प्रतिशत गेप फिलिंग सहित) 1 से 1.5 फिट उंचाई के	15 प्रति पौधा	4400 पौधे			48000	18000	66000
11	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फिलिंग**	1 प्रति पौधा	4000			—	4000	4000
12	**पौध संरक्षण दवायें**	0.5 प्रति पौधा	4000	2000	—			2000
13	**स्थल पर सूचना पटल का निर्माण ईंट/पत्थर**					2000		2000
14	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु पौध रोपण उपरांत 1 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिती में**	157 प्रति दिन	255 श्रमिक पूरे वर्ष में		40000	—		40000
15	**सिकेटियर**	300 प्रति नग	1	300				300
16	**योग**			**12000**	**58880**	**56820**	**26000**	**153700**
17	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**							
18	5 प्रतिशत गेप फीलिंग	15 प्रति पौधा	200		—	3000		3000
19	**हड्डी की खाद 25 ग्राम प्रति पौधा**	20	100	2000				2000
20	**नीम की खली 25 ग्राम प्रति पौधा**	20	100	2000				2000
21	**गोबर की खाद अथवा बर्मी कम्पोस्ट**	1 रू प्रति पौधा	4000	—			4000	4000
22	**बोर्डोपेस्ट हेतु नीलाथोथा अनबुझा चूना, घड़ा का कय**	0.5 रू	4000	—	—	2000		2000
23	**उर्वरक पर व्यय**	0.5 प्रति पौधे	4000		—	2000		2000
24	**पौध संरक्षण पर व्यय**	0.5 प्रति पौधे	4000		—	2000		2000

25	**सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय पौध रोपण उपरांत 1 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिती में**	157 प्रति दिन	306 श्रमिक पूरे वर्ष में		48042	—		48042
26	**योग**			**4000**	**48042**	**9000**	**4000**	**65042**
27	**महायोग**			**16000**	**106922**	**65820**	**30000**	**218742**

कुल व्यय सामग्री पर

एनएचएम कन्वर्जेंस व्यय	—	16000	(योजना का 40.00 प्रतिशत) कुल मानक 40000 अनुसार
मनरेगा कन्वर्जेंस व्यय	—	65820	
कृषक अंश कन्वर्जेंस व्यय	—	30000	(योजना का 25.00 प्रतिशत से अधिक)
कुल योग	—	**111820**	

मनरेगा एवं एनएचएम अंतर्गत कुल व्यय

मजदूरी पर व्यय	—	106922
सामग्री पर व्यय	—	81820
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	—	**188742**

एनएचएम अंतर्गत व्यय

एनएचएम कन्वर्जेंस अंतर्गत प्रथम वर्ष में व्यय	—	12000	(योजना का 75.00 प्रतिशत)
एनएचएम कन्वर्जेंस अंतर्गत द्वितीय वर्ष में व्यय	—	4000	(योजना का 25.00 प्रतिशत)
कुल योग	—	**16000**	

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	—	106922	(योजना का 60.00 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	—	65820	(योजना का 36.5 प्रतिशत)
अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत	—	6000	(योजना का 3.500 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	—	**178742**	

बांस मिशन योजना का अभिसरण/संयोजन मनरेगा योजना से प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति आधा एकड (0.20 हेक्टेयर)

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....

हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....

चयनित पौधे– बांस

पौधों से पोधों की दूरी – 6×6 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या 0.20 हेक्ट./55 पौधे बांस

कुल पौध संख्या – 55

बांस मिशन क्षेत्र विस्तार अंतर्गत मानक , प्रस्तावित व्यय– 30000 प्रति हेक्ट. 35 प्रतिशत अनुदान 3 वर्षों में 3 किस्तों में 50:25:25

(प्राक्कलन व्यय एम. जी. एनआरईजीएस एवं एम. आई. डी एच. बांस मिशन द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता)

बांस के पौधों का रोपण ब्लॉक, सघन वृक्षारोपण अथवा एकल पंक्ति मेढों–मेढों पर किया जाना प्रस्तावित

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	एम.आई.डी.एच.	मनरेगा		कुल योग
					लागत मजदूरी	लागत सामग्री	
1	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**						
	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.45×0.45× 0.45=0.0911 मीटर, कठोर मुरम	90.48 प्रति घन मी. 8.24प्रति गड्डा	55 गड्डे		453	–	453
2	**गोबर की खाद 10 किलो प्रति पौधा**	5 रू. प्रति पौधा	55 पौधे		–	275	275
3	**सिंगल सुपर फास्फेट**						
	500 ग्रम प्रति पौधा/55 पौधे	6.6 प्रति किलो	28 किलो		–	184	184
4	**म्यूरेट आफ पोटास**						
	250 ग्रम प्रति पौधा/55 पौधे	17.8 प्रति किलो	14 किलो	249	–		249
5	**यूरिया**						
	250 ग्रम प्रति पौधा/55 पौधे(पौधरोपण के 3,6,9 माह बाद 3 बार में टॉप ड्रेसिंग के रूप में)	6 प्रति किलो	14 किलो	84	–		84
6	**थीमेट, फोरेट, दीमक दवॉ**						
	25 ग्रम प्रति पौधा/55 पौधे	80 प्रति किलो	1.3 किला	104	–		104

7	**पौधों की कीमत**						
	बांस (20 प्रतिशत गेप फिलिंग सहित) 2 से 2.5 फिट उंचाई के	10 प्रति पौधा	66 पौधे	660	—		660
8	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग**	5 प्रति पौधा	55		275	—	275
9	**पौध संरक्षण दवायें**	5 प्रति पौधा	55			275	275
10	**स्थल पर सूचना पटल का निर्माण ईंट/पत्थर**					1000	1000
11	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु पौध रोपण उपरांत 5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिति में(प्रत्येक 2 माह में 550 रू प्रतिमाह)**	157 प्रति दिन	18 श्रमिक 10 माहों में		2750	—	2750
12	**सिकेटियर**	300 प्रति नग	1			300	300
13	**योग**			**1097**	**3478**	**2034**	**6609**
14	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**						
15	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	10 प्रति पौधा	10	100	—		100
16	उर्वरक पर व्यय	5 प्रति पौधे	55	275	—		275
17	पौध संरक्षण पर व्यय	2.5 प्रति पौधे	55	125	—		125
18	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय **5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिति में(प्रत्येक 2 माह में 550 रू प्रतिमाह)**	157 प्रति दिन	21 श्रमिक पूरे वर्ष में		3300	—	3300
19	**योग**			**500**	**3300**		**3800**
20	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**						
21	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	10 प्रति पौधा	6	60	—		60
22	खाद उर्वरक पर व्यय	5 प्रति पौधे	55	275	—		275

23	पौध संरक्षण पर व्यय	3 प्रति पौधा	55	165	—		165
24	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय **5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिति में(प्रत्येक 2 माह में 550 रू प्रतिमाह)**	157 प्रति दिन	21 श्रमिक पूरे वर्ष में		3300	—	3300
25	**योग**			**500**	**3300**		**3800**
26	**महायोग**			**2097**	**10078**	**2034**	**14209**

(टिशु कल्चर बांस के पौधरोपण होने पर पौधक्रय का अतिरिक्त व्यय मनरेगा योजना के सामग्री मद अंतर्गत किया जा सकेगा)

कुल व्यय सामग्री पर

बांस मिशन कन्वर्जेंस व्यय	—	2097
मनरेगा कन्वर्जेंस व्यय	—	2034
कुल योग	—	**4131**

मनरेगा एवं बांस मिशन अंतर्गत कुल व्यय

मजदूरी पर व्यय	—	10078
सामग्री पर व्यय	—	4131
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय–	—	**14209**

बांस मिशन अंतर्गत व्यय

बांस मिशन कन्वर्जेंस अंतर्गत प्रथम वर्ष में व्यय	—	1097
बांस मिशन कन्वर्जेंस अंतर्गत द्वितीय वर्ष में व्यय	—	500
बांस मिशन कन्वर्जेंस अंतर्गत तृतीय वर्ष में व्यय	—	500
कुल योग	—	**2097**

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	—	10078	(योजना का 80.25 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	—	2034	(योजना का 16.25 प्रतिशत)
अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत	—	450	(योजना का 3.500 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय–	—	**12562**	

बांस मिशन योजना का अभिसरण/संयोजन मनरेगा योजना से प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति एक एकड (0.40 हेक्टेयर)

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....

हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....

चयनित पौधे– बांस

पौधों से पोधों की दूरी – 6×6 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या 0.40 हेक्ट./110 पौधे बांस

कुल पौध संख्या – 110

बांस मिशन क्षेत्र विस्तार अंर्तगत मानक , प्रस्तावित व्यय– 30000 प्रति हेक्ट. 35 प्रतिशत अनुदान 3 वर्षों में 3 किस्तों में 50:25:25

(प्राक्कलन व्यय एम. जी. एनआरईजीएस एवं एम. आई. डी एच. बांस मिशन द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता)

बांस के पौधों का रोपण ब्लॉक, सघन वृक्षारोपण अथवा एकल पंक्ति मेढों–मेढों पर किया जाना प्रस्तावित

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	एम.आई.डी. एच.	मनरेगा		कुल योग
					लागत मजदूरी	लागत सामग्री	
1	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**						
	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.45×0.45× 0.45=0.0911 मीटर, कठोर मुरम	90.48 प्रति घन मी. 8.24प्रति गड्डा	110 गड्डे		906	–	906
2	**गोबर की खाद 10 किलो प्रति पौधा**	5 रू. प्रति पौधा	110 पौधे		–	550	550
3	**सिंगल सुपर फास्फेट**						
	500 ग्रम प्रति पौधा/110 पौधे	6.6 प्रति किलो	50 किलो		–	330	330
4	**म्यूरेट आफ पोटास**						
	250 ग्रम प्रति पौधा/110 पौधे	17.8 प्रति किलो	25 किलो	445	–		445
5	**यूरिया**						
	250 ग्रम प्रति पौधा/110 पौधे(पौधरोपण के 3,6,9 माह बाद 3 बार में टॉप ड्रेसिंग के रूप में)	6 प्रति किलो	25 किलो	150	–		150
6	**थीमेट, फोरेट, दीमक दवॉ**						

	25 ग्रम प्रति पौधा/110 पौधे	80 प्रति किलो	2 किला	160	—		160
7	**पौधों की कीमत**						
	बांस (20 प्रतिशत गेप फिलिंग सहित) 2 से 2.5 फिट उंचाई के	10 प्रति पौधा	132 पौधे	1320	—		1320
8	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्ढा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग**	5 प्रति पौधा	110		550	—	550
9	**पौध संरक्षण दवायें**	5 प्रति पौधा	110			550	550
10	**स्थल पर सूचना पटल का निर्माण ईंट/पत्थर**					1000	1000
11	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु पौध रोपण उपरांत 5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिति में(प्रत्येक माह में 550 रू प्रतिमाह)**	157 प्रति दिन	35 श्रमिक 10 माह में		5500	—	5500
12	**सिकेटियर**	300 प्रति नग	1			300	300
13	**योग**			**2075**	**6956**	**2730**	**11761**
14	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**						
15	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	10 प्रति पौधा	22	220	—		220
16	उर्वरक पर व्यय	5 प्रति पौधे	110	550	—		550
17	पौध संरक्षण पर व्यय	2.5 प्रति पौधे	110	275	—		275
18	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय **5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिति में(प्रत्येक माह में 550 रू प्रतिमाह)**	157 प्रति दिन	42 श्रमिक पूरे वर्ष में		6600	—	6600
19	**योग**			**1045**	**6600**		**7645**
20	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**						
21	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	10 प्रति पौधा	11	110	—		110

22	खाद उर्वरक पर व्यय	5 प्रति पौधे	110	550	—		550
23	पौध संरक्षण पर व्यय	3.5 प्रति पौधा	110	385	—		385
24	सिंचाई, निदाई, गुड़ाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय **5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिति में(प्रत्येक माह में 550 रू प्रतिमाह)**	157 प्रति दिन	42 श्रमिक पूरे वर्ष में		6600	—	6600
25	**योग**			**1045**	**6600**		**7645**
26	**महायोग**			**4165**	**20156**	**2730**	**27051**

(टिशु कल्चर बांस के पौधरोपण होने पर पौधक्रय का अतिरिक्त व्यय मनरेगा योजना के सामग्री मद अंतर्गत किया जा सकेगा)

कुल व्यय सामग्री पर

बांस मिशन कन्वर्जेंस व्यय	—	4165
मनरेगा कन्वर्जेंस व्यय	—	2730
कुल योग	—	**6895**

मनरेगा एवं बांस मिशन अंतर्गत कुल व्यय

मजदूरी पर व्यय	—	20156
सामग्री पर व्यय	—	6895
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय–	—	**27051**

बांस मिशन अंतर्गत व्यय

बांस मिशन कन्वर्जेंस अंतर्गत प्रथम वर्ष में व्यय	—	2075
बांस मिशन कन्वर्जेंस अंतर्गत द्वितीय वर्ष में व्यय	—	1045
बांस मिशन कन्वर्जेंस अंतर्गत तृतीय वर्ष में व्यय	—	1045
कुल योग	—	**4165**

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	—	20156	(योजना का 85.00 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	—	2730	(योजना का 11.50 प्रतिशत)
अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत	—	820	(योजना का 3.500 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय–	—	**23706**	

बांस मिशन योजना का अभिसरण/संयोजन मनरेगा योजना से प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति 2.5 एकड (1.0 हेक्टेयर)

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....

हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....

चयनित पौधे– बांस

पौधों से पोधों की दूरी – 6×6 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या 1.0 हेक्ट./280 पौधे बांस

कुल पौध संख्या – 280

बांस मिशन क्षेत्र विस्तार अंर्तगत मानक , प्रस्तावित व्यय– 30000 प्रति हेक्ट. 35 प्रतिशत अनुदान 3 वर्षों में 3 किस्तों में 50:25:25

(प्राक्कलन व्यय एम. जी. एनआरईजीएस एवं एम. आई. डी एच. बांस मिशन द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता)

बांस के पौधों का रोपण ब्लॉक, सघन वृक्षारोपण अथवा एकल पंक्ति मेढों–मेढों पर किया जाना प्रस्तावित

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	एम.आई.डी. एच.	मनरेगा		कुल योग
					लागत मजदूरी	लागत सामग्री	
1	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**						
	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.45×0.45× 0.45= 0.0911 मीटर, कठोर मुरम	90.48 प्रति घन मी. 8.24प्रति गड्डा	280 गड्डे		2307	–	2307
2	**गोबर की खाद** **10 किलो प्रति पौधा**	5 रू. प्रति पौधा	280 पौधे		–	1400	1400
3	**सिंगल सुपर फास्फेट**						
	500 ग्रम प्रति पौधा/280 पौधे	6.6 प्रति किलो	140 किलो		–	924	924
4	**म्यूरेट आफ पोटास**						
	250 ग्रम प्रति पौधा/280 पौधे	17.8 प्रति किलो	70 किलो		–	1246	1246
5	**यूरिया**						
	250 ग्रम प्रति पौधा/280 पौधे	6 प्रति किलो	70 किलो	420	–		420
6	**थीमेट, फोरेट, दीमक दवॉ**						
	25 ग्रम प्रति पौधा/280 पौधे	80 प्रति किलो	6 किला	480	–		480

7	**पौधों की कीमत**						
	बांस (20 प्रतिशत गेप फिलिंग सहित) 2 से 2.5 फिट उंचाई के	10 प्रति पौधा	336 पौधे	3360	—		3360
8	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फिलिंग**	5 प्रति पौधा	280		1400	—	1400
9	**पौध संरक्षण दवायें**	2.5 प्रति पौधा	280	700			700
10	**स्थल पर सूचना पटल का निर्माण ईंट/पत्थर**					1000	1000
11	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना, कटाई छटाई इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु पौध रोपण उपरांत 5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिती में(प्रत्येक माह में 1400 रू प्रतिमाह)**	157 प्रति दिन	90 श्रमिक 10 माह में		14000	—	14000
12	**सिकेटियर**	300 प्रति नग	1	300			300
13	**योग**			**5260**	**17707**	**4570**	**27537**
14	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**						
	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	10 प्रति पौधा	56	560	—		560
	उर्वरक पर व्यय	5 प्रति पौधे	280	1400	—		1400
	पौध संरक्षण पर व्यय	2.5 प्रति पौधे	280	700	—		700
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय **5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिती में(प्रत्येक माह में 1400 रू प्रतिमाह)**	157 प्रति दिन	107 श्रमिक पूरे वर्ष में		16800	—	16800
15	**योग**			**2660**	**16800**		**19460**
16	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**						
	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	10 प्रति पौधा	28	280	—		280
	खाद उर्वरक पर व्यय	5 प्रति पौधे	280	1400	—		1400

	पौध संरक्षण पर व्यय	3.5 प्रति पौधा	280	980	–		980
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय **5 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिती में(प्रत्येक माह में 1400 रू प्रतिमाह)**	157 प्रति दिन	107 श्रमिक पूरे वर्ष में		16800	–	16800
17	**योग**			**2660**	**16800**		**19460**
18	**महायोग**			**10580**	**51307**	**4570**	**66457**

(टिशु कल्चर बांस के पौधरोपण होने पर पौधक्रय का अतिरिक्त व्यय मनरेगा योजना के सामग्री मद अंतर्गत किया जा सकेगा)

कुल व्यय सामग्री पर

बांस मिशन कन्वर्जेंस व्यय	–	10580
मनरेगा कन्वर्जेंस व्यय	–	4570
कुल योग	–	**15150**

मनरेगा एवं बांस मिशन अंतर्गत कुल व्यय

मजदूरी पर व्यय	–	51307
सामग्री पर व्यय	–	15150
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय–	–	**66457**

बांस मिशन अंतर्गत व्यय

बांस मिशन कन्वर्जेंस अंतर्गत प्रथम वर्ष में व्यय	–	5260
बांस मिशन कन्वर्जेंस अंतर्गत द्वितीय वर्ष में व्यय	–	2660
बांस मिशन कन्वर्जेंस अंतर्गत तृतीय वर्ष में व्यय	–	2660
कुल योग	–	**10580**

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	–	51307 (योजना का 88.50 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	–	4570 (योजना का 8.00 प्रतिशत)
अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत	–	2050 (योजना का 3.500 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय–	–	**57927**

मॉडल प्राक्कलन बांस मिशन अंतर्गत प्रस्तावित नर्सरी, रोपणी विकसित हेतु प्रस्तावित व्यय प्रति 20000 पौध उत्पादन व्यय पत्रक

कार्य योजना का नाम का नाम – बांस पौधरोपण हेतु पौध उत्पादन कार्य

ग्राम पंचायत का नाम– .....

पौध उत्पादनकर्ता संस्था/हितग्राही का नाम .....

प्रस्तावित खसरा नंबर..... रकवा 0.10 हेक्टेयर भूमि पर

कुल पौध उत्पादन संख्या लक्ष्य– 20000

20000 पौधों के उत्पादन हेतु 25000 पौधे उत्पादन की तैयारी करना प्रस्तावित

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी (रू)	लागत सामग्री (रू)	योग (रू)	रिमार्क
	12×25 सेमी की थैली हेतु कुल 25000 थैली हेतु।						
1	पॉलीथिन बैग रखने हेतु ट्रेंचों की खुदाई 30×1×0.25 मीटर = 7.5 घन मीटर	73.80 प्रति घनमीटर 553 प्रति ट्रेंच	5 ट्रेंच (1 ट्रेंच में 5000 थैली)	2765	–	2765	
	ट्रेंचों में बिछाने हेतु मलचिंग शीट 40 माइक्रोन 1.2 मी चौडाई की क्रय	8 रू रनिंग मीटर	200	–	1600	1600	
2	पॉलीथिन बैग क्रय (1 किलो में 200 बैग 12×25 सेमी आकार के) कुल 0.25 लाख बैग	196 प्रति किलो	1.25 क्विंटल	–	24500	24500	
3	**गोबर की खाद** 0.25 लाख पौधेहेतु	1500 प्रति ट्रॉली	2 ट्राली	–	3000	3000	
4	**मिट्टी का परिवहन** 0.25 लाख पौधे हेतु	800 रू प्रति ट्रॉली	2 ट्राली	800	800	1600	
5	**रेत परिवहन**	4000 प्रति 100 फिट	0.4 ट्राली	–	1600	1600	
7	**सिंगल सुपर फास्फेट**	6.6 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	165	165	
8	**म्यूरेट आफ पोटास**	17.80 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	445	445	

9	**यूरिया**	6 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	150	150	
10	**नीम की खली**	20 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	500	500	
11	**हड्डी का चूरा (बोर्न मील)**	20 रू किलो	25 किलो	–	500	500	
12	**क्लोरापायरीफास**	214 प्रति लीटर	1 लीटर	–	214	214	
13	**बाबिस्टीन**	391 प्रति किलो	0.5 किलो	–	200	200	
14	**मेंन्कोजेब**	216 प्रति किलो	0.5 किलो	–	150	150	
15	**सीओसी**	240 प्रति किलो	0.5 किलो	–	150	150	
16	**रिडोमिल**	1500 रू किलो	1.0 किलो	–	1500	1500	
17	**ट्राईकोडर्मा**	200 प्रति किलो	1 किलो	–	200	200	
19	**प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ट्रॉय कंट्रोनल**	132 प्रति किलो	2 किलो	–	264	264	
20	**बांस बीज का क्रय**	मांग अनुसार	–	–	8000	8000	
21	खाद मिट्टी का मिश्रण बनाकर पॉलीथिन बैग भरना (12×25 सेमी बैग सितंबर 2014 माह में)	66 पैसे प्रति पौधा 0.5 मानव दिवस प्रति सैकडा	0.25 लाख	16500	–	16500	
22	**पॉलीथिन बैगों में बीज की बुआई बीज उपचार सहित/ क्यारियों में बीज की बुआई**	6.6 पैसे प्रति पौधा 0.5 मानव दिवस प्रति हजार	0.25 लाख	1650	–	1650	
	पॉलीथिन बगों का स्थान परिवर्तन माह मार्च 2014 माह में	157 प्रति श्रमिक	25 श्रमिक	3925		3925	
23	**बीज बुआई उपरांत पॉलीथिन बैगों की सिंचाई/निदाई/ गुडाई, दवा स्प्रे एवं संपूर्ण देखरेख मय लोडिंग चौकीदारी**	1 श्रमिक प्रति दिन औसत लगातार 12 माह, 157 प्रति दिवस	365 श्रमिक	57305	–	57305	
24	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण**						टी एन पी एवं अन्य आवश्यक व्यय 4 प्रतिशत कन्टनजेन्सी व्यय से किया जावेगा।
	स्प्रेयर पंप	1200	1	–			
	गेंती	150	2	–			
	फावडा	100	2	–			
	सब्बल	80	1	–			
	तसला	100	4	–			

	सिकेटियर	200	1	–			
	हजारा मय नोजल	200	2	–			
25	जनरेटर सैट किराया/डीजल व्यय /विद्युत बिल लगातार 10 माह	600 प्रति माह	10	–	6000	6000	
26	क्यारी से पौधों का ट्रक लोडिंग	12.5 पैसे प्रति पौधा	20000	2500	–	2500	
	योग			**85445**	**49938**	**135383**	

मजदूरी पर व्यय – **85445** (योजना का 61.00 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय – **49938** (योजना का 35.5 प्रतिशत)
कन्टनजेंसी व्यय – **4850** (योजना का 3.5 प्रतिशत)

प्रस्तावित योजना अनुसार

कुल व्यय – 140233

मनरेगा रोपणी से स्वसहायता समूह पात्र हितग्राहियों अथवा शासकीय रोपणीं को प्राप्त आय

वर्ष	प्रति पौधा व्यय	उत्पादित पौधे	अगले वर्ष उत्पादन हेतु उपयोग	मनरेगा में प्रदाय अथवा विक्रय योग्य पौधे	विक्रय पौधे की शासकीय दरे	पौध उत्पादन में व्यय	शेष प्रदाय राशि पौध प्रदायगी पर	शुद्ध लाभ	रिमार्क
एक वर्षीय (1.5–2 फीट)	6.76	20000	0	20000	10	6.76	3.24	64800	प्रथम वर्ष में प्राप्त

मनरेगा योजना का संयोजन/अभिसरण रेशम उपयोजना पर प्रस्तावित आकलन व्यय प्रति एकड(0.40 हेक्टे.)

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....

हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....

चयनित पौधे– शहतूत पौधों से पोधों की दूरी – 3×2.6 फीट, कुल वृक्ष पौध संख्या 0.40 हेक्ट/5600 पौधे शहतूत/मलबरी

कुल पौध संख्या – 5600

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	रेशम विभाग		मनरेगा		कृषक अंश	कुल योग
				केन्द्रीय सहायता	राज्य सहायता	लागत मजदूरी	लागत सामग्री	लागत सामग्री	
1	लेआउट पर व्यय	157	5			785	–	–	785
2	खेत की तैयारी गहरी जुताई	800	3				2400		2400
3	गड्डा खुदाई– शहतूत रोपण हेतु 0.30×0.30× 0.30 = 0.027 मीटर	73.80 प्रति घन मी. 2.0 प्रति गड्डा	5600 गड्डे			11200	–	–	11200
4	गोबर की खाद	15 रू. प्रति पौधा	400 क्यूबिक फिट			–	6000		6000
5	सिंगल सुपर फास्फेट	6.6 प्रति किलो	300 किलो			–	1980		1980
6	म्यूरेट आफ पोटास	17.8 प्रति किलो	100 किलो			–	1780		1780
7	डीएपी	25 प्रति किलो	50 किलो			–	1250		1250
8	माइक्रोन्यूटेन्ट जिंक हाई	10 प्रति किलो	5 किलो				500		500
9	यूरिया (टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रत्येक 3 माह में गुड़ाई के बाद)	6 प्रति किलो	200 किलो				1200		1200
10	थीमेट, फोरेट, दीमक दवॉ	80 प्रति किलो	8 किलो			–	640		640
11	हेंड स्प्रे पंप क्रय	1200	1				1200		1200
12	पौधों की कीमत	3.5 प्रति पौधा परिवहन	6160 पौधे				21560		21560

	शहतूत पौधे (10 प्रतिशत गेप फिलिंग सहित) 9 से 12 इंच उंचाई के	सहित (मनरेगा रोपणी से)							
13	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फिलिंग**	2 प्रति पौधा	5600				11200		11200
14	**पौध संरक्षण दवायें**	2000 प्रति एकड़	1			—	2000		2000
15	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना, कटाई छटाई, टॉप ड्रेसिंग में खाद देना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु पौध रोपण उपरांत 1 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिति में**	157 प्रति दिन	392 श्रमिक 11 माह में (5600 रू प्रति माह)			61600	—		61600
16	**सिकेटियर**	300 प्रति नग	1				300		300
17	**रेयरिंग हाउस**	275000 यूनिट कास्ट	1	27500	110000			137500	275000
18	**बाइवोल्टाइन उपकरण**	50000 यूनिट कास्ट		25000	12500			12500	50000
19	**सिंचाइ व्यवस्था**	25000 यूनिट कास्ट		12500	6250			6250	25000
20	**हरी खाद निर्माण**	15000 यूनिट कास्ट						15000	15000
21	**वर्मीकम्पोस्ट**	25000 यूनिट कास्ट						25000	25000
22	**योग**			**65000**	**128750**	**73585**	**52010**	**196250**	**515595**
23	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**								
24	20 प्रतिशत गेप फीलिंग	3 प्रति पौधा परिवहन सहित (मनरेगा रोपणी से)	1120			—	3360		3360
25	**गोबर की खाद अथवा बर्मी कम्पोस्ट**	200 क्यूबिक फिटे	15	—				3000	3000
26	**डीएपी**	25 प्रति किलो	100 किलो				2500		2500

27	एमओपी	17.8 प्रति किलो	50 किलो			–	890		890
28	यूरिया	6 प्रति किलो	200 किलो				1200		1200
29	माइक्रोन्यूटेन्ट जिंक हाई	10 प्रति किलो	5 किलो				500		500
30	पौध संरक्षण पर व्यय	2000 प्रति एकड़	1			–	2000		2000
31	सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना, कटाई छटाई, टॉप ड्रेसिंग में खाद देना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु पौध रोपण उपरांत 1 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिति में	157 प्रति दिन	428 श्रमिक 12 माह में (5600 रू प्रति माह)			67200	–		67200
32	योग			**0**	**0**	**67200**	**10450**	**3000**	**80650**
33	**महायोग**			**65000**	**128750**	**140785**	**62460**	**199250**	**596245**

कुल व्यय सामग्री पर

रेशम विभाग कन्वर्जेंस व्यय	–	**193750**	(योजना का 42.55 प्रतिशत)
मनरेगा कन्वर्जेंस व्यय	–	**62460**	(योजना का 13.71 प्रतिशत)
कृषक अंश कन्वर्जेंस व्यय	–	**199250**	(योजना का 43.74 प्रतिशत)
कुल योग	–	**455460**	

मनरेगा एवं रेशम विभाग अंतर्गत कुल व्यय

मजदूरी पर व्यय	–	**140785**
सामग्री पर व्यय	–	**256210**
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	–	**396995**

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	–	**140785**	(योजना का 67.00 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	–	**62460**	(योजना का 29.50 प्रतिशत)
अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत	–	**7300**	(योजना का 3.500 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	–	**210545**	

मनरेगा योजना का रेशम उपयोजना पर प्रस्तावित आकलन व्यय प्रति एकड(0.40 हेक्टे.)

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....

हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....

चयनित पौधे– शहतूत पौधों से पोधों की दूरी – 3×2.5 फीट, कुल वृक्ष पौध संख्या 0.40 हेक्ट/5600 पौधे शहतूत/मलबरी

कुल पौध संख्या – 5600

मनरेगा योजना अंतर्गत न्यूनतम लागत(Lower costs) पर रेशम उत्पादन का व्यय पत्रक

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	मनरेगा		कृषक अंश	कुल योग
				लागत मजदूरी	लागत सामग्री	लागत सामग्री	
1	लेआउट पर व्यय	157	5	785	–	–	785
2	खेत की तैयारी गहरी जुताई	800	3			2400	2400
3	गड्डा खुदाई– शहतूत रोपण हेतु 0.30×0.30× 0.30 = 0.027 मीटर	73.80 प्रति घन मी. 2.0 प्रति गड्डा	5600 गड्डे	11200	–	–	11200
4	गोबर की खाद	15 रू. प्रति पौधा	400 क्यूबिक फिट	–		6000	6000
5	सिंगल सुपर फास्फेट	6.6 प्रति किलो	300 किलो	–	1980		1980
6	म्यूरेट आफ पोटास	17.8 प्रति किलो	100 किलो	–	1780		1780
7	डीएपी	25 प्रति किलो	50 किलो	–	1250		1250
8	माइक्रोन्यूटेन्ट जिंक हाई	10 प्रति किलो	5 किलो		500		500
9	यूरिया (टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रत्येक 3 माह में गुड़ाई के बाद)	6 प्रति किलो	200 किलो			1200	1200
10	थीमेट, फोरेट, दीमक दवॉ	80 प्रति किलो	8 किलो	–	640		640
11	हेंड स्प्रे पंप कय	1200	1			1200	1200
12	पौधों की कीमत	3.5 प्रति पौधा	6160 पौधे		21560		21560

	शहतूत पौधे (10 प्रतिशत गेप फिलिंग सहित) 9 से 12 इंच उंचाई के (मनरेगा रोपणी से 3 रू प्रति पौधो)	परिवहन सहित					
13	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फिलिंग**	2 प्रति पौधा	11200	11200			11200
14	**पौध संरक्षण दवायें**	2000 प्रति एकड़	1	—	1000	1000	2000
15	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना, कटाई छटाई, टॉप ड्रेसिंग में खाद देना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु पौध रोपण उपरांत 1 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिति में**	157 प्रति दिन	392 श्रमिक 11 माह में (5600 रू प्रति माह)	61600	—		61600
16	**सिकेटियर**	300 प्रति नग	1		300		300
17	**रेयरिंग हाउस हेतु लोहे के पाइप 3 इंची 100 फिट**	100 किलो	45		4500		4500
18	**शेड हेतु लोहे के टीन/सीमेंट शीट** 4X12 फिट	20 नग	1350		27000		27000
19	**लोहे के पाइप 2.5 इंची 100 फिट**	100 किलो	45		4500		4500
20	**चॅंद्रिका प्लास्टिक उपकरण**	250	55		13750		13750
21	**इन्प्रूव माउन्टेजेस शूट कृमिपालन रेक्स हेतु बल्लीयॉ**	480 फिट	25		12000		12000
22	**ग्रीन नेट 12 फिट चौड़ाई वाली**	100 फिट	35		3500		3500
23	**योग**			**84785**	**94260**	**11800**	**190845**
24	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**						
25	20 प्रतिशत गेप फीलिंग (मनरेगा रोपणी से)	3 प्रति पौधा परिवहन सहित	1120	—		3360	3360
26	**गोबर की खाद अथवा बर्मी कम्पोस्ट**	200 क्यूबिक फिटे	15			3000	3000
27	**डीएपी**	25 प्रति किलो	100 किलो			2500	2500
28	**एमओपी**	17.8 प्रति किलो	50 किलो	—		890	890
29	**यूरिया**	6 प्रति किलो	200 किलो			1200	1200
30	**माइक्रोन्यूटेन्ट जिंक हाई**	10 प्रति किलो	5 किलो			500	500
31	**पौध संरक्षण पर व्यय**	2000 प्रति एकड़	1	—		2000	2000

32	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना, कटाई छटाई, टॉप ड्रेसिंग में खाद देना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु पौध रोपण उपरांत 1 रू प्रति पौधा प्रति माह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिति में**	157 प्रति दिन	428 श्रमिक 12 माह में (5600 रू प्रति माह)	67200	–		67200
33	**योग**			**67200**		**13450**	**80650**
34	**महायोग**			**151985**	**94260**	**25250**	**271495**

(मनरेगा योजना से अस्थायी व्यवस्था की गयी है, रोपण के 8 माह बाद आय प्राप्त होने की स्थिति में हितग्राही स्वयं अपने व्यय से अथवा रेशम विभाग से राशि प्राप्त होने पर स्थायी रूप से रेयरिंग हाउस, माउटेन हॉल इत्यादि का निर्माण किया जा सकता है।)

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	–	**151985**	(योजना का 59.58 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	–	**94260**	(योजना का 37.00 प्रतिशत)
अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत	–	**8800**	(योजना का 3.500 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	–	**255055**	

मॉडल प्राक्कलन रेशम उपयोजना अंतर्गत प्रस्तावित शहतूत नर्सरी, रोपणी विकसित हेतु प्रस्तावित व्यय प्रति एकड़ 100000 पौध उत्पादन व्यय पत्रक

कार्य योजना का नाम का नाम – बांस पौधरोपण हेतु पौध उत्पादन कार्य

ग्राम पंचायत का नाम– .....

पौध उत्पादनकर्ता संस्था/हितग्राही का नाम .....

प्रस्तावित खसरा नंबर..... रकवा .....

कुल पौध उत्पादन संख्या लक्ष्य– 100000

100000 पौधों के उत्पादन हेतु 180000 कलमे लगाया जाना प्रस्तावित

(प्रति एकड़ 6–8 माह उम्र की कटिंग तैयारी पर 2–2.5 फिट उंचाई के पौधे तैयार करने पर व्यय)

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी (रू)	लागत सामग्री (रू)	योग (रू)	रिमार्क
1	जमीन की गहरी जुताई	800	4 घंटे		3200	3200	
2	गोबर की खाद कय	15	500 क्यू. फिट		7500	7500	
3	रेत का कय	10	500 क्यू. फिट		5000	5000	
4	सिंगल सुपर फास्फेट	6.6 रू0 प्रति किलो	200 किलो	–	1320	1320	
5	म्यूरेट आफ पोटास	17.80 रू0 प्रति किलो	50 किलो	–	890	890	
6	यूरिया(टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रत्येक 2 माह के अंतराल पर 3 बार में)	6 रू0 प्रति किलो	100 किलो	–	600	600	
5	नर्सरी बेड तैयार करना एवं खाद मिलाना	157	108 श्रमिक	16956		16956	
7	रॉ मटेरियल कटिंग पर व्यय राज्य के अंदर	3000	6 मेट्रिक टन		18000	18000	
8	रॉ कटिंग परिवहन राज्य के बाहर से	2000 रूपये	6 मेट्रिक टन		12000	12000	
9	कटिंग रूटिंग हेतु रूटेक्स/सेरेडेक्स	500 रू किलो	4 किलो		2000	2000	
	क्लोरोपायरीफास	214 प्रति लीटर	5 लीटर	–	1070	1070	
	बाबिस्टीन	391 प्रति किलो	2 किलो	–	782	782	

12	रिडोमिल	1500 रू किलो	1.0 किलो	–	1500	1500	
13	कटिंग की तैयारी	157 प्रति दिन	65 श्रमिक	10205		10205	
14	बेड में कलम लगाना	157	110 श्रमिक	17270		17270	
15	3 निंदाई तथा गुड़ाई, मिट्टी चढाई (प्रति निंदाई गुड़ाई 70 श्रमिक प्रति एकड़ के हिसाब से मय कटिंग व खाद डालना)	157	210 श्रमिक	32970		32970	
16	सिचाई पर व्यय(माह में 4 बार)	157	30 श्रमिक	4710		4710	
17	मलबरी कलमों को उखाड़ना एवं टॉट से पेकिंग करना व लोडिंग	157	150 श्रमिक	23550		23550	
19	पेकिंग हेतु पुराने टॉट/बोरे का क्य	20	50 नग		1000	1000	
20	सुतली का क्य	100	2 किलो		200	200	
21	स्प्रेयर पंप	1200	1 नग	–	1200	1200	
22	सिकेटियर	300	1 नग		300	300	
	सिचाई हेतु बिजली बिल/डीजल पर व्यय	500 प्रतिमाह	8 माह		4000	4000	
	योग			**105661**	**60562**	**166223**	

मजदूरी पर व्यय	–	**105661**	(योजना का 61.30 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	–	**60562**	(योजना का 35.20 प्रतिशत)
कन्टनजेंसी व्यय	–	**5950**	(योजना का 3.50 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय		**172173**	
(प्रति पौधा 1.69 रू व्यय प्रस्तावित)			

मनरेगा रोपणी से स्वसहायता समूह पात्र हितग्राहियों अथवा शासकीय रोपणीं को प्राप्त आय

वर्ष	प्रति पौधा व्यय	उत्पादित पौधे	मनरेगा में प्रदाय अथवा विक्रय योग्य पौधे	विक्रय पौधे की शासकीय दरे	विक्रय से प्राप्त कुल आय	पौध उत्पादन में व्यय	शेष प्रदाय राशि पौध प्रदायगी पर	शुद्ध लाभ	रिमार्क
6–8 माह (2–2.5 फीट)	1.72	100000	100000	3	300000	172173	1.27	127827	8 माह में प्राप्त

पथवृक्षारोपण 3.5–5 फिट ऊंचाई (पांच वर्षीय प्लान)

मॉडल प्राक्कलन ग्रीन प्लान अंतर्गत प्रस्तावित पथ वृक्षारोपण (एनआरईजीएस) हेतु प्रस्तावित व्यय 0.2 कि.मी. (100 पौधे) व्यय पत्रक

ट्री पट्टा हितग्राही मय पिता का नाम .....जाति .....ग्राम .....

ग्राम पंचायत का नाम.....जनपद पंचायत का नाम.....

प्रस्तावित स्थल का नाम..... पौध रोपण का प्रकार 1–1 पंक्ति दोनो तरफ

चयनित पौधे – हितग्राही की मांग अनुसार.....

वृक्षों हेतु पौधों से पौधों की दूरी – 4×4 मीटर (2 पंक्ति) रोड के दोनो तरफ 1–1 पंक्ति

कुल पौध संख्या – 100

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी	लागत सामग्री	योग (रूपये में)	सामग्री की व्यवस्था स्तर	ऑनलाईन फीजिंग हेतु कोड न0
1	**स्थल की साफ–सफाई इत्यादि**	157 प्रति श्रमिक	3 श्रमिक (250 मी.^{2})	471	–	471		
2	**खेत का रेखांकन**	0.20 प्रति रमी	1200 रमी	157	50	207	स्थानीय स्तर	3071
3	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**							
	बडे वृक्ष हेतु (नीम बगैरह) 0.60×0.60× 0.60 मीटर= 0.216 घन मी.	90.48प्रति घन मी. 19.54 प्रति गड्डा	100 गड्डे	1954	–	1954		आरईएस के सीएसआर अनुसार
4	**गोबर की खाद अथवा वर्मी कम्पोस्ट**	10 रू. प्रति पौधा	100 पौधे		1000	1000	स्थानीय स्तर	3087
	उपजाऊ मिट्टी का परिवहन	5.89 प्रति गड्डा	**100**	**314**	**295**	**609**	स्थानीय स्तर	
5	**सिंगल सुपर फास्फेट**							**3091**
	500 ग्राम प्रति पौधा/100 पौधे	6.6 रू0प्रतिकिलो	50 किलो	–	330	330	ग्रामीण सहकारी समिति, एम.पी.एग्रो, मार्केटिंग फेडरेशन	
6	**म्यूरेट आफ पोटास**							**3092**
	250 ग्राम प्रति पौधा/100 पौधे	17.80 रू0 प्रतिकिलो	25 किलो	–	445	445	,,	
7	**नीम की खली अथवा निबोंली का चूर्ण**							3094
	200 ग्र. प्रति पौधा/100 पौधे	20 प्रति किलो	20 किलो	–	400	400	एम.पी.एग्रो, अथवा स्थानीय स्तर	
8	**थीमेट, फोरेट अथवा क्लोरोपाईरीफास्ट**							3095
	25 ग्राम प्रति पौधा/100 पौधे	59 प्रति किलो	3 किलो	–	177	177	एम.पी.एग्रो, अथवा स्थानीय स्तर	

9	**पौधों की कीमत**							
	3.5–5 फिट ऊंचाई के 20 प्रतिशत गैफफिलिंग सहित 50 प्रतिशत राशि	30 प्रति पौधा (15 प्रति पौधा मनरेगा रोपणी से लेने पर)	120 पौधे	–	3600	3600	मनरेगा रोपणियों से लेने पर 50 प्रतिशत भुगतान देय होगा	3103
10	खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग	10 प्रति पौधा	100	1000	–	1000		3079
11	सुरक्षा हेतु ट्रायएंगल बासं के ट्री–गार्ड जाली साईज 7.5 से.मी. X7.5 से.मी. ऊॅचाई 2.0 मी., चौडाई 0.45 मी. अथवा पौधों के चारो तरफ सी.पी.टी का निर्माण	260 प्रति पौधा	100	10,000	16000	26000	स्थानीय स्तर से	3086
12	कांटा काटकर ट्री–गार्ड के चारों तरफ लगाकर तार से बांधना	10 प्रति पौधा	100	1000	–	1000		3078
13	जी आई तार अथवा सुतली क्रय पौधा बांधने हेतु	100 प्रति किलो	2	–	200	200	स्थानीय स्तर से	3085
14	पौध संरक्षण दवायें	10 प्रति पौधा	100	–	1000	1000	एम.पी.एग्रो, अथवा स्थानीय स्तर	3109
15	डी.ए.पी. टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रत्येक गुड़ाई/3 माहों में 30 ग्राम प्रति पौधा, वर्ष में कुल 4 बार	25 प्रति किलो	12 किलो		300	300		
16	एम.ओ.पी. टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रत्येक गुड़ाई/3 माहों में 15 ग्राम प्रति पौधा, वर्ष में कुल 4 बार	17.8 प्रति किलो	6 किलो		107	107		
17	यूरिया टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रत्येक गुड़ाई/3 माहों में 30 ग्राम प्रति पौधा, वर्ष में कुल 4 बार	6.6 प्रति किलो	12 किलो		80	80	,,	
18	सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख चौकीदारी सहित। (1500 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	100 पौधों पर (पौध रोपण उपरांत कुल 11 माह)	15700	800	16500		3080
19	सिचाई व्यवस्था हेतु एक रिक्शा/ हाथठेला मय 200 ली. टंकी फिटिंग सहित 50 फिट लेजम 0.75 इंच	रिक्सा टंकी क्रय द्वारा अधिकतम 1.0 कि.मी. 500 पौधों तक सिंचाई की जावेगी।	01	–	8000	8000	लघुउद्योग निगम, एमपी एग्रो, सहकारी संस्था अथवा स्थानीय संस्था	3110
20	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण (कंटेलजेंसी मद से)**							3135
	स्प्रेयर पंप (1पंप 0.5 कि.मी. हेतु)	1250	1	–				
	सिकेटियर	250	1	–				
	रिक्शा मेंटीनेन्स, स्थल फोटो एवं अन्य आकस्मिक व्यय							
	स्थल पर अस्थायी शेड, पॉलेथिन, बांस, घास–फूस से		1	314	1000	1314	स्थानीय स्तर	

21	मिट्टी के घढे 6–8 लीटर पानी के	50	110	–	5500	5500	स्थानीय स्तर	
22	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**							
	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	15 प्रति पौधा	20	–	300	300	मनरेगा रोपणी	3100
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	100	–	1000	1000	स्थानीय स्तर	3119
	पौध संरक्षण पर व्यय	10 प्रति पौधे	100	–	1000	1000	स्थानीय स्तर	3109
	रिक्शा व हाथ ठेला का प्रबंधन			–	500	500	स्थानीय स्तर	3110
	कांटा काटकर ट्री–गार्ड के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (1500 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	100 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	2300	18000		3081
23	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**							
	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	15 प्रति पौधा	10	–	150	150	मनरेगा रोपणी	3100
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	100	–	1000	1000	स्थानीय स्तर	3119
	पौध संरक्षण पर व्यय	10 प्रति पौधे	100	–	1000	1000	स्थानीय स्तर	3109
	रिक्शा व हाथ ठेला का प्रबंधन			–	500	500	स्थानीय स्तर	3110
	कांटा काटकर ट्री–गार्ड के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (1500 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	100 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	2300	18000		3082
24	**चतुर्थ वर्ष में कुल व्यय**							
	खाद उर्वरक पौध संरक्षण व्यय	10 रु. प्रति पौधा	100		1000	1000	स्थानीय स्तर	
	कांटा काटकर ट्री–गार्ड के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (1500 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	100 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	2300	18000		3082
25	**पंचम वर्ष में कुल व्यय**							
	खाद उर्वरक पौध संरक्षण व्यय	10 रु. प्रति पौधा	100		1000	1000	स्थानीय स्तर	
	कांटा काटकर ट्री–गार्ड के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (1500 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	100 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	2300	18000		3082
	महायोग –			**93710**	**55934**	**149644**		

मजदूरी पर व्यय – 93710 (योजना का 60.50 प्रतिशत)

सामग्री पर व्यय – 55934 (योजना का 36.00 प्रतिशत)

कन्टनजेंसी व्यय – 5400 (योजना का 3.50 प्रतिशत)

प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय – 155044

पथवृक्षारोपण 7–9 फिट ऊंचाई (पांच वर्षीय प्लान)

मॉडल प्राक्कलन ग्रीन प्लान अंतर्गत प्रस्तावित पथ वृक्षारोपण (एनआरईजीएस) हेतु प्रस्तावित व्यय 0.2 कि.मी. (100 पौधे) व्यय पत्रक

ट्री पट्टा हितग्राही मय पिता का नाम .....जाति .....ग्राम .....

ग्राम पंचायत का नाम.....जनपद पंचायत का नाम.....

प्रस्तावित स्थल का नाम..... पौध रोपण का प्रकार 1–1 पंक्ति दोनो तरफ

चयनित पौधे – हितग्राही की मांग अनुसार.....

वृक्षों हेतु पौधों से पौधों की दूरी – 4×4 मीटर (2 पंक्ति) रोड के दोनो तरफ 1–1 पंक्ति

कुल पौध संख्या – 100

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी	लागत सामग्री	योग (रूपये में)	सामग्री की व्यवस्था स्तर	ऑनलाईन फीजिंग हेतु कोड न0
1	**स्थल की साफ–सफाई इत्यादि**	157 प्रति श्रमिक	3 श्रमिक (250 मी.^{2})	471	–	471		
2	**खेत का रेखांकन**	0.20 प्रति रमी	1200 रमी	157	50	207	स्थानीय स्तर	3071
3	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**							
	बडे वृक्ष हेतु (आम, ऑवला, कटहल) 0.90×0.90× 0.90 मीटर= 0.729 घन मी. (तीन वर्षीय परिपक्व पौधे 30×40 cm की थैली में)	90.48प्रति घन मी. 65.95 प्रति गड्डा	100 गड्डे	6595	–	6595		आरईएस के सीएसआर अनुसार
4	**गोबर की खाद अथवा वर्मी कम्पोस्ट**	10 रू. प्रति पौधा	100 पौधे		1000	1000	स्थानीय स्तर	3087
	उपजाऊ मिट्टी का परिवहन	5.89 प्रति गड्डा	**100**	**314**	**295**	**609**	स्थानीय स्तर	
5	**सिंगल सुपर फास्फेट**							**3091**
	500 ग्राम प्रति पौधा/100 पौधे	6.6 रू0प्रतिकिलो	50 किलो	–	330	330	ग्रामीण सहकारी समिति, एम.पी.एग्रो, मार्केटिंग फेडरेशन	
6	**म्यूरेट आफ पोटास**							**3092**
	250 ग्राम प्रति पौधा/100 पौधे	17.80 रू0 प्रतिकिलो	25 किलो	–	445	445	,,	
7	**नीम की खली अथवा निबोंली का चूर्ण**							3094
	200 ग्र. प्रति पौधा/100 पौधे	20 प्रति किलो	20 किलो	–	400	400	एम.पी.एग्रो, अथवा स्थानीय स्तर	
8	**थीमेट, फोरेट अथवा क्लोरोपाईरीफास्ट**							3095
	25 ग्राम प्रति पौधा/100 पौधे	59 प्रति किलो	3 किलो	–	177	177	एम.पी.एग्रो, अथवा स्थानीय स्तर	
9	**पौधों की कीमत**							

	7–9 फिट ऊंचाई के 10 प्रतिशत गैफफिलिंग सहित	120 प्रति पौधा (50 प्रति पौधा मनरेगा रोपणी से लेने पर)	110 पौधे	—	13200	13200	मनरेगा रोपणियों से लेने पर 50 प्रतिशत भुगतान देय होगा	3103
10	खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग	10 प्रति पौधा	100	1000	—	1000		3079
11	बांस क्रय(बांस को फाडकर दो पौधों में लगाना)	20 प्रति पौधा	100	—	2000	2000	बांस क्रय(बांस को फाडकर दो पौधों में लगाना)	20 प्रति पौधा
12	कांटा काटकर पौधों के चारों तरफ लगाकर तार से बांधना	10 प्रति पौधा	100	1000	—	1000		3078
13	जी आई तार अथवा सुतली क्रय पौधा बांधने हेतु	100 प्रति किलो	2	—	200	200	स्थानीय स्तर से	3085
14	पौध संरक्षण दवायें	10 प्रति पौधा	100	—	1000	1000	एम.पी.एग्रो, अथवा स्थानीय स्तर	3109
15	डी.ए.पी. टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रत्येक गुड़ाई/3 माहों में 30 ग्राम प्रति पौधा, वर्ष में कुल 4 बार	25 प्रति किलो	12 किलो		300	300		
16	एम.ओ.पी. टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रत्येक गुड़ाई/3 माहों में 15 ग्राम प्रति पौधा, वर्ष में कुल 4 बार	17.8 प्रति किलो	6 किलो		107	107		
17	यूरिया टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रत्येक गुड़ाई/3 माहों में 30 ग्राम प्रति पौधा, वर्ष में कुल 4 बार	6.6 प्रति किलो	12 किलो		80	80	''	
18	सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख चौकीदारी सहित। (1500 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	100 पौधों पर (पौध रोपण उपरांत कुल 11 माह)	15700	800	16500		3080
19	सिचाई व्यवस्था हेतु एक रिक्शा/ हाथठेला मय 200 ली. टंकी फिटिंग सहित 50 फिट लेजम 0.75 इंच	रिक्शा टंकी क्रय द्वारा अधिकतम 1.0 कि.मी. 500 पौधों तक सिंचाई की जावेगी।	01	—	8000	8000	लघुउद्योग निगम, एमपी एग्रो, सहकारी संस्था अथवा स्थानीय संस्था	3110
20	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण (कंटेलजेंसी मद से)**							3135
	स्प्रेयर पंप (1पंप 0.5 कि.मी. हेतु)	1250	1	—				
	सिकेटियर	250	1	—				
	रिक्शा मेंटीनेन्स, स्थल फोटो एवं अन्य आकस्मिक व्यय							
	स्थल पर अस्थायी शेड, पॉलेथिन, बांस, घास–फूस से		1	314	1000	1314	स्थानीय स्तर	
21	मिट्टी के घढे 6–8 लीटर पानी के	50	110	—	5500	5500	स्थानीय स्तर	

22	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**							
	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	50 प्रति पौधा	20	–	1000	1000	मनरेगा रोपणी	3100
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	100	–	1000	1000	स्थानीय स्तर	3119
	पौध संरक्षण पर व्यय	10 प्रति पौधे	100	–	1000	1000	स्थानीय स्तर	3109
	रिक्शा व हाथ ठेला का प्रबंधन			–	500	500	स्थानीय स्तर	3110
	कांटा काटकर पौधों के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (1500 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	100 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	2300	18000		3081
23	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**							
	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	50 प्रति पौधा	10	–	500	500	मनरेगा रोपणी	3100
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	100	–	1000	1000	स्थानीय स्तर	3119
	पौध संरक्षण पर व्यय	10 प्रति पौधे	100	–	1000	1000	स्थानीय स्तर	3109
	रिक्शा व हाथ ठेला का प्रबंधन			–	500	500	स्थानीय स्तर	3110
	कांटा काटकर पौधों के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (1500 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	100 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	2300	18000		3082
24	**चतुर्थ वर्ष में कुल व्यय**							
	खाद उर्वरक पौध संरक्षण व्यय	10 रु. प्रति पौधा	100		1000	1000	स्थानीय स्तर	
	कांटा काटकर पौधों के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (1500 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	100 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	2300	18000		3082
25	**पंचम वर्ष में कुल व्यय**							
	खाद उर्वरक पौध संरक्षण व्यय	10 रु. प्रति पौधा	100		1000	1000	स्थानीय स्तर	
	कांटा काटकर पौधों के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (1500 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	100 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	2300	18000		3082
	महायोग –			**88351**	**52584**	**140935**		

मजदूरी पर व्यय	–	**88351**	(योजना का 60.50 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	–	**52584**	(योजना का 36.00 प्रतिशत)
कन्टनजेंसी व्यय	–	**5200**	(योजना का 3.50 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	–	**146135**	

पथवृक्षारोपण 3.5–5 फिट ऊंचाई (पांच वर्षीय प्लान)

मॉडल प्राक्कलन ग्रीन प्लान अंतर्गत प्रस्तावित पथ वृक्षारोपण (एनआरईजीएस) हेतु प्रस्तावित व्यय 0.4 कि.मी. (200 पौधे) व्यय पत्रक

ट्री पट्टा हितग्राही मय पिता का नाम .....जाति .....ग्राम .....

ग्राम पंचायत का नाम.....जनपद पंचायत का नाम..... प्रस्तावित स्थल का नाम..... पौध रोपण का प्रकार 1–1 पंक्ति दोनो तरफ

चयनित पौधे – हितग्राही की मांग अनुसार.....

वृक्षों हेतु पौधों से पौधों की दूरी – 4×4 मीटर (2 पंक्ति) रोड के दोनो तरफ 1–1 पंक्ति

कुल पौध संख्या – 200

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी	लागत सामग्री	योग (रूपये में)	सामग्री की व्यवस्था स्तर	ऑनलाईन फीजिंग हेतु कोड न0
1	**स्थल की साफ–सफाई इत्यादि**	157 प्रति श्रमिक	6 श्रमिक (250 मी.^{2})	942	–	942		
2	**खेत का रेखांकन**	0.20 प्रति रमी	2400 र. मी.	380	100	480	स्थानीय स्तर	3071
3	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**							
	बडे वृक्ष हेतु (नीम बगैरह) 0.60×0.60× 0.60 मीटर= 0.216 घन मी.	90.48प्रति घन मी. 19.54 प्रति गड्डा	200 गड्डे	3908	–	3908		आरईएस के सीएसआर अनुसार
4	**गोबर की खाद अथवा वर्मी कम्पोस्ट**	10 रू. प्रति पौधा	200 पौधे		2000	2000	स्थानीय स्तर	3087
	उपजाऊ मिट्टी का परिवहन	5.89 प्रति गड्डा	**200**	**628**	**590**	**1218**	स्थानीय स्तर	
5	**सिंगल सुपर फास्फेट**							**3091**
	500 ग्राम प्रति पौधा/200 पौधे	6.6 रू0प्रतिकिलो	100 किलो	–	660	660	ग्रामीण सहकारी समिति, एम.पी.एग्रो, मार्कैटिंग फेडरेशन	
6	**म्यूरेट आफ पोटास**							**3092**
	250 ग्राम प्रति पौधा/200 पौधे	17.80 रू0 प्रतिकिलो	50 किलो	–	890	890	,,	
7	**नीम की खली अथवा निबोंली का चूर्ण**							3094
	200 ग्र. प्रति पौधा/200 पौधे	20 प्रति किलो	40 किलो	–	800	800	एम.पी.एग्रो, अथवा स्थानीय स्तर	
8	**थीमेट, फोरेट अथवा क्लोरोपाईरीफास्ट**							3095
	25 ग्राम प्रति पौधा/200 पौधे	59 प्रति किलो	5 किलो	–	295	295	एम.पी.एग्रो, अथवा स्थानीय स्तर	
9	**पौधों की कीमत**							

	3.5–5 फिट ऊंचाई के 20 प्रतिशत गैफफिलिंग सहित 50 प्रतिशत राशि	30 प्रति पौधा (15 प्रति पौधा मनरेगा रोपणी से लेने पर)	240 पौधे	–	7200	7200	मनरेगा रोपणियों से लेने पर 50 प्रतिशत भुगतान देय होगा	3103
10	खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग	10 प्रति पौधा	200	2000	–	2000		3079
11	सुरक्षा हेतु ट्रायएंगल बासं के ट्री–गार्ड जाली साईज 7.5 से.मी. X7.5 से.मी. ऊँचाई 2.0 मी., चौडाई 0.45 मी. अथवा पौधों के चारो तरफ सी.पी.टी का निर्माण	260 प्रति पौधा	200	20000	32000	52000	स्थानीय स्तर से	3086
12	कांटा काटकर ट्री–गार्ड के चारों तरफ लगाकर तार से बांधना	10 प्रति पौधा	200	2000	–	2000		3078
13	जी आई तार अथवा सुतली क्रय पौधा बांधने हेतु	100 प्रति किलो	4	–	400	400	स्थानीय स्तर से	3085
14	पौध संरक्षण दवायें	10 प्रति पौधा	200	–	2000	2000	एम.पी.एग्रो, अथवा स्थानीय स्तर	3109
15	डी.ए.पी. टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रत्येक गुड़ाई/3 माहों में 30 ग्राम प्रति पौधा, वर्ष में कुल 4 बार	25 प्रति किलो	24 किलो		600	600		
16	एम.ओ.पी. टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रत्येक गुड़ाई/3 माहों में 15 ग्राम प्रति पौधा, वर्ष में कुल 4 बार	17.8 प्रति किलो	12 किलो		214	214		
17	यूरिया टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रत्येक गुड़ाई/3 माहों में 30 ग्राम प्रति पौधा, वर्ष में कुल 4 बार	6.6 प्रति किलो	24 किलो		160	160	"	
18	सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख चौकीदारी सहित। (3000 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	200 पौधों पर (पौध रोपण उपरांत कुल 11 माह)	15700	17300	33000		3080
19	सिचाई व्यवस्था हेतु एक रिक्शा/ हाथठेला मय 200 ली. टंकी फिटिंग सहित 50 फिट लेजम 0.75 इंच	रिक्शा टंकी क्रय द्वारा अधिकतम 1.0 कि.मी. 500 पौधों तक सिंचाई की जावेगी।	01	–	8000	8000	लघुउद्योग निगम, एमपी एग्रो, सहकारी संस्था अथवा स्थानीय संस्था	3110
20	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण (कंटेलजेंसी मद से)**							3135
	स्प्रेयर पंप (1पंप 0.5 कि.मी. हेतु)	1250	1	–				
	सिकेटियर	250	1	–				
	रिक्शा मेंटीनेन्स, स्थल फोटो एवं अन्य आकस्मिक व्यय							
	स्थल पर अस्थायी शेड, पॉलेथिन, बांस, घास–फूस से		1	314	1000	1314	स्थानीय स्तर	
21	मिट्टी के घढे 6–8 लीटर पानी के	50	220	–	11000	11000	स्थानीय स्तर	

22	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**							
	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	15 प्रति पौधा	40	–	600	600	मनरेगा रोपणी	3100
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	200	–	2000	2000	स्थानीय स्तर	3119
	पौध संरक्षण पर व्यय	10 प्रति पौधे	200	–	2000	2000	स्थानीय स्तर	3109
	रिक्शा व हाथ ठेला का प्रबंधन			–	500	500	स्थानीय स्तर	3110
	कांटा काटकर ट्री–गार्ड के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (3000 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	200 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	20300	36000		3081
23	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**							
	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	15 प्रति पौधा	20	–	300	300	मनरेगा रोपणी	3100
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	200	–	2000	2000	स्थानीय स्तर	3119
	पौध संरक्षण पर व्यय	10 प्रति पौधे	200	–	2000	2000	स्थानीय स्तर	3109
	रिक्शा व हाथ ठेला का प्रबंधन			–	500	500	स्थानीय स्तर	3110
	कांटा काटकर ट्री–गार्ड के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (3000 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	200 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	20300	36000		3082
24	**चतुर्थ वर्ष में कुल व्यय**							
	खाद उर्वरक पौध संरक्षण व्यय	10 रु. प्रति पौधा	200		2000	2000	स्थानीय स्तर	
	कांटा काटकर ट्री–गार्ड के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (3000 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	200 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	20300	36000		3082
25	**पंचम वर्ष में कुल व्यय**							
	खाद उर्वरक पौध संरक्षण व्यय	10 रु. प्रति पौधा	200		2000	2000	स्थानीय स्तर	
	कांटा काटकर ट्री–गार्ड के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (3000 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	200 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	20300	36000		3082
	महायोग –			**108672**	**180309**	**288981**		

मजदूरी पर व्यय	–	**108672**	(योजना का 36.25 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	–	**180309**	(योजना का 60.25 प्रतिशत)
कन्टनजेंसी व्यय	–	**10500**	(योजना का 3.50 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	–	**299481**	

पथवृक्षारोपण 7–9 फिट ऊंचाई (पांच वर्षीय प्लान)

मॉडल प्राक्कलन ग्रीन प्लान अंतर्गत प्रस्तावित पथ वृक्षारोपण (एनआरईजीएस) हेतु प्रस्तावित व्यय 0.4 कि.मी. (200 पौधे) व्यय पत्रक

ट्री पट्टा हितग्राही मय पिता का नाम .....जाति .....ग्राम .....

ग्राम पंचायत का नाम.....जनपद पंचायत का नाम.....

प्रस्तावित स्थल का नाम..... पौध रोपण का प्रकार 1–1 पंक्ति दोनो तरफ

चयनित पौधे – हितग्राही की मांग अनुसार.....

वृक्षों हेतु पौधों से पौधों की दूरी – 4×4 मीटर (2 पंक्ति) रोड के दोनो तरफ 1–1 पंक्ति

कुल पौध संख्या – 200

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी	लागत सामग्री	योग (रूपये में)	सामग्री की व्यवस्था स्तर	ऑनलाईन फीजिंग हेतु कोड न0
1	**स्थल की साफ–सफाई इत्यादि**	157 प्रति श्रमिक	6 श्रमिक (250 मी.^{2})	942	–	942		
2	**खेत का रेखांकन**	0.20 प्रति रमी	2400 रमी	380	100	480	स्थानीय स्तर	3071
3	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**							
	बडे वृक्ष हेतु (आम, ऑवला, कटहल) 0.90×0.90× 0.90 मीटर= 0.729 घन मी. (तीन वर्षीय परिपक्व पौधे 30×40 cm की थैली में)	90.48प्रति घन मी. 65.95 प्रति गड्डा	200 गड्डे	13190	–	13190		आरईएस के सीएसआर अनुसार
4	**गोबर की खाद अथवा वर्मी कम्पोस्ट**	10 रू. प्रति पौधा	200 पौधे		2000	2000	स्थानीय स्तर	3087
	उपजाऊ मिट्टी का परिवहन	5.89 प्रति गड्डा	**200**	**588**	**590**	**1178**	स्थानीय स्तर	
5	**सिंगल सुपर फास्फेट**							**3091**
	500 ग्राम प्रति पौधा/200 पौधे	6.6 रू0प्रतिकिलो	100 किलो	–	660	660	ग्रामीण सहकारी समिति, एम.पी.एग्रो, मार्कैटिंग फेडरेशन	
6	**म्यूरेट आफ पोटास**							**3092**
	250 ग्राम प्रति पौधा/200 पौधे	17.80 रू0 प्रतिकिलो	50 किलो	–	890	890	,,	
7	**नीम की खली अथवा निबोंली का चूर्ण**							3094
	200 ग्र. प्रति पौधा/200 पौधे	20 प्रति किलो	40 किलो	–	800	800	एम.पी.एग्रो, अथवा स्थानीय स्तर	
8	**थीमेट, फोरेट अथवा क्लोरोपाईरीफास्ट**							3095
	25 ग्राम प्रति पौधा/200 पौधे	59 प्रति किलो	6 किलो	–	354	354	एम.पी.एग्रो, अथवा स्थानीय स्तर	
9	**पौधों की कीमत**							

	7–9 फिट ऊंचाई के 10 प्रतिशत गैफफिलिंग सहित	120 प्रति पौधा (50 प्रति पौधा मनरेगा रोपणी से लेने पर)	220 पौधे	–	26400	26400	मनरेगा रोपणियों से लेने पर 50 प्रतिशत भुगतान देय होगा	3103
10	खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग	10 प्रति पौधा	200	2000	–	2000		3079
11	बांस क्रय(बांस को फाडकर दो पौधों में लगाना)	20 प्रति पौधा	200	–	4000	4000	बांस क्रय(बांस को फाडकर दो पौधों में लगाना)	20 प्रति पौधा
12	कांटा काटकर पौधों के चारों तरफ लगाकर तार से बांधना	10 प्रति पौधा	200	2000	–	2000		3078
13	जी आई तार अथवा सुतली क्रय पौधा बांधने हेतु	100 प्रति किलो	4	–	400	400	स्थानीय स्तर से	3085
14	पौध संरक्षण दवायें	10 प्रति पौधा	200	–	2000	2000	एम.पी.एग्रो, अथवा स्थानीय स्तर	3109
15	डी.ए.पी. टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रत्येक गुड़ाई/3 माहों में 30 ग्राम प्रति पौधा, वर्ष में कुल 4 बार	25 प्रति किलो	24 किलो		600	600		
16	एम.ओ.पी. टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रत्येक गुड़ाई/3 माहों में 15 ग्राम प्रति पौधा, वर्ष में कुल 4 बार	17.8 प्रति किलो	12 किलो		214	214		
17	यूरिया टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रत्येक गुड़ाई/3 माहों में 30 ग्राम प्रति पौधा, वर्ष में कुल 4 बार	6.6 प्रति किलो	24 किलो		160	160	,,	
18	सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख चौकीदारी सहित। (3000 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	200 पौधों पर (पौध रोपण उपरांत कुल 11 माह)	15700	17300	33000		3080
19	सिचाई व्यवस्था हेतु एक रिक्शा/ हाथठेला मय 200 ली. टंकी फिटिंग सहित 50 फिट लेजम 0.75 इंच	रिक्शा टंकी क्रय द्वारा अधिकतम 1.0 कि.मी. 500 पौधों तक सिंचाई की जावेगी।	01	–	8000	8000	लघुउद्योग निगम, एमपी एग्रो, सहकारी संस्था अथवा स्थानीय संस्था	3110
20	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण (कंटेलजेंसी मद से)**							3135
	स्प्रेयर पंप (1पंप 0.5 कि.मी. हेतु)	1250	1	–				
	सिकेटियर	250	1	–				
	रिक्शा मेंटीनेन्स, स्थल फोटो एवं अन्य आकस्मिक व्यय							
	स्थल पर अस्थायी शेड, पॉलेथिन, बांस, घास–फूस से		1	314	1000	1314	स्थानीय स्तर	
21	मिट्टी के घढे 6–8 लीटर पानी के	50	220	–	11000	11000	स्थानीय स्तर	

22	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**							
	20 प्रतिशत गैफ फिलिंग	50 प्रति पौधा	40	–	2000	2000	मनरेगा रोपणी	3100
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	200	–	2000	2000	स्थानीय स्तर	3119
	पौध संरक्षण पर व्यय	10 प्रति पौधे	200	–	2000	2000	स्थानीय स्तर	3109
	रिक्शा व हाथ ठेला का प्रबंधन			–	500	500	स्थानीय स्तर	3110
	कांटा काटकर पौधों के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (3000 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	200 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	20300	36000		3081
23	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**							
	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	50 प्रति पौधा	20	–	1000	1000	मनरेगा रोपणी	3100
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	200	–	2000	2000	स्थानीय स्तर	3119
	पौध संरक्षण पर व्यय	10 प्रति पौधे	200	–	2000	2000	स्थानीय स्तर	3109
	रिक्शा व हाथ ठेला का प्रबंधन			–	500	500	स्थानीय स्तर	3110
	कांटा काटकर पौधों के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (3000 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	200 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	20300	36000		3082
24	**चतुर्थ वर्ष में कुल व्यय**							
	खाद उर्वरक पौध संरक्षण व्यय	10 रु. प्रति पौधा	200		2000	2000	स्थानीय स्तर	
	कांटा काटकर पौधों के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (3000 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	200 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	20300	36000		3082
25	**पंचम वर्ष में कुल व्यय**							
	खाद उर्वरक पौध संरक्षण व्यय	10 रु. प्रति पौधा	200		2000	2000	स्थानीय स्तर	
	कांटा काटकर पौधों के चारों तरफ लगाना सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय (3000 रूपये प्रतिमाह)	15 रु. प्रति पौधा प्रति माह के हिसाब से प्रति दिन	200 पौधों पर (पूरे वर्ष)	15700	20300	36000		3082
	महायोग –			**97914**	**173668**	**271582**		

मजदूरी पर व्यय	–	**97914**	(योजना का 34.75 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	–	**173668**	(योजना का 61.75 प्रतिशत)
कन्टनजेंसी व्यय	–	**10000**	(योजना का 3.50 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	–	**281582**	

मॉडल प्राक्कलन एक्शन प्लान अंतर्गत प्रस्तावित नर्सरी, रोपणी विकसित हेतु प्रस्तावित व्यय प्रति 20000 पौध उत्पादन

व्यय पत्रक

कार्य योजना का नाम का नाम – वृक्षारोपण हेतु पौध उत्पादन कार्य ग्राम पंचायत का नाम –

प्रस्तावित खसरा नंबर रकवा 0.10 हेक्टेयर भूमि पर

चयनित पौधे – हितग्राही की मांग अनुसार.....

कुल पौध उत्पादन संख्या लक्ष्य– 20000 (1 वर्षीय प्लान अंतर्गत 1.5 से 2 फीट ऊंचाई के– 10,000 पौधें)
(2 वर्षीय प्लान अंतर्गत 3.5 से 5 फीट ऊंचाई के– 5,000 पौधें)
(3 वर्षीय प्लान अंतर्गत 7 से 9 फीट ऊंचाई के– 5,000 पौधें)

नोट– 20000 पौधों के उत्पादन हेतु 25000 पौधे उत्पादन की तैयारी करना प्रस्तावित

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी (रू)	लागत सामग्री (रू)	योग (रू)	
	12×25 सेमी की थैली हेतु कुल 25000 थैली हेतु।						
1	पॉलीथिन बैग रखने हेतु ट्रेंचों की खुदाई 30×1×0.25 मीटर = 7.5 घन मीटर	73.80 प्रति घनमीटर 553 प्रति ट्रेंच	5 ट्रेंच (1 ट्रेंच में 5000 थैली)	2765	–	2765	
	ट्रेंचों में बिछाने हेतु मलचिंग शीट 40 माइक्रोन 1.2 मी चौडाई की क्रय	8 रू रनिंग मीटर	200	–	1600	1600	
2	पॉलीथिन बैग क्रय (1 किलो में 200 बैग 12×25 सेमी आकार के) कुल 0.25 लाख बैग	196 प्रति किलो	1.25 क्विंटल	–	24500	24500	
3	**गोबर की खाद** 0.25 लाख पौधेहेतु	1500 प्रति ट्रॉली	2 ट्राली	–	3000	3000	
4	**मिट्टी का परिवहन** 0.25 लाख पौधे हेतु	800 रू प्रति ट्रॉली	2 ट्राली	800	800	1600	
5	**रेत परिवहन**	4000 प्रति 100 फिट	0.4 ट्राली	–	1600	1600	
7	**सिंगल सुपर फास्फेट**	6.6 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	165	165	
8	**म्यूरेट आफ पोटास**	17.80 रू0 प्रति	25 किलो	–	445	445	

		किलो					
9	**यूरिया**	6 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	150	150	
10	**नीम की खली**	20 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	500	500	
11	**हड्डी का चूरा (बोर्न मील)**	20 रू किलो	25 किलो	–	500	500	
12	**क्लोरापायरीफास**	214 प्रति लीटर	1 लीटर	–	214	214	
13	**बाबिस्टीन**	391 प्रति किलो	0.5 किलो	–	200	200	
14	**मेंन्कोजेब**	216 प्रति किलो	0.5 किलो	–	150	150	
15	**सीओसी**	240 प्रति किलो	0.5 किलो	–	150	150	
16	**रिडोमिल**	1500 रू किलो	1.0 किलो	–	1500	1500	
17	**ट्राईकोडर्मा**	200 प्रति किलो	1 किलो	–	200	200	
19	**प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ट्रॉय कंट्रोनल**	132 प्रति किलो	2 किलो	–	264	264	
20	**अमरूद, नीबू, आम, कटहल, ऑवला, बेर, सीताफल, मूनगा, महूऑ , जामून, इमली, करंज, नीम, जंभीरी, रंगपुर लाईम इत्यादि हेतु बीज का कय**	मांग अनुसार	–	–	8000	8000	
21	खाद मिट्टी का मिश्रण बनाकर पॉलीथिन बैग भरना (12×25 सेमी बैग सितंबर 2014 माह में)	66 पैसे प्रति पौधा 0.5 मानव दिवस प्रति सैकडा	0.25 लाख	16500	–	16500	
22	**पॉलीथिन बैगों में बीज की बुआई बीज उपचार सहित/ क्यारियों में बीज की बुआई**	6.6 पैसे प्रति पौधा 0.5 मानव दिवस प्रति हजार	0.25 लाख	1650	–	1650	
	पॉलीथिन बगों का स्थान परिवर्तन माह मार्च 2014 माह में	157 प्रति श्रमिक	25 श्रमिक	3925		3925	
23	**बीज बुआई उपरांत पॉलीथिन बैगों की सिंचाई/निदाई/ गुडाई, दवा स्प्रे एवं संपूर्ण देखरेख मय लोडिंग चौकीदारी**	1 श्रमिक प्रति दिन औसत लगातार 12 माह, 157 प्रति दिवस	365 श्रमिक (अक्टूबर से जुलाई तक लगातार 10 माह)	57305	–	57305	
24	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण**						टी एन पी एवं अन्य आवश्यक व्यय 4 प्रतिशत कन्टनजेन्सी व्यय से किया जावेगा।
	स्प्रेयर पंप	1200	1	–			
	गेंती	150	2	–			

	फावडा	100	2	–			
	सब्बल	80	1	–			
	तसला	100	4	–			
	सिकेटियर	200	1	–			
	हजारा मय नोजल	200	2	–			
25	जनरेटर सैट किराया/डीजल व्यय /विद्युत बिल लगातार 10 माह	600 प्रति माह	10	–	6000	6000	
26	क्यारी से पौधों का ट्रक लोडिंग	25 पैसे प्रति पौधा	10000	2500	–	2500	
	प्रथम वर्ष का योग			**85445**	**49938**	**135383**	उपरोक्तानुसार एक वर्ष में 6.76 रु. प्रति पौधा व्यय से 1.5–2 फीट ऊँचाई के पौधें तैयार होंगे। जिनमें से 50 प्रतिशत पौधें 10000 हितग्राही मनरेगा योजना में उपलब्ध करायेगा। शेष 10000 आगामी वर्ष में उत्पादन में लेगा।
	द्वितीय वर्ष पर व्यय						
	20×30 सेमी की थैली हेतु कुल 10000 थैली 3.5–5 फीट ऊँचाई के पौधे उत्पादन पर 12500 पौधें उत्पादित किया जाना व्यय						
1	पॉलीथिन बैग रखने हेतु ट्रेंचों की खुदाई 30×1×0.25 मीटर = 7.5 घन मीटर	73.80 प्रति घनमीटर 553 प्रति ट्रेंच	7 ट्रेंच (1 ट्रेंच में 2000 थैली)	3871	–	3871	
2	ट्रेंचों में बिछाने हेतु मलचिंग शीट 40 माइक्रोन 1.2 मी चौडाई की क्रय	8 रू रनिंग मीटर	224	–	1798	1798	
3	पॉलीथिन बैग क्रय (1 किलो में 100–120 बैग 20×30 से.मी. आकार के) कुल 12500 बैग	196 रू किलो	1.25 क्विंटल	–	24500	24500	
4	**गोबर की खाद** 12500 पौधे हेतु	1500 प्रति ट्रॉली	2 ट्राली	–	3000	3000	
5	**मिट्टी का परिवहन** 12500 पौधे हेतु	800 रू प्रति ट्रॉली	2 ट्राली	800	800	1600	

6	**रेत परिवहन**	4000 प्रति 100 फिट	0.4 ट्राली	–	1600	1600	
7	**सिंगल सुपर फास्फेट**	6.6 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	165	165	
8	**म्यूरेट आफ पोटास**	17.80 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	445	445	
9	**यूरिया**	6 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	150	150	
10	**नीम की खली**	20 रू0 प्रति किलो	25 किलो	–	500	500	
11	**हड्डी का चूरा (बोर्न मील)**	20 रू किलो	25 किलो	–	500	500	
12	**क्लोरापायरीफास**	214 प्रति लीटर	1 लीटर	–	214	214	
13	**बाबिस्टीन**	391 प्रति किलो	0.5 किलो	–	200	200	
14	**मेंन्कोजेब**	216 प्रति किलो	0.5 किलो	–	150	150	
15	**सीओसी**	240 प्रति किलो	0.5 किलो	–	150	150	
16	**रिडोमिल**	1500 रू किलो	1 किलो	–	1500	1500	
17	**ट्राईकोडर्मा**	164 प्रति किलो	1 किलो	–	164	164	
19	**प्लांट ग्रोथ हार्मोन**	132 प्रति किलो	2 किलो	–	264	264	
20	खाद मिट्टी का मिश्रण बनाकर पॉलीथिन बैग भरकर 12×25 सेमी बैग में तैयार पौधों को 20×30 सेमी की थैली में पुनः लगाना जून 2015 माह में)	92 पैसे प्रति पौधा 0.7 मानव दिवस प्रति सैकडा	12500	11500	–	11500	
21	**बीज बुआई उपरांत पॉलीथिन बैगों की सिंचाई/निदाई/ गुडाई, दवा स्प्रे एवं संपूर्ण देखरेख बडिंग, ग्राफ्टिंग सहित लोडिंग चौकीदारी**	1 श्रमिक प्रति दिन औसत लगातार 12 माह, 157 प्रति दिवस	365 श्रमिक (सितंबर से जून 2016 तक)	57305	–	57305	
22	जनरेटर सैट किराया/डीजल व्यय /विद्युत बिल लगातार 10 माह	600 प्रति माह	10	–	6000	6000	
23	क्यारी से पौधों का ट्रक लोडिंग	50 पैसे प्रति पौधा	5000	2500	–	2500	
	महायोग–			**75976**	**42100**	**118076**	उपरोक्तानुसार दो वर्ष में 18.56 रु. प्रति पौधा व्यय से 3.5–5 फीट ऊॅचाई के पौधें तैयार होंगे। जिनमें से 50 प्रतिशत पौधें 5000 हितग्राही मनरेगा योजना में उपलब्ध करायेगा। शेष 5000 आगामी वर्ष में उत्पादन में लेगा।

	तृतीय वर्ष पर व्यय						
	30×40 सेमी की थैली हेतु कुल 5000 पौधे उत्पादन हेतु 6250 पौधों की तैयारी 7–9 फीट ऊँचाई पर व्यय						
1	पॉलीथिन बैग रखने हेतु ट्रेंचों की खुदाई 30×1×0.25 मीटर = 7.5 घन मीटर	73.80 प्रति घनमीटर 553 प्रति ट्रेंच	7 ट्रेंच (1 ट्रेंच में 1000 थैली)	3871	—	3871	
2	ट्रेंचों में बिछाने हेतु मलचिंग शीट 40 माइक्रोन 1.2 मी चौडाई की क्रय	8 रू रनिंग मीटर	224	—	1798	1798	
3	पॉलीथिन बैग क्रय (1 किलो में 40–50 बैग 30×40 से.मी. आकार के) कुल 6250 बैग	196 रू किलो	1.5 क्विंटल	—	29400	29400	
4	**गोबर की खाद** 6250 पौधे हेतु	1500 प्रति ट्रॉली	2 ट्राली	—	3000	3000	
5	**मिट्टी का परिवहन** 6250 पौधे हेतु	800 रू प्रति ट्रॉली	2 ट्राली	1600	1600	3200	
6	**रेत परिवहन**	4000 प्रति 100 फिट	0.4 ट्राली	—	1600	1600	
7	**सिंगल सुपर फास्फेट**	6.6 रू0 प्रति किलो	25 किलो	—	165	165	
8	**म्यूरेट आफ पोटास**	17.80 रू0 प्रति किलो	25 किलो	—	445	445	
9	**यूरिया**	6 रू0 प्रति किलो	25 किलो	—	150	150	
10	**नीम की खली**	20 रू0 प्रति किलो	25 किलो	—	500	500	
11	**हड्डी का चूरा (बोर्न मील)**	20 रू किलो	25 किलो	—	500	500	
12	**क्लोरापायरीफास**	214 प्रति लीटर	1 लीटर	—	214	214	
13	**बाबिस्टीन**	391 प्रति किलो	0.5 किलो	—	200	200	
14	**मेंन्कोजेब**	216 प्रति किलो	0.5 किलो	—	150	150	
15	**सीओसी**	240 प्रति किलो	0.5 किलो	—	150	150	
16	**रिडोमिल**	1500 रू किलो	1 किलो	—	1500	1500	
17	**ट्राईकोडर्मा**	164 प्रति किलो	1 किलो	—	164	164	
19	**प्लांट ग्रोथ हार्मोन**	132 प्रति किलो	2 किलो	—	264	264	
20	खाद मिट्टी का मिश्रण बनाकर पॉलीथिन बैग भरकर 20×30 सेमी बैग में तैयार पौधों	1.5 रु.प्रति पौधा 0.7 मानव दिवस	6250	9375	—	9375	

	को 30×40 सेमी की थैली में पुनः लगाना जून 2016 माह में)	प्रति सैकडा					
21	**बीज बुआई उपरांत पॉलीथिन बैगों की सिंचाई/निदाई/ गुडाई, दवा स्प्रे एवं संपूर्ण देखरेख मय लोडिंग चौकीदारी**	1 श्रमिक प्रति दिन औसत लगातार 12 माह, 157 प्रति दिवस	365 श्रमिक (सितंबर से जून 2017 तक)	57305	–	57305	
22	जनरेटर सैट किराया/डीजल व्यय /विद्युत बिल लगातार 10 माह	600 प्रति माह	10	–	6000	6000	
23	क्यारी से पौधों का ट्रक लोडिंग	1 रु. प्रति पौधा	5000	5000	–	5000	
	तृतीय वर्ष का योग–			**77151**	**47800**	**124951**	उपरोक्तानुसार तीन वर्ष में 43.55 रु. प्रति पौधा व्यय से 7–9 फीट ऊँचाई के पौधें तैयार होंगे। जो सभी मनरेगा योजना में प्रदाय किये जावेगें
	महायोग–			**238572**	**139838**	**378410**	

मजदूरी पर व्यय – 238572 (योजना का 61.00 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय – 139838 (योजना का 35.5 प्रतिशत)
कन्टनजेंसी व्यय – 13500 (योजना का 3.5 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार
कुल व्यय – 391913

मनरेगा रोपणी से पात्र हितग्राहियां, स्वसहायता समूह एवं शासकीय रोपणियों को प्राप्त आय

वर्ष	प्रति पौधा व्यय	उत्पादित पौधे	अगले वर्ष उत्पादन हेतु उपयोग	मनरेगा में प्रदाय अथवा विक्रय योग्य पौधे	विक्रय पौधे की शासकीय दरे	पौध उत्पादन में व्यय	शेष प्रदाय राशि पौध प्रदायगी पर	शुद्ध लाभ	रिमार्क
एक वर्षीय (1.5–2 फीट)	6.76	20000	10000	10000	13.50	6.76	6.74	67400	प्रथम वर्ष में प्राप्त
दो वर्षीय (3.5–5 फीट)	18.56	10000	5000	5000	30.00	18.56	11.44	57200	द्वितीय वर्ष में प्राप्त
तीन वर्षीय (7–9 फीट)	43.55	5000	–	5000	100.00	43.55	56.45	282250	तृतीय वर्ष में प्राप्त
योग–	–	–	15000	20000	–	–	–	406850	

शासकीय भूमि पर प्रस्तावित शैलपर्ण उद्यान/ग्राम वन (एनआरईजीएस) हेतु प्रस्तावित व्यय प्रति 2 हेक्ट. व्यय पत्रक

कार्य योजना का नाम का नाम – शैलपर्ण उद्यान, पर्वत विकास ग्राम पंचायत का नाम –

प्रस्तावित खसरा नंबर – रकवा 2.00 हेक्टेयर (प्रारंभ से ही वृक्षारोपण में कार्य करने वाले जॉबकार्ड धारियों को स्वयं अथवा उनके एसएचजी बनाकर जोडा जाकर उपभोग का अधिकार प्रदाय किया जावेगा)

चयनित पौधे – नीम, शीशम, करंज, सूबबूल, आंवला, अमरूद एवं अन्य

पौधों से पोधों की दूरी – 2.5 ×2.5 मीटर, बांस 2–2 मीटर पर

कुल पौध संख्या– 3200 (हाईडेन्सिटी प्लांटेशन) शीशम/अमरूद/400 पौधे बांस कुल पौधे– 3600

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी (रूपये)	लागत सामग्री (रूपये)	योग (रूपये में)	विशेष (जिला दर निर्धारण समिति जिपं. ग्वा द्वारा निर्धारित दर अनुसूची दिनांक 31.05.12)
1	**स्थल की साफ सफाई**	159	50 मानव दिवस	7950		7950	
2	**खेत का रेखांकन (डोरी, चूना, खूंटी सहित)**	0.20 र.मी.	16000 र. मी.	1716	1484	3200	स क्र 1, 317 ए
3	**पौध हेतु गड्डा खुदाई –**						
अ	बडे वृक्ष हेतु (नीम बगैरह) 0.60×0.60× 0.60 मीटर = 0.216 कठोर मुरम	90.48 प्रति घन मी. (कठोर मुरम) 19.52 रू. प्रति गड्डा	3200 गड्डे	62464	–	62464	स क्र 5, 2507
ब	फेंसिग के किनारे – किनारे बांस के पौधों हेतु गड्डों की खुदाई 0.60×0.60× 0.60 मीटर = 0.216 कठोर मुरम	90.48 प्रति घन मी. (कठोर मुरम) 19.52 रू. प्रति गड्डा	400 गड्डे	7808	–	7808	स क्र 5, 25079′
4	गड्डा खुदाई 1× 1× 1.5 फिट पोल खडा करना एवं पूर्णरूपेण लगाने का कार्य	25 प्रति गड्डा	200 गड्डे	5000	–	5000	स क्र 37
5	फेंसिग सीमेण्ट पोल 1.8 मीटर उंचाई (6	240	220	–	52800	52800	स क्र 34

	इंच नीचे, 4 इंच उपर) 3– 3 मीटर						
6	सीमेण्ट पोल परिवहन लोडिंग/ इनलोडिंग सहित 40 किमी. तक	319.90	3.960	–	1266	1266	स क्र 16/पूर्व की एसओआर
7	**बायरब्रिड वायर 12 गेज 3 तार**	80.23 प्रति किलो	340	–	27278	27278	स क्र 38
8	**गोबर की खाद अथवा वर्मी कम्पोस्ट**	10 रू.प्रति पौधा/ 10 किलो प्रति पौधा	3600 पौधे	–	36000	36000	स क्र 29 एवं 53
9	**सिंगल सुपर फास्फेट**						
	250 ग्रम प्रति पौधा/3600 पौधे	6.6 प्रति किलो	900 किलो	–	5940	5940	स क्र 41
10	**म्यूरेट आफ पोटास**						
	125 ग्रम प्रति पौधा/3600 पौधे	17.80 प्रति किलो	450 किलो	–	7875	7875	स क्र 42
11	**यूरिया**						
	125 ग्रम प्रति पौधा/3600 पौधे(टॉप ड्रेसिंग के रूप में पौधे लगाने के 3 माह व 6 माह बाद दो बार में)	6.0 प्रति किलो	450 किलो	–	2700	2700	स क्र 43
12	**थीमेट, फोरेट**						
	25 ग्रम प्रति पौधा/3600 पौधे	59 प्रति किलो	90 किलो	–	5310	5310	स क्र 45
13	**पौधों की कीमत (मय परिवहन)**						
अ	नीम, शीशम, करंज एवं अन्य 4– 5 फिट ऊंचाई के पौलीथीन बैग में। 20 प्रतिशत गैफ फिलिंग सहित।	30 प्रति पौधा परिवहन सहित	3840	–	115200	115200	स क्र 46 एवं 83
ब	बांस 2– 3 फिट	10 प्रति पौधा	480	–	4800	4800	स क्र 47
14	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग**	10 प्रति पौधा	3600	36000	–	36000	स क्र 07, 28 एवं कार्या कलेक्टर आदेश क्र 3311/ 10.10.07
15	**पौध संरक्षण दवायें**	2.5 प्रति पौधा	3600	–	9000	9000	स क्र 10 से कम
16	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना, ग्वारपाठा लगाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु (चौकीदारी**	159 प्रति दिन (5 रू प्रति पौधा प्रतिमाह 90 प्रतिशत जीवितता रखने पर	1245 श्रमिक पूरे वर्ष में (12 श्रमिक 300 पौधों पर 1 श्रमिक को 104 दिन)	190800	7155	197955	स क्र 4, 7 एवं 28

	सहित)	100 दिन मजदूरी मद में शेष सामग्री मद में)					
	रात्रि कालीन चौकीदारी एवं सुरक्षा व्यवस्था	157	365 दिन	57305		57305	
17	**पानी संग्रहण हेतु टंकी का निर्माण मय 4 नोजल बाल्ब एवं पाईप सहित**	1	5×3×1 मीटर आकार	5000	40000	45000	एसओआर/प्राक्कलन अनुसार
18	चौकीदार/सम्बर्सिबल पंप/जनरेटर सैट रखने हेतु अस्थाई शैड/पंपहाउस का निर्माण	—	—	—	60000	60000	एसओआर/प्राक्कलन अनुसार
19	प्रवेश हेतु गेट का निर्माण मय पल्ले	1	5×4= 2 पल्ले	2000	15000	17000	
20	टंकी में जल परिवहन हेतु टेंकर किराया माह में 6 दिन एवं वर्ष के 10 माहों में 80 दिन लिया जावेगा। प्रति दिन न्यूनतम 5 टेंकर पानी परिवहन किया जावेगा। **अथवा** जनरेटर किराया/डीजल व्यय/बिजली बिल सहित वर्षभर एवं शासकीय नलकूप उपलब्ध होने पर संबर्सिबल पंप क्रय पर व्यय	1500 रू प्रति दिन के हिसाब से न्यूनतम 5 टेंकर पानी	60	—	90000	90000	स्वयं का बोर व पंप व्यवस्था न होने की स्थिति में व्यय किया जावेगा। स क्र 54
21	**सिंचाई व्यवस्था हेतु पाईप लाईन क्रय** 63mm×4kg/Cm 2 PVC Pipe ISI	300 रमी.	48	—	14400	14400	स क्र 48
22	**1 इंच लेजम एचडीपीई**	15 रू रमी.	400	—	6000	6000	
23	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण**						टी एन पी एवं अन्य आवश्यक व्यय 4 प्रतिशत कन्टनजेन्सी व्यय से किया जावेगा।
	स्पेयर पंप	1200	2	—			
	गेंती	150	8	—			
	फावडा	100	8	—			
	सब्बल	80	2	—			
	तसला	100	10	—			

	सिकेटियर	200	2	–			
	रस्सी (डोरी) स्थल फोटो, फोटोकॉपी एवं अन्य आवश्यक व्यय।	–	–	–			
	प्रथम वर्ष का कुल योग –						
24	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**						
	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	720 प्रति पौधा	30	–	21600	21600	स क्र 46, 83
	खाद उर्वरक पर व्यय	3600 पौधे	5	–	18000	18000	स क्र 9
	पौध संरक्षण पर व्यय	3600 पौधे	2.5	–	9000	9000	स क्र 10 से कम
	टंकी में जल परिवहन हेतु टेंकर किराया माह में 6 दिन एवं वर्ष के 10 माहों में 80 दिन लिया जावेगा। प्रति दिन न्यूनतम 5 टेंकर पानी परिवहन किया जावेगा। **अथवा** जनरेटर किराया/डीजल व्यय/बिजली बिल सहित वर्षभर एवं शासकीय नलकूप उपलब्ध होने पर संबर्सिबल पंप क्रय पर व्यय	1500 रू प्रति दिन के हिसाब से न्यूनतम 5 टेंकर पानी	60	–	90000	90000	स्वयं का बोर व पंप व्यवस्था न होने की स्थिति में व्यय किया जावेगा। स क्र 54
25	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना, ग्वारपाठा लगाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु (चौकीदारी सहित)**	159 प्रति दिन (5 रू प्रति पौधा प्रतिमाह 90 प्रतिशत जीवितता रखने पर 100 दिन मजदूरी मद में शेष सामग्री मद में)	1358 श्रमिक पूरे वर्ष में (12 श्रमिक 300 पौधों पर 1 श्रमिक को 113 दिन)	190800	25122	215922	स क्र 4, 7 एवं 28
	रात्रि कालीन चौकीदारी एवं सुरक्षा व्यवस्था	157	365 दिन	57305		57305	
26	**तृतीय वर्ष में व्यय**						
	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	360 पौधा	30	–	10800	10800	स क्र 46, 83
	सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा	159 प्रति दिन (5	1358 श्रमिक	190800	25122	215922	स क्र 4, 7 एवं 28

	छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना, ग्वारपाठा लगाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु (चौकीदारी सहित)	रू प्रति पौधा प्रतिमाह 90 प्रतिशत जीवितता रखने पर 100 दिन मजदूरी मद में शेष सामग्री मद में)	पूरे वर्ष में (12 श्रमिक 300 पौधों पर 1 श्रमिक को 113 दिन)				
27	**चतुर्थ वर्ष में व्यय**						
	सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना, ग्वारपाठा लगाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु (चौकीदारी सहित)	159 प्रति दिन (5 रू प्रति पौधा प्रतिमाह 90 प्रतिशत जीवितता रखने पर 100 दिन मजदूरी मद में शेष सामग्री मद में)	1358 श्रमिक पूरे वर्ष में (12 श्रमिक 300 पौधों पर 1 श्रमिक को 113 दिन)	190800	25122	215922	स क्र 4, 7 एवं 28
28	**पंचम वर्ष में व्यय**						
	सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना, ग्वारपाठा लगाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु (चौकीदारी सहित)	159 प्रति दिन (5 रू प्रति पौधा प्रतिमाह 90 प्रतिशत जीवितता रखने पर 100 दिन मजदूरी मद में शेष सामग्री मद में)	1358 श्रमिक पूरे वर्ष में (12 श्रमिक 300 पौधों पर 1 श्रमिक को 113 दिन)	190800	25122	215922	स क्र 4, 7 एवं 28
	महायोग –			**1196548**	**752096**	**1948644**	

आवश्यक नोट– 1– स्थल पर सिंचाई की स्थाई व्यवस्था हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध 13 वें वित्त, पंच परमेश्वर, परफारमेन्स ग्रान्ट, विधायक निधि, सांसद निधि या अन्य किसी मद से नलकूल खनन/जनरेटर सैट क्रय किया जावेगा। उक्त मदों में व्यवस्था न होने की स्थिति में जिले स्तर पर उपलब्ध गौण खनिज राशि से नलकूप खनन कराया जावेगा।

2– कन्टनजेंसी मद का उपयोग उपकरण/सिंचाई व्यवस्था/अस्थाई चौकीदार हट सुरक्षा व्यवस्था/वेट टैक्स सुनिश्चित होने के उपरांत ही अन्य कार्यों पर किया जावेगा।

3– वृक्षारोपण प्रारंभ होते ही उसमें कार्य करने वाले जॉबकार्डधारियों को स्वयं अथवा उनके स्व– सहायता समूह का निर्माण किया जाकर उपभोग के अधिकार से जोड़ा जावे प्रति जॉबकार्ड धारी 300 पौधे सोंपे जा सकेंगे, कार्य पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी होने के बाद उपभोग के अधिकार प्राप्त जॉबकार्डधारी द्वारा जीवन पर्यन्त पौधों की देखभाल पीढी दर पीढी की जावेगी एवं उससे प्राप्त होने वाले फल फूल पत्ती से आमदनी प्राप्त की जावेगी।

6– सामग्री का क्रय म.प्र. भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुये जिला दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दर अनुसूची दिनांक 31.05.12 द्वारा एवं शासकीय विभाग/एमपी एग्रो/लघुउद्योगनिगम/नेकॉफ/अन्य सहकारी संस्थान की स्वीकृत दरों पर किया जावेगा।

7– कार्य की स्थल पर भौतिक स्थिति एवं वर्तमान में श्रमिकों के लिये लागू दर प्रतिदिन के मान से ही मूल्यांकन उपयंत्री द्वारा किया जावेगा।

8– 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिति में ही संलग्न जॉबकार्डधारी को 5 रूपये प्रतिपौधा–प्रतिमाह के हिसाब से व 90 प्रतिशत से कम 75 प्रतिशत तक पौधे जीवित रहने की स्थिति में आधा भुगतान 2.5 रूपये प्रतिपौधा के हिसाब से एवं 75 प्रतिशत से कम पौधे जीवित रहने पर उक्त माह का भुगतान रोक दिया जावेगा संलग्न जॉबकार्डधारी द्वारा तत्काल मृत पौधों की गैप फिलिंग योजना के प्रावधान अथवा स्वयं के व्यय से की जावेगी तभी उसका भुगतान किया जा सकेगा।

मजदूरी पर व्यय	–	**1196548**	(योजना का 59.25 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	–	**752096**	(योजना का 37.25 प्रतिशत)
कन्टनजेंसी व्यय	–	69000	(योजना का 3.50 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	–	**2017644**	(प्रति पौधा पांच वर्षो में 560 रू. व्यय किया जाना प्रस्तावित है)

शासकीय भूमि पर प्रस्तावित शैलपर्ण उद्यान/ग्राम वन (एनआरईजीएस) हेतु प्रस्तावित व्यय प्रति 3 हेक्ट. व्यय पत्रक

कार्य योजना का नाम का नाम.– शैलपर्ण उद्यान, पर्वत विकास
ग्राम पंचायत का नाम –
प्रस्तावित खसरा नंबर
रकवा 3.00 हेक्टेयर
चयनित पौधे – अमरूद, शीशम, करंज व फेंसिग के किनारे– किनारे बांस।
(प्रारंभ से ही वृक्षारोपण में कार्य करने
पौधों से पोधों की दूरी– 2.5 ×2.5 मीटर बांस 2– 2 मीटर पर
वाले जॉबकार्डधारियों का एसएचजी
बनाकर उन्हे जोडा जावेगा)

लगाये जाने वाले पौध संख्या– 4800 (हाईडेन्सिटी प्लांटेशन) अमरूद, 600 बांस **कुल पौधे– 5400**

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी (रूपये)	लागत सामग्री (रूपये)	योग (रूपये में)	विशेष (जिला दर निर्धारण समिति जिला पंचायत ग्वा. द्वारा निर्धारित दर अनुसूची दिनांक 31.05.12 अनुसार)
1	**खेत का रेखांकन (डोरी, चूना, खूंटी सहित)**	0.20 र.मी.	24000 र. मी.	2904	1896	4800	स क्र 1, 317 (ए)
2	**पौध हेतु गड्डा खुदाई –**						
अ	बडे वृक्ष हेतु 0.60×0.60×0.60 मीटर = 0.216 का कठोर मुरम	90.40 प्रति घन मी. (कठोर मुरम) 19.52 रू. प्रति गड्डा	4800 गड्डे	93696	–	93696	स क्र 5, 2507
ब	फेंसिग के किनारे– किनारे बांस के पौधों हेतु गड्डों की खुदाई 0.60×0.60× 0.60 मीटर = 0.216 कठोर मुरम	90.40 प्रति घन मी. (कठोर मुरम) 19.52 रू. प्रति गड्डा के हिसाब से	600 पौधे	11712	–	11712	स क्र 5
3	गड्डा खुदाई 1× 1× 1.5 फिट पोल खडा करना एवं पूर्णरूपेण लगाने का कार्य	10 प्रति गड्डा	268 गड्डे	2680	–	2680	स क्र 37
4	फेंसिग सीमेण्ट पोल 1.8 मीटर उंचाई (6 इंच नीचे, 4 इंच उपर) 3– 3 मी. पर	240	288	–	69120	69120	स क्र 34
5	सीमेण्ट पोल परिवहन लोडिंग/ अनलोडिंग सहित 40 किमी. तक	319.90	5.184	–	1658	1658	स क्र 16/पूर्व की एसओआर

6	**बायरब्रिड वायर 12 गेज**	80.23 प्रति किलो	450	—	36103	36103	स क 38
7	**गोबर की खाद** बडे वृक्षों हेतु	7.50 रू. प्रति पौधा/5 किलो प्रति पौधा	5400 पौधे	—	40500	40500	सक 29 एवं 53
8	**गड्डों हेतु अच्छी मिट्टी का परिवहन** (259.5×109.61 cm, कुल मिट्टी का 1/4 मात्रा)	5.89 रू प्रति गड्डा	5400 गड्डे	15903	15903	31806	वर्तमान एसओआर
9	**बर्मी कम्पोस्ट**	5 रू. प्रति पौधा (5 रू प्रति किलो)	5400 पौधे	—	27000	27000	सक 40
10	**सिंगल सुपर फास्फेट**						
	250 ग्रम प्रति पौधा/5400 पौधे	6.6 रू0 प्रति किलो	1350 किलो	—	8910	8910	सक 41
11	**म्यूरेट आफ पोटास**						
	125 ग्रम प्रति पौधा/5400 पौधे	17.80 प्रति किलो	675 किलो	—	12015	12015	सक 42
12	**यूरिया**						
	125 ग्रम प्रति पौधा/5400 पौधे	6.0 प्रति किलो	675 किलो	—	4050	4050	सक 43
13	**नीम की खली**						
	200 ग्र. प्रति पौधा/5400 पौधे	20 रू0 प्रति किलो	1080 किलो	—	21600	21600	सक 44
14	**थीमेट, फोरेट**						
	25 ग्रम प्रति पौधा/5400 पौधे	59 प्रति किलो	135 किलो	—	7965	7965	सक 45
15	**पौधों की कीमत (मय परिवहन)**						
अ	अमरूद 4— 5 फिट ऊंचाई के पौलीथीन बैग में। 20 प्रतिशत गैफ फिलिंग सहित।	30 प्रति पौधा परिवहन सहित	5760	—	172800	172800	सक 46 एवं 83
ब	बांस 2— 3 फिट उंचाई के पॉलीथिन बैग में 20 प्रतिशत गैफ फिलिंग सहित।	20 रू प्रति पौधा	720	—	2880	2880	(4रू प्रति पौधा मात्र परिवहन पर व्यय)
16	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग**	10 प्रति पौधा	5400	54000	—	54000	सक 07, 28 एवं कार्या कलेक्टर का आदेश क 3311 /10.10.07
17	**पौध संरक्षण दवायें**	2.5 प्रति पौधा	5400	—	13500	13500	सक 10 से कम
18	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना, निंदाई,**	157 प्रति दिन	2920 श्रमिक पूरे वर्ष में (8 श्रमिक प्रति	458440	—	458440	सक 4, 7 एवं 28

	गुडाई इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु (चौकीदारी सहित)		दिन 675 पौधों पर 1 श्रमिक)				
19	**पानी संग्रहण हेतु टंकी का निर्माण मय 4 नोजल बाल्ब एवं पाईप सहित**	1	5×3×1 मीटर आकार	5000	40000	45000	एसओआर/प्राक्कलन अनुसार
20	चौकीदार/सम्बर्सिबल पंप/जनरेटर सैट रखने हेतु अस्थाई शैड/पंपहाउस का निर्माण	—	—	—	60000	60000	एसओआर/प्राक्कलन अनुसार
21	प्रवेश हेतु गेट का निर्माण मय पल्ले	1	5×4 = के 02 पल्ले	2000	15000	17000	
22	टंकी में जल परिवहन हेतु टेंकर किराया माह में 8 दिन एवं वर्ष के 10 माहों में 80 दिन लिया जावेगा। प्रति दिन न्यूनतम 5 टेंकर पानी परिवहन किया जावेगा। **अथवा** जनरेटर किराया/डीजल व्यय/बिजली बिल सहित वर्षभर एवं शासकीय नलकूप उपलब्ध होने पर संबर्सिबल पंप क्रय पर व्यय	1500 रू प्रति दिन के हिसाब से न्यूनतम 5 टेंकर पानी	80	—	120000	120000	स्वयं का बोर व पंप व्यवस्था न होने की स्थिति में व्यय किया जावेगा। स क्र 54
23	**सिंचाई व्यवस्था हेतु पाईप लाईन क्रय** 63mm×4kg/Cm 2 PVC Pipe ISI	450 रमी	48	—	21600	21600	स क्र 48
	01 इंच लेजम एचडीपी	15	500 फिट	—	7500	7500	एमपी एग्रो द्वारा स्वीकृत
24	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण**						टी एन पी एवं अन्य आवश्यक व्यय 3.5 प्रतिशत कन्टनजेन्सी व्यय से किया जावेगा।
	स्प्रेयर पंप	1200	2	—			
	ग्रेंती	150	8	—			
	फावडा	100	8	—			
	सब्बल	80	2	—			
	त्सला	100	10	—			
	सिकेटियर	200	2	—			
	रस्सी (डोरी) स्थल फोटो, फोटोकॉपी एवं	—	—	—			

	अन्य आवश्यक व्यय।						
	प्रथम वर्ष का कुल योग–						
25	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय–**						
	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	1080 प्रति पौधा	30	–	32400	32400	स क्र 46, 83
	खाद उर्वरक पर व्यय	5400 पौधे	5	–	27000	27000	स क्र 9
	पौध संरक्षण पर व्यय	5400 पौधे	2.5	–	13500	13500	स क्र 10 से कम
	टंकी में जल परिवहन हेतु टेंकर किराया माह में 8 दिन एवं वर्ष के 10 माहों में 80 दिन लिया जावेगा। प्रति दिन न्यूनतम 5 टेंकर पानी परिवहन किया जावेगा। **अथवा** जनरेटर किराया/बिजली बिल सहित वर्षभर एवं शासकीय नलकूप उपलब्ध होने पर संबर्सिबल पंप क्रय पर व्यय	1500 रू प्रति दिन के हिसाब से न्यूनतम 5 टेंकर पानी	80	–	120000	120000	स्वयं का बोर व पंप व्यवस्था न होने की स्थिति में व्यय किया जावेगा। स क्र 54
26	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण मजदूरी व्यय (चौकीदारी सहित)	157 प्रति दिन	2920 श्रमिक पूरे वर्ष में (8 श्रमिक प्रति दिन 675 पौधों पर 1 श्रमिक)	458440	–	458440	स क्र 4, 7 एवं 28
27	**तृतीय वर्ष में व्यय**						
	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	540 पौधा	30	–	16200	16200	स क्र 46, 83
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण मजदूरी व्यय (चौकीदारी सहित)	157 प्रति दिन	2190 श्रमिक पूरे वर्ष में (6 श्रमिक प्रति दिन 900 पौधों पर 1 श्रमिक)	343830	–	343830	स क्र 4, 7 एवं 28
28	**चतुर्थ वर्ष में व्यय**						
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण मजदूरी व्यय (चौकीदारी सहित)	157 प्रति दिन	1460 श्रमिक पूरे वर्ष में (4 श्रमिक प्रति दिन 1350 पौधों पर 1 श्रमिक)	229220	–	229220	स क्र 4, 7 एवं 28

29	**पंचम वर्ष में व्यय**						
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण मजदूरी व्यय (चौकीदारी सहित)	157 प्रति दिन	730 श्रमिक पूरे वर्ष में (2 श्रमिक प्रति दिन 2700 पौधों पर 1 श्रमिक)	114610	—	114610	स क्र 4, 7 एवं 28
	महायोग—			**1792432**	**909100**	**2701535**	

आवश्यक नोट—

1— स्थल पर सिंचाई की स्थाई व्यवस्था हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध 13 वें वित्त, विधायक निधि, सांसद निधि या अन्य किसी मद से नलकूल खनन/जनरेटर सैट क्रय किया जावेगा। उमदों में व्यवस्था न होने की स्थिति में जिले स्तर पर उपलब्ध गौण खनिज राशि से नलकूप खनन कराया जावेगा।

2— कन्टनजेंसी मद का उपयोग उपकरण/सिंचाई व्यवस्था/अस्थाई चौकीदार हट सुरक्षा व्यवस्था/वेट टैक्स सुनिश्चित होने के उपरांत ही अन्य कार्यों पर किया जावेगा।

3— वृक्षारोपण प्रारंभ होते ही उसमें कार्य करने वाले जॉबकार्डधारियों का स्व— सहायता समूह का निर्माण किया जावेगा।

4— क्रियान्वयन एजेंसी आवश्यक्तानुसार 3— 5 स्व— सहायता समूहों का निर्माण कर भी उनकी संलग्नता कर सकती है एवं पौध संख्या अनुसार पृथक पृथक पौधे व स्थल प्रबंधन हेतु आवंटित करेगी।

5— क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा लगाये गये मुख्य फलदार व अन्य वृक्षारोपण हेतु भी स्व— सहायता समूहों की संलग्नता की जा सकेगी एवं ग्राम पंचायत ग्राम सभा में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर अनुपातिक आय की हिस्सेदारी के साथ आने वाले वर्षों में प्रबंधन का कार्य स्व— सहायता समूहों के समन्वय से कर सकेगी ताकि मनरेगा योजना में कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद भी जीवनपर्यन्त पौधों की देखभाल की जा सके।

6— सामग्री का क्रय म.प्र. भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुये जिला दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दर अनुसूची दिनांक 31.05.12 द्वारा एवं शासकीय विभाग/एमपी एग्रो/लघुउद्योगनिगम/नेकॉफ/अन्य सहकारी संस्थान की स्वीकृत दरों पर किया जावेगा।

7— कार्य की स्थल पर भौतिक स्थिति एवं वर्तमान में श्रमिकों के लिये लागू दर प्रतिदिन के मान से ही मूल्यांकन उपयंत्री द्वारा किया जावेगा।

8— शीशम, करंज, बांस इत्यादि के पौधे जंगीपुर नर्सरी से निः शुल्क उपलब्ध कराये जावेगें मात्र परिवहन पर राशि व्यय की जावेगी।

मजदूरी पर व्यय	—	1792432	(योजना का 64.00 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	—	909100	(योजना का 32.50 प्रतिशत)
कन्टनजेंसी व्यय	—	88266	(योजना का 3.50 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार			
कुल व्यय	—	**2789798**	(प्रति पौधा पांच वर्षो में 516 रू. व्यय किया जाना प्रस्तावित है)

नंदनफलोद्यान योजना का प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति एकड (0.40 हेक्टेयर)

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....

हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....

चयनित पौधे– अमरूद, नीबू

पौधों से पोधों की दूरी – 3×3 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या 0.40 हेक्ट/444 पौधे अमरूद, नीबू

कुल पौध संख्या – 444

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी	लागत सामग्री	योग (रूपये में)	विशेष (जिला दर निर्धारण समिति जिला पंचायत ग्वालियर द्वारा निर्धारित दर अनुसूची दिनांक 01.06.12 अनुसार)
1	**खेत का रेखांकन**	0.20 प्रति र.मी.	3200 र.मी.	384	256	640	स क 1
2	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**						
	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.60×0.60× 0.60=0.216 मीटर	73.80 प्रति घन मी. 15.94प्रति गड्डा	444 गड्डे	7077	–	7077	स क 5
3	**गोबर की खाद 10 किलो प्रति पौधा**	10 रू. प्रति पौधा	444 पौधे	–	4440	4440	स क 29 एवं 53
4	**बर्मी कम्पोस्ट 1 किलो प्रति पौधा**	5 रू. प्रति पौधा 5 रू प्रति किलो	444 पौधे	–	2220	2220	स क 40
5	**सिंगल सुपर फास्फेट**						
	500 ग्रम प्रति पौधा/444 पौधे	6.6 प्रति किलो	200 किलो	–	1320	1320	स क 41
6	**म्यूरेट आफ पोटास**						
	250 ग्रम प्रति पौधा/444 पौधे	17.8 प्रति किलो	100 किलो	–	1780	1780	स क 42
7	**यूरिया**						

	250 ग्रम प्रति पौधा/444 पौधे	6 प्रति किलो	100 किलो	—	600	600	स क्र 43
8	**थीमेट, फोरेट**						
	25 ग्रम प्रति पौधा/444 पौधे	59 प्रति किलो	11 किला	—	649	649	स क्र 45
9	**पौधों की कीमत**						
	अमरूद एवं नीबू 3 से 4.5 फिट उंचाई के	30 प्रति पौधा	488 पौधे	—	14640	14640	स क्र 46, 83
10	परिवहन व्यय पौधे एवं अन्य सामग्री	—	—	—	1500	1500	स क्र 11— 16
11	वायरब्रिड वायर फेसिंग	80.23	120 किलो	—	9627	9627	
12	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग**	10 प्रति पौधा	444	4440	—	4440	स क्र 7, 28
13	**पौध संरक्षण दवायें**	5 प्रति पौधा	444	—	2220	2220	स क्र 10
14	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु**	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से)	154 श्रमिक पूरे वर्ष में	24420	—	24420	स क्र 4, 7 एवं 28
15	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण**						
	स्प्रेयर पंप (1पंप 0.5 कि.मी. हेतु)	1250	1	—			टी एन पी एवं अन्य आवश्यक व्यय 4 प्रतिशत कन्टनजेन्सी व्यय से किया जावेगा।
	गेंती	150	1	—			
	फावडा	100	2	—			
	सब्बल	80	1	—			
	तसला	100	2	—			
	सिकेटियर	200	1	—			
16	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**						
	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	88	—	2640	2640	स क्र 46, 83
	परिवहन व्यय पौधे एवं अन्य सामग्री	—	—	—	500	500	स क्र 11— 16
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	444	—	4440	4440	स क्र 9
	पौध संरक्षण पर व्यय	4 प्रति पौधे	444	—	1722	1722	स क्र 10

	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से)	168 श्रमिक पूरे वर्ष में	26640	–	26640	स क 4, 7 एवं 28
17	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**						
	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	44	–	1320	1320	स क 46, 83
	पौध संरक्षण पर व्यय	6 प्रति पौधा	444	–	2665	2665	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से)	168 श्रमिक पूरे वर्ष में	26640	–	26640	स क 4, 7 एवं 28
	योग			**89601**	**52539**	**142140**	

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	–	89601	(योजना का 61.00 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	–	52539	(योजना का 35.50 प्रतिशत)
अतिरिक्त 4 प्रतिशत	–	5200	(योजना का 3.50 प्रतिशत)
कन्टनजेंसी व्यय **प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय**	–	**147340**	

नंदनफलोद्यान योजना का प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति एकड (0.40 हेक्टेयर)

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....
हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....
चयनित पौधे– अमरूद, नीबू, पपीता।

पौधों से पोधों की दूरी – 4×4 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या 0.40 हेक्ट/250 पौाधे अमरूद, नीबू एवं 500 पौधे ताईवानी पपीता

कुल पौध संख्या – 750

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी	लागत सामग्री	योग (रूपये में)	विशेष (जिला दर निर्धारण समिति जिला पंचायत ग्वालियर द्वारा निर्धारित दर अनुसूची दिनांक 01.06.12 अनुसार)
1	**खेत का रेखांकन**	0.20 प्रति र.मी.	3200 र.मी.	384	256	640	स क 1
2	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**						
	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.60×0.60× 0.60=0.216 मीटर	73.80 प्रति घन मी. 15.94प्रति गड्डा	444 गड्डे	7077	–	7077	स क 5
	पपीता पौधों हेतु गड्डों की खुदाई0.45×0.45×0.45=0.091 मीटर	73.80 प्रति घनमी 6.71 प्रति गड्डा	500 गड्डे	3355	–	3355	स क 5
3	**गोबर की खाद 10 किलो प्रति पौधा**	10 रू. प्रति पौधा	444 पौधे	–	4440	4440	स क 29 एवं 53
4	**बर्मी कम्पोस्ट 1 किलो प्रति पौधा**	5 रू. प्रति पौधा 5 रू प्रति किलो	444 पौधे	–	2220	2220	स क 40
5	**सिंगल सुपर फास्फेट**						
	500 ग्रम प्रति पौधा/444 पौधे	6.6 प्रति किलो	200 किलो	–	1320	1320	स क 41
6	**म्यूरेट आफ पोटास**						
	250 ग्रम प्रति पौधा/444 पौधे	17.8 प्रति किलो	100 किलो	–	1780	1780	स क 42

7	**यूरिया**						
	250 ग्रम प्रति पौधा/444 पौधे	6 प्रति किलो	100 किलो	—	600	600	स क्र 43
8	**थीमेट, फोरेट**						
	25 ग्रम प्रति पौधा/444 पौधे	59 प्रति किलो	11 किला	—	649	649	स क्र 45
9	**पौधों की कीमत**						
	अमरूद एवं नीबू 3 से 4.5 फिट उंचाई के	30 प्रति पौधा	488 पौधे	—	14640	14640	स क्र 46, 83
	ब— पपीता पौधे ताईवानी 786 (रेडलेडी)	12	500 पौधे	—	6000	6000	एमपी एग्रो द्वारा स्वीकृत दर
10	परिवहन व्यय पौधे एवं अन्य सामग्री	—	—	—	1500	1500	स क्र 11— 16
11	वायरब्रिड वायर फेसिंग	80.23	120 किलो	—	9627	9627	
12	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग**	10 प्रति पौधा	444	4440	—	4440	स क्र 7, 28
13	**पौध संरक्षण दवायें**	5 प्रति पौधा	444	—	2220	2220	स क्र 10
14	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु**	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से)	154 श्रमिक पूरे वर्ष में	24420	—	24420	स क्र 4, 7 एवं 28
15	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण**						
	स्प्रेयर पंप (1पंप 0.5 कि.मी. हेतु)	1250	1	—			टी एन पी एवं अन्य आवश्यक व्यय 4 प्रतिशत कन्टनजेन्सी व्यय से किया जावेगा।
	गेंती	150	1	—			
	फावडा	100	2	—			
	सब्बल	80	1	—			
	तसला	100	2	—			
	सिकेटियर	200	1	—			
16	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**						
	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	88	—	2640	2640	स क्र 46, 83
	परिवहन व्यय पौधे एवं अन्य सामग्री	—	—	—	500	500	स क्र 11— 16

	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	444	—	4440	4440	स क्र 9
	पौध संरक्षण पर व्यय	4 प्रति पौधे	444	—	1722	1722	स क्र 10
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से)	168 श्रमिक पूरे वर्ष में	26640	—	26640	स क्र 4, 7 एवं 28
17	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**						
	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	44	—	1320	1320	स क्र 46, 83
	पौध संरक्षण पर व्यय	6 प्रति पौधा	444	—	2665	2665	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से)	168 श्रमिक पूरे वर्ष में	26640	—	26640	स क्र 4, 7 एवं 28
	योग			**92956**	**58539**	**151495**	

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	—	92956	(योजना का 59.20 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	—	58539	(योजना का 37.30 प्रतिशत)
अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत कन्टनजेंसी व्यय	—	5500	(योजना का 3.50 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	—	**156995**	

नंदनफलोद्यान योजना का संयोजन राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन पर प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति एकड (0.40 हेक्टेयर)

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....

हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....

चयनित पौधे– अमरूद, नीबू

पौधों से पोधों की दूरी – 3×3 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या 0.40 हेक्ट/444 पौधे अमरूद, नीबू

कुल पौध संख्या – 444 (म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल का पत्र क. 4011/एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस./एन. आर.–17/2011 दिनांक 21.04.2011 आदेश अनुसार)

(प्राक्कलन व्यय प्रथम एवं द्वितीय भाग सहित एमजीएनआरईजीएस एवं एनएचएम द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता)

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी	लागत सामग्री	योग (रूपये में)	विशेष (जिला दर निर्धारण समिति जिला पंचायत ग्वालियर द्वारा निर्धारित दर अनुसूची दिनांक 01.06.12 अनुसार)	वित्तीय प्रावधान मद	ऑनलाईन फीजिंग हेतु आईटम कोड नं.
1	खेत का रेखांकन (Dag belling 317-क)	0.30 प्रति र.मी.	3200 र.मी.	576	384	960	स क्र 1	एनआरईजीएस	3071
2	पौध हेतु गड्डा खुदाई– (317 ख)								
3	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.60×0.60× 0.60=0.216 मीटर	76.00 प्रति घन मी. 16.42प्रति गड्डा	444 गड्डे	7290	–	7290	स क्र 5	एनआरईजीएस	सीएसआर अनुसार
4	गोबर की खाद 10 किलो प्रति पौधा	10 रू. प्रति पौधा	444 पौधे	–	4440	4440	स क्र 29 एवं 53	एनआरईजीएस	3087
5	बर्मी कम्पोस्ट 1 किलो प्रति पौधा	5 रू. प्रति पौधा	444 पौधे	–	2220	2220	स क्र 40	एनआरईजीएस	3090
6	सिंगल सुपर फास्फेट								
	500 ग्रम प्रति पौधा/444 पौधे	6.6 प्रति किलो	200 किलो	–	1320	1320	स क्र 41	एनएचएम	3091

7	**म्यूरेट आफ पोटास**								
	250 ग्रम प्रति पौधा/444 पौधे	17.8 प्रति किलो	100 किलो	—	1780	1780	स क 42	एनएचएम	3092
8	**यूरिया**								
	250 ग्रम प्रति पौधा/444 पौधे	6 प्रति किलो	100 किलो	—	600	600	स क 43	एनएचएम	3093
9	**नीम की खली**								
	200 ग्र. प्रति पौधा/444 पौधे	20 प्रति किलो	88 किलो	—	811	811	स क 44	एनएचएम	3094
					949	949	स क 44	एनआरईजीएस	
10	**थीमेट, फोरेट**								
	25 ग्रम प्रति पौधा/444 पौधे	59 प्रति किलो	11 किला	—	649	649	स क 45	एनएचएम	3095
11	**पौधों की कीमत**								
	अमरूद एवं नीबू 3 से 5 फिट उंचाई के	30 प्रति पौधा	532 पौधे	—	15960	15960	स क 46, 83	एनआरईजीएस	3100
12	परिवहन व्यय पौधे एवं अन्य सामग्री	—	—	—	1500	1500	स क 11— 16	एनआरईजीएस	3108
13	वायरब्रिड वायर	80.23	120 किलो	—	9627	9627			3076
14	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग**	10 प्रति पौधा	444	4440	—	4440	स क 7, 28	एनआरईजीएस	3079
15	**पौध संरक्षण दवायें**	5 प्रति पौधा	444	—	2220	2220	स क 10	एनआरईजीएस	3109
16	**ड्रिप सिचाई पर व्यय**				6000	6000	कुल लागत का 30 प्रतिशत शेष एनएचएम योजना से व्यय होगा एमपीऐग्रो द्वारा स्वीकृत दर (एनआरईजीएस)	एनआरईजीएस	
17	**स्थल पर सूचना पटल का निर्माण ईंट/पत्थर**				2000	2000	प्राक्कलन/बाजार रेट अनुसार	एनआरईजीएस	सीएसआर अनुसार
18	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना,**	159 प्रति दिन	90 प्रतिशत से अधिक पौधों की	24420	—	24420	स क 4, 7 एवं 28 (म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल का पत्र क.	एनआरईजीएस	3080

	मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु		जीवितता रहने पर 5 रू. प्रतिपौधा प्रति 11 माह प्रथम वर्ष में				/5365 एमजीएनआरईजीएस. एमपी/एनआर–3/एसई/ 2015 भोपाल दिनांक 18.05. 2015 के पालन में		
19	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण**								3135
	स्प्रेयर पंप (1पंप 0.5 कि.मी. हेतु)	1250	1	–			टी एन पी एवं अन्य आवश्यक व्यय 4 प्रतिशत कन्टनजेन्सी व्यय से किया जावेगा।	एनआरईजीएस	
	गेंती	150	1	–					
	फावडा	100	2	–					
	सब्बल	80	1	–					
	तसला	100	2	–					
	सिकेटियर	200	1	–					
19	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**								
	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	88	–	2640	2640	स क 46, 83	एनआरईजीएस	3100
	परिवहन व्यय पौधे एवं अन्य सामग्री	–	–	–	500	500	स क 11– 16	एनआरईजीएस	3108
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	444	–	4440	4440	स क 9	एनआरईजीएस	3119
	पौध संरक्षण पर व्यय	4 प्रति पौधे	444	–	1722	1722	स क 10	एनएचएम	3109
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय	159 प्रति दिन	90 प्रतिशत से अधिक पौधों की जीवितता रहने पर 5 रू. प्रतिपौधा प्रति 12 माह प्रथम वर्ष में	26640	–	26640	स क 4, 7 एवं 28	एनआरईजीएस	3081
20	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**								
	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	44	–	1320	1320	स क 46, 83	एनआरईजीएस	3100
	पौध संरक्षण पर व्यय	6 प्रति पौधा	444	–	2665	2665		एनएचएम	3109
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय	159 प्रति दिन	90 प्रतिशत से अधिक पौधों की जीवितता रहने पर 5	26640	–	26640	स क 4, 7 एवं 28	एनआरईजीएस	3082

			रू. प्रतिपौधा प्रति 12 माह प्रथम वर्ष में						
	योग			**90006**	**63747**	**153753**			

नोट– 1 म.प्र. भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुये शासकीय/अर्द्वशासकीय/सहकारी संस्थाओं में स्वीकृत दरों पर सामग्री क्रय की जावेगी।

2 म.प्र. रा.रो.गा.परिषद् पंचा. एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल का पत्र क्र 6077 दिनांक 21.06.12 एवं 6300/25.06.10 अनुसार 60:40 अनुपात में डीपीआर का निर्माण कर मात्र वायरब्रिड वायर प्रदाय किया जावेगा, शेष हितग्राहियों द्वारा सीमेण्ट पोल/बल्ली/बांस स्वयं के व्यय से क्रय करने से उनकी ऑनरशिप तथा योजना के उद्देश्यों की प्रतिबद्वता हो सकेगी, स्वीकृत प्रकरण में वायरब्रिड वायर प्रदायगी पर 9627 व्यय किया जाना प्रस्तावित है। यदि शासन निर्देशों के अनुक्रम में बांस के ट्री गार्ड प्रदाय किये जाते तब 444 पौधों की सुरक्षा हेतु (260 रू प्रति ट्रीगार्ड) 115440 रू व्यय होता व स्थाई सुरक्षा व्यवस्था संभव न हो सकेगी अतः डीपीआर में सुरक्षा व्यवस्था हेतु वायरब्रिड वायर प्रदायगी का लिया गया निर्णय शासन/योजना हित में है।

एनएचएम अन्तर्गत व्यय

एनएचएम कन्वर्जेंस अंतर्गत प्रथम वर्ष में व्यय	–	5160
एनएचएम कन्वर्जेंस अंतर्गत द्वितीय वर्ष में व्यय	–	1722
एनएचएम कन्वर्जेंस अंतर्गत तृतीय वर्ष में व्यय	–	2665
कुल योग	–	**9547**

मनरेगा योजनान्तर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	–	90006 (योजना का 60.25 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	–	54200 (योजना का 36.25 प्रतिशत)
अतिरिक्त कन्टजेंसी व्यय	–	5200 (योजना का 3.50 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय (एनआरईजीएस) मद	–	**149406**

नंदनफलोद्यान योजना का प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति एकड (0.40 हेक्टेयर) तीन वर्षीय योजना
(बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड, महाकोशल, चम्बल संभाग हेतु)

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....

हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....

चयनित पौधे– अमरूद, नीबू, संतरा, मोसम्बी, ऑवला, आम, सीताफल, बेर, अनार एवं अंतरवर्ती पपीता

पौधों से पोधों की दूरी – 4×4 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या 0.40 हेक्ट/250 पौधे अमरूद, नीबू आदि एवं 500 पौधे ताईवानी पपीता

कुल पौध संख्या – 750

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी	लागत सामग्री	योग (रूपये में)	रिमार्क
1	**खेत का रेखांकन**	0.20 प्रति र.मी.	3200 र.मी.	384	256	640	
2	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**						
	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.60×0.60× 0.60=0.216 मीटर	73.80 प्रति घन मी. 15.94प्रति गड्डा	250 गड्डे	3985	–	3985	
3	**पपीता पौधों हेतु गड्डों की खुदाई**0.45×0.45×0.45=0.091 मीटर	73.80 प्रति घनमी 6.71 प्रति गड्डा	500 गड्डे	3355	–	3355	
4	**गोबर की खाद 10 किलो प्रति पौधा**	10 रू. प्रति पौधा	250 पौधे	–	2500	2500	पपीता हेतु गोबर की खाद एवं अन्य रासायनिक उर्वरक की व्यवस्था हितग्राही द्वारा स्वयं की जावेगी
5	**सिंगल सुपर फास्फेट**						
	500 ग्रम प्रति पौधा/250 पौधे	6.6 प्रति किलो	125 किलो	–	825	825	
6	**म्यूरेट आफ पोटास**						
	250 ग्रम प्रति पौधा/250 पौधे	17.8 प्रति किलो	62.5 किलो	–	1112	1112	

7	**यूरिया**						
	250 ग्रम प्रति पौधा/250 पौधे (टॉप ड्रेसिंग के रूप में सितंबर–अक्टुबर एवं फरवरी–मार्च के माह में वर्ष में 2 बार)	6 प्रति किलो	62.5 किलो	–	375	375	
8	**थीमेट, फोरेट**						
	25 ग्रम प्रति पौधा/250 पौधे	59 प्रति किलो	6 किला	–	354	354	
9	**पौधों की कीमत**						
	अमरूद एवं नीबू 3 से 4.5 फिट उंचाई के (परिवहन सहित)	30 प्रति पौधा	300 पौधे	–	9000	9000	
	ब– पपीता पौधे ताईवानी 786 (रेडलेडी)	15	550 पौधे	–	8250	8250	परिवहन हितग्राही द्वारा किया जावेगा
	सुरक्षा हेतु वायरब्रिड वायर क्रय	80.23	120 किलो	–	9627	9627	सीमेंट पोल, बल्ली इत्यादि की व्यवस्था हितग्राही द्वारा स्वयं अंश से की जावेगी
10	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग**	10 प्रति पौधा	250	2500	–	2500	
11	**पपीता पौधों की गड्ढा भराई एवं पौध रोपण**	2 प्रति पौधा	500	1000	–	1000	
12	**पौध संरक्षण दवायें**	5 प्रति पौधा	250	–	1250	1250	पपीता हेतु पौध संरक्षण दवाओं की व्यवस्था हितग्राही द्वारा स्वयं की जावेगी
13	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में**	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से, 11 माह तक)	87 श्रमिक पूरे वर्ष में	13750		13750	
14	**पपीता पौधों पर मजदूरी प्रबंधन एवं संपूर्ण देखरेख हेतु 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में**	1.5 रू प्रति पौधा प्रतिमाह 8 माह तक	38 श्रमिक पूरे वर्ष में	6000	–	6000	पौधरोपण के 8 माह बाद हितग्राही को उत्पादन प्राप्त होने लगेगा अतः आगे व्यय हितग्राही द्वारा स्वयं किया जावेगा
15	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण**						

	स्प्रेयर पंप (1पंप 0.5 कि.मी. हेतु)	1250	1	–			
	गेंती	150	1	–			
	फावडा	100	2	–			
	सब्बल	80	1	–			
	तसला	100	2	–			
	सिकेटियर	200	1	–			
16	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**						
	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	50	–	1500	1500	
	परिवहन व्यय पौधे एवं अन्य सामग्री	–	–	–	–	–	पपीता से प्राप्त आय से हितग्राही द्वारा स्वयं अंश से व्यवस्था की जावेगी
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	250	–	–	–	
	पौध संरक्षण पर व्यय	5 प्रति पौधे	250	–	–	–	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से 12 माह तक)	95 श्रमिक पूरे वर्ष में	15000	–	15000	
17	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**						
	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	25	–	750	750	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से)	95 श्रमिक पूरे वर्ष में	15000	–	15000	
	योग			**60974**	**35799**	**96773**	

नोटः– **1.** ताईवानी पपीता लगाने के आठ माह बाद फल देना प्रारंभ कर देता है, लगाये गये 95 प्रतिशत पौधों में फल प्राप्त होते है, जोकि प्रतिपौधा न्यूनतम 50–60 कि. ग्रा. तक 24 माहों के भीतर प्राप्त होते है। जिस कारण हितग्राही को वास्तविक फलन 400 पौधों से ही 10 रू प्रति किलो भाव होने से 1.5 से 2.0 लाख रूपये की आय प्राप्त हो सकती है

2. प्रारंभ के 6 माहों तक अंतरावर्ती फसल मिर्च, बैगन, प्याज, धनिया इत्यादि से भी हितग्राही द्वारा आय प्राप्त की जा सकती है।

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	–	60974	(योजना का 60.80 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	–	35799	(योजना का 35.70 प्रतिशत)
अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत कन्टनजेंसी व्यय	–	3500	(योजना का 3.50 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	–	**100273**	

नंदनफलोद्यान योजना का प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति एकड (0.40 हेक्टेयर) तीन वर्षीय योजना
(बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड, महाकोशल, चम्बल संभाग हेतु)

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....
हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....

चयनित पौधे– अमरूद, नीबू, संतरा, मोसम्बी, ऑवला, आम, सीताफल, बेर, अनार एवं अंतरवर्ती पपीता साथ ही फेन्सिग के चारों तरफ बांस के पौधों का रोपण

पौधों से पोधों की दूरी – 6×6 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या 0.40 हेक्ट/110 पौधे अमरूद, नीबू आदि एवं 640 पौधे ताईवानी पपीता तथा 86 पौधे बांस 3–3 मीटर दूरी पर
कुल पौध संख्या – 836 (स्थाई पौधे 196 एव 640 पपीता)

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी	लागत सामग्री	योग (रूपये में)	रिमार्क
1	**खेत का रेखांकन**	0.20 प्रति र.मी.	3200 र.मी.	384	256	640	
2	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**						
	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.60×0.60× 0.60=0.216 मीटर	73.80 प्रति घन मी. 15.94प्रति गड्डा	196 गड्डे	3124	–	3124	
3	**पपीता पौधों हेतु गड्डों की खुदाई**0.45×0.45×0.45=0.091 मीटर	73.80 प्रति घनमी 6.71 प्रति गड्डा	640 गड्डे	4294	–	4294	
4	**गोबर की खाद 10 किलो प्रति पौधा**	10 रू. प्रति पौधा	196 पौधे	–	1960	1960	पपीता हेतु गोबर की खाद एवं अन्य रासायनिक उर्वरक की व्यवस्था हितग्राही द्वारा स्वयं की जावेगी
5	**सिंगल सुपर फास्फेट**						
	500 ग्रम प्रति पौधा/196 पौधे	6.6 प्रति किलो	100 किलो	–	660	660	
6	**म्यूरेट आफ पोटास**						
	250 ग्रम प्रति पौधा/196 पौधे	17.8 प्रति किलो	50	–	890	890	

			किलो				
7	**यूरिया**						
	250 ग्रम प्रति पौधा/196 पौधे (टॉप ड्रेसिंग के रूप में सितंबर–अक्टुबर एवं फरवरी–मार्च के माह में वर्ष में 2 बार)	6 प्रति किलो	50किलो	–	300	300	
8	**थीमेट, फोरेट**						
	25 ग्रम प्रति पौधा/196 पौधे	59 प्रति किलो	5 किला	–	295	295	
9	**पौधों की कीमत**						
	अमरूद एवं नीबू 3 से 4.5 फिट उंचाई के (परिवहन सहित)	30 प्रति पौधा	132 पौधे	–	3960	3960	
	बांस पौधे 1.5–2.0 फिट ऊचाई	15	103	–	1545	1545	परिवहन सहित
	ब– पपीता पौधे ताईवानी 786 (रेडलेडी)	15	700 पौधे	–	10500	10500	परिवहन हितग्राही द्वारा किया जावेगा
	सुरक्षा हेतु वायरब्रिड वायर क्रय	80.23	120 किलो	–	9627	9627	सीमेंट पोल, बल्ली इत्यादि की व्यवस्था हितग्राही द्वारा स्वयं अंश से की जावेगी
10	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग**	10 प्रति पौधा	196	1960	–	1960	
11	**पपीता पौधों की गड्ढा भराई एवं पौध रोपण**	2 प्रति पौधा	640	1280	–	1280	
12	**पौध संरक्षण दवायें**	5 प्रति पौधा	196	–	980	980	पपीता हेतु पौध संरक्षण दवाओं की व्यवस्था हितग्राही द्वारा स्वयं की जावेगी
13	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में**	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से, 11 माह तक)	68 श्रमिक पूरे वर्ष में	10780		10780	
14	**पपीता पौधों पर मजदूरी प्रबंधन एवं संपूर्ण देखरेख हेतु 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में**	1.5 रू प्रति पौधा प्रतिमाह 8 माह तक	48 श्रमिक पूरे वर्ष	7680	–	7680	पौधरोपण के 8 माह बाद हितग्राही को उत्पादन प्राप्त होने लगेगा अतः आगे व्यय हितग्राही द्वारा स्वयं किया जावेगा

			में				
15	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण**						
	स्प्रेयर पंप (1पंप 0.5 कि.मी. हेतु)	1250	1	—			
	गेंती	150	1	—			
	फावडा	100	2	—			
	सब्बल	80	1	—			
	तसला	100	2	—			
	सिकेटियर	200	1	—			
16	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**						
	20 प्रतिशत गैफ फिलिंग	30 प्रति पौधा	22	—	660	660	
	बांस पौधों की गैफ फिलिंग	15 प्रति पौधा	17		255	255	
	परिवहन व्यय पौधे एवं अन्य सामग्री	—	—	—	—	—	पपीता से प्राप्त आय से हितग्राही द्वारा स्वयं अंश से व्यवस्था की जावेगी
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	110	—	—	—	
	पौध संरक्षण पर व्यय	5 प्रति पौधे	110	—	—	—	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से 12 माह तक)	74 श्रमिक पूरे वर्ष में	11760		11760	
17	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**						
	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	25	—	750	750	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब 12 माह तक)	74 श्रमिक पूरे वर्ष में	11760		11760	
	योग			**53022**	**32638**	**85660**	

नोटः— **1.** ताईवानी पपीता लगाने के आठ माह बाद फल देना प्रारंभ कर देता है, लगाये गये 95 प्रतिशत पौधों में फल प्राप्त होते है, जोकि प्रतिपौधा न्यूनतम 50—60 कि. ग्रा. तक 24 माहों के भीतर प्राप्त होते है। जिस कारण हितग्राही को वास्तविक फलन 550 पौधों से ही 10 रू प्रति किलो भाव होने से 2.0 से 2.5 लाख रूपये की आय प्राप्त हो सकती है।

2. प्रारंभ के 6 माहों तक अंतरावर्ती फसल मिर्च, बैगन, प्याज, धनिया इत्यादि से भी हितग्राही द्वारा आय प्राप्त की जा सकती है।

3. संतरा मौसम्बी, अनार आदि पौधों में फलन के समय सहारा की आवश्यकता होती है। अतः तीन वर्ष बाद लगाये गये बांस पौधों से फलदार पौधों को सहारा हेतु बांस प्राप्त हो सकेंगे।

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	–	53022	(योजना का 60.00 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	–	32638	(योजना का 36.50 प्रतिशत)
अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत कन्टनजेंसी व्यय	–	3100	(योजना का 03.50 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	–	**88760**	

नंदनफलोद्यान योजना का प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति एकड (0.40 हेक्टेयर) तीन वर्षीय योजना (मालवा क्षेत्र इंदौर,भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन संभाग हेतु)

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....

हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....

चयनित पौधे– अमरूद, नीबू, संतरा, मोसम्बी, ऑवला, आम, सीताफल, बेर, अनार एवं अंतरवर्ती पपीता

पौधों से पोधों की दूरी – 6×6 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या 0.40 हेक्ट/110 पौधे अमरूद, नीबू आदि एवं 640 पौधे ताईवानी पपीता

कुल पौध संख्या – 750

क्र.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी	लागत सामग्री	योग (रूपये में)	रिमार्क
1	**खेत का रेखांकन**	0.20 प्रति र.मी.	3200 र.मी.	384	256	640	
2	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**						
	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.60×0.60× 0.60=0.216 मीटर	73.80 प्रति घन मी. 15.94प्रति गड्डा	110 गड्डे	1753	–	1753	
3	**पपीता पौधों हेतु गड्डों की खुदाई**0.45×0.45×0.45=0.091 मीटर	73.80 प्रति घनमी 6.71 प्रति गड्डा	640 गड्डे	4294	–	4294	
4	**गोबर की खाद 10 किलो प्रति पौधा**	10 रू. प्रति पौधा	110 पौधे	–	1100	1100	पपीता हेतु गोबर की खाद एवं अन्य रासायनिक उर्वरक की व्यवस्था हितग्राही द्वारा स्वयं की जावेगी
5	**सिंगल सुपर फास्फेट**						
	500 ग्रम प्रति पौधा/110 पौधे	6.6 प्रति किलो	55 किलो	–	363	363	
6	**म्यूरेट आफ पोटास**						
	250 ग्रम प्रति पौधा/110 पौधे	17.8 प्रति किलो	30 किलो	–	534	534	
7	**यूरिया**						

	250 ग्रम प्रति पौधा/110 पौधे (टॉप ड्रेसिंग के रूप में सितंबर–अक्टुबर एवं फरवरी–मार्च के माह में वर्ष में 2 बार)	6 प्रति किलो	30 किलो	–	180	180	
8	**थीमेट, फोरेट**						
	25 ग्रम प्रति पौधा/110 पौधे	59 प्रति किलो	3 किला	–	177	177	
9	**पौधों की कीमत**						
	अमरूद एवं नीबू 3 से 4.5 फिट उंचाई के (परिवहन सहित)	30 प्रति पौधा	132 पौधे	–	3960	3960	
	ब– पपीता पौधे ताईवानी 786 (रेडलेडी)	15	700 पौधे	–	10500	10500	परिवहन हितग्राही द्वारा किया जावेगा
10	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग**	10 प्रति पौधा	110	1100	–	1100	
11	**पपीता पौधों की गड्ढा भराई एवं पौध रोपण**	2 प्रति पौधा	650	1300	–	1300	
12	**पौध संरक्षण दवायें**	5 प्रति पौधा	110	–	550	550	पपीता हेतु पौध संरक्षण दवाओं की व्यवस्था हितग्राही द्वारा स्वयं की जावेगी
13	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में**	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से, 11 माह तक)	38 श्रमिक पूरे वर्ष में	6050		6050	
14	**पपीता पौधों पर मजदूरी प्रबंधन एवं संपूर्ण देखरेख हेतु 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में**	1.5 रू प्रति पौधा प्रतिमाह 8 माह तक	38 श्रमिक पूरे वर्ष में	7680	–	7680	पौधरोपण के 8 माह बाद हितग्राही को उत्पादन प्राप्त होने लगेगा अतः आगे व्यय हितग्राही द्वारा स्वयं किया जावेगा
15	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण**						
	स्प्रेयर पंप (1पंप 0.5 कि.मी. हेतु)	1250	1	–			
	गेंती	150	1	–			
	फावडा	100	2	–			

	सब्बल	80	1	–			
	तसला	100	2	–			
	सिकेटियर	200	1	–			
16	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**						
	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	22	–	660	660	
	परिवहन व्यय पौधे एवं अन्य सामग्री	–	–	–	–	–	पपीता से प्राप्त आय से हितग्राही द्वारा स्वयं अंश से व्यवस्था की जावेगी
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	110	–	–	–	
	पौध संरक्षण पर व्यय	5 प्रति पौधे	110	–	–	–	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से 12 माह तक)	38 श्रमिक पूरे वर्ष में	6050		6050	
17	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**						
	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	25	–	750	750	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से)	38 श्रमिक पूरे वर्ष में	6050		6050	
	योग			**34661**	**19030**	**53691**	

नोटः– **1.** ताईवानी पपीता लगाने के आठ माह बाद फल देना प्रारंभ कर देता है, लगाये गये 95 प्रतिशत पौधों में फल प्राप्त होते है, जोकि प्रतिपौधा न्यूनतम 50–60 कि. ग्रा. तक 24 माहों के भीतर प्राप्त होते है। जिस कारण हितग्राही को वास्तविक फलन 550 पौधों से ही 10 रू प्रति किलो भाव होने से 2.0 से 2.5 लाख रूपये की आय प्राप्त हो सकती है।

2. प्रारंभ के 6 माहों तक अंतरावर्ती फसल मिर्च, बैगन, प्याज, धनिया इत्यादि से भी हितग्राही द्वारा आय प्राप्त की जा सकती है।

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	–	34661	(योजना का 62.35 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	–	19030	(योजना का 34.23 प्रतिशत)
अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत कन्टनजेंसी व्यय	–	1900	(योजना का 03.40 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	–	**55591**	

नंदनफलोद्यान योजना का प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति एकड (0.40 हेक्टेयर) तीन वर्षीय योजना (मालवा क्षेत्र इंदौर,भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन संभाग हेतु)

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....

हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....

चयनित पौधे– अमरूद, नीबू, संतरा, मोसम्बी, ऑवला, आम, सीताफल, बेर, अनार

पौधों से पोधों की दूरी – 6×6 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या 0.40 हेक्ट/110 पौाधे अमरूद, नीबू आदि

कुल पौध संख्या – 110

क्र.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी	लागत सामग्री	योग (रूपये में)	रिमार्क
1	**खेत का रेखांकन**	0.20 प्रति र.मी.	3200 र.मी.	384	256	640	
2	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**						
	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.60×0.60× 0.60=0.216 मीटर	73.80 प्रति घन मी. 15.94प्रति गड्डा	110 गड्डे	1753	–	1753	
3	**गोबर की खाद 10 किलो प्रति पौधा**	10 रू. प्रति पौधा	110 पौधे	–	1100	1100	
4	**सिंगल सुपर फास्फेट**						
	500 ग्रम प्रति पौधा/110 पौधे	6.6 प्रति किलो	55 किलो	–	363	363	
5	**म्यूरेट आफ पोटास**						
	250 ग्रम प्रति पौधा/110 पौधे	17.8 प्रति किलो	30 किलो	–	534	534	
6	**यूरिया**						
	250 ग्रम प्रति पौधा/110 पौधे (टॉप ड्रेसिंग के रूप में सितंबर–अक्टुबर एवं फरवरी–मार्च के माह में वर्ष में 2 बार)	6 प्रति किलो	30 किलो	–	180	180	

7	**थीमेट, फोरेट**						
	25 ग्रम प्रति पौधा/110 पौधे	59 प्रति किलो	3 किला	—	177	177	
8	**पौधों की कीमत**						
	अमरूद एवं नीबू 3 से 4.5 फिट उंचाई के (परिवहन सहित)	30 प्रति पौधा	132 पौधे	—	3960	3960	
9	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग**	10 प्रति पौधा	110	1100	—	1100	
10	**पौध संरक्षण दवायें**	5 प्रति पौधा	110	—	550	550	
11	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में**	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से, 11 माह तक)	38 श्रमिक पूरे वर्ष में	6050		6050	
12	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण**						
	स्प्रेयर पंप (1पंप 0.5 कि.मी. हेतु)	1250	1	—			
	गेंती	150	1	—			
	फावडा	100	2	—			
	सब्बल	80	1	—			
	तसला	100	2	—			
	सिकेटियर	200	1	—			
13	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**						
	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	22	—	660	660	
	परिवहन व्यय पौधे एवं अन्य सामग्री	—	—	—	500	500	
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	110	—	1100	1100	
	पौध संरक्षण पर व्यय	5 प्रति पौधे	110	—	550	550	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से 12 माह तक)	38 श्रमिक पूरे वर्ष में	6050		6050	

14	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**						
	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	25	—	750	750	
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	110	—	1100	1100	
	पौध संरक्षण पर व्यय	5 प्रति पौधे	110	—	550	550	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से)	38 श्रमिक पूरे वर्ष में	6050		6050	
	योग			**21387**	**12330**	**33717**	

नोटः— **1.** प्रारंभ के 3 वर्षो तक अंतरावर्ती फसल मिर्च, बैगन, प्याज, धनिया, सोयाबीन, गेहुँ इत्यादि से हितग्राही द्वारा आय प्राप्त की जा सकती है।

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	—	21387	(योजना का 61.25 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	—	12330	(योजना का 35.31 प्रतिशत)
अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत कन्टनजेंसी व्यय	—	1200	(योजना का 03.44 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	—	**34917**	

नंदनफलोद्यान योजना का प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति हेक्टेयर (1.0 हेक्टेयर) तीन वर्षीय योजना

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....
हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....
चयनित पौधे– अमरूद, नीबू, संतरा, मोसम्बी, ऑवला, आम, सीताफल, बेर, अनार
पौधों से पोधों की दूरी – 6×6 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या 1.0 हेक्ट/280 पौाधे अमरूद, नीबू आदि
कुल पौध संख्या – 280

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी	लागत सामग्री	योग (रूपये में)	रिमार्क
1	**खेत का रेखांकन**	0.20 प्रति र.मी.	8000 र.मी.	960	640	1600	
2	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**						
	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.60×0.60× 0.60=0.216 मीटर	73.80 प्रति घन मी. 15.94प्रति गड्डा	280 गड्डे	4463	–	4463	
3	**गोबर की खाद 10 किलो प्रति पौधा**	10 रू. प्रति पौधा	280 पौधे	–	2800	2800	
4	**सिंगल सुपर फास्फेट**						
	500 ग्रम प्रति पौधा/280 पौधे	6.6 प्रति किलो	140 किलो	–	924	924	
5	**म्यूरेट आफ पोटास**						
	250 ग्रम प्रति पौधा/280 पौधे	17.8 प्रति किलो	70 किलो	–	1246	1246	
6	**यूरिया**						
	250 ग्रम प्रति पौधा/280 पौधे (टॉप ड्रेसिंग के रूप में सितंबर–अक्टुबर एवं फरवरी–मार्च के माह में वर्ष में 2 बार)	6 प्रति किलो	70 किलो	–	420	420	
7	**थीमेट, फोरेट**						
	25 ग्रम प्रति पौधा/280 पौधे	59 प्रति किलो	7 किला	–	413	413	
8	**पौधों की कीमत**						
	अमरूद एवं नीबू 3 से 4.5 फिट उंचाई के (परिवहन सहित)	30 प्रति पौधा	336 पौधे	–	10080	10080	

9	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग**	10 प्रति पौधा	280	2800	—	2800	
10	**पौध संरक्षण दवायें**	5 प्रति पौधा	280	—	1400	1400	
11	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में**	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से, 11 माह तक)	97 श्रमिक पूरे वर्ष में	15400		15400	
12	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण**						
	स्प्रेयर पंप (1पंप 0.5 कि.मी. हेतु)	1250	1	—			
	गेंती	150	1	—			
	फावडा	100	2	—			
	सब्बल	80	1	—			
	तसला	100	2	—			
	सिकेटियर	200	1	—			
13	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**						
	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	56	—	1680	1680	
	परिवहन व्यय पौधे एवं अन्य सामग्री	—	—	—	—	—	
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	280	—	2800	2800	
	पौध संरक्षण पर व्यय	5 प्रति पौधे	280	—	1400	1400	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से 12 माह तक)	106 श्रमिक पूरे वर्ष में	16800	—	16800	
14	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**						
	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	28	—	840	840	
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	280	—	2800	2800	
	पौध संरक्षण पर व्यय	5 प्रति पौधे	280	—	1400	1400	

	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से 12 माह तक)	106 श्रमिक पूरे वर्ष में	16800	–	16800	
	योग			**57223**	**28843**	**86066**	

नोटः– **1.** प्रारंभ के 3 वर्षो तक अंतरावर्ती फसल मिर्च, बैगन, प्याज, धनिया, सोयाबीन, गेहुँ इत्यादि से हितग्राही द्वारा आय प्राप्त की जा सकती है।

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	–	57223	(योजना का 64.16 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	–	28843	(योजना का 32.34 प्रतिशत)
अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत कन्टनजेंसी व्यय	–	3100	(योजना का 03.50 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	–	**89166**	

नंदनफलोद्यान योजना का प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति हेक्टेयर (1.0 हेक्टेयर) तीन वर्षीय योजना

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....

हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....

चयनित पौधे– अमरूद, नीबू, संतरा, मोसम्बी, ऑवला, आम, सीताफल, बेर, अनार एवं फेन्सिग के किनारे–किनारे बांस के पौधों का रोपण 3–3 मी. दूरी पर पौधों से पोधों की दूरी – 6×6 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या 1.0 हेक्ट/280 पौाधे अमरूद, नीबू आदि

कुल पौध संख्या – 280 फलदार एवं 133 पौधे बांस

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी	लागत सामग्री	योग (रूपये में)	रिमार्क
1	**खेत का रेखांकन**	0.20 प्रति र.मी.	8000 र.मी.	960	640	1600	
2	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**						
	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.60×0.60× 0.60=0.216 मीटर	73.80 प्रति घन मी. 15.94प्रति गड्डा	413 गड्डे	6583	–	6583	
3	**गोबर की खाद 10 किलो प्रति पौधा**	10 रू. प्रति पौधा	413 पौधे	–	4130	4130	
4	**सिंगल सुपर फास्फेट**						
	500 ग्रम प्रति पौधा/413 पौधे	6.6 प्रति किलो	200 किलो	–	1320	1320	
5	**म्यूरेट आफ पोटास**						
	250 ग्रम प्रति पौधा/413 पौधे	17.8 प्रति किलो	100 किलो	–	1780	1780	
6	**यूरिया**						
	250 ग्रम प्रति पौधा/413 पौधे (टॉप ड्रेसिंग के रूप में सितंबर–अक्टुबर एवं फरवरी–मार्च के माह में वर्ष में 2 बार)	6 प्रति किलो	100 किलो	–	600	600	

7	**थीमेट, फोरेट**						
	25 ग्रम प्रति पौधा/413 पौधे	59 प्रति किलो	10 किला	—	590	590	
8	**पौधों की कीमत**						
	अमरूद एवं नीबू 3 से 4.5 फिट उंचाई के (परिवहन सहित)	30 प्रति पौधा	336 पौधे	—	10080	10080	
	बांस के पौधे 1.5–2.0 5 फिट उंचाई के (परिवहन सहित)	15 प्रति पौधा	159 पौधे		2385	2385	
9	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग**	10 प्रति पौधा	413	4130	—	4130	
10	**पौध संरक्षण दवायें**	5 प्रति पौधा	413	—	2065	2065	
11	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में**	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से, 11 माह तक)	143 श्रमिक पूरे वर्ष में	22715		22715	100 दिवस पूर्ण होने पर शेष श्रम हेतु हितग्राही द्वारा प्रस्तुत श्रमिक मॉग अनुसार अन्य श्रमिक को जीवितता अनुसार टॉस्क भुगतान पर कार्य पर लगाया जावेगा
12	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण**						
	स्प्रेयर पंप (1पंप 0.5 कि.मी. हेतु)	1250	1	—			
	गेंती	150	1	—			
	फावडा	100	2	—			
	सब्बल	80	1	—			
	तसला	100	2	—			
	सिकेटियर	200	1	—			
13	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**						
	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	56	—	1680	1680	
	बांस के पौधे गैफ फिलिंग	15 प्रति पौधा	26		390	390	
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	413	—	4130	4130	
	पौध संरक्षण पर व्यय	5 प्रति पौधे	413	—	2065	2065	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण	159 प्रति दिन	156	24780		24780	

	देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	(5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से, 12 माह तक)	श्रमिक पूरे वर्ष में				
14	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**						
	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	28	—	840	840	
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	413	—	4130	4130	
	पौध संरक्षण पर व्यय	5 प्रति पौधे	413	—	2065	2065	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से, 12 माह तक)	156 श्रमिक पूरे वर्ष में	24780		24780	
	योग			**83948**	**38890**	**122838**	

नोटः— **1.** प्रारंभ के 3 वर्षो तक अंतरावर्ती फसल मिर्च, बैगन, प्याज, धनिया, सोयाबीन, गेहुँ इत्यादि से हितग्राही द्वारा आय प्राप्त की जा सकती है।

2. संतरा मौसम्बी, अनार आदि पौधों में फलन के समय सहारा की आवश्यकता होती है। अतः तीन वर्ष बाद लगाये गये बांस पौधां से फलदार पौधों को सहारा हेतु बांस प्राप्त हो सकेंगे।

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	—	83948	(योजना का 66.00 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	—	38890	(योजना का 30.50 प्रतिशत)
अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत कन्टनजेंसी व्यय	—	4400	(योजना का 03.50 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	—	**127238**	

नंदनफलोद्यान योजना का प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति हेक्टेयर (1.0 हेक्टेयर) तीन वर्षीय योजना

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....

हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....

चयनित पौधे– अमरूद, नीबू, संतरा, मोसम्बी, ऑवला, आम, सीताफल, बेर, अनार एवं फेन्सिग के किनारे–किनारे बांस के पौधों का रोपण 3–3 मी. दूरी पर पौधों से पोधों की दूरी – 6×6 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या 1.0 हेक्ट/280 पौाधे अमरूद, नीबू आदि एवं अंतरवर्ती फसल के रूप में 1600 पौधे पपीता के

कुल पौध संख्या – 280 फलदार एवं 133 पौधे बांस+ 1600 पौधे पपीता

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी	लागत सामग्री	योग (रूपये में)	रिमार्क
1	**खेत का रेखांकन**	0.20 प्रति र.मी.	8000 र.मी.	960	640	1600	
2	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**						
	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.60×0.60× 0.60=0.216 मीटर	73.80 प्रति घन मी. 15.94प्रति गड्डा	413 गड्डे	6583	–	6583	
	पपीता पौधों हेतु गड्डों की खुदाई0.45×0.45×0.45=0.091 मीटर	73.80 प्रति घनमी 6.71 प्रति गड्डा	1600 गड्डे	10736	–	10736	
3	**गोबर की खाद 10 किलो प्रति पौधा**	10 रू. प्रति पौधा	413 पौधे	–	4130	4130	पपीता हेतु गोबर की खाद एवं अन्य रासायनिक उर्वरक की व्यवस्था हितग्राही द्वारा स्वयं की जावेगी
4	**सिंगल सुपर फास्फेट**						
	500 ग्रम प्रति पौधा/413 पौधे	6.6 प्रति किलो	200 किलो	–	1320	1320	
5	**म्यूरेट आफ पोटास**						
	250 ग्रम प्रति पौधा/413 पौधे	17.8 प्रति किलो	100 किलो	–	1780	1780	
6	**यूरिया**						

	250 ग्रम प्रति पौधा/413 पौधे (टॉप ड्रेसिंग के रूप में सितंबर–अक्टुबर एवं फरवरी–मार्च के माह में वर्ष में 2 बार)	6 प्रति किलो	100 किलो	–	600	600	
7	**थीमेट, फोरेट**						
	25 ग्रम प्रति पौधा/413 पौधे	59 प्रति किलो	10 किला	–	590	590	
8	**पौधों की कीमत**						
	अमरूद एवं नीबू 3 से 4.5 फिट उंचाई के (परिवहन सहित)	30 प्रति पौधा	336 पौधे	–	10080	10080	
	बांस के पौधे 1.5–2.0 5 फिट उंचाई के (परिवहन सहित)	15 प्रति पौधा	159 पौधे		2385	2385	
	ब– पपीता पौधे ताईवानी 786 (रेडलेडी)	15	1760 पौधे	–	26400	26400	परिवहन हितग्राही द्वारा किया जावेगा
9	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग**	10 प्रति पौधा	413	4130	–	4130	
	पपीता पौधों की गड्ढा भराई एवं पौध रोपण	2 प्रति पौधा	1600	3200	–	3200	
10	**पौध संरक्षण दवायें**	5 प्रति पौधा	413	–	2065	2065	
11	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में**	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से, 11 माह तक)	143 श्रमिक पूरे वर्ष में	22715		22715	100 दिवस पूर्ण होने पर शेष श्रम हेतु हितग्राही द्वारा प्रस्तुत श्रमिक मॉग अनुसार अन्य श्रमिक को जीवितता अनुसार टॉस्क भुगतान पर कार्य पर लगाया जावेगा
	पपीता पौधों पर मजदूरी प्रबंधन एवं संपूर्ण देखरेख हेतु 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	1.5 रू प्रति पौधा प्रतिमाह 8 माह तक	121 श्रमिक पूरे वर्ष में	19200	–	19200	पौधरोपण के 8 माह बाद हितग्राही को उत्पादन प्राप्त होने लगेगा अतः आगे व्यय हितग्राही द्वारा स्वयं किया जावेगा
12	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण**						
	स्प्रेयर पंप (1पंप 0.5 कि.मी. हेतु)	1250	1	–			

	गेंती	150	1	–			
	फावडा	100	2	–			
	सब्बल	80	1	–			
	तसला	100	2	–			
	सिकेटियर	200	1	–			
13	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**						
	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	56	–	1680	1680	
	बांस के पौधे गैफ फिलिंग	15 प्रति पौधा	26	–	390	390	
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	413	–	–	–	पपीता से प्राप्त आय से हितग्राही द्वारा स्वयं अंश से व्यवस्था की जावेगी
	पौध संरक्षण पर व्यय	5 प्रति पौधे	413	–	–	–	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से, 12 माह तक)	156 श्रमिक पूरे वर्ष में	24780		24780	
14	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**						
	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	28	–	840	840	
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	413	–	–	–	
	पौध संरक्षण पर व्यय	5 प्रति पौधे	413	–	–	–	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से, 12 माह तक)	156 श्रमिक पूरे वर्ष में	24780		24780	
	योग			**117084**	**52900**	**169984**	

नोटः– **1.** ताईवानी पपीता लगाने के आठ माह बाद फल देना प्रारंभ कर देता है, लगाये गये 95 प्रतिशत पौधों में फल प्राप्त होते है, जोकि प्रतिपौधा न्यूनतम 50–60 कि. ग्रा. तक 24 माहों के भीतर प्राप्त होते है। जिस कारण हितग्राही को वास्तविक फलन 1300 पौधों से ही 10 रू प्रति किलो भाव होने से 5.0 से 6.0 लाख रूपये की आय प्राप्त हो सकती है।

2. प्रारंभ के 6 माहों तक अंतरावर्ती फसल मिर्च, बैगन, प्याज, धनिया इत्यादि से भी हितग्राही द्वारा आय प्राप्त की जा सकती है।

3. संतरा मौसम्बी, अनार आदि पौधों में फलन के समय सहारा की आवश्यकता होती है। अतः तीन वर्ष बाद लगाये गये बांस पौधों से फलदार पौधों को सहारा हेतु बांस प्राप्त हो सकेंगे।

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	–	117084	(योजना का 66.50 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	–	52900	(योजना का 30.00 प्रतिशत)
अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत कन्टनजेंसी व्यय	–	6200	(योजना का 03.50 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	–	**176184**	

नंदनफलोद्यान योजना का प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति हेक्टेयर (1.0 हेक्टेयर) तीन वर्षीय योजना

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....

हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....

चयनित पौधे– अमरूद, नीबू, संतरा, मोसम्बी, ऑवला, आम, सीताफल, बेर, अनार

पौधों से पोधों की दूरी – 6×6 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या 1.0 हेक्ट/280 पौधे अमरूद, नीबू आदि

कुल पौध संख्या – 280

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी	लागत सामग्री	कृषक अंश	योग (रूपये में)	रिमार्क
1	**खेत का रेखांकन**	0.20 प्रति र.मी.	8000 र.मी.	960	640		1600	
2	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**							
	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.60×0.60× 0.60=0.216 मीटर	73.80 प्रति घन मी. 15.94प्रति गड्डा	280 गड्डे	4463	–		4463	
3	**गोबर की खाद**	10	280 पौधे	–		2800	–	

	10 किलो प्रति पौधा	रू. प्रति पौधा						
4	**सिंगल सुपर फास्फेट**							
	500 ग्रम प्रति पौधा/280 पौधे	6.6 प्रति किलो	140 किलो	—	924		924	
5	**म्यूरेट आफ पोटास**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/280 पौधे	17.8 प्रति किलो	70 किलो	—	1246		1246	
6	**यूरिया**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/280 पौधे (टॉप ड्रेसिंग के रूप में सितंबर–अक्टुबर एवं फरवरी–मार्च के माह में वर्ष में 2 बार)	6 प्रति किलो	70 किलो	—	420		420	
7	**थीमेट, फोरेट**							
	25 ग्रम प्रति पौधा/280 पौधे	59 प्रति किलो	7 किला	—	413		413	
8	**पौधों की कीमत**							
	अमरूद एवं नीबू 3 से 4.5 फिट उंचाई के (परिवहन सहित)	30 प्रति पौधा	336 पौधे	—	9080	1000	9080	
9	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग**	10 प्रति पौधा	280	2800	—		2800	
10	**सुरक्षा हेतु वायरब्रिड वायर कय**	80.23	200 किलो	—	16000		16000	
11	**सीमेन्ट पोल/बल्ली इत्यादि की व्यवस्था**	100 प्रति नग	135	—	—	13500		
12	**पौध संरक्षण दवायें**	5 प्रति पौधा	280	—	1400		1400	

13	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में**	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से, 11 माह तक)	97 श्रमिक पूरे वर्ष में	15400			15400	
14	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण**							
	स्प्रेयर पंप (1पंप 0.5 कि.मी. हेतु)	1250	1	—				
	गेंती	150	1	—				
	फावडा	100	2	—				
	सब्बल	80	1	—				
	तसला	100	2	—				
	सिकेटियर	200	1	—				
15	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**							
	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	56	—	1680		1680	
	परिवहन व्यय पौधे एवं अन्य सामग्री	—	—	—	—		—	
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	280	—	—	2800	—	
	पौध संरक्षण पर व्यय	5 प्रति पौधे	280	—	1400		1400	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से 12 माह तक)	106 श्रमिक पूरे वर्ष में	16800	—		16800	
16	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**							

	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	28	—	840		840	
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	280	—	—	2800	—	
	पौध संरक्षण पर व्यय	5 प्रति पौधे	280	—	1400		1400	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से 12 माह तक)	106 श्रमिक पूरे वर्ष में	16800	—		16800	
	योग			**57223**	**35443**	**22900**	**92666**	

नोटः— 1. तैयार कार्ययोजना में लागत सामग्री पर 25 प्रतिशत कृषक अंश शामिल है। उपरोक्त के अलावा फेन्सिग व्यवस्था हेतु सीमेन्ट पोल/बल्ली की व्यवस्था भी हितग्राही द्वारा कृषक अंश से की जावेगी।

2. प्रारंभ के 3 वर्षो तक अंतरावर्ती फसल मिर्च, बैगन, प्याज, धनिया, सोयाबीन, गेहुँ इत्यादि से हितग्राही द्वारा आय प्राप्त की जा सकती है।

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	—	57223	(योजना का 60.00 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	—	35443	(योजना का 37.00 प्रतिशत)
अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत कन्टनजेंसी व्यय	—	3000	(योजना का 03.00 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	—	**95666**	

नंदनफलोद्यान योजना का प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति हेक्टेयर (1.0 हेक्टेयर) तीन वर्षीय योजना

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....

हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....

चयनित पौधे– अमरूद, नीबू, संतरा, मोसम्बी, ऑवला, आम, सीताफल, बेर, अनार एवं फेन्सिग के किनारे–किनारे बांस के पौधों का रोपण 3–3 मी. दूरी पर पौधों से पोधों की दूरी – 6×6 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या 1.0 हेक्ट/280 पौधे अमरूद, नीबू आदि

कुल पौध संख्या – 280 फलदार एवं 133 पौधे बांस

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी	लागत सामग्री	लागत कृषक अंश	योग (रूपये में)	रिमार्क
1	**खेत का रेखांकन**	0.20 प्रति र.मी.	8000 र.मी.	960	640		1600	
2	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**							
	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.60×0.60× 0.60 = 0.216 मीटर	73.80 प्रति घन मी. 15.94प्रति गड्डा	413 गड्डे	6583	–		6583	
3	**गोबर की खाद 10 किलो प्रति पौधा**	10 रू. प्रति पौधा	413 पौधे	–	4130		4130	

4	**सिंगल सुपर फास्फेट**							
	500 ग्रम प्रति पौधा/413 पौधे	6.6 प्रति किलो	200 किलो	—	1320		1320	
5	**म्यूरेट आफ पोटास**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/413 पौधे	17.8 प्रति किलो	100 किलो	—	1780		1780	
6	**यूरिया**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/413 पौधे (टॉप ड्रेसिंग के रूप में सितंबर–अक्टुबर एवं फरवरी–मार्च के माह में वर्ष में 2 बार)	6 प्रति किलो	100 किलो	—	600		600	
7	**थीमेट, फोरेट**							
	25 ग्रम प्रति पौधा/413 पौधे	59 प्रति किलो	10 किला	—	590		590	
8	**पौधों की कीमत**							
	अमरूद एवं नीबू 3 से 4.5 फिट उंचाई के (परिवहन सहित)	30 प्रति पौधा	336 पौधे	—	10080		10080	
	बांस के पौधे 1.5–2.0 5 फिट उंचाई के (परिवहन सहित)	15 प्रति पौधा	159 पौधे		2385		2385	
9	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग**	10 प्रति पौधा	413	4130	—		4130	
10	सुरक्षा हेतु वायरब्रिड वायर क्रय	80.23	200 किलो	—	16000		16000	
11	**सीमेन्ट पोल/बल्ली इत्यादि की**	100 प्रति नग	135	—	—	13500		

	व्यवस्था							
12	**पौध संरक्षण दवायें**	5 प्रति पौधा	413	—	2065		2065	
13	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में**	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से, 11 माह तक)	143 श्रमिक पूरे वर्ष में	22715			22715	100 दिवस पूर्ण होने पर शेष श्रम हेतु हितग्राही द्वारा प्रस्तुत श्रमिक मॉग अनुसार अन्य श्रमिक को जीविकता अनुसार टॉस्क भुगतान पर कार्य पर लगाया जावेगा
14	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण**							
	स्प्रेयर पंप (1पंप 0.5 कि.मी. हेतु)	1250	1	—				
	गेंती	150	1	—				
	फावडा	100	2	—				
	सब्बल	80	1	—				
	तसला	100	2	—				
	सिकेटियर	200	1	—				
15	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**							
	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	56	—	1680		1680	
	बांस के पौधे गैफ फिलिंग	15 प्रति पौधा	26		390		390	
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	413	—	2130	2000	2130	
	पौध संरक्षण पर व्यय	5 प्रति पौधे	413	—	2065		2065	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90 प्रतिशत	159 प्रति दिन	156 श्रमिक	24780			24780	

	जीवित रहने की स्थिति में	(5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से, 12 माह तक)	पूरे वर्ष में					
16	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**							
	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	28	—	840		840	
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	413	—	2130	2000	2130	
	पौध संरक्षण पर व्यय	5 प्रति पौधे	413	—	2065		2065	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से, 12 माह तक)	156 श्रमिक पूरे वर्ष में	24780			24780	
	योग			**83948**	**50890**	**17500**	**134838**	

नोटः— **1.** तैयार कार्ययोजना में लागत सामग्री पर 25 प्रतिशत कृषक अंश शामिल है। उपरोक्त के अलावा फेन्सिग व्यवस्था हेतु सीमेन्ट पोल/बल्ली की व्यवस्था भी हितग्राही द्वारा कृषक अंश से की जावेगी।

2. प्रारंभ के 3 वर्षो तक अंतरावर्ती फसल मिर्च, बैगन, प्याज, धनिया, सोयाबीन, गेहुँ इत्यादि से हितग्राही द्वारा आय प्राप्त की जा सकती है।

3. संतरा मौसम्बी, अनार आदि पौधों में फलन के समय सहारा की आवश्यकता होती है। अतः तीन वर्ष बाद लगाये गये बांस पौधों से फलदार पौधों को सहारा हेतु बांस प्राप्त हो सकेंगे

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	—	83948	(योजना का 60.00 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	—	50890	(योजना का 36.50 प्रतिशत)
अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत कन्टनजेंसी व्यय	—	4800	(योजना का 03.50 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	—	**139638**	

नंदनफलोद्यान योजना का प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति हेक्टेयर (1.0 हेक्टेयर) तीन वर्षीय योजना

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....

हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....

चयनित पौधे– अमरूद, नीबू, संतरा, मोसम्बी, ऑवला, आम, सीताफल, बेर, अनार एवं फेन्सिग के किनारे–किनारे बांस के पौधों का रोपण 3–3 मी. दूरी पर पौधों से पोधों की दूरी – 6×6 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या 1.0 हेक्ट/280 पौधे अमरूद, नीबू आदि एवं अंतरवर्ती फसल के रूप में 1600 पौधे पपीता के

कुल पौध संख्या – 280 फलदार एवं 133 पौधे बांस + 1600 पौधे पपीता

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी	लागत सामग्री	लागत कृषक अंश	योग (रूपये में)	रिमार्क
1	**खेत का रेखांकन**	0.20 प्रति र.मी.	8000 र.मी.	960	640		1600	
2	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**							
	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.60×0.60× 0.60=0.216 मीटर	73.80 प्रति घन मी. 15.94प्रति गड्डा	413 गड्डे	6583	–		6583	
	पपीता पौधों हेतु गड्डों की खुदाई 0.45×0.45×0.45=0.091 मीटर	73.80 प्रति घनमी 6.71 प्रति गड्डा	1600 गड्डे	10736	–		10736	

3	**गोबर की खाद** **10 किलो प्रति पौधा**	10 रू. प्रति पौधा	413 पौधे	–		4130	4130	पपीता हेतु गोबर की खाद एवं अन्य रासायनिक उर्वरक की व्यवस्था हितग्राही द्वारा स्वयं की जावेगी
4	**सिंगल सुपर फास्फेट**							
	500 ग्रम प्रति पौधा/413 पौधे	6.6 प्रति किलो	200 किलो	–	1320		1320	
5	**म्यूरेट आफ पोटास**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/413 पौधे	17.8 प्रति किलो	100 किलो	–	1780		1780	
6	**यूरिया**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/413 पौधे (टॉप ड्रेसिंग के रूप में सितंबर–अक्टुबर एवं फरवरी–मार्च के माह में वर्ष में 2 बार)	6 प्रति किलो	100 किलो	–	600		600	
7	**थीमेट, फोरेट**							
	25 ग्रम प्रति पौधा/413 पौधे	59 प्रति किलो	10 किला	–	590		590	
8	**पौधों की कीमत**							
	अमरूद एवं नीबू 3 से 4.5 फिट उंचाई के (परिवहन सहित)	30 प्रति पौधा	336 पौधे	–	10080		10080	
	बांस के पौधे 1.5–2.0 5 फिट उंचाई के (परिवहन सहित)	15 प्रति पौधा	159 पौधे		2385		2385	
	ब– पपीता पौधे ताईवानी 786 (रेडलेडी)	15	1760 पौधे	–	26400		26400	परिवहन हितग्राही द्वारा किया जावेगा

9	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग**	10 प्रति पौधा	413	4130	—		4130	
10	**पपीता पौधों की गड्ढा भराई एवं पौध रोपण**	2 प्रति पौधा	1600	3200	—		3200	
11	सुरक्षा हेतु वायरब्रिड वायर क्रय	80.23	200 किलो	—	16000		16000	
	सीमेन्ट पोल/बल्ली इत्यादि की व्यवस्था	100 प्रति नग	135	—	—	13500		
12	**पौध संरक्षण दवायें**	5 प्रति पौधा	413	—	2065		2065	
13	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में**	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से, 11 माह तक)	143 श्रमिक पूरे वर्ष में	22715			22715	100 दिवस पूर्ण होने पर शेष श्रम हेतु हितग्राही द्वारा प्रस्तुत श्रमिक मॉग अनुसार अन्य श्रमिक को जीवितता अनुसार टॉस्क भुगतान पर कार्य पर लगाया जावेगा
	पपीता पौधों पर मजदूरी प्रबंधन एवं संपूर्ण देखरेख हेतु 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	1.5 रू प्रति पौधा प्रतिमाह 8 माह तक	121 श्रमिक पूरे वर्ष में	19200	—		19200	पौधरोपण के 8 माह बाद हितग्राही को उत्पादन प्राप्त होने लगेगा अतः आगे व्यय हितग्राही द्वारा स्वयं किया जावेगा
14	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण**							
	स्प्रेयर पंप (1पंप 0.5 कि.मी. हेतु)	1250	1	—				
	गेंती	150	1	—				
	फावडा	100	2	—				
	सब्बल	80	1	—				

	तसला	100	2	—				
	सिकेटियर	200	1	—				
15	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**							
	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	56	—	1680		1680	
	बांस के पौधे गैफ फिलिंग	15 प्रति पौधा	26	—	390		390	
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	413	—	—		—	पपीता से प्राप्त आय से हितग्राही द्वारा स्वयं अंश से व्यवस्था की जावेगी
	पौध संरक्षण पर व्यय	5 प्रति पौधे	413	—	—		—	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से, 12 माह तक)	156 श्रमिक पूरे वर्ष में	24780			24780	
16	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**							
	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	28	—	840		840	
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	413	—	—		—	
	पौध संरक्षण पर व्यय	5 प्रति पौधे	413	—	—		—	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से, 12 माह तक)	156 श्रमिक पूरे वर्ष में	24780			24780	
	योग			**117084**	**64770**	**17630**	**181854**	

नोटः— **1.** तैयार कार्ययोजना में लागत सामग्री पर 25 प्रतिशत कृषक अंश शामिल है।

2. ताईवानी पपीता लगाने के आठ माह बाद फल देना प्रारंभ कर देता है, लगाये गये 95 प्रतिशत पौधों में फल प्राप्त होते है, जोकि प्रतिपौधा न्यूनतम 50—60 कि. ग्रा. तक 24 माहों के भीतर प्राप्त होते है। जिस कारण हितग्राही को वास्तविक फलन 1300 पौधों से ही 10 रू प्रति किलो भाव होने से 5.0 से 6.0 लाख रूपये की आय प्राप्त हो सकती है।

3. प्रारंभ के 6 माहों तक अंतरावर्ती फसल मिर्च, बैगन, प्याज, धनिया इत्यादि से भी हितग्राही द्वारा आय प्राप्त की जा सकती है।

4. संतरा मौसम्बी, अनार आदि पौधों में फलन के समय सहारा की आवश्यकता होती है। अतः तीन वर्ष बाद लगाये गये बांस पौधों से फलदार पौधों को सहारा हेतु बांस प्राप्त हो सकेंगे।

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	—	117084	(योजना का 62.00 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	—	64770	(योजना का 34.50 प्रतिशत)
अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत कन्टनजेंसी व्यय	—	6700	(योजना का 03.50 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	—	**188554**	